खण्ड २ — अंक ३४
६ अप्रैल, १९५६, (शुक्रवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग १ — प्रश्नोत्तर)

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha

(XII Session)

(खण्ड २ में अंक २१ से अंक ४० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

चार आने (देश में)

एक शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

पृष्ठ

सत्र काल में संसदीय समितियों की बैठकों का समय ... ११८०

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १२२३, १२२५, १२२६, ११२९, १२३१, १२३२, १२३४, १२३७, १२३८, १२४१, १२४३, १२४५ से १२५०, १२५२, १२५३, १२५५ और १२५७ से १२६३ ... ... ११८०–१२०२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ९ १२०२–०३

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १२२४, १२२७, १२२८, १२३०, १२३३, १२३५, १२३६, १२३९, १२४०, १२४२, १२४४, १२५१, १२५४, १२५६, १२६४ और १२६५ १२०३–०८

अतारांकित प्रश्न संख्या ७४४ से ७९७ ... ... १२०८–२७

दैनिक संक्षेपिका १२२८–३०

लोक-सभा

शुक्रवार, ६ अप्रैल, १९५६

लोक-सभा साढ़े दस बजे समवेत हुई

(**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए)

संसदीय समितियों की बैठकों का समय

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे ज्ञात हुआ है कि लोक-सभा में आरम्भ में ही गणपूर्त्ति का अभाव इसलिये हो जाता है कि कुछ प्रवर समितियों और अन्य संसदीय समितियों की बैठकें होती रहती हैं । माननीय सदस्यों को मैं यह राय दूंगा कि वह १० बजे म० पू० से लेकर १ बजे म० पू० तक प्रवर समितियों की बैठकें न किया करें । मैं लोक-सभा की बैठक होते समय १० बजे म० पू० से लेकर १ बजे म० प० तक प्रवर समिति अथवा अन्य किसी भी समिति की बैठकें करने की अनुमति नहीं दूंगा । समाचार-पत्र यह कह कर, कि गणपूर्त्ति के अभाव के कारण भारत की उच्चतम संसद् की बैठक नहीं हो पाती है, बारम्बार इस प्रश्न को उठा रहे हैं । मैं माननीय सदस्यों से इस बात पर ध्यान देने का आग्रह करूंगा कि सम्पूर्ण लोक-सभा और व्यक्तिगत रूप से माननीय सदस्य भी संसार की दृष्टि में उपहास के पात्र बनते जा रहे हैं , जिस समय संसद् का सत्र चालू हो और उसकी बैठकें हो रही हों, १० बजे म० पू० से लेकर १ बजे म० पू० तक किसी भी समिति की बैठक नहीं होगी ।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

माल-डिब्बों की कमी

†*१२२३. **श्री झूलन सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान वस्तुओं के यातायात के लिये दिये गये माल डिब्बों की कमी क कारण गुड़ और खंडसारी के उत्पादकों द्वारा १९५५ में अनभव की गई अत्यधिक कठिनाइयों का ओर आकृष्ट किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उन उत्पादकों को कठिनाइयां न होने देने के लिये इस वर्ष पहले स ही क्या कार्य-वाही की गई है अथवा करने की प्रस्थापना है ?

†**रलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जो हाँ, पूर्वोत्तर, उत्तर और दक्षिण रेल्वे के कुछ स्टेशनों से १९५५ में गुड़ तथा खंडसारी के यातायात में कठिनाई होने के सम्बन्ध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे ।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) वाहनान्तर केन्द्रों से होकर प्रतिबन्धित मार्गों पर यातायात में कठिनाई होते हुए भी इन वस्तुओं के यातायात के लिये माल डिब्बों के सम्भरण में वृद्धि करने के लिये रेलवे प्रशासनों द्वारा विशेष प्रयास किये गये हैं, जैसा कि इस तथ्य से स्पष्ट है कि नवम्बर, १९५५ से लेकर फरवरी, १९५६ तक इन वस्तुओं के लदान में, पिछले वर्ष की तत्कालीन अवधि की तुलना में काफ़ी वृद्धि हुई है।

†**श्री झूलन सिंह** : क्या इस सम्बन्ध में परिवहन की विशेष कठिनाइयों की ओर विशेष रूप से उत्तरी बिहार में, सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया है ?

†**श्री अलगेशन** : जैसा मैंने बताया, इन सभी स्थानों में इस वर्ष माल का अधिक परिमाण में लदान हुआ है। इस के अतिरिक्त अभ्यांशों में भी वृद्धि कर दी गई है और कुछ मामलों में तो स्पेशल ट्रेनें भी चलायी गयीं हैं।

सेठ अचल सिंह : क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या वजह है कि मेरठ, मुजफ्फर-नगर तथा हापुड़ में वैगन्स (माल-डिब्बे) नहीं मिल रहे हैं ?

†**श्री अलगेशन** : उनकी हिन्दी कुछ इतनी तेज़ थी कि मैं समझ नहीं पाया। उनकी बात भी अस्पष्ट थी।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री गर्ग।

†**श्री आर० पी० गर्ग** : इस तथ्य को, कि माल-डिब्बों की कमी के फलस्वरूप रेलवे कर्मचारियों को अवैध तथा भ्रष्टाचार पूर्ण कार्य करने का अवसर प्राप्त हो जाता है, दृष्टि में रखते हुए क्या मैं यह जान सकता हूं कि इन कार्यवाहियों का अन्त करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने की प्रस्थापना करती है ?

†**श्री अलगेशन** : चीनी का अधिक यातायात करने की आवश्यकता के साथ साथ ईख, चाय, पटसन आदि वस्तुओं का भी यातायात किया जाता है। इसलिये नवम्बर और जून के बीच माल डिब्बों की लदाई की अधिक मांग रहती है। परन्तु, जैसा कि लोक-सभा को ज्ञात है, स्वयं इस देश में ही माल डिब्बों के निर्माण की गति को तीव्र करने के लिये विभिन्न कार्यवाहियां की जा रही हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री डाभी। कोई माननीय सदस्य हँस रहे हैं। क्या मैं यह समझूँ कि वह माननीय सदस्य प्रश्न पूछ रहे हैं ?

†**कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख)** : जिन चार सदस्यों ने इस प्रश्न की सूचना दी थी वे सभी अनुपस्थित हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : परन्तु यदि लोग बात करते रहें तो मुझे कैस पता चले मैं यही कर सकता हूँ कि लोक-सभा की कार्यवाही रोक दूँ और माननीय सदस्यों को सभा के भीतर ही बातचीत करने के लिये आध घंटे का समय दे दूँ।

यह भी बड़ी खराब बात है कि जिन चार सदस्यों ने इस प्रश्न की सूचना दी थी उन में से एक भी उपस्थित नहीं हैं।

रेलवे प्रशासन में हिन्दी का प्रयोग

*१२२५. **श्री भक्त दर्शन** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके मंत्रालय, अधीनस्थ कार्यालयों और रेलवे प्रशासन में हिन्दी के प्रयोग के बारे में क्या विशेष कार्यवाही की गई है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : एक बयान सभा-पटल पर रख दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या १]**

---

†मूल अंग्रेज़ी में

श्री भक्त दर्शन : इस वक्तव्य में जो बातें बताई गई कि रेलवे मंत्रालय हिन्दी के विकास के लिये यह कार्य कर रहा है उसके लिये मैं इसे धन्यवाद देता हूँ। मगर मैं यह जानना चाहता हूँ, कि पारिभाषिक शब्दावलि का जो अनुवाद किया जा रहा है उसकी प्रगति बहुत शिथिल मालूम पड़ती है क्योंकि "ए" से "एच" तक के शब्दों का अनुवाद ही अभी तक हो पाया है जबकि हम को "ज़ेड़" तक जाना है, इसका क्या कारण है और अभी इस काम में कितने और वर्ष लगेंगे ?

†**श्री अलगेशन** : मैं समझता हूँ कि अक्षर 'ए' से 'जेड़' तक के लगभग़ सभी यातायात सम्बन्धी पारिभाषिक शब्दों को अंतिम रूप दे दिया गया है, परन्तु प्रकाशन सम्भवत: 'ए' से 'एच' तक ही किया गया है। मुझे आशा है कि शेष को भी शीघ्र ही प्रकाशित कर दिया जायेगा। अन्य विभागों के सम्बन्ध में भी पारिभाषिक शब्दावलि को अंतिम रूप प्रदान करने का काम जारी है। यह एक ऐसा कार्य है जिसको सावधानी पूर्वक करना पड़ता है।

श्री भक्त दर्शन : इस वक्तव्य में यह भी बताया गया है कि कर्मचारियों को हिन्दी की जानकारी कराने के लिये कुछ विशेष उपाय किये जा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इस बात के आंकड़े एकत्र किये गये हैं कि रेलवे में कुल कितने कर्मचारी हैं, उनमें से कितने लोग इस समय हिन्दी की अच्छी जानकारी रखते हैं और क्या कोई ऐसा कार्यक्रम बनाया गया है जिससे कि दो, तीन, चार या पांच वर्षों के अन्दर सब लोग हिन्दी सीख जायें और इसे समझने लग जायें ?

†**श्री अलगेशन** : इस समय मेरे पास यह दिखाने के लिये तो आंकड़े नहीं हैं कि इस समय कितने रेलवे कर्मचारी हिन्दी जानते हैं अथवा हिन्दी में कुशल हैं और कितने कर्मचारी हिन्दी से परिचित नहीं हैं। परन्तु जैसा मैं ने वक्तव्य में कहा है, हम लोग इस समय वर्त्तमान कर्मचारियों को हिन्दी का ज्ञान कराने के लिये कार्यवाही कर रहे हैं। इस विषय को प्रशिक्षण स्कूलों में भी आरम्भ करने की प्रस्थापना है, जिससे कि प्रशिक्षण स्कूलों से, विशेष रूप से अहिन्दी भाषा क्षेत्रों के प्रशिक्षण स्कूलों से निकलने से पहले वह एक सामान्य परीक्षा में उत्तीर्ण हो लें। मैं कुल कर्मचारियों की तुलना में हिन्दी जानने वाले कर्मचारियों की प्रतिशतता बता सकने में असमर्थ हूँ।

सेठ गोविन्द दास : रेलवे के कई विभाग और उप-विभाग हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि अभी कितन ऐसे विभाग और उप-विभाग हैं जिन में हिन्दी का चलन नहीं हुआ है और क्या कोई ऐसी निश्चित योजना बनाई गई है कि उन विभागों और उप-विभागों में भी हिन्दी में कार्य शुरू हो जाये, यदि हां तो उनमें हिन्दी का कब तक चलन हो जायेगा ?

†**श्री अलगेशन** : इस बात को समझना होगा कि हिन्दी को लागू करने के लिये रेलवे को अलग नहीं किया जा सकता है। जहाँ तक कि कार्यवाही को चलाने का प्रश्न है अन्य विभागों और मंत्रालयों के साथ ही साथ हिन्दी को चालू कर दिया जायेगा। हिम जिस कार्य को करने का प्रयास कर रहे हैं वह यह है कि हम उन कर्मचारियों के लाभ के लिये, जो हिन्दी से परिचित नहीं हैं, कक्षायें चला रहे हैं और साथ ही प्रशिक्षण स्कूलों में हिन्दी की शिक्षा दे रहे हैं, जिससे कि अहिन्दी भाषी कर्मचारियों को, प्रशिक्षण स्कूलों से निकलते समय हिन्दी का अच्छा ज्ञान हो सकेगा। उद्देश्य यही है।

श्री डी० सी० शर्मा : रेलवे विभाग में बहुत से फार्म्स का इस्तेमाल किया जाता है और बहुत से कोड़ज़ और मैनुअल्ज़ (संहिता और पुस्तकें) हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि कितने फार्म्स का जो अंग्रेज़ी में थे हिन्दी में अनुवाद कर दिया गया है ? साथ ही कितने कोडस और मैनुअल्स है जिनका हिन्दी में अनुवाद किया जा चुका ह ? क्या मंत्रालय ने कोई ऐसा प्लान (योजना) भी बनाया है कि फलां (अमुक) तारीख तक इन सब चीज़ों का अनुवाद हो जाना चाहिये तथा यह कार्य समाप्त हो जाना चाहिये ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अलगेशन** : मेरा ख्याल है कि वक्तव्य में यह कहा गया है कि हम ऐसे मिले जुले फार्मों से आरम्भ कर रहे हैं जो हिन्दी और अंगरेज़ी दोनों में प्रकाशित किये जाते हैं। उनको चालू कर दिया गया हैं और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के फार्मों की संख्या निश्चय ही बढ़ाई जा सकती है और शेष फार्मों तथा उन सभी चीज़ों के सम्बन्ध में भी, जिनकां माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, ऐसे ही मिले-जुले फार्म प्रकाशित किये जा सकते हैं ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : जिन शब्दों का या पारिभाषिक शब्दों का या फार्म्स में प्रयोग किये जाने वाली भाषा का अनुवाद किया गया है, यह जानने के लिये कि वह सही अनुवाद है या नहीं, क्या कोई परामर्शदात्री समिति यानी एड्वाइज़री कमिटी (सलाहकार समिति) है और क्या सदन-पटल पर ऐसे अनुवाद किये गये फार्म्स इत्यादि की प्रतियां आप रखेंगे जिस से कि हम भी यह जान सकें कि अनुवाद सही हो रहा है ?

†**श्री अलगेशन** : इस पारिभाषिक शब्दावलि की शुद्धता और उपयुक्तता सम्बन्धी समस्त उत्तर-दायित्त्व शिक्षा मंत्रालय द्वारा वहन किया जाता है। वही इन की परख करते हैं और इन को अन्तिम रूप प्रदान करते हैं ।

†**श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या रेलवे के सभी श्रेणियों के कर्मचारियों पर हिन्दी को लागू करने और उसका विस्तार करने के लिये कोई अवधि निश्चित की गई है ?

†**श्री अलगेशन** : ऐसी कोई कड़ी अवधि तो निश्चित नहीं की गई है। हम कुछ कार्यवाही कर रहे हैं और हमें आशा है कि एक अनुमान किये जा सकने योग्य समय के भीतर हमको उसके परिणाम स्पष्ट होने चाहियें ।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या मैं जान सकता हूँ कि जो टिकट इंस्पैक्टर्स हैं उनमें से कितने हिन्दी जानने वाले हैं ।

†**श्री अलगेशन** : मैं समझता हूँ कि टिकटों की जाँच करने वाले कर्मचारियों आदि को विभिन्न प्रदेशों में रहने वाली जनता के सम्पर्क में आना पड़ता है। मेरा अनुमान है, कि इसलिये उनको स्थानीय रूप से ही भरती किया जाता है। उन को प्रांदेशिक भाषाओं का ज्ञान होना चाहिये जिससे कि वह लोगों की सहायता कर सकें और उनसे बातचीत कर सकें।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ।

†**श्री यू० एम० त्रिवेदी** : श्रीमान् क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ ?

†**अध्यक्ष महोदय**: भाषा आयोग का प्रतिवेदन आयेगा । एक समिति नियुक्त की जायेगी। मैं आठ अनुपूरक प्रश्नों की अनुमति दे चुका हूँ ।

रेलवे माल-डिब्बे

†१२२६. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में ८ दिसम्बर, १९५५ को रेलवे बोर्ड के प्रतिनिधियों और रेलवे माल-डिब्बों का निर्माण करने वालों के प्रतिनिधियों के मध्य बातचीत हुई थी;

(ख) यदि हाँ, तो क्या माल-डिब्बों और रेलवे की अन्य आवश्यकताओं के सम्भरण के लिये इस्पात को ही सब से अधिक महत्वपूर्ण समझा गया; और

(ग) सरकार इस्पात के संभरण की कमी को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही करन की प्रस्थापना करती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) इस्पात के आयात द्वारा देशीय सम्भरण को बढ़ाया जायेगा ।

श्री विभूति मिश्र : क्या सरकार ने पता लगाया है कि उसको प्रति वर्ष रेलवे के कामों के लिये कितने लोहे की जरूरत है ?

†**श्री अलगेशन** : शायद माननीय सदस्य पंचवर्षीय योजना काल के लिये इस्पात सम्बन्धी आवश्यकताओं का अनुमान जानना चाहते हैं ?

†**श्री विभूति मिश्र** : रेलवे के लिये इस्पात की वार्षिक आवश्यकतायें ।

†**श्री अलगेशन** : यह अनुमान लगाया गया है कि चालू वर्ष में हमें दस लाख टन इस्पात की आवश्यकता होगी ।

श्री विभूति मिश्र : क्या सरकार ने इस रिक्वायरमेंट (आवश्यकताओं) को बनाते समय यह विचार किया है कि बहुत सी चीजें लोहे के बदले लकड़ी की लगायी जा सकती हैं और इस प्रकार लोहे की बचत की जा सकती है ? क्या सरकार ने अनुमान लगाया है कि यदि खूंटियां आदि बहुत सी चीजें लोहे के बजाय लकड़ी की लगायी जायें तो कितना खर्चा होगा ?

†**श्री अलगेशन** : मेरे विचार से माननीय सदस्य का प्रश्न इस्पात की बजाये लकड़ी का प्रयोग किये जाने के विषय में है । अन्य बातों के सम्बन्ध में मुझे ज्ञात नहीं है । शहतीरों के बारे में हम कंकरीट के बने स्लीपरों को काम में लाने का प्रयोग कर रहे हैं और यह स्लीपर इस्पात या ढ़लवां लोहे के बने हुए स्लीपरों का स्थान ले लेंगे ।

"एगमार्क" घी

†*१२२९. **श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३-५४ और १९५४-५५ में भारत में कुल कितने घी का उत्पादन किया गया और उसमें कितना "एगमार्क" बनाया गया;

(ख) प्रत्येक वर्ष "एगमार्क" घी का प्रयोग करने के प्रचार पर कितना खर्च किया जाता है और उसके क्या परिणाम हुए हैं;

(ग) इस उद्योग की और "एगमार्क" घी को डिब्बों में बन्द करने वालों की दशा को सुधारन के लिये सरकार ने कितनी सहायता दी है; और

(घ) क्या "एगमार्क" घी श्रेणीबद्ध करने सम्बन्धी योजना आत्मनिर्भर है, और यदि नहीं, तो इसे स्थायित्व प्रदान करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख)** : (क) १९५१ की पशुधन गणना के आंकड़ों के अनुसार प्रत्येक वर्ष कोई एक करोड़ मन घी का उत्पादन होता है । १९५३-५४ में ९६,२९६ मन और १९५४-५५ में १,२३,९४२ मन घी एगमार्क किया गया ।

(ख) घी तथा अन्य एगमार्क वस्तुओं के प्रचार पर लगभग ४,६०० रुपये प्रतिवर्ष खर्च किया जाता है, इसके परिणामस्वरूप "एगमार्क" घी की मांग बढ़ गई है ।

(ग) कोई नहीं ।

(घ) जी नहीं । यह तो एक विकास सम्बन्धी कार्य है जिसे अपना खर्च निकालने में कुछ समय लगेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री बी० एस० मूर्त्ति** : क्या द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना में विशेष रूप से घी के विकास के लिये और सामान्य रूप से एगमार्क घी **के विकास** के लिये कोई राशि निर्धारित की गई है ।

†**डा० पी० एस० देशमुख** : द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना काल में हम जहां तक सम्भव हो हम अपनी श्रेणीबद्ध करने की सुविधाओं का विस्तार करना चाहते हैं । इनका विस्तार अवश्य किया जायेगा, परन्तु कितनी राशि खर्च की जायेगी यह मैं ठीक ठीक नहीं बता सकता ।

†**श्री बी० एस० मूर्त्ति** : क्या भारत से बाहर भी भारतीय घी की कोई मांग है, और यदि हां, तो इसको प्रोत्साहन देने या निरुत्साह करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**डा० पी० एस० देशमुख** : हमारे विचारानुसार हमारे बहुत से लोगों को पर्याप्त मात्रा में घी नहीं मिलता, इसी लिये वे घी की बजाये वनस्पति का प्रयोग करते हैं ।

†**श्री जांगड़े** : क्या मंत्री महोदय के ध्यान में यह बात आई है कि एगमार्क घी शुद्ध नहीं होता है बल्कि इसमें वनस्पति या डालडा मिला होता है ?

†**डा० पी० एस० देशमुख** : कुछ मामलों में यह ठीक है ।

सेठ गोविन्द दास : इस प्रश्न के भाग 'ग' के सम्बन्ध में अभी मंत्री जी ने कहा कि इस सम्बन्ध में कोई प्रयत्न नहीं हो रहा है । मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस देश में कि जहां लोग मांस और दूसरी चीज़ों को नहीं खाते हैं क्या सरकार यह ज़रूरी नहीं समझती कि घी के उद्योग के बढ़ाने के लिये वह प्रयत्न करे, और क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि यह उद्योग इसलिये नहीं बढ़ रहा है कि खास कर बम्बई और कलकत्ते के क़साईखानों में अच्छी से अच्छी गायों और अच्छी से अच्छी भैंसों का वध अब भी हो रहा है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : पहली बात तो यह है कि मेरे सहकारी मंत्री जी ने यह नहीं कहा कि इसकी तरफ कोई प्रयत्न नहीं हो रहा है . . . .

सेठ गोविन्द दास : भाग 'ग' के सम्बन्ध में उन्होंने "नो" कहा है ।

श्री ए० पी० जैन : यह उन्होंने एगमार्क की एड के लिये कहा है । लेकिन, घी के बढ़ाने के लिये कोई प्रयत्न नहीं हो रहा है, ऐसी बात नहीं कही है । यह घी का काम डेयरीइंग (दुग्ध व्यवस्था) का एक हिस्सा जिस पर कि बहुत रुपया खर्च किया जा रहा है । दूसरी पंचसाला योजना में भी इसके लिये काफी रुपया रखा गया । सवाल का जो दूसरा हिस्सा उसके बारे में मुझे यह कहना है कि यह सही है कि बम्बई और कलकत्ते में जो पशु मारे जाते हैं उसकी वजह से हानि तो होती है, लेकिन तमाम देश में जितने पशु हैं उनको सामने रखते हुए उस हानि की कितनी मात्रा है यह भी सोचने की बात है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : अभी माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि एगमार्क घी में भी मिलावट होती है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि जो कर्मचारी इसकी देखभाल करते हैं वे प्रति टीन एक रुपया या आठ आना ले लेते हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार इसको रोकने की कोई कार्यवाही कर रही है, और इसके कब तक रुक जाने की आशा है ?

श्री ए० पी० जैन : कुछ मिलावट एगमार्क घी के अन्दर मिली है लेकिन बहुत ज्यादा ऐसे केसेज़ नहीं मिले हैं । जो केसेज़ मिले हैं उनकी जांच पड़ताल होती है और जब कोई पकड़ा जाता है तो उस पर मुकदमा चलाया जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

नौवहन पदाधिकारी

†*१२३१. **श्री पी० सी० बोस :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारतीय वणिक पोतों की उच्च श्रेणियों की सेवा में कितने भारतीय पदाधिकारी सेवायुक्त हैं;

(ख) सेवा की उसी श्रेणी में कितने विदेशी पदाधिकारी काम कर रहे हैं; और

(ग) यदि भारतीय पदाधिकारियों की कोई कमी है तो इसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) इस समय भारतीय वणिक पोतों में २४३ भारतीय मास्टरों, मुख्याधिकारियों या मुख्य इंजीनियरों के रूप में सेवायुक्त हैं ।

(ख) १२५

(ग) भारतीय पदाधिकारियों की कमी का मूल कारण यह है कि देश की स्वतन्त्रता के पश्चात् सरकार ने प्रशिक्षण की जो सुविधायें दी हैं अभी उनके पूर्ण परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं । एक ज्येष्ठ स्थान पर नियुक्ति के लिये आपेक्षित प्रविधिक अर्हतायें प्राप्त करने में किसी व्यक्ति को सात वर्ष लगते हैं । ज्येष्ठ पद पर नियुक्त किये जाने से पूर्व उसे कई वर्ष तक कनिष्ठ अधिकारी के पद पर काम करना पड़ता है ।

†**श्री पी० सी० बोस :** क्या यह सच है कि नौवहन समवाय भारतीय पदाधिकारियों को पसन्द नहीं करते हैं और विदेशियों को रखना ठीक समझते हैं ।

†**श्री अलगेशन :** परन्तु मेरा विचार है कि वे निश्चित रूप से भारतीयों को ही अधिक अच्छा समझते हैं । यह बात अवश्य है कि हमारे पास प्रशिक्षित और अनुभव प्राप्त पदाधिकारियों की संख्या पर्याप्त नहीं है । जैसा कि मैंने बताया, लगभग तीन वर्ष में यह पदाधिकारी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होंगे ।

†**श्री पी० सी० बोस :** क्या सरकार भारतीय प्रशिक्षणार्थियों को उच्च प्रशिक्षण दिलाने का कोई प्रबन्ध कर रही है ?

†**श्री अलगेशन :** हां श्रीमान् । प्रशिक्षण देने के लिये हम ने कई संस्थायें खोली हैं । हमने प्रशिक्षण पाने वालों की संख्या बढ़ा दी है । इसी कारण हमें आशा है कि यथा समय यह पदाधिकारी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होंगे ।

†**श्री बी० एस० मूर्त्ति :** क्या किन्हीं भारतीय प्रशिक्षणार्थियों को विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये विदेशों में भेजा गया है और उन्हें किन देशों में भेजा गया है ।

† **श्री अलगेशन :** हमारे कुछ व्यक्ति इंगलैण्ड में परीक्षायें देते हैं ।

रूपनारायण पुल

†*१२३२. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता-बम्बई राष्ट्रीय राजपथ पर रूपनारायण नदी पर कोलाघाट स्थान पर बनाया जाने वाला पुल किस अवस्था पर पहुंच चुका है;

(ख) इसके प्रथम पञ्चवर्षीय योजना में आरम्भ किये जाने के क्या कारण ह;

(ग) क्या यह सच है कि इस मिलाने वाले पथ के बारे में जनता से अनेक शिकायतें मिली हैं;

(घ) उन के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ङ) क्या नये पुल के साथ साथ वर्तमान रेल के पुल के निर्माण के प्रश्न पर विचार किया गया था ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) पुल के निर्माण का प्राक्कलन फरवरी, १९५६ में स्वीकृत किया गया था और टैंडरों के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कर दिये जाने पर कार्य आरम्भ किया जायेगा ।

(ख) नदी के घुमावों और उसके पाट के अधिक चौड़ी होने के कारण किसी उपयुक्त स्थान को ढूंढने के लिये काफी खोज कार्य करना पड़ा । साथ ही रेलवे विभाग के साथ भी बातचीत करनी पड़ी क्योंकि जो एक उपयुक्त स्थान मिला था उसका रास्ता रेलवे की भूमि में से होकर जाता था ।

(ग) और (घ). जी नहीं । पुल को मिलाने वाले रास्तों में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में केवल एक अभ्यावेदन मिला था परन्तु एक अभ्यावेदन कोई परिवर्तन न किये जाने के बारे में भी मिला था । अनुसन्धान करने पर देखा गया कि प्रथम अभ्यावेदन में जिस परिवर्तन का सुझाव दिया गया था उससे कुछ ऐसे मोड़ बनाने पड़ते जो अच्छे नहीं थे और वह भूमि अर्जित करनी पड़ती जहां बस्ती थी । अतः उसे स्वीकार नहीं किया गया ।

(ङ) हां, परन्तु ऐसा करना सम्भव नहीं था ।

†**श्री एन० बी० चौधरी** : क्या सरकार ने स्थानीय जनता की इस शिकायत पर विचार किया है कि सरकार ने इस सड़क को बनाने के लिये बहुत अधिक भूमि, कोई १०० एकड़ भूमि, अर्जित की है परन्तु यदि सरकार की खास भूमि को काम में लाया जाता तो थोड़ी भूमि से ही काम चल जाता ?

†**श्री अलगेशन** : यदि सड़क बनाई जाती है तो भूमि का अर्जन तो करना ही है, और मेरे विचार से प्रधिकारियों ने आवश्यकता से अधिक भूमि अर्जित नहीं की होगी ।

†**श्री एस० सी० सामन्त** : क्या इस पुल को फैरीघाट पर बनाने के बारे में भी विचार किया गया था, और यदि हां, तो उस स्थान को चुनने में क्या कठिनाई थी ?

†**श्री अलगेशन** : किसी स्थान विशेष का चुनाव करने से पूर्व सभी उपलब्ध तथा उपयुक्त स्थानों का एक नहीं कई बार निरीक्षण किया जाता है । हमारा परामर्शक इंजीनियर भी वहां जाकर स्थान का चुनाव करने में सहायता देता है । सभी स्थानों की अच्छाई बुराई पर विचार करने के बाद इस स्थान को पुल के निर्माण के लिये सब से उपयुक्त पाया गया है ।

†**श्री एस० सी० सामन्त** : क्या यह सच नहीं कि इस पुल को मिलाने वाली सड़क को बनाने के लिये हजारों एकड़ कृषि भूमि अर्जित करनी पड़ेगी ? यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बात पर विचार किया है कि वर्तमान सड़क को ही इस हेतु काम में लाया जाये ?

†**श्री अलगेशन** : कदाचित माननीय सदस्य अतिशयोक्ति से काम ले रहे हैं । हजारों एकड़ भूमि अर्जित नहीं करनी पड़ेगी । इसकी आवश्यकता नहीं है ।

†**श्री एन० बी० चौधरी** : माननीय मंत्री ने जिस सुझाव की ओर निर्देश किया है क्या यह उन प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा दिया गया था जिनके मकान और भूमि, यदि सरकार दूसरे लोगों की सौ एकड़ भूमि न लेती, अर्जित कर लिये जाते ?

†**श्री अलगेशन** : मैं उन लोगों के प्रभाव के बारे में कुछ नहीं जानता जिन्हों ने यह सिफारिशें की थीं परन्तु यह विचार किया गया कि बस्ती को अर्जित करने के बजाये दूसरी भूमि को अर्जित करना अच्छा था क्योंकि उसमें अधिक कठिनाई होती । इसके अतिरिक्त एक लाभ यह भी था कि दूसरे मार्ग में एक ऐसा मोड़ बनाना पड़ता जो इस प्रकार के राजपथ के लिये अच्छा नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री एन० बी० चौधरी** : क्या सरकार को एक विशेषज्ञ इंजीनियर से इस बारे में कोई अभ्यावेदन मिला है कि इस योजना को नदी के पाट को छोटा करने की योजना से एकीकृत करके, जिससे कि पुल की लम्बाई कम की जा सकती थी, और इतने लम्बे पुल की आवश्यकता न पड़ती, पुल की लागत को बहुत कम किया जा सकता है ?

†**श्री अलगेशन** : वास्तविक नक्शे और प्राक्कलन तैयार करने से पूर्व इन सभी प्रविधिक बातों की पूरी तरह जांच की जाती है ?

उत्तर रेलवे पर गाड़ियों का रोका जाना

†*१२३४. **श्री रामकृष्ण** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे में दिल्ली और रिवाड़ी स्टेशनों के बीच अधिक यातायात होने और विभिन्न गाड़ियों के क्रॉस करने के कारण गाड़ियों को रोक लिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार दिल्ली और रिवाड़ी स्टेशनों के बीच दोहरा रेल मार्ग बनाने का विचार करती है; और

(ग) यदि हाँ , तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी हाँ, कभी कभी ।

(ख) हाँ, श्रीमान ।

(ग) इस कार्य को दो भागों में करने की प्रस्थापना है, पहले दिल्ली से गढ़ी हर्सरु तक और दूसरी बार में गढ़ी हर्सरू से रिवाड़ी तक, पहले भाग के कार्य के १९५६-५७ में आरम्भ होने की आशा है ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या उत्तर रेलवे के किसी अन्य रेल मार्ग को भी दोहरा करने की कोई प्रस्थापना है ?

†**श्री अलगेशन** : शायद कोई हो । इसके लिये पूर्व सूचना चाहिये ।

गलियारे वाले रेल के डिब्बे

†*१२३७. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गलियारे वाले रेल के डिब्बों के बारे में यह शिकायत मिली है कि उनमें सामान रखने के लिये पर्याप्त स्थान नहीं हैं, और

(ख) यदि हाँ, तो इसे दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या यह सच है कि इन गलियारे वाली रेलगाड़ियों में सामान के लिये बहुत कम स्थान उपलब्ध होता है ?

†**श्री अलगेशन** : विभिन्न प्रयोगों के परिणामस्वरूप यह सुझाव दिया गया है कि निचले बर्थ की उंचाई लगभग सोलह इंच होनी चाहिये । उस दिन हमने इन तीसरे दर्जे के डिब्बों का निरीक्षण किया था और यह सुझाव दिया गया था कि इस प्रयोजन के लिये निचले 'बर्थ' (शयन स्थान) की उंचाई सत्रह इंच रखी जाने के प्रश्न पर विचार किया जाये, ताकि कुछ अधिक सामान, परिमाण में तो अधिक नहीं, किन्तु यदि पेटियां आदि थोड़ी अधिक उंची भी हों तो उन्हें बर्थ के नीचे रखा जा सके, किन्तु यात्रियों द्वारा अत्यधिक सामान और बड़े आकार का सामान ले जाये जाने को हम प्रोत्साहन नहीं देना चाहेंगे ।

†मूल अंग्रेजी में

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या यह सच है कि लगेज वॉन (माल के डिब्बे) में भी उन यात्रियों को स्थान उपलब्ध नहीं होता है जो कि अपना सामान उसमें ले जाना चाहते हैं ? यदि ऐसा है तो सरकार इस विषय में क्या करने जा रही है ?

†**श्री अलगेशन** : लगेज वॉन में पर्याप्त स्थान नहीं होता है, मेरे विचार से यह बात ठीक नहीं है । लगेज वॉन में स्थान तो होना चाहिये ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : गलियारे वाली इन रेलगाड़ियों में ।

श्यामबाज़ार-बेलियाघाट रेल-सेवा

†*१२३८. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **रेलवे** मंत्री २१ दिसम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १०८५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भूतपूर्व बारासेट-बसिरहाट लाइट रेलवे के श्यामबाज़ार-बेलियाघाट रेलमार्ग पर एक शटल रेलगाड़ी चलाये जाने के सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल सरकार को प्रेषित पत्र का उत्तर प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उस की विषय वस्तु क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि उक्त शटल रेलगाड़ी के चलाये जाने में शीघ्रता किये जाने के लिये सरकार संविधान के संशोधित अनुच्छेद ३१ का प्रयोग करने में हिचकिचा रही है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या इस प्रयोजन के लिये एक अध्यादेश जारी करने की प्रस्थापना है जैसा कि बारासेट-बसिरहाट लाइट रेलवे का प्रबन्ध पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा लिये जाते समय किया गया था; और

(ङ) उक्त शटल रेलगाड़ी कब प्रारम्भ की जायेंगी ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) हाँ ।

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार की भी राय यही है कि बिश्नुपुर से बेलियाघाट तक के मौजूदा रेलवे बन्ध को पक्की सड़क में बदल देना ही उपयुक्त होगा ।

(ग) से (ङ). प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में जो कुछ कहा गया है उसको देखते हुए उत्पन्न नहीं होते ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या मैं जान सकती हूँ कि पक्की सड़क बनाने के विचार को अन्तिम रूप से निश्चित किया जा चुका है, और यदि हाँ, तो सड़क के निर्माण कार्य को कब तक प्रारम्भ किया जायेगा ?

†**श्री अलगेशन** : जी, हाँ । मेरा ख्याल है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने पक्की सड़क बनाने का प्रायः निश्चय कर लिया है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या मैं जान सकती हूँ कि क्या यह सच है कि केवल एक ही बात ऐसी है जिसके बारे में निश्चय किया जाना है और जिसके कारण कार्य रुका हुआ है वह यह है कि केन्द्रीय सरकार पश्चिम बंगाल सरकार को आवश्यक धनराशि देने में हिचकिचा रही है ?

†**श्री अलगेशन** : उक्त सड़क का निर्माण पूर्ण रूप से राज्य का दायित्व है । इसके बावजूद भी, इस सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल सरकार की इच्छाओं की पूर्त्ति किसी हद तक करने के लिये हम सहायता देने के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं । संभव है कि हम उसे पचास प्रतिशत सहायता दे दें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पर्यटन

†*१२४१. **श्री अमज़द अली** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आसाम में पर्यटक यातायात को लोकप्रिय बनाने और उसे प्रोत्साहन देने के लिये क्या कार्यवाहियां की गई हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : आसाम में पर्यटन योग्य जो स्थान हैं उनका जिक्र **'हैन्ड बुक आफ इन्डिया', 'टूरिस्ट इन्फार्मेशन बुकलेट', 'पेनोरमा आफ इन्डिया', 'इन्डिया फोल्डर'** और **'विद गन एन्ड रॉड इन इन्डिया'** पुस्तकों में किया गया है । यह सभी प्रकाशन हैं । आसाम के स्थानों का जिक्र **'हिल स्टेशन्स आफ ईस्ट इन्डिया'** और **'फोल्डर आन गेम सेन्क्चुरिज़'** पुस्तिकाओं में भी किया गया है जिनको प्रकाशित किया जा रहा है । एक गाइड और इनसर्ट सहित एक फोल्डर, जिसमें केवल आसाम के स्थानों का ही वर्णन दिया गया है, पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है और शिलांग और आसाम राज्य के नक्शे बनाये जा रहे हैं । आसाम के काज़ीरंगा शिकार-स्थान के सम्बन्ध में चलचित्र भी बनाया जा रहा है । आसाम में पर्यटक यातायात को प्रोत्साहन देने के लिये जिन प्रस्तावों को उपयुक्त समझा गया है उन्हें भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

†**श्री अमज़द अली** : क्या मैं जान सकता हूँ कि जो कार्यवाहियां की गई हैं उनमें परिवहन मत्रालय ने क्या योगदान दिया है ?

†**श्री अलगेशन** : जहां तक पर्यटन सम्बन्धी साहित्य के प्रकाशन का सम्बन्ध है, जिसका उल्लेख विस्तृत रूप से इस उत्तर में किया गया है, वह विशुद्धतः केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रकाशित किया गया है । चलचित्र का निर्माण भी केन्द्रीय निधि से किया गया है । द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किये जाने के लिये जो प्रस्ताव हैं उन्हें निर्माण कार्य की विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है । कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनका पूरा व्यय केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाये, कुछ अन्य कार्य ऐसे हो सकते हैं जिनका व्यय राज्य सरकार और केन्द्र द्वारा संयुक्त रूप से वहन किया जाये और कुछ अन्य कार्य ऐसे भी हो सकते हैं जिनका पूर्ण दायित्व राज्य सरकार को ही वहन करना होगा ।

†**श्री अमज़द अली** : क्या मैं जान सकता हूँ कि आसाम में पर्यटकों को अकर्षित करने के लिये रेलवे और सरकारी मोटरों के किरायों में कोई कमी करने का विचार किया जा रहा है ।

†**श्री अलगेशन** : पर्वतीय स्थानों को जाने के लिये दी जाने वाली रियायतें यहां के लिये भी दी जाती हैं । आसाम में पर्यटकों को आकर्षित करने में यह किसी हद तक सहायक होगी ।

†**श्री अमजद अली** : सड़कों के ज़रिये ।

†**श्री एल० एन० मिश्र** : क्या यह सच है कि ब्रिटेन के कुछ समाचारपत्रों में इस आशय की आलोचनाएं की गई हैं कि भारत में विदेशी पर्यटकों को पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं की गई थीं और इसके परिणामस्वरूप १९५५ में भारत विदेशी पर्यटकों से जितना लाभ प्राप्त कर सकता था उतना प्राप्त नहीं कर सका ? यदि हाँ, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या इन पर्यटकों को अतिरिक्त सुविधाएं देने के लिये कोई विशेष कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्री अलगेशन** : यह प्रश्न सदा ही सरकार के समक्ष रहता है । हम निवास स्थान होटलों में स्थान आदि सुविधाओं में यथा सम्भव वृद्धि करना चाहेंगे किन्तु धन की कमी हमारे मार्ग में बाधक होती है, और इसके फलस्वरूप जितनी तेजी से हम कार्य करना चाहते हैं उतनी तेजी से कर नहीं पाते हैं ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या मैं जान सकती हूँ कि शिलांग के अतिरिक्त, जहां परिवहन की

---

†मूल अंग्रेजी में

कुछ सुविधाएं मौजूद हैं, क्या आसाम के उन सुन्दर स्थानों के लिये, जो संभवत: पर्यटकों को आकर्षित कर सकते हैं, परिवहन सम्बन्धी सुविधायें देने के लिये कोई व्यवस्था की गई है ?

†**श्री अलगेशन** : आसाम का एक बड़ा आकर्षण काजीरंगा शिकार-स्थान है और समूचे देश में वही एक ऐसा स्थान है जहां गैंडे पाये जाते हैं। वहां जाने के लिये परिवहन की अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हैं, और वहां एक अच्छा विश्राम-गृह भी है। हाल ही में उक्त विश्राम-गृह में निवास स्थान का विस्तार भी किया गया है ।

वनस्पति

†*१२४३. **डा० रामाराव** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वनस्पति के निर्माण के लिये मेसर्स हिन्दुस्तान वनस्पति मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड की समस्त अधिष्ठापित क्षमता कितनी है और भारत की कुल अधिष्ठापित क्षमता की तुलना में वह कितनी है; और

(ख) १९५३-५४ और १९५४-५५ में उक्त व्यापार संस्था द्वारा वनस्पति का कितना वास्तविक उत्पादन किया गया और भारत के कुल उत्पादन का वह कितने प्रतिशत है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पी०एस० देशमुख)** : (क) मेसर्स हिन्दुस्तान वनस्पति मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड के स्वामित्व के अन्तर्गत वनस्पति का उत्पादन करने वाली जो चार फैक्टरियां हैं उनकी कुल अधिष्ठापित क्षमता प्रतिवर्ष ७६,००० टन की है। भारत की कुल अधिष्ठापित क्षमता का वह १८·४ प्रतिशत है।

(ख) उक्त व्यापार संस्थाओं द्वारा वर्ष १९५३-५४ और १९५४-५५ में वनस्पति का कुल उत्पादन क्रमश: ५३,२२६ टन और ५९,८९६ टन था। इन दोनों वर्षों में उक्त उत्पादन देश के कुल उत्पादन का २६.५ प्रतिशत था ।

†**डा० रामा राव** : क्या मैं जान सकता हूँ कि हिन्दुस्तान वनस्पति मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड के मालिक कौन हैं, और क्या वह भारतीय हैं अथवा विदेशी ?

†**डा० पी०एस० देशमुख** : मुझे ठीक से ज्ञात तो नहीं है, किन्तु मेरा ख्याल है उसके मालिक लीवर ब्रदर्स हैं ।

†**डा० रामा राव** : क्या मैं जान सकता हूँ कि इस बात को देखते हुए कि क्या इस एकाधिकारी समवाय के विरुद्ध जिसका नाम लीवर ब्रदर्स लिमिटेड है और भारत में वनस्पति के उत्पादन में जिसका इतना बड़ा हिस्सा है, छोटे समवायों से कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए०पी० जैन)** : उन्होंने कुछ समवाय स्थापित किये हैं और निस्संदेह भारत में वनस्पति के उत्पादन में उनका हिस्सा काफी अधिक है। किन्तु माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में किस प्रकार की कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा हमसे रखते हैं यह मुझे ज्ञात नहीं है।

†**सेठ गोविन्द दास** : क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि इस देश में जो वनस्पति का उत्पादन हो रहा है उससे इस देश के शुद्ध घी का मिश्रण बढ़ता जा रहा है, और क्या मैं जान सकता हूँ कि इस का क्या कारण है कि जो वैज्ञानिक ऐटम (अणु बम) बम और हाइड्रोजन (उदजन बम) बम के सदृश चीजें निकाल सके वे अब तक कोई ऐसा रंग नहीं निकाल सके जिससे कि वनस्पति को रंग दे दिया जाय ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह इस प्रश्न से कैसे उत्पन्न होता है ? वनस्पति की तुलना अणु और उद्जन बम से की जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कामत** : क्या माननीय मंत्री इस सदन को यह बता सकते हैं कि भारत में उत्पादित वनस्पति की कितनी मात्रा घी के अपमिश्रण के लिये काम में लाई जाती है ?

†**श्री ए० पी० जैन** : ख्याल है जो व्यक्ति अपमिश्रण से सम्बन्धित हैं वही इस बात को जानते हैं। सरकार के पास इस जानकारी को प्राप्त करने के कोई साधन नहीं हैं।

†**श्री कामत** : आप के पास इसके लिये कर्मचारी तो हैं।

†**श्री एल०एन० मिश्र**: क्या मैं जान सकता हूं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में वनस्पति के उत्पादन का क्या लक्ष्य है, और क्या हम वनस्पति के उत्पादन को नियंत्रित करने जा रहे हैं अथवा उसे बढ़ाने जा रहे हैं ?

†**श्री ए० पी० जैन** : हम उत्पादन क्षमता को नहीं बढ़ाने जा रहे हैं।

†**श्रीमती कमलेन्दुमति शाह** : क्या मैं जान सकती हूँ कि क्या यह सच है कि वनस्पति को रंग देने के लिये एक रंग खोज निकाला गया है किन्तु वनस्पति निर्माताओं ने उसपर कोई ध्यान नहीं दिया है ?

†**श्री ए० पी० जैन** : यह बिलकुल भी सच नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न।

†**श्री एम० एल० द्विवेदी** खड़े हुए—

†**अध्यक्ष महोदय** : वनस्पति प्रायः प्रत्येक स्थान में हैं।

†**श्री एम० एल० द्विवेदी** : वह एक गम्भीर समस्या है

†**श्री एल० एन० मिश्र** : हमारा स्वास्थ्य गिरता जा रहा है।

†**श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या मैं जान . . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय सदस्य वनस्पति के बारे में कोई अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं ?

†**श्री एम० एल० द्विवेदी** : जी हाँ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे खेद है। मैंने अगले प्रश्न के पूछे जाने के लिये कह दिया है।

रेलगाड़ियों में चोरियां

†*१२४५. **श्री कामत** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान, २५ फरवरी के 'दी स्टेटसमैन' के दिल्ली संस्करण में प्रकाशित उस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें कुछ रेलवे अधिकारियों के विरुद्ध गंभीर आरोप लगाये गये हैं; और

(ख) यदि हाँ तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने की प्रस्थापना है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) हाँ।

(ख) इस मामले की विस्तृत जांच की जा रही है।

†**श्री कामत** : क्या रेलगाड़ियों में ऐसी चोरियां और ऐसी ही अन्य घटनाएं विगत छः महीने में कम हुई हैं अथवा बढ़ गई हैं ?

†**श्री अलगेशन** : इस समय मेरे पास आंकड़े नहीं हैं। मेरा खयाल है कि ऐसी घटनाएं कम हो रही हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

पूर्वोत्तर रेलवे के कार्यालयों का हटाया जाना

†*१२४६. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, १९५५ में समाचारपत्रों में प्रकाशित घोषणा के अनुसार कलकत्ता स्थित पूर्वोत्तर रेलवे के कार्यालयों को गोरखपुर हटा दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या नीति में कोई परिवर्तन किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इस देरी के क्या क्या कारण हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) से (ग). जून, १९५५ में समाचारपत्रों में घोषणा किये जाने के बाद, यह निश्चय किया था कि कलकत्ता स्थित पूर्वोत्तर रेलवे के लेखा कार्य का विस्तार किया जाये और वाणिज्यिक कार्य को कलकत्ता से गोरखपुर ले जाया जाये, क्योंकि इससे कर्मचारियों के बड़े पैमाने पर स्थानान्तरण को कम किया जा सकेगा और उन्हें पूर्वोत्तर रेलवे के कार्य में स्थानीय रुप से खपाया जा सकेगा यह व्यवस्था अभी की जा रही है।

†**श्री रिशांग किशिंग :** क्या यह सच नहीं है कि कलकत्ता में पूर्वोत्तर रेलवे के लगभग सभी कार्यालयों में, जैसे कि संख्यिकीय दावे और लेखा कार्यालयों में, काम बक़ाया जमा होता जा रहा है, और यह बक़ाया अब भी बढ़ती ही जा रही है, और यदि हाँ, तो क्या सरकार इस बक़ाया पड़े काम को साफ़ करने के लिये कलकत्ता के कर्मचारियों को कुछ धन मानदेय के रूप में देने की प्रस्थापना करती है ?

†**श्री अलगेशन :** यह सच है कि बहुत सा काम बक़ाया है और उसे साफ़ किया जाना है। किन्तु अब कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की जो प्रस्थापना की गई है, उससे इस कार्य को पूरा करना संभव हो जायेगा साथ ही कर्मचारियों को यह भी आशंका थी कि कदाचित उन्हें गोरखपुर जाना पड़े। अब इस सम्बन्ध में उन्हें पूर्ण संतोष है क्योंकि अब उन्हें गोरखपुर नहीं जाना पड़ेगा और वे कलकत्ते में ही रहेंगे । इस आश्वासन के बाद, वे हमें और अधिक सहयोग प्रदान करेंगे जिस से इस बकाया काम को साफ़ करने में सहायता मिलेगी ।

†**श्री रिशांग किशिंग :** क्या यह सच है कि हाल में सांख्यिकीय पदाधिकारी पद को गोरखपुर से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया है, और यदि हाँ, तो क्या यह कार्य रेलवे बोर्ड के कहने पर किया गया है, और यह किस हद तक उस नीति से संगत है जो मंत्री महोदय द्वारा गत जून में घोषित की गई थी ?

†**श्री अलगेशन :** यह उस घोषित की गई नीति के विरुद्ध नहीं है। जैसा कि मैंने कहा है ऐसा प्रबन्ध किया गया है कि लेखा सम्बन्धी सारा काम कलकत्ता में किया जायेगा और इस तरह अन्य कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों को लेखे सम्बन्धी कार्य में लगाया जा सकेगा; और वाणिज्य सम्बन्धी काम केवल गोरखपुर में किया जायेगा । इस से काम में कोई अव्यवस्था नहीं हुई है, और इस में ऐसी कोई बात नहीं है जो मंत्री महोदय द्वारा घोषित की गई नीति के विरुद्ध हो !

†**श्री एन० बी० चौधरी :** क्या सरकार ने कलकत्ता के कर्मचारियों को दिये गये इस आश्वासन में, कि उन में से किसी को उनकी इच्छा के विरुद्ध गोरखपुर स्थानांतरित नहीं किया जायेगा कोई परिवर्तन किया है ?

†**श्री अलगेशन :** नहीं, इस में कोई परिवर्त्तन नहीं किया गया हैं बल्कि इस पर और भी जोर दिया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

तेल का उत्पादन

†*१२४७. **श्री सिद्धनंजप्पा :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तुमकूर के सहकारी कटीर उद्योगों ने संघ सरकार को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है जिस में धान कुट्टी समिति की सिफ़ारिश को क्रियान्वित करने और मिलों में तेल के उत्पादन को सीमित करने की प्रार्थना की गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**खाद्य और कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री सिद्धनंजप्पा :** क्या सरकार ने धान कुट्टी समिति की सिफ़ारिशों पर विचार किया है और उन में से किसी को स्वीकार किया है ?

†**श्री एम० वी० कृष्णप्पा :** सिफ़ारिशों पर विचार किया जा रहा है; और उन्हें सम्बन्धित राज्यों और मंत्रालयों के पास भी उन की राय जानने के लिये भेजा गया है ।

विमान कम्पनियाँ

†*१२४८. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विमान कम्पनियों के नाम क्या हैं, जिन्होंने धारा २५ के अन्तर्गत दिये गये प्रतिकर को लेने से इन्कार कर दिया था, किन्तु जिन्होंने विमान निगम अधिनियम, १९५३ की धारा २६ के अन्तर्गत अपने मामले विमान कम्पनी प्रतिकर न्यायाधिकरण को निर्दिष्ट किये हैं; और

(ख) न्यायाधिकरण द्वारा प्रत्येक मामले में क्या निर्णय दिया गया है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)**:(क) और (ख). मैं अपेक्षित जानकारी देनेवाला एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखता हूँ । [**देखिए परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या २**]

†**ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क :** क्या एयरवेज़ (इंडिया) लिमेटेड के मामले का भी निर्णय कर दिया गया है ?

†**श्री राज बहादुर :** जी, हां ।

खुर्दा रोड पर विभागीय मुख्यालय

†*१२४९. **श्री संगण्णा :** क्या **रेलवे** मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या दक्षिण पूर्वी रेलवे खंड में स्थित खुर्दा रोड पर विभागीय मुख्यालय खोलने के प्रस्तावों को क्रियान्वित किया गया है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : दक्षिण पूर्वी रेलवे की विभागीकरण योजना के सम्बन्ध में अभी कोई प्रस्ताव नहीं बनाये गये हैं ।

†**श्री संगण्णा :** क्या उड़ीसा सरकार को और इस सरकार को इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, और यदि हां, तो सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

†**श्री अलगेशन** : हम उड़ीसा की जनता की इच्छा को जानते हैं, वे चाहते हैं कि उन के राज्य की सीमाओं के अन्दर कम से कम एक विभागीय मुख्यालय हो । अन्तिम निर्णय करते समय उनकी इस इच्छा पर यथोचित ध्यान दिया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री जांगड़े : जब रेलवे मंत्रालय ने कुछ रेलों में विभागीकरण को स्वीकार कर लिया है और वस्तुतः उनका विभागीकरण कर दिया है, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि दक्षिण पूर्वी रेलवे में विभागीकरण कब किया जावेगा ?

†**श्री अलगेशन :** स्पष्ट है कि माननीय सदस्य ने मेरा उत्तर सुना नहीं । हम ने दक्षिण पूर्वी रेलवे के लिये भी विभागीय नमूने को स्वीकार कर लिया है । वास्तव में हम इसे सभी रेलवेज़ में जारी करना चाहते हैं । इसे शनैः-शनैः किया जा रहा है । जहां तक दक्षिण पूर्वी रेलवे का सम्बन्ध है, प्रस्ताव अभी तैयार नहीं किये गये हैं, किन्तु यह कार्य भी यथाविधि शुरू किया जायेगा ।

अफ़गानिस्तान को ऋतुविज्ञान-सम्बन्धी सहायता

***१२५०. श्री के० सी० सोधिया :** क्या **संचार** मंत्री २२ सितम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १२३४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऋतु विज्ञान सम्बन्धी संस्थाओं और उड्डयन-केन्द्रों की स्थापना में सुविधायें देने के लिये भारत सरकार ने अफ़गानिस्तान को कितना सामान और कितने कर्मचारी भेजे हैं ;

(ख) यह सहायता कोलम्बो योजना के अधीन दी गई है या अन्य रूप में; और

(ग) कर्मचारी अफगानिस्तान को किन शर्तों पर भेजे गये हैं ?

संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) और (ख). मैं सभा पटल पर एक विवरण-पत्र रख रहा हूँ जिसमें आवश्यक सूचना दी गई है । **[देखिए परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संखया ३]**

(ग) यह सहायता कोलम्बो योजना के अन्तर्गत नहीं दी गई है ।

श्री के० सी० सोधिया : जो यह अधिकारी वहां भेजे गये हैं, ये वहां कितने दिन रहगे ?

श्री राज बहादुर : जितने दिन आवश्यक होगा वहां रहेंगे। जब तक उनके अपने आदमी ट्रेन (प्रशिक्षित) नहीं हो जाते तब तक वे वहां रहेंगे ।

श्री के० सी० सोधिया : यह जो सामान उधार दिया गया है, इसकी कीमत तकरीबन कितनी होगी ।

श्री राज बहादुर : यह जो यंत्र दिये गये हैं उनकी कीमत लगभग ९५,००० रुपया है ।

†**सरदार इकबाल सिंह :** क्या नेपाल सरकार ने भी भारतीय ऋतु-विज्ञान विभाग के पदाधिकारियों की सेवायें मांगी हैं ?

†**श्री राज बहादुर :** उसने वैज्ञानिक संचार और ऋतु-विज्ञान सम्बन्धी सुविधाओं के लिये, कुछ सामान और इन संस्थापनाओं को चलाने के लिये आवश्यक कर्मचारी मांगे थे ।

विमान सेवा

†***१२५२. श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रात्रि विमान सेवा को अन्य भारतीय नगरों तक बढ़ाने की प्रस्थापना करती है; और

(ख) यदि हाँ, तो कब ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) इस समय ऐसी कोई प्रस्थापना नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बंगलौर और हैदराबाद जैसे कुछ महत्व-पूर्ण नगरों को इस समय यह सुविधा प्राप्त नहीं है, क्या सरकार इस सेवा को इन स्थानों पर भी जारी करेगी ?

†**श्री राज बहादुर** : यह प्रश्न समय-समय पर हमारे सामने आया है। विमानों की वर्तमान संख्या और अपनी समग्र आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, हमारे लिये रात्रि सेवा को अभी कुछ समय तक हैदराबाद और बंगलौर तक बढ़ाना संभव नहीं है ।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : इस समय कितनी सेवायें हैं ?

†**श्री राज बहादुर** : रात्रि हवाई डाक सेवायें नागपुर के रास्ते दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के बीच जारी हैं।

†**श्री आर० पी० गर्ग** : क्या सरकार के पास निकट भविष्य में राज्य सरकारों की समस्त राजधानियों को मिलाने के लिए कोई योजना है ?

†**श्री राज बहादुर** : यह तो बहुत पहले ही घोषित कर दिया गया है। हमारी योजना यह है कि यदि राज्य सरकारों की राजधानियों में हवाई अड्डे और अन्य आवश्यक सुविधायें उपलब्ध हो सकें तो इन्हें मिला दिया जाये ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच विमान सेवा शुरू करने का या दिल्ली–श्रीनगर सेवा के चंडीगढ़ पर रुकने की कोई प्रस्थापना है ?

†**श्री राज बहादुर** : विमान सेवाओं द्वारा दिल्ली और चंडीगढ़ को मिलाने की एक प्रस्थापन विचाराधीन है ।

†**श्री मुहीउदीन** : क्या यह सच नहीं है कि अब जब कि नये विमान आ गये हैं और रात्रि विमान सेवा में चालू कर दिये गये हैं, तो डकोटा विमान इस सेवा से मुक्त हो गये हैं और उन्हें नई लाइनों पर चालू किया जा सकता है ?

†**श्री राज बहादुर** : यह नये विमान आ जाने का ही प्रश्न नहीं है। हम रात्रि सेवा के लिये डकोटा के स्थान पर स्काइमास्टर चलाना चाहते थे और अब हम ने रात्रि हवाई डाक सेवा के लिये स्काइमास्टर चला दिये हैं। हम चाहते हैं कि जहां तक रात्रि हवाई डाक सेवाओं का सम्बन्ध है, स्काईमास्टर काम में लाये जायें। डकोटा विमानों की संख्या पहले ही कम है। वास्तव में हमारे पास इतने डकोटा नहीं हैं जिन से कि हम अपनी उन सभी सेवाओं की जिनकी कि हमने योजना बनाई है, आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।

दिल्ली में मजदूरों की झोंपड़ियों का गिराया जाना

*१२५३. **श्री पी० एल० बारूपाल** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि म्युनिसिपल कमेटी और नोटीफाइड एरिया कमेटी दिल्ली की विभिन्न बस्तियों में मज़दूरों की झोंपड़ियों को गिरा रही हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो उन के आवास के लिये दूसरा क्या प्रबन्ध किया गया है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) सरकार को पता है कि नई दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी ने कुछ मकानों को जो १५ अगस्त, १९५० के बाद बिना इजाज़त लिये बनाये गये थे, गिरा दिया है। पंजाब म्युनिसिपल ऐक्ट की प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही ऐसा किया गया था। दिल्ली की किसी और म्युनिसिपैलिटी ने ऐसा नहीं किया है ।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) बिना इजाज़त ज़मीन पर कब्जा करने वालों के लिये रहने का दूसरा प्रबन्ध करना कमेटी की ज़िम्मेदारी नहीं है ।

श्री पी० एल० बारूपाल : क्या यह सही है कि जहां मज़दूर बस्तियां हैं वहां पर मज़दूरों के लिये टट्टी फिरने का कोई इंतिज़ाम नहीं है, यानी वहां पर कोई टट्टियां नहीं हैं और जब वे लोग टट्टी फिरने के लिये बाहर जाते हैं तो म्यूनिसिपल अधिकारी उनको पकड़ लेते हैं और उन पर जुर्माना करते हैं और उनके पास जो लोटे इत्यादि होते हैं वे छीन लेते हैं ? यदि हां, तो उन लोगों के लिये टट्टियां बनाने का भी कोई ख्याल किया जा रहा है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) .: मुझे इस बात का इल्म नहीं है कि उनके ऊपर ऐसे अत्याचार होते हैं । मैं इसके बारे में पूछने के लिये तैयार हूं और पूछूंगी भी । लेकिन जहाँ ये लोग अनुचित ढंग से अपनी झोंपड़ियां खड़ी कर लेते हैं और फिर गंदगी फैलाते हैं तो नई दिल्ली म्यूनिसिपैलिटी के लिये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि उनको वहां रहने दे ।

श्री पी० एल० बारूपाल : क्या यह सही है कि १६५० से पहले जो मज़दूर वहां बैठे हुए हैं उनके बच्चों के स्वास्थ्य का, उनकी शिक्षा का तथा उनके लिये पीने के पानी का कोई इंतिज़ाम नहीं है ? यदि हां, तो इस विषय में भी मंत्रालय जांच करवायेगा ?

राजकुमारी अमृत कौर : इसके बारे में भी मैं पूछूंगी ।

†**श्री बी० एस० मूर्त्ति** : ये लोग वहां कितने दिनों से रह रहे हैं, और क्या उन्हें वैकल्पिक स्थान देना समिति का कर्तव्य नहीं है ? यह सहायता वे किस प्राधिकार से प्राप्त कर सकते हैं ?

†**राजकुमारी अमृत कौर** : मेरे विचार में इन में से अधिकांश व्यक्ति श्रमिक हैं । मैं समझती हूं कि वह ठेकेदार जो उन्हें काम पर लगाते हैं, चाहे वह सरकार हो या कोई निजी पक्ष हो या नगरपालिका हो, वही उन्हें आवास स्थान देने के लिये उत्तरदायी है । मैं इस मामले के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही कर रही हूं ।

श्री बी० डी० पांडे : क्या मैं मंत्राणीजी से पूछ सकता हूं कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू स्लम्स (गन्दी बस्तियां) देखने गये तो श्रीमती जी क्यों उनके साथ नहीं गईं ?

राजकुमारी अमृत कौर : मैं तो स्लम्स को कई बार देख चुकी हूं और उस रोज़ मैं इस वास्ते नहीं जा सकी क्योंकि ईस्टर संडे (रविवार) था ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

श्री बी० डी० पांड : इस दिल्ली नगरी को साफ सुथरा बनाने और स्लम्स यहां से हटाने के बारे में भी क्या कोई उपाय श्रीमती जी कर रही हैं ? यदि हां, तो वे कौन से उपाय हैं, क्या मैं यह जान सकता हूं ?

ओले गिरना

*१२५५. **श्री अलगू राय शास्त्री** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अभी हाल में जो ओले गिरे हैं उनसे काश्तकारों को काफी नुकसान हुआ है;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन से क्षेत्रों को नुकसान पहुंचा है तथा लगभग कितना नुकसान हुआ है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार अथवा संबंधित राज्य सरकारों ने कोई सहायता दी है, और यदि हां, तो किन-किन स्थानों को तथा किस रूप में यह सहायता दी गई है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के आज़मगढ़ ज़िले में काफी ओले गिरे हैं और यदि हां, तो किन-किन तहसीलों में; और

(ङ) क्या सरकार ने वहां कोई सहायता पहुंचाई है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) से (ग). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा के टेबिल पर रख दी जायेगी ।

(घ) जी हां । मार्च के पहले पखवाड़े में उत्तर प्रदेश के आज़मगढ़ ज़िले में ओले गिरे, जिस की वजह से दक्षिण फूलपुर तहसील के लगभग २५ गांवों की तैयार फसल को नुकसान हुआ तथा तहसील सदर के ४६ गांवों में कुछ हानि हुई ।

(ङ) उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तक ३००० रुपये मुफ्त सहायता के रूप में बांटने के लिये और ३००० रुपये संकट सम्बन्धी तकावी ऋण देने के लिये स्वीकृत किये हैं ।

श्री अलगू राय शास्त्री : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पिछली बाढ़ में भी इस ज़िले को भारी क्षति पहुंची थी, क्या सरकार ने इन ओलों के कारण जो क्षति हुई उसको सामने रखकर सरकारी तक़ावी और दूसरे ऋणों की वसूली इस क्षेत्र में रोक दी है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : माननीय सदस्य की जो राय है वह राज्य सरकार को पहुंचा दी जायेगी ।

श्री भक्त दर्शन : क्या में जान सकता हूँ कि यू० पी० में केवल आज़मगढ़ में ही क्यों पहले बाढ़ आती है तथा ओले गिरते हैं, इस बात का पता लगाने की कोशिश की गई है ?

श्री ए० पी० जैन : वहां के लोगों ने कुछ पाप किया होगा ।

श्री आर० एस० तिवारी : क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यू० पी० को ही सहायता दी गई है, या अन्य प्रदेशों को भी दी गई है ?

डा० पी० एस० देशमुख : हम ने कुछ सहायता नहीं दी, यू० पी० सरकार ने दी है ।

यातायात समस्याओं सम्बन्धी विश्व सम्मेलन

†*१२५७. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ब्रिटिश सड़क संघ से इस वर्ष लन्दन में होने वाले यातायात की भीड़-भाड़ सम्बन्धी समस्याओं विषयक विश्व सम्मेलन में भाग लेने के लिये कोई निमंत्रण प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उसे स्वीकार कर लिया है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, हां ।

(ख) इस मामले में अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या यातायात सम्बन्धी भीड़-भाड़ की इस समस्या पर भारत में देश-व्यापी आधार पर विचार किया गया है ?

†**श्री अलगेशन** : इसे विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा हल किया जा रहा है । संभवतः माननीय सदस्य दिल्ली में ही देख सकते हैं कि गोल चक्करों, सिगनलों आदि की व्यवस्था कर के यातायात की भीड़-भाड़ को घटाने के लिये क्या कुछ किया गया है ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या सड़कों पर यातायात सम्बन्धी भीड़-भाड़ को दूर करने की यह समस्या राज्य या सम्बन्धित नगरपालिकाओ के वित्तीय सामर्थ्य से बाहर है, और यदि हां, तो क्या सरकार इस विषय में कोई सहायता देने की प्रस्थापना करती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अलगेशन :** यह समझने के कोई कारण नहीं हैं कि भीड़-भाड़ को कम करने के सम्बन्ध में किये जाने वाले उपाय विभिन्न प्राधिकारियों की वित्तीय सामर्थ्य से परे हैं।

रेलवे गार्डों की 'वेतन हड़ताल'

†*१२५८. **श्री एच० जी० वैष्णव :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या उत्तर रेलवे के दिल्ली क्षेत्र के उन रेलवे गार्डों की शिकायतों के सम्बन्ध में कोई जांच की गई है जो उस विनियमन के विरुद्ध जिसके अनुसार उन्हें यात्रा भत्ता दिया जाता है 'वेतन हड़ताल' पर हैं तथा जिन्होंने फरवरी मास का अपना वेतन नहीं लिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो जांच का क्या परिणाम रहा ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन):** (क) कोई जाँच नहीं की गई क्योंकि उत्तर रेलवे के जनरल मैनेजर के पास जो शिकायतें भेजी गई थीं उन पर वह पहले ही विचार कर रहे थे। तब से यह मामला व्यवहृत हो चुका है तथा पूर्वस्थिति कायम हो गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

†**श्री एच० जी० वैष्णव :** क्या मैं जान सकता हूं कि उत्तर रेलवे तथा अन्य रेलवेज़ के विनियमों में कोई अंतर है ?

†**श्री अलगेशन :** यह उन गार्डों के बारे में था जो ऐसे सेक्शनों पर काम कर रहे थे जहाँ वे अधिक फासले तक नहीं जा सकते थे और इसलिये उन्हें जो यात्रा भत्ता मिल रहा था उस पर प्रभाव पड़ता था। यह एक विशिष्ट चीज़ थी।

†**श्री एच० जी० वैष्णव :** क्या गार्डों को अपना वेतन मिल गया है या नहीं ?

†**श्री अलगेशन :** जी हां, मिल गया है।

रेलवेज़ पर गैर-लाइसेंसशुदा कुली तथा फेरी वाले

†*१२५६. **श्री राम कृष्ण:** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न रेलवेज़ पर गैर-लाइसेंसशुदा कुलियों तथा फेरी वालों की संख्या दिन प्रति दिन बढ़ रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या पग उठाने का विचार है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन):** (क) यह कहना कठिन है कि उनकी सख्या बढ़ रही है अथवा घट रही है।

(ख) रेलवेज़ द्वारा क्या पग उठाए गये हैं यह प्रदर्शित करते हुए एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ४**]

श्री राम कृष्ण : क्या यह ठीक है कि रेलों में जो अक्सर चोरियों की वारदातें होती हैं उनमें ज्यादातर इन कुली और हाकरों का हाथ होता है ?

†**श्री अलगेशन :** यह बहुत बड़ा आरोप है जिसे मैं सच स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री राम कृष्ण : इस बयान में यह कहा गया है कि कुछ गाड़ियों पर हर दो कोचेज़ के साथ एक टी० टी० ई० की पोस्ट लगाई जाएगी। क्या मैं जान सकता हूं कि किन-किन गाड़ियों पर ये पोस्ट लगायी जा रही है ?

†**श्री अलगेशन :** कुछ लम्बे फासले की गाड़ियों के साथ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मद्रास व विजयवाड़ा के मध्य दोहरी लाइन

†*१२६०. **श्री बी० एस० मूर्त्ति** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास और विजयवाड़ा के मध्य कुल कितने मील रेलवे लाइन दोहरी की गई है;

(ख) इस पर सन् १९५५–५६ में कितनी राशि व्यय की गई; और

(ग) सन् १९५६–५७ में कितने मील लाइन को दोहरा करने का कार्यक्रम है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) लगभग ३५ वर्ष पूर्व मद्रास सेंट्रल तथा तिरुवोट्टियुर के बीच पांच मील की लम्बाई में दोहरी लाइन डाली गई थी ।

(ख) कुछ नहीं ।

(ग) ३६।। मील ।

†**श्री बी० एस० मूर्त्ति** : क्या मैं जान सकता हूं कि इस अत्यन्त महत्वपूर्ण लाइन के सम्बन्ध में ३५ वर्ष बाद भी कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई है ?

†**श्री अलगेशन** : सरकार अब कार्यवाही कर रही है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस मामले पर रेलवे बजट के समय चर्चा हुई थी और यह कहा गया था कि सरकार कार्यवाही कर रही है ।

†**श्री बी० एस० मूर्त्ति** : जी नहीं । इस पर चर्चा नहीं हुई थी ।

†**श्री अलगेशन** : हुई थी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : स्पष्ट ही माननीय सदस्य उस समय यहाँ मौजूद नहीं थे ।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** : क्या मैं जान सकता हूं कि इस लाइन के कौन-कौन से हिस्से दोहरे किए जायेंगे और उन पर कितनी लागत आएगी ?

†**श्री अलगेशन** : वनाली से गुदूर तक समस्त लाइन को दोहरा करने का इरादा है । इसकी लम्बाई मैं समझता हूं २०० मील से कम है । जिन हिस्सों में लाइन दोहरी करने का कार्य पहले किया जायेगा वे हैं :

उलावापदु से सुरारेदिपालेम —१७ मील
कदावाकुदुरु से बपत्ला —१९।। मील

सरकारी कर्मचारियों के लिये आरोग्यशालाओं में चिकित्सा

†*१२६१. **डा० रामा राव** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) अंशदायी स्वास्थ्य सेवा स्कीम के अन्तर्गत क्षय रोग से पीड़ित सरकारी कर्मचारियों तथा उनके परिवारों के इलाज के लिये सरकार द्वारा कौन-कौन आरोग्यशालाएँ मान्य की गई हैं; और

(ख) क्या यह सच है कि समस्त सरकारी कर्मचारियों को मुफ्त भोजन व पलंग नहीं दिया जाता और यदि हाँ, तो भोजन के दाम लेने का क्या मानदण्ड है ?

†**स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) अपेक्षित सूचना दर्शाते हुए एक विवरण समा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ५**]

(ख) सरकारी कर्मचारियों के इन आरोग्यशालाओं में दाखिले के समय यदि कोई पलंग खाली हो तो उन्हें दिया जाता है । केवल उन सरकारी कर्मचारियों को भोजन मुफ्त दिया जाता है जिनका वेतन १००) रु० से कम है । अन्य सब को भोजन का मूल्य देना पड़ता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० रामा राव** : क्या मैं जान सकता हूं कि कीमती दवाओं पर होने वाला खर्चा सभी श्रेणियों के सरकारी कर्मचारियों को मिल जाता है अथवा कुछ विशिष्ट श्रेणियों के ही कर्मचारियों को मिलता है ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : सब श्रेणियों के कर्मचारियों को ।

उड़ीसा में चीनी की मिलें

†*१२६२. **श्री संगण्णा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १ दिसम्बर, १९५५ को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या ३५२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या तब से कोई निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका परिणाम ?

†**कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख)**: (क) और (ख). मेसर्स उड़ीसा एग्रीकलचर इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की अर्ज़ी पर अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है क्योंकि इस कम्पनी द्वारा गन्ने के खेती किए जाने के लिए जमीन के पट्टे का प्रश्न अभी विवादास्पद है ।

अनुज्ञापन समिति द्वारा मेसर्स कोट्न एजेंट्स लिमिटेड की बड़ागढ़ में चीनी फैक्टरी स्थापित करने की अर्जी पर विचार किया गया था किन्तु उन्होंने कुछ सूचना नहीं दी थी जिसके कारण निर्णय स्थगित कर दिया गया । यह सूचना उनसे मांगी गई है ।

†**श्री संगण्णा** : क्या उड़ीसा सरकार से इस मामले में मंत्रणा ली गई है ?

†**डा० पी० एस० देशमुख** : जी हां । उसने एक आवेदक की सिफारिश की है ।

†**श्री संगण्णा** : उड़ीसा में इन नई चीनी मिलों की स्थापना से क्या वहाँ की विद्यमान चीनी मिलों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा ?

†**डा० पी० एस० देशमुख** : लाइसेंस देते समय अन्य बातों के साथ-साथ इस बात पर भी ध्यान रखा जा सकता है ।

वन

†*१२६३. **श्री संगण्णा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत के वनों का कितना प्रतिशत भाग रिजर्व के रूप में रखा गया है;

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान में जंगलों से कितनी लकड़ी प्रयुक्त की गई है;

(ग) इसमें कितनी लकड़ी अम्ल पदार्थ, तेल, लोबान तथा सल्फोनामाइड और क्लोरोफार्म आदि भेषजें निकालने में इस्तेमाल की गई है; और

(घ) भारत में इस समय कितनी वन भूमि है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख)** : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ६**]

†**श्री एस० सी० सामन्त** : क्या मैं जान सकता हूं कि अंडमान से कितने प्रकार की लकड़ी उपलब्ध हो सकती है और क्या इसे अन्य प्रयोजनों में प्रयुक्त करने का प्रयास किया गया है ?

†**डा० पी० एस० देशमुख** : उस प्रश्न के लिये मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री भक्त दर्शन : जिन वृक्षों से इस तरह की औषधियों का निर्माण हो सकता है क्या उनकी उन्नति के लिए अगली पंचवर्षीय योजना में कोई खास रुपया रखा गया है या उनके लिये कोई खास योजना बनाई गई है, और कोई खास कदम उठाया जा रहा है ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह कारोबार हमारे जिम्मे नहीं है ।

श्री हेमराज : यह जो जंगलात में जड़ी बूटियां पाई जाती हैं उनको लेने में जो जंगलात के रूल्स हैं उनके कारण वहां के लोगों को मुश्किल पेश आती है । क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार इन रूल्स को ढीला करने का विचार कर रही है ?

डा० पी० एस० देशमुख : ऐसी कोई शिकायत मेरे पास नहीं है ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या कोई इस प्रकार का प्रस्ताव है कि इन औषधों को निकाले जाने के बाद जो लकड़ी का गूदा बच रहता है उसे कागज़ या गत्ता बनाने के उद्योग में काम में लाया जाए ?

†**डा० पी० एस० देशमख** : जी हां, हमारा इंस्टीट्यूट इस मामले पर ध्यान देता है । मुझे नहीं मालम उसने क्या प्रगति की है । किन्तु उसे यह भी एक कार्य सौंपा गया है ।

†**श्री आर० पी० गर्ग** : हमारे इस्तेमाल के लिये कितने प्रतिशत वनों की आवश्यकता है तथा सरकार कमी को पूरा करने के लिये क्या कदम उठा रही है और कब तक हम अपेक्षित स्तर पर पहुंच जायेंगे ?

†**डा० पी० एस० देशमुख** : जो लकड़ी हम उत्पादित करते हैं वह हमारे इस्तेमाल के लिय पर्याप्त नहीं है । काफी कमी है और अगली पंचवर्षीय योजना में हमने यह उत्पादन बढ़ाने की योजना सम्मिलित की है ।

अल्प सूचना प्रश्न तथा उत्तर

त्रिपुरा में चावल के मूल्य में वृद्धि

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या ९. श्री बीरेन दत्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा राज्य में चावल का मूल्य असाधारण रूप से बढ़ गया है;

(ख) क्या अगरतला नगर में चावल ३० रु० प्रति मन के हिसाब से बेचा जा रहा है;

(ग) क्या इससे त्रिपुरा के नगरों तथा गांवों में विस्थापित व्यक्तियों और गरीब लोगों में भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई है; और

(घ) वहां की परिस्थिति में सुधार करने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : (क) और (ख). यह सच है कि त्रिपुरा राज्य में चावल का मूल्य बढ़ गया है तथा अगरतला में साधारण चावल का मूल्य लगभग २२ से २४ रु० प्रति मन है ।

(ग) और (घ). चावल की मूल्य वृद्धि त्रिपुरा के लोगों के लिये निस्संदेह कठिनाई पैदा कर रही है । परिस्थिति का सामना करने के लिये राज्य सरकार अगरतला तथा राज्य के सब-डिवीजनल हैडक्वार्टर्स में सस्ते अनाज की दूकानें खोल रही है जहाँ रियायती मूल्य पर चावल बेचे जायेंगे ।

†**श्री बीरेन दत्त** : क्या मैं जान सकता हूं कि त्रिपुरा से आसाम को लगभग बीस लाख टन चावल भेजने की मांग को पूरा करने के लिये त्रिपुरा में काफी स्टॉक है ?

†**श्री ए० पी० जैन** : त्रिपुरा में इस समय लगभग तीन मास के लिये और अगरतला की आवश्यकता पूरी करने के लिये पर्याप्त स्टॉक है तथा त्रिपुरा राज्य की मांग पूरी करने के लिये और अधिक चावल भेजने का विचार है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री बीरेन दत्त :** त्रिपुरा में सरकार द्वारा जो दूकानें खोली जायेंगी उनमें क्या मूल्य लिया जायेगा ?

†**श्री ए० पी० जैन:** मूल्य हमने अभी निर्धारित नहीं किया है, यह विचाराधीन है, किन्तु यह वर्त्तमान प्रचलित मूल्य से बहुत कम होगा ।

†**श्री बीरेन दत्त :** क्या यह सच है कि वहाँ पहाड़ी क्षेत्र में लोग जड़ें और पत्तियाँ खा रहे हैं और क्या सरकार का विचार वहाँ भी सस्ते अनाज की दूकानें खोलने का है ?

†**श्री ए० पी० जैन :** जहाँ भी आवश्यकता हुई वहाँ हम सस्ते अनाज की दूकानें खोलेंगे ।

†**श्री दशरथ देव :** क्या अगरतला की गैर-सरकारी समिति से सरकार को कोई प्रतिनिधान प्राप्त हुआ है और यदि हाँ, तो उनकी माँगें क्या हैं ?

†**श्री ए० पी० जैन :** मुझे यह नहीं मालूम कि कोई गैर-सरकारी प्रतिनिधान प्राप्त हुआ है या नहीं किन्तु इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता क्योंकि परिस्थिति का सामना करने के लिये सरकार समस्त उपाय कर रही है ।

†**श्री दशरथ देव :** मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार के पास खाद्यान्नों का तैयार स्टाक है और यदि हाँ, तो चावल और धान की कितनी मात्रा है ?

†**श्री ए० पी० जैन :** इस समय अगरतला में ३००० टन धान है जिसमें से चावल निकाला जा रहा है जो कि सस्ते अनाज की दूकानों पर भेज दिया जाएगा । यह अगरतला के लिए तीन महीने के लिये पर्याप्त होगा ।

†**श्री एस० सी० देव :** क्या मैं जान सकता हूँ कि चावल की इस मूल्य-वृद्धि का क्या कारण है ?

†**श्री ए० पी० जैन :** जहाँ तक हम मालूम कर सके हैं, इस वर्ष की फसल गत वर्ष से ८ या ९ प्रतिशत कम रही है । एक अधिक महत्वपूर्ण कारण पाकिस्तान में चावल के मूल्य में वृद्धि होना है जिसका प्रभाव यहां पड़ता है । और फिर त्रिपूरा से पाकिस्तान को बहुत सा चावल चोरी छुपे ले जाया जाता है । हम पाकिस्तान की सीमा पर ऐसा प्रबन्ध कर रहे हैं जिसे वहाँ पर लोग स्टॉक जमा न कर सकें ताकि चावल का चोरी छुपे ले जाए जाना रोका जा सके ।

†**श्री पुन्नूस :** क्या मैं जान सकता हूं कि राज्य सरकार को सस्ते अनाज की दूकानों का प्रबन्ध करने में कितना समय लगेगा ?

†**श्री ए० पी० जैन :** चावल के मूल्य में असाधारण वृद्धि होने की पहली सूचना हमें १५ मार्च को मिली थी । कुछ आभास मौजूद था लेकिन समस्या ऐसी नहीं प्रतीत होती थी जिससे कि तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता हो, किन्तु अब कार्यवाही की जरूरत है और हम कदम उठा रहे हैं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

खाद्यान्न मूल्य विभेद जाँच समिति

†*१२२४. { **श्री डाभी :**
श्री राधा रमण :
श्री वोडयार :
ठाकुर जुगल किशोर सिन्हा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १६ दिसम्बर, १९५५ को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या ८९४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को खाद्यान्न मूल्य विभेद जांच समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

गन्ना

†*१२२७. **श्री विश्व नाथ राय** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारत में चीनी-उत्पादन के लिये निर्धारित किये जाने वाले लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए क्या गन्ने के विकास के लिये कोई योजना निश्चित की गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : जी हां । दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत चीनी उत्पादन के लिये निर्धारित किये जाने वाले लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए गन्ने की विकास-योजनाएं उन राज्यों में उचित रूप से फैलायी गई हैं जहाँ वे पहले से कार्यान्वित थीं, और कुछ अन्य राज्यों में नई योजनाएं भी चालू की गई हैं ।

रामगुडम्-निजामाबाद लाईन

†*१२२८. **श्री टी० बी० विट्ठलराव** : क्या **रेलवे** मंत्री २२ नवम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ६१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या रेलवे बोर्ड रामगुडम् और हैदराबाद राज्य में निजामाबाद के बीच प्रस्थापित रेलवे लाईन पर यातायात-सर्वेक्षण के प्रतिवेदन का तब से परीक्षण समाप्त कर चुका है; और

(ख) यदि हां, तो क्या निश्चय किया गया है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) और (ख). निजामाबाद-रामगुडम् परियोजना का यातायात-सर्वेक्षण अभी तक पूरा नहीं हुआ है ।

वायुयान-चालकों के लिए उच्च परीक्षाएं

†*१२३०. **श्री शिवमूर्त्ति स्वामी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह निश्चय किया है कि सभी वायुयान-चालकों को उन्हें सार्वजनिक परिवहन के विमानों के कमांडर बनने की अनुमति देने के पूर्व, यंत्र-उड्डयन (इन्स्ट्रूमेन्ट फ्लाईंग) की उच्च परीक्षाएँ पास करनी होंगी; और

(ख) क्या सरकार ने आवश्यक परीक्षाएँ लेने में एक अनुभवी डच वायुयान-चालक की सहायता अन्तर्राष्ट्रीय असैनिक उड्डयन संगठन शिल्पिक सहायता योजना के अधीन प्राप्त की है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर** : (क) जी, हां ।

(ख) ये परीक्षाएँ विशेष रूप से प्रशिक्षित और चुने गये भारतीय वायुयान-चालकों के द्वारा की जाती हैं । सामान्य कार्यकुशलता, आपात प्रक्रियाएँ और यंत्र-उड्डयन (इन्स्ट्रूमेन्ट फ्लाइंग) में वायुयान चालकों की परीक्षा लेने के लिये एक डच वायुयान-चालक की सेवाएँ अन्तर्राष्ट्रीय असैनिक उड्डयन संगठन शिल्पिक सहायता योजना के अधीन प्राप्त की गई हैं ।

रेलगाड़ी का जल जाना

†*१२३३. **श्री तुषार चटर्जी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चन्द्रनगर स्टेशन (जिला हुगली, पश्चिमी बंगाल) पर पड़ी हुई पूरी रेलगाड़ी ३ फरवरी, १९५६ को जल गई थी; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके कारण मालूम करने के लिये कोई जाँच की गई थी ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) पूर्वी रेलवे के हावड़ा-बन्देल सेक्शन पर चन्द्रनगर स्टेशन पर बैंक शन्ट साईडिंग में पड़ी हुई १२ डिब्बों की एक खाली गाड़ी के एक डिब्बे में ३-२-५६ को रात साढ़े नौ बजे आग लग गई जिस कारण उसके सारे डिब्बे जल गये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) रेलवे पदाधिकारियों की एक समिति ने संयुक्त जाँच की थी और उसने यह निर्णय दिया है कि कुछ उपद्रवकारियों ने गाड़ी के डिब्बे में आग लगा दी थी ।

पकला-धर्मवरम् रेलवे लाईन

†*१२३५. **श्री विश्वनाथ रेड्डी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण रेलवे के पकला-धर्मवरम् छोटी लाईन सेक्शन में रेलवे लाईन फिर से लगाने का काम मूल अनुसूची के अनुसार १९५५ के पूर्व ही पूरा हो जाना चाहिये था;

(ख) यदि हाँ, तो देर क्यों हुई; और

(ग) काम संभवत: कब तक पूरा हो जायेगा ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) जी, हां ।

(ख) मुख्यत: स्थायी रास्ते की सामग्री की कमी और सीमित राशि में धन आवंटित करने के कारण ।

(ग) १९५६-५७ में मंजूर किये जाने वाले पुनर्नवीकरण से सारे सेक्शन में लाईन फिर से लगाने के लिये उपबन्ध किया जायेगा । सामग्री मिलते ही काम आगे बढ़ाया जायगा और अविलम्ब पूरा किया जायेगा ।

मध्य रेलवे में भोजन की व्यवस्था

†*१२३६. **चौ० रघुवीर सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड ने मध्य रेलवे के कुछ ठेकेदारों को उनके ठेके समाप्त करने की सूचना दी है;

(ख) यदि हाँ, तो मथुरा, आगरा छावनी, ग्वालियर, और झांसी स्टेशनों पर क्या स्थिति है; और

(ग) क्या इन स्टेशनों पर अपने विभाग की ओर से भोजन-व्यवस्था चालू करने का सरकार का विचार है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) हां । कुछ ठेकेदारों को १-४-५६ से उनके ठेके समाप्त करने की सूचना दी गई है ।

(ख) आगरा छावनी और ग्वालियर स्टेशनों पर ठेकेदारों को ऐसी कोई सूचना नहीं दी गई है । मथुरा में भोजन व्यवस्था का एक ठेका और झांसी में सभी ठेके खाली करने के लिये सूचनाएं दी गई हैं । इन ठेकों का ब्योरा बताने वाला एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ७]**

(ग) अभी नहीं, झांसी को छोड़ कर, जहाँ १-४-५६ से विभाग की ओर से भोजन की व्यवस्था चालू की गई है, और कहीं नहीं ।

कम्पोस्ट खाद

†*१२३९. **पंडित डी० एन० तिवारी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले दो साल में कम्पोस्ट खाद तैयार करने पर कम जोर दिया जाता है जिसके फलस्वरूप उसका उत्पादन बहुत कम हो गया है; और

(ख) क्या सरकार के पास पिछले तीन साल में देश में कम्पोस्ट खाद बनाने की प्रगति दिखाने वाले कोई आंकड़े हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) हाँ, गत तीन वर्षों में नगरीय कम्पोस्ट उत्पादन की प्रगति निम्न प्रकार से है :

वर्ष	टनों में उत्पादन
१९५२–५३	१६,८३,७५३
१९५३–५४	१८,३४,७८५
१९५४–५५	२०,१४,४८८

†मूल अंग्रेजी में

ग्राम सेवक

†*१२४०. **श्री एम० इस्लामुद्दीन :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सामूहिक विकास कार्य के लिये अब तक कितने ग्राम सेवक और निरीक्षक कर्मचारी प्रशिक्षित किये गये हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) :** फरवरी, १९५६ के अन्त तक १२,३९७ ग्राम सेवक और १,४१६ निरीक्षक कर्मचारी प्रशिक्षित किये जा चुके हैं ।

सिकन्दराबाद में फायरमैनों की हड़ताल

†*१२४२. **श्री एच० जी० वैष्णव :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी १९५६ के मध्य में सिकन्दराबाद में बहुत बड़ी संख्या में फायरमैनों ने हड़ताल की थी;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी क्या शिकायतें थीं;

(ग) क्या कोई जांच की गई है; और

(घ) क्या अन्य कर्मचारी भी एक दिन के लिये हड़ताल में शामिल हो गये थे और उस दिन रेल सेवाएं अस्थायी रूप में बन्द हो गई थीं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन):** (क) सिकन्दराबाद (लल्लागुडा रनिंग शेड, मध्य रेलवे) में फायरमैनों ने ऐसी कोई हड़ताल नहीं की थी किन्तु उनमें से कई फायरमैनों ने १५-२-५६ से २१-२-५६ की अवधि में गाड़ियाँ चलाने से इन्कार कर दिया था ।

(ख) जैसा कि प्रश्न के भाग (क) में निर्देश है, फायरमैनों ने काम करने से इसलिये इन्कार कर दिया था कि फारमैनों को काम पर लगाने की पुनरीक्षित पद्धति चालू की गई है जो फायरमैनों का अधिक अच्छा उपयोग करने और उन्हें सभी सेवाओं का अनुभव दिलाने के लिये कार्यान्वित की जा रही थी, जो अधिक हलके काम करने वाले कुछ वरिष्ठ फायरमैनों को मंजूर नहीं था ।

(ग) १३-२-५६ से १८-२-५६ की अवधि के बीच कर्मचारीवर्ग के प्रतिनिधियों के साथ इस विषय की चर्चा की गई थी।

(घ) सिकन्दराबाद में अन्य स्थापनाओं के कई कर्मचारियों ने भी २१-२-५६ के प्रातःकाल उनकी सहानुभूति में काम बन्द कर दिया था किन्तु उनमें से अधिकतर ने दोपहर से काम करना शुरू कर दिया था । गाड़ी चलाने वाले कर्मचारी सारे दिन काम करते रहे । कुछ रेल-सेवाएं बन्द हो गई थीं ।

सहायक स्टेशन मास्टरों आदि का स्थानान्तरण

†*१२४४. **श्री वाघमारे :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्व रेलवे में ऐसा कोई आदेश है कि सहायक स्टेशन मास्टर और जनता के सम्पर्क में आने वाले अन्य कर्मचारी प्रत्येक तीन से पांच वर्ष के कालान्तर पर एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित किये जायें; और

(ख) यदि हाँ, तो पूर्व रेलवे के डिविजनल सुपरिन्टेन्डेन्ट सियालदाह, उन कर्मचारियों के मामले में, जो पूर्व रेलवे के सियालदाह डिविजन के बजबज, लालगोलाघाट में नियुक्त हैं, इस आदेश का उचित रूप से क्यों पालन नहीं कर रहे हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) जी, हाँ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) केवल कुछ थोड़े ही कर्मचारियों को, जिन्होंने इन स्टेशनों पर पांच साल पूरे कर लिये हैं, कुछ और थोड़े समय के लिये वहां रहने की अनुमति दी गई है। रेलवे प्रशासन उक्त कर्मचारियों के स्थानान्तरण के लिये पहले ही कार्यवाही कर चुका है।

कलकत्ता पत्तन आयुक्त सेवा

†*१२५१. **श्री रामानन्द दास :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता पत्तन आयुक्त कार्यालय में वर्ग १, २ और ३ की सेवाओं में अनुसूचित जातियों की निर्धारित नियुक्तियाँ जारी रखी गई हैं;

(ख) यदि हाँ, तो सेवाओं की इन श्रेणियों में विशेषकर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में अनुसूचित जातियों के लोग कितने प्रतिशत हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) कलकत्ता पत्तन आयुक्तों ने अपनी सेवाओं में अनुसूचित ज़ातियों के सदस्यों की नियुक्ति के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के आदेशों को, वर्ग ३ और वर्ग ४ में १२।। प्रतिशत रिक्त स्थान रक्षित रखने तक, स्वीकार किया है। वर्ग १ और वर्ग २ के पदों के लिये कोई निश्चित संख्या निर्धारित नहीं है।

(ख) वर्ग १ और वर्ग २ में कोई प्रतिशतता नहीं है और वर्ग ३ में लगभग २ प्रतिशत है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभागों में वर्ग ३ में लगभग ८.६ प्रतिशत हैं।

(ग) वर्ग १ और २ के पदों के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों के लिये कोई संख्या निर्धारित न करने का कारण यह है कि ये अधिकतर शिल्पिक पद हैं। फिर भी आयुक्त इस विषय का पुनर्विलोकन कर रहे हैं।

रेलवे दर न्यायाधिकरण

†* १२५४. **श्री भागवत झा आजाद :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे दर न्यायाधिकरण मामलों को निबटाने में औसतन कितना समय लेता है; और

(ख) प्रत्येक मामले में सरकार को औसतन कितनी लागत पड़ती है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) प्रत्येक मामले के लिये २३७ दिन।

(ख) लगभग ३,५०० रुपये।

खाद्यान्न

*१२५६. **पंडित डी० एन० तिवारी :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भावों को न गिरने देने की नीति के अनुसार सरकार मंडियों से जो खाद्यान्न खरीदती है, वह दूर के गोदामों में भरने के लिये भेज दिया जाता है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके भेजने में कितना व्यय होता है; और

(ग) उस की खरीद व बिक्री में कितने प्रतिशत का अन्तर रहता है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) भावों को सहारा देने की नीति के आधीन खरीदे हुए खाद्यान्न अधिकतर खरीदने के केन्द्र में ही जमा किये गये थे। उन जगहों में जमा करने के स्थानों की कमी के कारण कुछ खाद्यान्न नज़दीक की जगहों में, जहां जमा करने के स्थान मिल सकते थे, भेजे गये।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) चूंकि भावों को सहारा देने की योजना के आधीन खरीदे हुए खाद्यान्नों के लेखे अभी अन्तिम रूप से पूरे नहीं हुए हैं इस लिये खाद्यान्नों को एक जगह से जमा करने के केन्द्रों को भेजने पर जो खर्चा हुआ उस की जानकारी नहीं दी जा सकती ।

(ग) इस योजना के आधीन खरीदे हुए खाद्यान्न का कुछ हिस्सा सरकार को आर्थिक (economic) भाव पर और कुछ हिस्सा मण्डियों के उस वक्त के भाव पर बेचा गया । इस सम्बन्ध में लेखे अब तक अन्तिम रूप से पूरे नहीं किये गये हैं इस लिये खरीदने के कुल खर्चे और बिक्री की कुल आमदनी के अन्तर का ब्यौरा नहीं दिया जा सकता ।

चम्बल के आर-पार पुल

†*१२६४. { **सरदार इकबाल सिंह** :
सरदार अकरपुरी :

क्या **परिवहन** मंत्री २५ मार्च, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १५१५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य भारत में दिल्ली-बम्बई सड़क पर चम्बल के आर-पार पुल बनाने में क्या प्रगति हुई है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : दीवारें बनाने का काम, दीवारों के पास कुएं खोदने और खम्भों के लिये खुली नींव खोदने का काम चल रहा है ।

रेलवे में अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की भर्ती

†*१२६५. **श्री बी० एस० मूर्त्ति**: क्या **रेलवे** मंत्री ९ मार्च, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ६०२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुटीन क्लर्क और असिस्टेन्ट की जगहों के लिये विज्ञापन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये रक्षित रिक्त स्थानों की कोई संख्या और आवश्यक न्यूनतम योग्यताएं दी गई थीं;

(ख) लिखित परीक्षा के लिये कितने व्यक्ति बैठे और मौखिक परीक्षा के लिये कितने; और

(ग) प्रत्येक श्रेणी में दोनों जातियों के कितने व्यक्ति चुने गये ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) विज्ञापन केवल रुटीन क्लर्कों की जगहों पर भर्ती के सम्बन्ध में था । रिक्त स्थानों की संख्या का उल्लेख नहीं था । न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक्यूलेशन रखी गयी थी ।

(ख) लिखित परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवारों की संख्या ९६ थी और उन में से ३० उम्मीदवारों का इन्टरव्यू लिया गया ।

(ग) अनुसूचित जातियां १९
अनुसूचित आदिम जातियाँ २

डाक कर्मचारियों द्वारा गबन

†७४४. **श्री कर्णी सिंहजी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५२–५३, १९५३–५४ और १९५४–५५ में बीकानेर डिविजन (राजस्थान) में डाक-कर्मचारियों के विरुद्ध सरकारी धन के गबन के कितने मामले दायर किये गये; और

(ख) उनमें से कितने मामलों में सज़ा दी गई ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** :

(क)	१९५२–५३	१९५३–१९५४	१९५४–५५
	५	२	४
(ख)	कोई नहीं	१	१

डालमिया दादरी स्टेशन पर माल गोदाम

†**७४५. श्री राम कृष्ण** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे की रेवाड़ी-भटिंडा लाईन पर डालमिया दादरी स्टेशन पर एक माल गोदाम बनाया जाने वाला है; और

(ख) यदि हाँ, तो निर्माण-कार्य कब प्रारम्भ होगा ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) प्रस्थापना विचाराधीन है ।

(ख) दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में इस कार्य को प्रारम्भ करने के मामले पर विचार किया जायेगा ।

हरदा-इटारसी-जबलपुर सेक्शन

†**७४६. श्री कामत** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना में मध्य रेलवे के हरदा-इटारसी-जबलपुर सेक्शन के प्रत्येक स्टेशन पर किये जाने वाले सुधार और विस्तार की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ख) प्रत्येक स्टेशन पर सुधार और विस्तार का कार्य कब प्रारम्भ होगा ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) मुख्य बातें इस प्रकार हैं : विश्राम-कक्षों का विस्तार, प्लैटफार्मों को बढ़ाना, ऊंचा करना, समतल बनाना और उन पर छत डालना, सरक्यूलेटिंग एरिया में सुधार और शौचालयों में सुधार ।

(ख) जिन स्टेशनों पर पहले से ही काम चल रहा है उनकी सूची और दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में यात्री सुविधा समिति द्वारा निर्धारित की जाने वाली प्राथमिकता के अनुसार जिन स्टेशनों पर काम प्रारम्भ करने का विचार है उनकी सूची संलग्न है । [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ८**]

इंटेगरल कोच फैक्टरी, पेराम्बुर

†**७४७. श्री पी० सुब्बा राव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४ और १९५५ में पेराम्बुर कोच फैक्टरी से टेकनिकल प्रशिक्षण के लिये कितने व्यक्ति स्विटज़रलैण्ड भेजे गये;

(ख) उनको दी गई वृत्तिका की राशि;

(ग) क्या १९५४ और १९५५ में प्रशिक्षण के लिये भेजे गये लोगों की वृत्तिका में बाद में कोई भूतलक्षी वृद्धि की गई है;

(घ) क्या यह वृद्धि केवल १९५५ के लिये की गई है तथा १९५४ के लिये नहीं; और

(ङ) इस प्रकार के भेदभाव के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) ६४ ।

(ख) उन को कोई वृत्तिका नहीं दी गई है किन्तु उन्हें वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर निश्चित दर से दैनिक भत्ता और दिया जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) जी, नहीं। स्विटज़रलैण्ड में रहने वाले भारत सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले दैनिक भत्ते की दर १-२-५५ से भूतलक्षी प्रभाव से बदली गई थी, उसी तारीख से यह पुनरीक्षित दरें पेराम्बुर कोच फैक्टरी के वहां रहने वाले स्टाफ़ पर भी लागू की गई हैं।

(घ) तथा (ङ). यह पुनरीक्षत दरें केवल १-२-५५ से ही लागू की गई हैं; अतः उन्हें उससे पहले की किसी तारीख से लागू करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

टेकनीकल समिति

†७४८. **श्री राम कृष्ण** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीविका विशेष के कारण उत्पन्न होने वाले रोगों के सम्बन्ध में सरकार को परामर्श देने के लिये नियुक्त की गई टेक्निकल समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या कहा गया है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री खंडूभाई देसाई)** : (क) जी, हां।

(ख) प्रतिवेदन अभी विचाराधीन है।

राज्य पर्यटक मन्त्रणा समिति

†७४९. **श्री राम कृष्ण** : क्या **परिवहन** मंत्री उन राज्यों का नाम बताने की कृपा करेंगे जिन्होंने अभी तक राज्य पर्यटक मंत्रणा समितियों की स्थापना नहीं की है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, बिहार, बम्बई, मद्रास, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, हैदराबाद, सौराष्ट्र, राजस्थान, ट्रावनकोर-कोचीन, दिल्ली, भोपाल, विंध्य प्रदेश, कुर्ग, आंध्र, कच्छ और त्रिपुरा।

डाक व तार घर

†७५०. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **संचार** मंत्री होशियारपुर जिले में उन स्थानों के नाम बताने की कृपा करेंगे जहां पर १९५४ और १९५५ में डाक व तार घर तथा जनता टेलीफोन कार्यालय खोले गये हैं और जहां पर १९५६ में इनके खोले जाने की सम्भावना है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : एक सूची संलग्न की जाती है। **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ९]**

यात्रियों को सुख-सुविधाएँ

†७५१. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५६-५७ में जालंधर छावनी और होशियारपुर के बीच भिन्न-भिन्न स्टेशनों पर यात्रियों को कौन-कौन सी सुख सुविधाएँ दी जाने का प्रस्ताव है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : रेलवे प्रयोक्ता सुविधा समिति ने उपलब्ध धन, सापेक्षिक महत्व, तथा भिन्न-भिन्न स्टेशनों पर कार्य की आवश्यकता आदि को ध्यान में रखते हुए अभी तक केवल जालंधर छावनी-होशियारपुर सेक्शन पर स्थित शाम चौरासी स्टेशन पर प्लेटफार्म का विस्तार करने के कार्य को १९५६-५७ के निर्माण कार्यों की सूची में सम्मिलित करने की स्वीकृति दी गई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

गाड़ी का पटरी से उतरना

†७५२. **श्री एम० एल० अग्रवाल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि उत्तर रेलवे पर के० ए० १ अप माल गाड़ी ४ जनवरी, १९५६ को हाथरस के समीप पटरी पर से उतर गई थी; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण थे ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : ४-१-५६ को ९ बज कर ४० मिनट के करीब के० ए० १ अप माल गाड़ी पूर्वोत्तर रेलवे के कासगंज-अचनेरा सेक्शन पर रती-का-नगला और हाथरस जंक्शन के बीच चल रही थी, तो इंजन के पीछे चलने वाले चौथे डिब्बे से लेकर ८ डिब्बे मील १८५/१०–१३ पर पटरी से नीचे उतर गये ।

(ख) अभी तक रेलवे के सीनियर अधीनस्थ पदाधिकारियों की समिति द्वारा की गई संयुक्त जाँच की उपपत्तियों पर विचार किया जा रहा है, ऊपरी दृष्टि से तो यह प्रकट होता है कि इंजन से चौथे डिब्बे की धुरी की प्लेट में कुछ नुक्स होने के कारण यह दुर्घटना घटित हुई है अर्थात् इस एक पहले डिब्बे के कारण शेष आठों डिब्बे पटरी पर से उतरे हैं ।

रेलवे प्रतिकर दावे

†७५३. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५५ में पिछले साल के मुकाबिले में खोये हुए अथवा खराब हो गये माल के लिये मुआवज़े के दावों में कुछ कमी हुई है; और

(ख) १९५४–५५ के दौरान में इस कार्य के लिये कुल कितना रुपया खर्च किया गया ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) १९५५ में पिछले साल की अपेक्षा इस प्रकार के मुआवज़े के दावों की संख्या में तो वृद्धि हुई है किन्तु उनके फलस्वरूप दिये जाने वाले धन की राशि कम हो गई है ।

(ख) २,५५,४५,११६ रुपये ।

निरोधा

†७५४. { **श्री इब्राहीम** :
श्री कृष्णाचार्य जोशी :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५ में विदेशों से आने वाले कितने व्यक्तियों को भारत में निरोधा के अन्तर्गत रोका गया है; और

(ख) और वे किन-किन मुख्य बीमारियों के कारण रोके गये ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : १९५५ के दौरान में विदेशों से आने वाले ४९ व्यक्तियों को पीले ज्वर के कारण बम्बई के हवाई अड्डे पर सान्ताक्रूज़ में निरोधा हस्पताल में रोका गया था ।

(ख) इन सब लोगों का इसलिये निरोध किया गया था ताकि ये पीले ज्वर में ग्रस्त न हो जाएं क्योंकि उससे बचने के लिये इन्होंने कोई भी सुरक्षा का उपाय नहीं किया था ।

किलोन बन्दरगाह पुल

†७५५. **श्री वेलायुधन** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किलोन बन्दरगाह पर पत्तन सम्बन्धी अधिक सुविधाएं देने के लिये कोई पुल बनाने का प्रस्ताव है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हाँ, तो उस पर कितना व्यय होगा ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) तथा (ख). शायद जिस पुल का उल्लेख किया गया है वह किसी घाट के सम्बन्ध में है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किलोन की बन्दरगाह पर एक घाट पर पुल बांधने की योजना शामिल की गई थी। इसकी लागत १६.५२ लाख रुपये थी। परन्तु उस पुल के लिये स्थान की खोज के दौरान में उससे ६ मील ऊपर नींदाकारा की बन्दरगाह के समीप पुल बनाने का एक और प्रस्ताव रखा गया जहाँ पर कि अच्छी प्रकार से सुरक्षित एक छोटी सी बन्दरगाह सी बन सकती थी। यह प्रस्ताव राज्य सरकार ने एक समिति के सम्मुख रखा था। अब यह प्रस्ताव उस समिति के विचाराधीन है। यदि उन्होंने यह वैकल्पिक प्रस्ताव न माना तो किलोन बन्दरगाह पर ही किसी घाट पर पुल बनाया जायेगा। इसका पुनरीक्षित लागत व्यय १०,२०,८०० रुपये है और अस्थायी रूप से इस योजना को द्वितीय पंच वर्षीय योजना में शामिल कर लिया गया है।

डाकखानों के इंस्पैक्टर

†**७५६. श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैदराबाद सर्कल में डाकखानों के लिये आवश्यक इंस्पेक्टरों की संख्या;

(ख) इस समय काम कर रहे इंस्पेक्टरों की संख्या;

(ग) स्टाफ़ की कमी के कारण; और

(घ) यह कमी कब पूरी की जायेगी ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राजबहादुर)** : (क) २८;

(ख) २५;

(ग) इंस्पेक्टरों की पिछली परीक्षा का परिणाम शीघ्र ही प्रकाशित होने वाला है। उस समय हमें अर्ह इंस्पेक्टर मिल जायेंगे। यह आवश्यकता इस लिये बढ़ी है क्योंकि डाक सम्बन्धी अधिक सुविधाएं देने के लिये कुछ नए डाकखाने खोले गये हैं।

(घ) विषय विचाराधीन है और शीघ्र ही यह कमी पूरी कर दी जायेगी।

गोसदन

७५७. श्री अमर सिंह डामर : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न गोसदनों में पशुओं के चरने की पर्याप्त सुविधायें हैं;

(ख) गोसदनों में जो पशु मर जाते हैं उनकी हड्डियों और चमड़ों का उपयोग करने के लिये क्या कोई प्रबन्ध किये गये हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या प्रबन्ध किये गये हैं ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) जी, हाँ।

(ख) जी, हाँ ।

(ग) खालों को उतारने और सड़ने से बचाने के लिये फ्लेयरस (Flayers) की व्यवस्था की गई है तथा राज्य सरकारों ने इन खालों के निबटाने और हड्डियों को खाद में तबदील करने का इन्तज़ाम किया है।

टिकट इंस्पैक्टर

†**७५८. चौ० रघुबीर सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य रेलवे के झांसी डिवीज़न में कई टिकट क्लेकटरों तथा गाड़ियों के

†मूल अंग्रेजी में

साथ चलने वाले टिकट इन्स्पेक्टरों ने अपनी वरिष्ठता के सम्बन्ध में पदाधिकारियों को अपने अभिवेदन भेजे हैं; तथा

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में अपना निर्णय देने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी हां ।

(ख) मामले पर विचार हो रहा है ।

रेलवे कर्मचारियों के लिये वर्दी

†**७५९. चौ० रघुबीर सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तरी खंड में रेलवे कर्मचारियों को प्रति वर्ष वर्दियां दी जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि अधिकांश रेलवे कर्मचारियों को विशषकर इलाहाबाद डिवीज़न में १९५५ में वर्दियां मुहैया नहीं की गईं; और

(ग) इस विलम्ब के कारण क्या हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) प्रति वर्ष नहीं बल्कि बीच-बीच में जिस का मध्यान्तर वर्दी विनियमों के अनुसार एक से दो वर्ष तक होता है ।

(ख) तथा (ग). गर्मियों की वर्दियां पूरी दी गईं। कुछ कर्मचारियों को सर्दियों की वर्दियां देने में निम्नलिखित कारणों से विलम्ब हुआ :

(१) औपचारिक पूछताछ तथा प्रारम्भिक कार्यवाही के पूरा होने में अधिक समय लग जाने के कारण १९५५–५६ की सर्दियों से शुरू होने वाले तीन वर्षों के लिये ठेके देने में देरी ।

(२) वर्दियां बनाने के लिये सिलाई के ठेकेदारों को जो कपड़ा आदि दिया गया था उसके सम्बन्ध में उनकी ओर से जमानत जमा कराने में देरी ।

(३) ठेकेदार उतनी वर्दियां तैयार न कर सके जितनों के बारे में उन से करार हुआ था ।

इंजन

†**७६०. सरदार इकबाल सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चितरंजन में बने प्रत्येक इंजन के लिये बाहर से जो पुर्जे आयात किये जाते हैं उनका कुल मूल्य क्या है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : १९५४–५५ के दौरान में जो इंजन बनाये गये हैं उन में काम में लाये गये आयातित पुर्जों की अनुमानित लागत १·४४ लाख रुपये प्रति इंजन है ।

रेलवे पुल

†**७६१. सरदार इकबाल सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब तथा पेप्सू में मोटर गाड़ियों के लिये रेलवे पुल बनाने की कोई योजना है; तथा

(ख) यदि हां, तो इनकी संख्या क्या है तथा यह किन-किन स्थानों पर बनाए जायगे ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जहां तक रेलवे मंत्रालय को जानकारी है, ऐसी कोई प्रस्थापना नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भूतपूर्व राजस्थान राज्य रेलवे के कर्मचारी

†७६२. **श्री भीखा भाई** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूतपूर्व राजस्थान राज्य रेलवे (वर्तमान पश्चिम रेलवे) के कुछ तृतीय श्रेणी के यातायात कर्मचारियों को उचित वरिष्ठता नहीं दी गई है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों की संख्या क्या है; तथा

(ग) ऐसे मामलों के निर्णयन में कितना समय लगेगा ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं ।

भूतपूर्व राज्य रेलवेज के कर्मचारी

†७६३. **श्री भीखा भाई** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूतपूर्व राज्य रेलवेज के उन कर्मचारियों को जिन्हें कि तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के बराबर कर दिया गया था, तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की भांति काम पर लगाया जाता है तथा तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को बाद में तरक्की दे कर द्वितीय श्रेणी में लाया जाता है;

(ख) यदि हां, तो राज्य रेलवेज में कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी पुरानी जगहों पर वापस लाए गए हैं; तथा

(ग) ऐसे पदाधिकारियों की स्थिति का कैसे विनियमन किया जाता है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) तथा (ख). भूतपूर्व राज्य रेलवेज के कुछ स्थायी पदाधकारियों को एकीकरण के दिनांक से तृतीय श्रेणी में भरती किया गया है । बाद में उन सब को तरक्की दे कर द्वितीय श्रेणी में रखा गया । इन में से दो को फिर तृतीय श्रेणी में वापस लाया गया है क्योंकि उनका काम संतोषजनक नहीं था ।

(ग) आदेश जारी किये गए हैं कि उपर्युक्त दो व्यक्तियों को छोड़ कर बाकी जिन भूतपूर्व राज्य रेलवे अधिकारियों को प्रारम्भ में तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के बराबर कर दिया गया था, उन्हें यह विकल्प दिया जायगा कि या तो वह उन्हीं शर्तों पर काम जारी रखें जो कि उन पर अब तक लागू होती थीं या संघीय वित्तीय एकीकरण के दिनांक से भूतलक्षी प्रभाव से उन्हें स्थायी रूप से द्वितीय श्रेणी में तरक्की दी जा सकती है ।

काश्मीर पर्यटन

†७६४. **श्री अमजद अली** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार ने काश्मीर जाने के लिये पर्यटकों को क्या सुविधाएं पेश की हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : भारत के कई स्टेशनों से रियायती वापसी टिकट जारी किये जा सकते हैं जिस से कि श्रीनगर तक रेल एवं विमान का तथा रेल एवं सड़क का सफर पूरा किया जा सके । पर्यटन सीजन में स्पेशल तथा दोहरी रेल गाड़ियां चलाई जाती हैं । पठानकोट स्टेशन पर विश्राम गृहों की व्यवस्था की गई है । 'गाइड टु काश्मीर' नाम का एक फोल्डर जिस में कि काश्मीर के बारे में जानकारी दी गई है तथा श्रीनगर का एक मानचित्र प्रकाशित किया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

चीनी बनाने का संयंत्र

†७६५. **श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चेकोस्लोवेकिया ने पंजाब की एक सहकारी समिति को एक चीनी संयंत्र देने की स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या संघ सरकार ने सहकारी समिति को इस प्रकार का समझौता करने की अनुमति दी है; और

(ग) इस समझौते की मुख्य बातें क्या ह ।

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : (क) जी, हां । पानीपत सहकारी चीनी मिल लिमिटेड पानीपत (जिला करनाल) ने मैसर्स स्कोदा (इंडिया) लिमिटेड के द्वारा चेकोस्लोवेकिया से सम्पूर्ण संयंत्र मंगाने के आर्डर दिये हैं ।

(ख) सहकारी कारखानों समेत चीनी कारखाने, भारत में न बनने वाले यंत्रों को अपनी आवश्यकता के अनुसार अन्य किसी देश से जिससे भारत के व्यापारिक सम्बन्ध हों, खरीदने के लिये स्वतन्त्र हैं । इसलिये सरकार की अनुमति का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

(ग) दो गैर-सरकारी दलों के बीच होने वाले समझौते की मुख्य बातें बताना संभव नहीं है ।

बम्बई के डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों के लिये मकान

†७६६. **डा० रामा राव** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि बम्बई में स्थानांतरण पर डाक तथा तार कर्मचारियों को मकान प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के कर्मचारियों को मकान की व्यवस्था करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). सरकार को यह जानकारी है कि बम्बई में स्थानांतरण पर डाक तथा तार कर्मचारियों को मकान प्राप्त करने में किस कठिनाई का सामना करना पड़ता है । सरकार ने डाक तथा तार कर्मचारियों के लिये बम्बई में पर्याप्त संख्या में क्वार्टर बनाने का निर्णय किया है । वर्तमान १६१ क्वार्टर के अतिरिक्त १९५४–५५ में और ३२२ क्वार्टर बनाये गये थे तथा डाक तथा तार कर्मचारियों को आवण्टित किये गये थे । ५८० और क्वार्टरों के निर्माण के प्रस्ताव को शीघ्रतापूर्वक अन्तिम रूप दिया जा रहा है । इन क्वार्टरों का पर्याप्त प्रतिशत भाग स्थानांतरित होने वाले कर्मचारियों के लिये रक्षित रखने का प्रश्न विचाराधीन है ।

महामखम महोत्सव के लिये रेल गाडियां

†७६७. **श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महामखम महोत्सव के सिलसिले में कुम्भकोणम से चलने वाली तथा कुम्भकोणम को जाने वाली कितनी विशेष रेलगाड़ियां चलाई गई थीं;

(ख) दर्शकों के लिये क्या विशेष प्रबन्ध किये गये थे; और

(ग) दर्शकों से कुल कितना धन एकत्रित हुआ ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) महामखम महोत्सव के सम्बन्ध में २०-२-५६ से २८-२-५६ तक भीड़ को हटाने के लिये कुम्भकोणम को जाने वाली तथा कुम्भकोणम से चलने वाली कुल ३३४ विशेष रेल गाड़ियां चलाई गई थीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यात्रियों की सुविधा के लिये निम्न विशेष प्रबन्ध किये गये थे :

(१) ढके हुये अस्थायी प्लेटफार्म जहां पानी ठंडा करने की मशीन, चाय की दूकान आदि सभी सुविधायें थीं;

(२) पैदल चलने वालों के लिये दो अस्थायी ऊपरी पुल;

(३) यात्रियों के लिये छः छादित प्रतीक्षा स्थान;

(४) पांच अस्थायी बुकिंग आफिस तथा १८ बुकिंग काउन्टर;

(५) पूछताछ कार्यालय;

(६) अपेक्षित स्थानों पर लाउड स्पीकर, टेलीफोन;

(७) दो शाकाहारी छोटे उपहारगृह तथा चार स्टाल जिनमें से एक उपहारगृह तथा दो स्टाल तीसरे दर्जे के प्रतीक्षा गृह के निकट, एक उपहारगृह ऊंचे दर्जे के बुकिंग आफिस के निकट तथा एक स्टाल स्थायी प्लेटफार्म पर तथा एक अस्थायी प्लेटफार्म पर;

(८) चार पुलिस चौकियां;

(९) चिकित्सा सुविधायें;

(१०) बिछड़े हुए व्यक्तियों के लिये स्थान तथा दूसरे तथा तीसरे दर्जे के वापसी टिकट जारी करना आदि।

(ग) दर्शकों से ६,३५,३७१ रुपये ११ आने एकत्रित हुये। यात्रियों के अन्तिम आंकड़े कुछ अधिक हो सकते हैं क्योंकि कुछ स्टेशनों के विवरण अभी प्राप्त नहीं हुये हैं।

विभागीय भोजन व्यवस्था

†**७६८. सरदार ए० एस० सहगल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अहमदाबाद, महसरा तथा रतलाम स्टेशन विभागीय भोजन व्यवस्था के लिये चुने गये थे तथा इनकी सिफारिश की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या अहमदाबाद को इनमें से निकाल दिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार अहमदाबाद में भी विभागीय भोजन व्यवस्था करने का विचार कर रही है; और

(घ) दिल्ली तथा अहमदाबाद के बीच चलने वाली २०३ अप तथा २०४ डाउन एक्सप्रेस मीटर गाज की गाड़ियों में भोजन गाड़ी का ठेका किस सार्थ को दिया गया है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) से (ग). अहमदाबाद समेत विभिन्न प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। प्रारम्भ में महासना तथा रतलाम पर १-४-१९५६ से विभागीय भोजन व्यवस्था चालू की गई है ।

(घ) मैसर्स आर० एस० सुचेत सिंह।

फल उत्पादन

†**७६९.** { **सरदार इकबाल सिंह** :
सरदार अकरपुरी :

क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फल उत्पादन योजनाओं के लिये १९५५–५६ में पेप्सु, हिमाचल प्रदेश, तथा पंजाब राज्यों को कितनी धनराशि स्वीकृत की गई;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या उन्होंने इस सम्बन्ध में और अधिक वित्तीय सहायता की प्रार्थना की है; और

(ग) यदि हां, तो उसके ब्यौरे क्या हैं।

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन)**: (क) १९५५–५६ में फल उत्पादन योजना के लिये निम्न धनराशि स्वीकृत हुई है :

राज्य का नाम	ऋण अनुदान (लाख रुपये)	१९५५–५६ में स्वीकृत धनराशि (लाख रुपये)
पंजाब	कुछ नहीं	कुछ नहीं
पेप्सु	कुछ नहीं	कुछ नहीं
हिमाचल प्रदेश	०·३०	०·३०

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

सब-पोस्ट आफिस

†७७०. { **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब राज्य में सब-पोस्ट आफिस की क्या संख्या है तथा इनमें से कितने किराये के भवनों में कार्य कर रहे हैं ;

(ख) १९५१ से ३१ जनवरी, १९५६ तक उस राज्य में वर्ष वार तथा जिला वार कितने सब पोस्ट आफिसों के लिये सरकारी भवनों की व्यवस्था की गई है; और

(ग) कथित राज्य में किन सब-पोस्ट आफिसों के लिये सरकारी भवनों का अब निर्माण हो रहा है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) पंजाब राज्य के कुल ५२९ सब-पोस्ट आफिसों में से ४४० किराये के भवनों में कार्य कर रहे हैं।

(ख) वर्ष वार तथा ज़िले बार सरकारी भवनों में स्थित सब-पोस्ट आफिस निम्न हैं :

जिले का नाम	निर्माण वर्ष	क्वाटरों की संख्या
अम्बाला	१९५३–५४	१
अमृतसर	१९५४–५५	२
	१९५५–५६	२
करनाल	१९५४–५५	१
रोहतक	१९५५–५६	१
	जोड़	७

(ग) पंजाब राज्य में इस समय (क) एम० ए० ओ० कालिज सब-पोस्ट आफिस अमृतसर तथा (ख) दरबार साहेब-पोस्ट आफिस, अमृतसर के लिये सरकारी भवनों का निर्माण हो रहा है।

†मूल अंग्रेजी में

कृषि औजार

†७७१ { **सरदार इकबाल सिंह** :
सरदार अकरपुरी :

क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देसी कृषि औज़ारों में सुधार के लिये कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो इसमें कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) यदि नहीं, तो यह कब तक लागू होगी ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : (क) जी, हां ।

(ख) भारतीय कृषि अनसंधान संस्था में बढ़िया कृषि औजारों के उत्पादन, वितरण तथा परीक्षण की योजना अक्तूबर १९५३ से चालू है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

दक्षिण रेलवे पर ट्रेन सेवा का पुनःस्थापन

†**७७२. श्री बी० एस० मूर्त्ति**: क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युद्ध काल में बन्द की गई यात्री ट्रेन सेवाएं, दक्षिण रेलवे पर पूर्णत: पुन: स्थापित की जा चुकी है;

(ख) यदि नहीं, तो कितना पुन: स्थापन हुआ है; और

(ग) इस को पूर्ण करने क लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) और (ख). ब्राड गाज तथा मीरट गाज पर क्रमश: ४६ तथा ११९ शटल ट्रेनों को छोड़ कर दक्षिण रेलवे की युद्ध पूर्व सभी ट्रेन सेवायें पुन स्थापित की जा चुकी हैं ।

(ग) वर्तमान यातायात को देखते हुए उपरिलिखित पुनस्थापना होने वाली ट्रेनों में से ब्राड गाज पर ३२ मीटर गाज पर ९९ ट्रनों की पुन: स्थापना में कोई औचित्य नहीं है । परन्तु युद्ध पूर्व को ट्रनों में जहाँ भी उचित हुआ लाइन की क्षमता, डिब्बों तथा इंजनों की प्राप्यता क अनुसार प्राथमिकता दी जायेगी ।

रायगढ़ रेलवे स्टेशन

†**७७३. श्री संगण्णा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि दक्षिण पूर्व रेलवे के रायगढ़ स्टेशन पर बुकिंग कर्मचारियों की कमी के कारण यात्रा करने वाली जनता को समय पर टिकट प्राप्त नहीं होते हैं;

(ख) क्या यह सच है कि एक ही एसिसटैंट टिकट भी जारी करता है तथा ट्रेन के आने के पश्चात् ब्रेकवान में से पार्सलों को भी लता है; और

(ग) क्या गाड़ियों के साथ चलने वाले कर्मचारियों जैसे टिकट चेकरों तथा टिकट इंस्पैक्टरों को अपने उचित कर्त्तव्यों के साथ गाड़ी रुकने पर टिकट जारी करने का भी अधिकार दिया गया है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) सरकार को इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) जी हां, सभी छोटे स्टेशनों पर असिस्टैंट स्टेशन मास्टर बुकिंग क्लर्क तथा पार्सल क्लर्क दोनों का कार्य करता है क्योंकि यातायात बहुत कम होता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) नियमों के अनुसार गाड़ियों के साथ जाने वाले टिकट चेकरों को ट्रेन के रुकने के समय में स्टेशनों पर अतिरिक्त किराये के टिकट जारी करने का अधिकार है ।

भुवनेश्वर में गाड़ियों का ठहरना

†७७४. **श्री संगण्णा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भुवनेश्वर में गाड़ियों के कम समय तक ठहरने के कारण यात्रा करने वाले लोगों को महान् असुविधाओं का सामना करना पड़ता है;

(ख) क्या उड़ीसा की सरकार ने दक्षिण-पूर्व रेलवे क्षेत्र (जोन) के भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर सभी गाड़ियों के ठहरने के समय को बढ़ा देने की प्रार्थना की है; और

(ग) यदि हां, तो क्या उस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई है ।

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

"अन्धाशीशी" की कांटेदार झाड़ियां

†७७५. **श्री यू० एम० त्रिवेदी** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई है कि भारत के बहुत से भागों में और विशेषकर बम्बई, मध्य भारत, राजस्थान और पंजाब के चरागाहों में "अन्धाशीशी" नामक कांटेदार झाड़ियां फैल रही हैं, और उन्होंने घास के खेती के एक विशाल भाग को घेर लिया है; और

(ख) क्या सरकार ने इस कठिनाई का सामना करने के लिये कोई कार्यवाही की है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां । कांटेदार झाड़ियों को समाप्त करने वाली दवाइयों के प्रयोग से इसे रोकने के लिए बम्बई राज्य तथा भारतीय कृषि गवेषणा संस्था, नई दिल्ली में परीक्षण किये गये हैं । उनके परिणामों से यह ज्ञात हुआ है कि पुष्पित होने की अवस्था से थोड़ी देर पूर्व २, ४-डी एथिल इस्टर के छिड़कने से इस कांटेदार झाड़ी पर अच्छी प्रकार से नियंत्रण रखा जा सकता है ।

भूतपूर्व-राजस्थान रेलवे के कर्मचारी

†७७६. **श्री यू० एम० त्रिवेदी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व राजस्थान रेलवे के विलय हो जाने पर उसके कितने कर्मचारियों को पश्चिम रेलवे द्वारा ले लिया गया है;

(ख) भूतपूर्व-राजस्थान रेलवे कर्मचारियों के भविष्यनिधि संचय पर व्याज देने के सम्बन्ध में क्या प्रबन्ध किया गया है;

(ग) क्या यह सच है कि भूतपूर्व बी० बी० एण्ड सी० आई० रेलवे के कर्मचारियों को उनकी भविष्य निधि पर ४ प्रतिशत व्याज दिया जाता है जब कि भूतपूर्व राजस्थान रेलवे के कर्मचारियों को बहुत कम दर पर व्याज दिया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो इस भेद भाव के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) १७३३ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) भूतपूर्व-राजस्थान रेलवे के भविष्य निधि जमा कराने वाले १०७ कर्मचारी भूतपूर्व देशीय राज्य नियमों के अधीन ४ प्रतिशत प्रत्याभूत दर के हिसाब से ब्याज प्राप्त करने के अधिकारी थे, इन में से उन कर्मचारियों को जो कि सेवा की उन भूतपूर्व शर्तों के ही अधीन रहने के लिये चुने गए हैं, उन्हें तो उस पूरे प्रत्याभूत दर के सिहाब से ब्याज मिल रहा है। परन्तु जिन कर्मचारियों ने भारतीय सरकार की रेलवे सेवा की शर्तों को मानने की इच्छा प्रकट की है उन्हें उस संचय पर केवल ३१-३-१९५० तक ही प्रत्याभूत दर के हिसाब से ब्याज दिया जा सकता है। १-४-१९५० के बाद जमा कराये गये धन पर दिये जाने वाले ब्याज की दर वही है जो कि सरकार द्वारा प्रति वर्ष राज्य रेलवे भविष्य निधि के लिये घोषित की जाती है।

इन १०७ कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य भविष्य निधि जमा कराने वाले कभी भी प्रत्याभूत दर के हिसाब से ब्याज प्राप्त करने के अधिकारी न थे, और उन्हें राज्य रेलवे भविष्य निधि के लिये प्रतिवर्ष घोषित की जाने वाली दर के अनुसार ब्याज दिया जा रहा है।

(ग) बी० बी० एण्ड सी० आई० रेलवे के उन कर्मचारियों को, जिन्होंने ७-३-१९३८ से पूर्व निधि में रुपया जमा कराना प्रारम्भ किया था, ४ प्रतिशत प्रत्याभूत दर के हिसाब से ब्याज दिया जाता है और उन्हें, जिन्होंने ७-३-१९३८ के बाद निधि में रुपया जमा कराना प्रारम्भ किया था, सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित किये जाने वाले दर के हिसाब से ब्याज दिया जाता है।

(घ) उन भूतपूर्व देशीय राज्य कर्मचारियों को, जिन्होंने विद्यमान निबन्धनों और शर्तों के अधीन रहने की इच्छा प्रकट की थी, ४ प्रतिशत प्रत्याभूत दर के हिसाब से ब्याज दिया जाता है। भूतपूर्व देशीय राज्य रेलवे के केवल वे कर्मचारी, जिन्होंने केन्द्रीय सरकार सेवा की शर्तों के लिये इच्छा प्रकट की थी, प्रत्याभूत दर के हिसाब से ब्याज पाने के अधिकारी नहीं हैं, और वह भी केवल उनके १-४-१९५० के बाद के संचय पर, यह सारा काम इस सामान्य नीति को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है कि केन्द्रीय सरकार की सेवा की शर्तों के लिये इच्छा प्रकट करने वाले भूतपूर्व देशीय राज्य कर्मचारी १-४-५० को फेडरल वित्तीय एकीकरण की तिथि को लागू होने वाले अन्तिम नियमों द्वारा अनुशासित होते हैं।

सरकारी कर्मचारियों का आरोग्य शाला में इलाज

†७७७. **डा० रामा राव** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लेडी लिनलिथगो आरोग्यशाला को क्षयरोग के रोगी सरकारी कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों के इलाज के लिये सरकार द्वारा अभिस्वीकृति प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार को उनके निशुल्क इलाज के लिये प्रति व्यक्ति के हिसाब से उनके (१) आवास तथा (२) आहार के लिये कितना शुल्क देना पड़ता है;

(ग) सशुल्क इलाज की स्थिति में एक सरकारी कर्मचारी को आहार के लिये कितना शुल्क देना पड़ता है;

(घ) आरोग्यशाला (सैनेटोरियम) किसी गैर-सरकारी व्यक्ति से आवास तथा आहार के लिये कितना शुल्क लेती है; और

(ङ) क्या (शुल्क देने वाले तथा शुल्क न देने वाले) सभी रोगियों को किसी जनरल वार्ड में ही प्रविष्ट किया जाता है और उनका एक समान इलाज किया जाता है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)**: (क) जी, हां।

(ख) जनरल बोर्ड में सरकारी कर्मचारियों के लिये रक्षित स्थानों के संधारण पर होने वाले खर्चे को पूरा करने के लिये सरकार लगभग १५० रुपये प्रति मास प्रति रोगी देती है जिसमें आवास, आहार, परिचर्या, चिकित्सा, और औषध (साधारण तथा विशेष दोनों प्रकार की) पर आने वाला खर्च सम्मिलित है। इन में से ४५ रुपये आहार -शुल्क के होते हैं और ३० रुपये आवास शुल्क के।

---

† मूल अंग्रेजी में

(ग) जिन सरकारी कर्मचारियों की आय १०० रुपये प्रति मास अथवा इससे अधिक होती है, आहार शुल्क के लिये जनरल वार्ड में रु० १/८/- प्रतिदिन देना पड़ता है। उन व्यक्तियों को जो उन विशेष वार्डों तथा कॉटेजों में रहते हैं जहां सरकार द्वारा स्थान रक्षित नहीं किये जाते, आहार के लिये यदि वे हस्पताल का ही आहार इस्तेमाल करें—प्रति दिन रु० २/८/- से रु० ३-०-० तक देना पड़ता है।

(घ) जनरल वार्ड में सशुल्क इलाज के लिये प्रविष्ट होने वाले किसी गैर-सरकारी व्यक्ति से आवास, आहार, परिचर्या, चिकित्सा तथा औषध (विशेष औषध को छोड़ कर) के लिये ४ रुपये प्रति-दिन के हिसाब से शुल्क लिया जाता है। उन व्यक्तियों से जो कि विशेष वार्डों तथा कॉटेजों में रह कर इलाज कराते हैं, आवास के अनुसार, ३ रुपये से लेकर ६ रुपयें तक प्रतिदिन के हिसाब से शुल्क लिया जाता है जिसमें आहार शुल्क सम्मिलित नहीं है, क्योंकि आहार के लिये उन्हें स्वयं प्रबन्ध करना पड़ता है।

(ङ) जी, हां, शुल्क देने वाले रोगियों को भी आरोग्यशाला (सैनेटोरियम) के विशेष वार्डों और कॉटेजों में प्रविष्ट किया जाता है।

चिलनौर में एक नये स्टेशन का निर्माण

†७७८. **श्री बी० एस० मूर्त्ति** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र में तेनालि के निकट चिलनौर में एक नये स्टेशन के भवन निर्माण के लिये प्लेटफार्म को ढकने के लिये तथा अन्य प्रकार की सुविधायें देने के लिये, जिनमें प्रवेश मार्ग तथा सर्कुलेटिंग एरिया' भी सम्मिलित हैं, कितनी राशि स्वीकार की गई है;

(ख) राशि किस तिथि को स्वीकार **की** गई थी और किस तिथि को विभिन्न प्रकार का कार्य पूरा हुआ था; और

(ग) उस पर कितनी राशि खर्च की जा चुकी है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) और (ख). सम्भवत: माननीय सदस्य तेनालि के निकट चिलुवूर स्टेशन की ओर निर्देश कर रहे हैं, जहां पर एक नये स्टेशन के भवन निर्माण तथा प्लेटफार्म को ढकने के लिये ३० अगस्त, १९५२ को ६५,३३० रुपये स्वीकार किये गये थे। जल संभरण तथा जल निस्सारण सम्बन्धी प्रबन्धों सहित उस स्टेशन का भवन मार्च १९५४ में पूरा हो गया था। प्लेटफार्म ढकने के लिये कैंचियां तैयार की जा रही हैं। 'सर्कुलेटिंग एरिया' की व्यवस्था अथवा स्टेशन-प्रवेश-मार्ग का सुधार करना उस योजना में सम्मिलित नहीं है।

(ग) आज तक का खर्च ४७,०९२ रुपये है।

रेलवे प्लेटफार्मों पर पार्सल

†७७९. **श्री मादिया गौडा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड को इस बात का पता है कि अधिकांश बड़े रेलवे स्टेशनों पर पार्सलों के ढेर लगे रहते हैं जिनसे यात्रियों को बहुत असुविधा होती है; और

(ख) यदि हां, तो इस असुविधा को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) नहीं। अधिकांश बड़े स्टेशनों पर नहीं बल्कि केवल कुछ स्टेशनों पर ऐसा होता है।

(ख) विवरण सम्बद्ध है। [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या १०**]

---

†मूल अंग्रेजी में

बेजवाड़ा-मद्रास लाइन

†७८०. **श्री मादिया गौड़** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैजवाड़ा और मद्रास के बीच की लाइन की यातायात क्षमता बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) इसके फलस्वरूप यातायात में कहां तक वृद्धि हुई है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) बैजवाड़ा-मद्रास भाग (सैक्शन) में अतिरिक्त क्रासिंग स्टेशन बनाने और लूप लाइनों को लम्बी करने के अलावा निम्नलिखित मुख्य कार्यों की स्वीकृति दी गई है और उनमें प्रगति हो रही है :

(१) बैजवाड़ा के यार्ड को नया रूप देना ।

(२) रेनीगुन्ता-गुदूर छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलना ।

(३) बैजवाड़ा और गुदूर के बीच की लाइन को दोहरा करना (अंशों में) ।

(ख) इस भाग (सैक्शन) की क्षमता ३०० वैगन से ४५० वैगन प्रतिदिन हो गई है ।

रायगढ़ रेलवे स्टेशन

†७८१. **श्री संगण्णा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्वी रेलवे में रायगढ़ रेलवे स्टेशन के विकास के लिये किन्हीं सुधारों का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो वे क्या हैं; और

(ग) क्या कार्य आरम्भ हो गया है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) हां ।

(ख) (१) यार्ड में दो अतिरिक्त 'रिसेप्शन' लाइनों का बनाया जाना ।

(२) प्लेटफार्म पर साया ।

(३) पानी के टैंक वाले शौचालय ।

(४) प्लेटफार्म पर बेंचे ।

(ग) यार्ड में दो 'रिसेप्शन' लाइनें बनाने का काम १९५६-५७ के निर्माण कार्यक्रम में शामिल किया गया है और उसकी योजना तथा प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। शेष तीन कार्य द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आगामी वर्षों में किये जाने का विचार है ।

संख्यिकीय अधिकारी, गोरखपुर

७८२. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सांख्यिकीय अधिकारी का पद गोरखपुर से हटाकर कलकत्ते में कायम कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) यह वांच्छित समझा गया कि एक उच्च श्रेणी का अधिकारी कलकत्ते में नियुक्त कया जाय ताकि वह अधिक प्राधिकार का उपयोग कर सके और अनेक मामलों को रेलवे के गोरखपुर स्थित प्रधान कार्यालय में भेजने के बजाय वहीं तय कर सके । अतः उच्च श्रेणी के अधिकारी के पद को वहां रखा गया और वहां से सहायक अधिकारी का पद गोरखपुर बदल दिया गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

चीनी की मिलें

†७८३. **श्री एल० एन० मिश्र** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की कालावधि में बिहार में कुछ चीनी की नई मिलें खोली जायेंगी, और

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या, अनुमानित लागत और उत्पादन-क्षमता कितनी है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : (क) बिहार में चीनी की नई मिलें खोलने के लिये अभी तक कोई आवेदन-पत्र नहीं आया है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

रेलवे पुलिस संरक्षण दल

७८४. **श्री भीखा भाई** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे के मानिकपुर रेलवे स्टेशन से रेलवे पुलिस संरक्षण दल को हटा लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : जी, नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

पट्टाभिपुरम् में फ्लैग स्टेशन

†७८५. **श्री एस० वी० एल० नरसिंहम्** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पट्टाभिपुरम के पास गौतार में रेलवे फ्लैग स्टेशन बनाने के बारे में कोई अभ्यावेदन आया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी हां ।

(ख) वहां फ्लैग स्टेशन या हाल्ट स्टेशन बनाना उचित नहीं था अतः उसे कार्यान्वित नहीं किया गया ।

प्राइवेट रेलवे लाइनों का राष्ट्रीयकरण

†७८६. **श्री बादशाह गुप्त** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक किन-किन रेलवे लाइनों का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ है;

(ख) इन रेलवे लाइनों का राष्ट्रीयकरण करने पर प्रत्येक को पृथक्-पृथक् कितनी क्षतिपूर्ति देनी होगी; और

(ग) उनके साथ किये गये समझौते कब समाप्त होंगे ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : मांगी गयी सूचना साथ वाले बयान में दी गयी है । **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ११]**

हावड़ा-दिल्ली एक्सप्रेस

७८७. **श्री बादशाह गुप्त** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फर्रुखाबाद-मैनपुरी की ओर से दिल्ली जाने वाले प्रथम श्रेणी के

---

†मूल अंग्रेजी में

यात्रियों के लिये रात को शिकोहाबाद और टूंडला जंकशनों पर हावड़ा-दिल्ली एक्सप्रेस में स्थान सुरक्षित कराना प्रायः असम्भव हो जाता है; और

(ख) क्या यह भी सच है कि दिन में फर्रुखाबाद-मैनपुरी की ओर से दिन में ऐसी कोई गाड़ी नहीं है जो दिल्ली जाने वाली गाड़ियों के लिये शिकोहाबाद या टूंडला जंक्शन पर थोड़े समय बाद मेल लेती हो (और जिसके लिये यात्रियों को बहुत देर तक प्रतीक्षा न करनी पड़े) ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

जिप्सम की खानें

†७८८. **श्री बूवराघस्वामी** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तिरूची जिले (मद्रास राज्य) के पेरम्बलूर ताल्लुके में जिप्सम की खानों में कार्य करने वाले श्रमिकों की संख्या कितनी है; और

(ख) ठेकेदारों द्वारा इन श्रमिकों को क्या सुविधायें दी जाती हैं;

†**श्रम मंत्री (श्री खण्डूभाई देसाई)** : (क) १५५९ ।

(ख) खानों में कार्य के अनुसार निश्चित की गई दरों पर काम लिया जाता है । वहां पर श्रमिक ठेकेदारों के अधीन नहीं बल्कि प्रबन्धकों के अधीन काम करते हैं । जब फरवरी, १९५६ में उनका निरीक्षण किया गया था तब ओढियम स्थित दो खानों के अतिरिक्त अन्य खानों में पीने के पानी, प्रथमोपचार का सामान, आराम के लिये स्थान आदि की सुविधायें नहीं थीं । ऐसी सुविधाओं के बारे में खान अधिनियम तथा उस के अधीन अन्य नियमों को लागू करने के लिये कार्यवाही की जा रही है ।

दक्षिण रेलवे में खण्ड (डिविजन) प्रणाली

†७८९. **श्री बी० एस० मूर्त्ति** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलवे में खण्ड (डिवीजन) प्रणाली चलाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) खण्डों (डिवीजन्स) की संख्या कितनी है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** :

(क) उस की योजना तैयार की जा रही है ।

(ख) दक्षिण रेलवे में आठ खण्ड (डिवीजन) बनाने का विचार है जिनके मुख्य कार्यालय निम्नलिखित स्थानों पर होंगे :—

१. मद्रास
२. मैसूर
३. त्रिचनापल्ली
४. मदुरा
५. गुन्डाकल
६. बजवाड़ा
७. हुबली
८. ओलावाकोट

काकिनाडा पत्तन

†७९०. **श्री बी० एस० मूर्त्ति** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में काकिनाडा पत्तन में सुधार के लिये कितनी रकम निश्चित की गई है; और

(ख) किस प्रकार के सुधार किये जायेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) १८·१५ लाख रुपये ।

(ख) उक्त रकम निम्नलिखित योजनाओं में खर्च किये जाने के लिये है :—

१. प्रथम योजना की अवशेष योजनायें	(लाखों में)
(१) लकड़ी की अवतरणियों (टिम्बर जेटी) के स्थान पर पक्के घाट (ह्वार्फ) बनाना	२·०० रुपये
(२) अयस्क के लिये ककरोट की अवतरणियाँ (जेटियां) बनाना	२·०० ”
२. नई योजनायें	
(१) घाट की दीवारों और कंकरीट की अवतरणियां (जेट्टियां) पर वाणिज्यिक नहर के किनारे किनारे बिजली लगाना जिसमें लौह अयस्क रखने के क्षेत्र (स्टेकिंग एरियाज) में बिजली लगाना (फ्लड लाइटिंग) भी शामिल है ।	·४० रुपये
(२) रेलवे गोदाम और तेल संस्थापन के बीच रेल की लाइन और सड़क की फिर से दागबेल करना और लौह अयस्क रखने के क्षेत्र (स्टेकिंग एरियाज) के लिये भूमि प्राप्त करना	२·२५ रुपये
(३) काकिनाडा लंगर स्थान का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण	०·५० रुपये
(४) काकिनाडा खाड़ी के आर पार एक गहरी नहर बनाने के सम्बन्ध में प्रयोग करना और आंकड़े प्राप्त करना	१·०० रुपये
(५) २५० हार्स पावर का एक डीजल टग	२·५० रुपये
(६) ग्रोइन और रिवेटमेन्ट में सुधार	२·०० रुपये
(७) नहर की नावों के घाट, स्टेकिंग एरिया और बाढ़ लगाने में सुधार	०·५० रुपये
(८) क्रेन तथा अयस्क के लिये ट्राली लाइन और बकेट सहित ट्रालियों का उपबन्ध	४·०० रुपये
(९) सैन्ड पम्प, डाइल्यूटिंग पम्प आदि के क्रय सहित निचले क्षेत्रों को ठीक बनाना	१·०० रुपये
योग	१८·१५ रुपये

डाक और तार घर

†**७९१. मुल्ला अबदुल्लाभाई** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५२ से १९५५ तक के समय में मध्य प्रदेश में खोले गये डाक और तारघरों की जिलेवार संख्या कितनी है; और

(ख) १९५६ में कितने डाक और तार घर खोले जायेंगे ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है, जिसमें आपेक्षित जानकारी दी गई है । **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या १२]**

(ख) (१) डाक घर लगभग ४५०

(२) संयुक्त डाक और तार घर ३० (सामान मिलने की दशा में)

---

†मूल अंग्रेजी में

डाक सम्बन्धी शिकायतें

†७९२. **मुल्ला अब्दुल्लाभाई** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि नागपुर शहर में चिट्ठियों के न बांटा जाना या ग़लत व्यक्तियों को बांटा जाना एक आम बात हो गई है ;

(ख) इस विषय में १९५५ में जनता द्वारा की गई शिकायतों की संख्या कितनी है; और

(ग) इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) वास्तव में ऐसा नहीं है । कुछ चिट्ठियों के न बांटे जाने और गलत व्यक्तियों को बांटे जाने के सम्बन्ध में शिकायतें आई थीं और उन पर कार्यवाही की गई थी ।

(ख) लगभग ६०,००० वस्तुएं नित्यप्रति बांटी जाने के लिये प्राप्त होती हैं। चिट्ठियां न बांटी जाने के विषय में १९५५ में २७२ शिकायतें और गलत व्यक्तियों को बांटी जाने के बारे में ५६ शिकायतें आईं जिन में से ३७ ऐसी थीं जो जांच करने पर निराधार सिद्ध हुईं ।

(ग) चिट्ठियां बांटने के प्रबन्ध में सुधार, इस कार्य का कभी-कभी सहसा निरीक्षण और जांच के लिये कभी विशेष पत्र डालने का कार्य किया गया ।

पटियाला रेलवे स्टेशन

७९३. **डा० सत्यवादी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटियाला रेलवे स्टेशन पर रात को नल बन्द हो जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसका का क्या कारण है; और

(ग) प्रतीक्षालय में रात को यात्रियों को होने वाली इस असुविधा को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रतीक्षालय, रेल कर्मचारियों की बस्ती, दफ्तर की इमारत और प्लेटफार्मों के नलों में पानी एक ही नाली (पाइप लाईन) द्वारा पहुंचता है । अर्से से प्रतीक्षालय, प्लेटफार्म और कर्मचारियों के क्वार्टरों में रात के समय पानी बन्द किया जाता रहा है जिससे ऊपर की टंकी में शाम तक इकट्ठा हुआ पानी बिना कारण नल चलते रहने से बह न जायें और दूसरे दिन सुबह पम्प चालू होने तक इंजिनों को पर्याप्त मात्रा में पानी मिलता रहे ।

(ग) पम्प कर्मचारियों का एक और दल रखने के सवाल पर विचार किया जा रहा है । तब तक एक अलग नाली निकाली जा रही है ताकि कर्मचारियों के क्वार्टरों और दूसरी इमारतों का पानी बन्द होने पर भी प्लेटफार्म और प्रतीक्षालयों के नल चलते रहें ।

अगरतला में काम दिलाऊ दफ्तर

†७९४. **श्री दशरथ देव** : क्या **श्रम** मंत्री २१ दिसम्बर, १९५५ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ७२९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या अगरतला में काम दिलाऊ दफ्तर काम करने लग गया है ?

†**श्रम मंत्री (श्री खण्डूभाई देसाई)**: नहीं । अभी उसके लिये आवश्यक स्थान प्राप्त नहीं हुआ है ।

†मूल अंग्रेजी में

स्वस्ति समिति और आदिम जाति के लोगों में झगड़ा

†७९५. **श्री दशरथ देव :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री १४ सितम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १७७३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कंचनपुर की स्वस्ति समिति और आदिम जाति के लोगों के बीच का झगड़ा निबट गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके निबटने में कितना समय लगेगा ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) :** (क) और (ख). त्रिपुरा राज्य से ज्ञात हुआ है कि स्वस्ति समिति और आदिम जाति के लोगों के बीच जो समझौता हुआ है उस के अनुसार सर्वेक्षण के पश्चात् जमीन फिर से बांटी जायेगी। सर्वेक्षण प्रारम्भ हो गया है और वह शीघ्र ही पूरा हो जायगा।

रेलों में रोशनी

†७९६. **श्री किरोलिकर :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता से नागपुर जाने वाली पैसेन्जर रेलगाड़ी में १७ मार्च, १९५६ की शाम को तिरोरा रेलवे स्टेशन से नागपुर तक रोशनी नहीं थी; और

(ख) यदि हां, तो क्या रेल में रोशनी करने के लिये कोई कार्यवाही की गई थी ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) नहीं, किन्तु गाड़ी ठहरने के समय रोशनी मन्दी हो जाती थी क्योंकि बैटरियां कमजोर पड़ गई थीं।

(ख) ऐसा प्रबन्ध किया गया है कि बैटरियों को अधिक बार चार्ज किया जाय।

रेलवे कर्मचारियों की भविष्य निधि

†७९७. **पंडित लिंगराज मिश्र :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण जो रेलवे कर्मचारी १२ वर्ष तक अनुमोदित सेवा के बाद पदत्याग करता है उसे अपनी भविष्य निधि में रेलवे के अंशदान का कोई भी भाग नहीं दिया जाता और इस निधि में उसका जो निजी अंशदान होता है केवल वही उसे दिया जाता है; और

(ख) क्या रेलवे कर्मचारियों के लाभ के लिये इस नियम के पुनरीक्षण का कोई प्रस्ताव है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) नहीं श्रीमान्। रेलवे के अंशदान के दो भाग होते हैं—भविष्य निधि में एक तो सरकारी अंशदान और दूसरा विशेष अंशदान। जो कर्मचारी १२ वर्ष की अनुमोदित सेवा के बाद स्वास्थ्य बिगड़ जाने के कारण पदत्याग करता है उसे सरकारी अंशदान तो मिलता है किन्तु उस वर्ष का आधा अंशदान नहीं मिलता जिसमें कि वह पदत्याग करे। नान गजेटेड अधिकारी यदि १५ वर्ष की सेवा के बाद ऐसे कारणों से पदत्याग करता है जो प्रशासकीय दृष्टि से नियंत्रण अधिकारी द्वारा उचित और पर्याप्त समझे जायें तो उसे विशेष अंशदान भी प्राप्त हो सकता है।

(ख) नहीं श्रीमान्।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[शुक्रवार, ६ अप्रैल, १९५६]

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर ...	...	... ११८०–१२०३
तारांकित प्रश्न संख्या		
१२२३	माल डिब्बों की कमी ...	११८०–८१
१२२५	रेलवे प्रशासन में हिन्दी का प्रयोग	११८१–८३
१२२६	रेलवे माल डिब्बे	... ११८३–८४
१२२९	एगमार्क घी	... ११८४–८५
१२३१	नौवहन पदाधिकारी	११८६
१२३२	रूपनारायण पुल	११८६–८८
१२३४	उत्तर रेलवे पर गाड़ियों का रोका जाना	११८८
१२३७	गलियारे वाले रेल के डिब्बे ...	११८८–८९
१२३८	श्यामबाजार-बेलियाघाट रेल सेवा	११८९
१२४१	पर्यटन	११९०–९१
१२४३	वनस्पति	११९१–९२
१२४५	रेलगाड़ियों में चोरियां	११९२
१२४६	पूर्वोत्तर रेलवे के कार्यालयों का हटाया जाना ...	११९३
१२४७	तेल का उत्पादन	११९४
१२४८	विमान कम्पनियां	... ११९४
१२४९	खुर्दा रोड पर विभागीय मुख्यालय ...	११९४–९५
१२५०	अफगानिस्तान को ऋतु विज्ञान सम्बन्धी सहायता	११९५
१२५२	विमान सेवा	... ११९५–९६
१२५३	दिल्ली में मजदूरों की झोंपड़ियों का गिराया जाना ...	... ११९६–९७
१२५५	ओले गिरना	११९७–९८
१२५७	यातायात समस्याओं सम्बन्धी विश्व सम्मेलन	११९८–९९
१२५८	रेलवे गार्डों की वेतन हड़ताल	११९९
१२५९	रेलवेज़ पर गैर लाइसेंस शुदा कुली तथा फेरी वाले ...	... ११९९
१२६०	मद्रास व विजयवाड़ा के मध्य दोहरी लाइन	... १२००
१२६१	सरकारी कर्मचारियों के लिये आरोग्यशालाओं में चिकित्सा	... १२००–०१
१२६२	उड़ीसा में चीनी की मिलें	... १२०१
१२६३	वन	... १२०१–०२
अल्प सूचना प्रश्न संख्या		
९	त्रिपुरा में चावल के मूल्य में वृद्धि ...	... १२०२–०३

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर	... ...	१२०३–२७
तारांकित		
प्रश्न संख्या		
१२२४	खाद्यान्न मूल्य विभेद जांच समिति	१२०३–०४
१२२७	गन्ना	१२०४
१२२८	रामगुण्डम-निजामाबाद लाइन	१२०४
१२३०	वायुयान चालकों के लिये उच्च परीक्षाएं	१२०४
१२३३	रेलगाड़ी का जल जाना	१२०४–०५
१२३५	पकला-धर्मवरम् रेलवे लाइन	१२०५
१२३६	मध्य रेलवे में भोजन की व्यवस्था	१२०५
१२३९	कम्पोस्ट (खाद)	१२०५
१२४०	ग्राम सेवक	१२०६
१२४२	सिकन्दराबाद में फायरमैनों की हड़ताल	१२०६
१२४४	सहायक स्टेशन मास्टरों आदि का स्थानान्तरण	१२०६–०७
१२५१	कलकत्ता पत्तन आयुक्त सेवा	१२०७
१२५४	रेलवे दर न्यायाधिकरण	१२०७
१२५६	खाद्यान्न	१२०७–०८
१२६४	चम्बल के आर पार पुल	१२०८
१२६५	रेलवे में अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की भरती	१२०८
अतारांकित		
प्रश्न संख्या		
७४४	डाक कर्मचारियों द्वारा गबन	१२०८–०९
७४५	डालमिया दादरी स्टेशन पर माल गोदाम	१२०९
७४६	हरदा-इट्रारसी-जबलपुर सेक्शन	१२०९
७४७	इंटेगरल कोच फैक्टरी, पैराम्बुर	१२०९–१०
७४८	टेक्नीकल समिति	१२१०
७४९	राज्य पर्यटक मन्त्रणा समिति	१२१०
७५०	डाक व तार घर	१२१०
७५१	यात्रियों को सुख सुविधायें	१२१०
७५२	गाड़ी का पटरी से उतरना	१२११
७५३	रेलवे प्रतिकर दावे...	२१११
७५४	निरोधा	१२११
७५५	किलोन बन्दरगाह पुल	१२११–१२
७५६	डाकखानों के इंस्पैक्टर	१२१२
७५७	गोसदन	१२१२
७५८	टिकट इन्स्पेक्टर	१२१२–१३
७५९	रेलवे कर्मचारियों के लिये वर्दी	१२१३
७६०	इंजन	१२१३
७६१	रेलवे पुल	१२१३
७६२	भूतपूर्व राजस्थान राज्य रेलवे के कर्मचारी	१२१४

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के लिखित उत्तर---(क्रमशः)	
	अतारांकित प्रश्न संख्या	
७६३	भूतपूर्व राज्य रेलवेज के कर्मचारी	१२१४
७६४	काश्मीर पर्यटन	१२१४
७६५	चीनी बनाने का संयंत्र	१२१५
७६६	बम्बई के डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों के लिये मकान ...	१२१५
७६७	महामखम महोत्सव के लिये रेलगाड़ियां	१२१५–१६
७६८	विभागीय भोजन व्यवस्था	१२१६
७६९	फल उत्पादन	१२१६–१७
७७०	सब-पोस्ट आफिस ...	१२१७
७७१	कृषि औजार	१२१८
७७२	दक्षिण रेलवे पर ट्रेन सेवा का पुनः स्थापन	१२१८
७७३	रायगढ़ रेलवे स्टेशन	१२१८–१९
७७४	भुवनेश्वर में गाड़ियों का ठहरना	१२१९
७७५	"अन्धाशीशी" की कांटेदार झाड़ियां ...	१२१९
७७६	भूतपूर्व राजस्थान रेलवे के कर्मचारी	१२१९–२०
७७७	सरकारी कर्मचारियों का आरोग्यशाला में इलाज ...	१२२०–२१
७७८	चिलनौर में एक नए स्टेशन का निर्माण ...	१२२१
७७९	रेलवे प्लेटफार्मों पर पार्सल	१२२१
७८०	बैजवाड़ा-मद्रास लाइन	१२२२
७८१	रायगढ़ रेलवे स्टेशन ...	१२२२
७८२	सांख्यिकीय अधिकारी, गोरखपुर	१२२२
७८३	चीनी की मिलें ...	१२२३
७८४	रेलवे पुलिस संरक्षण दल	१२२३
७८५	पट्टाभिपुरम में फ्लैग स्टेशन ...	१२२३
७८६	प्राइवेट रेलवे लाइनों का राष्ट्रीयकरण ...	१२२३
७८७	हावड़ा-दिल्ली एक्सप्रेस ...	१२२३–२४
७८८	जिपसम की खानें	१२२४
७८९	दक्षिण रेलवे में खण्ड (डिवीचन) प्रणाली	१२२४
७९०	काकिनाडा पत्तन	१२२४–२५
७९१	डाक और तार घर ...	१२२५
७९२	डाक सम्बन्धी शिकायतें	१२२६
७९३	पटियाला रेलवे स्टेशन	१२२६
७९४	अगरतला में काम दिलाऊ दफ्तर	१२२६
७९५	स्वस्ति समिति और आदिम जाति के लोगों में झगड़ा	१२२७
७९६	रेलों में रोशनी	१२२७
७९७	रेलवे कर्मचारियों की भविष्य निधि ...	१२२७

34LSD—11—3—57—190MGIPF

शुक्रव
6 अप्रैल 1956

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खण्ड ३, १९५६

(२८ मार्च से १७ अप्रैल, १९५६)

1st Lok Sabha
(XII Session)

सत्यमेव जयते

बारहवाँ सत्र, १९५६

(खण्ड ३ में अंक ३१ से अंक ४५ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

M117LSD—4

विषय-सूची

[भाग--२ वाद-विवाद, खण्ड ३--२८ मार्च से १७ अप्रैल, १९५६]

अंक ३१--बुधवार, २८ मार्च, १९५६

	पृष्ठ
स्थगन-प्रस्ताव	१५१७–२०
सदस्य का बन्दीकरण	१५२०
सदस्य का ज़मानत पर रिहाई ...	१५२०–२१
सभा का कार्य	१५२१, १५२२–२३, १५६८–६९
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	१५२१
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	१५२२
ग़ैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--	
अड़तालिसवां प्रतिवेदन.	१५२२
तारांकित प्रश्न के उत्तर की शुद्धि	१५२२
अनुदानों की मांगें	१५२४–६७
मांग संख्या २२--आदिम जाति क्षेत्र	१५२४–६७
मांग संख्या २३--वैदेशिक कार्य ...	१५२४–६७
मांग संख्या २४--पांडिचेरी राज्य	१५२४–६७
मांग संख्या २५--वैदेशिक कार्य मंत्रालय के अधीन विविध व्यय	१५२४–६७
मांग संख्या ११९--वैदेशिक कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय	१५२४–६७
त्रावणकोर-कोचीन आय-व्ययक, १९५६-५७ ...	१५६७–६८
दैनिक संक्षेपिका	१५७०–७१

अंक ३२--गुरुवार, २९ मार्च, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र	१५७३
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--	
पूर्वी पाकिस्तान में हिन्दुओं की स्थिति और वहां से उनका प्रव्रजन	१५७३
सभा का कार्य	१५७४
अनुदानों की मांगें	१५७४–१६०५
मांग संख्या २२--आदिम जाति क्षेत्र	१५७४–१६०५
मांग संख्या २३--वैदेशिक कार्य	१५७४–१६०५
मांग संख्या २४--पाण्डिचेरी राज्य	१५७४–१६०५
मांग संख्या २५--वैदेशिक कार्य मंत्रालय के अधीन विविध व्यय	१५७४–१६०५
मांग संख्या ११--वैदेशिक कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय ...	१५७४–१६०५
त्रावनकोर-कोचीन के बारे में राष्ट्रपति की उद्घोषणा सम्बन्धी संकल्प	१६०५–३१
लेखानुदानों की मांगें--त्रावनकोर-कोचीन	१६३१–३३
त्रावनकोर-कोचीन विनियोग (लेखानुदान) विधेयक	१६३३–३४
दैनिक संक्षेपिका	१६३५

पृष्ठ

अंक ३३—शनिवार, ३१ मार्च, १९५६

सदस्य का बन्दीकरण तथा दोषसिद्धि १६३७

स्थगन-प्रस्ताव

श्री बरलाम दास टंडन का अनशन ... १६३८–३९

अनुदानों की मांगें १६३७, १६३८–७५

मांग संख्या ९२—पुर्नावास मंत्रालय ... १६३८–७५

मांग संख्या ९३—विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय १६३८–७५

मांग संख्या ९४—पुनर्वास मंत्रालय के अधीन विविध व्यय १६३८–७५

मांग संख्या १३९—पुनर्वास मंत्रालय का पूंजी व्यय ... १६३८–७५

ग़ैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

अड़तालिसवां प्रतिवेदन १६७५

मद्य-निषेध के लिये अन्तिम तारीख नियत करने के बारे में संकल्प ... १६७५–८५

औद्योगिक तथा वाणिज्यिक राज्य उपक्रमों सम्बन्धी समिति की नियुक्ति के

बारे में संकल्प १६८५–९४

दैनिक संक्षेपिका १६९५

अंक ३४—सोमवार, २ अप्रैल, १९५६

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति १६९७

विधान मण्डलों की कार्यवाही (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक के बारे में याचिका १६९७

अनुदानों की मांगें ... १६९७–१७५८

मांग संख्या ९२—पुनर्वास मंत्रालय

मांग संख्या ९३—विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय

मांग संख्या ९४—पुनर्वास मंत्रालय के अधीन विविध व्यय

मांग संख्या १३९—पुनर्वास मंत्रालय का पूंजी व्यय

मांग संख्या ६७—सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय

मांग संख्या ६८—बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनायें

मांग संख्या ६९—सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय के अधीन विविध

विभाग तथा व्यय

मांग संख्या १३४—बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजी व्यय

मांग संख्या १३५—सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय

दैनिक संक्षेपिका ... १७५९

अंक ३५—मंगलवार, ३ अप्रैल, १९५६

सभा-पटल पर रखा गया पत्र १७३१

अतारांकित प्रश्न के उत्तर की शुद्धि १७३१

अनुदानों की मांगें १७३२–१८१५

मांग संख्या ६७—सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय १७६२–१८०९

मांग संख्या ६८—बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाएं १७६२–१८०९

मांग संख्या ६९—सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय के अधीन विविध

विभाग तथा व्यय १७६२–१८०९

पृष्ठ

मांग संख्या १३४—बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजी व्यय १७६२–१८०६

मांग संख्या १३५—सिंचाई और विद्युत मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय १७६२–१८०६

मांग संख्या ४७—स्वास्थ्य मंत्रालय १८१०–१५

मांग संख्या ४८—चिकित्सा सेवाएं १८१०–१५

मांग संख्या ४९—लोक स्वास्थ्य १८१०–१५

मांग संख्या ५०—स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन विविध व्यय १८१०–१५

मांग संख्या १३०—स्वास्थ्य मंत्रालय का पूंजी व्यय १८१०–१५

दैनिक संक्षेपिका १८१६

अंक ३६—बुधवार, ४ अप्रैल, १९५६

सभा-पटल पर रखा गया पत्र ... १८१७

राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में याचिकायें १८१७

अनुदानों की मांगें १८१७–७९

मांग संख्या ४७—स्वास्थ्य मंत्रालय १८१७–४२

मांग संख्या ४८—चिकित्सा सेवायें १८१७–४२

मांग संख्या ४९—लोक स्वास्थ्य १८१७–४२

मांग संख्या ५०—स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन विविध व्यय १८१७–४२

मांग संख्या १३०—स्वास्थ्य मंत्रालय का पूंजी व्यय ... १८१७–४२

मांग संख्या १०१—निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्रालय १८४३–७९

मांग संख्या १०२—सम्भरण १८४३–७९

मांग संख्या १०३—अन्य असैनिक निर्माण कार्य १८४३–७९

मांग संख्या १०४—लेखन-सामग्री तथा मुद्रण ... १८४३–७९

मांग संख्या १०५—निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय १८४३–७९

मांग संख्या १४३—नई दिल्ली पूंजी व्यय १८४३–७९

मांग संख्या १४४—भवनों पर पूंजी व्यय १८४३–७९

मांग संख्या १४५—निर्माण, आवास और संम्भरण मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय १८४३–७९

दैनिक संक्षेपिका १८८०

अंक ३७—गुरुवार, ५ अप्रैल, १९५६

अनुदानों की मांगें १८८१–१९४६

मांग संख्या १०१—निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय १८८१–९१

मांग संख्या १०२—सम्भरण १८८१–९१

मांग संख्या १०३—अन्य असैनिक निर्माण कार्य १८८१–९१

मांग संख्या १०४—लेखन-सामग्री तथा मुद्रण १८८१–९१

मांग संख्या १०५—निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय १८८१–९१

पृष्ठ

मांग संख्या १४३—नई दिल्ली पूंजी व्यय १८८१–९१
मांग संख्या १४४—भवनों पर पूंजी व्यय १८८१–९१
मांग संख्या १४५—निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय १८८१–९१
मांग संख्या ८७—उत्पादन मंत्रालय १८९२–१९४६
मांग संख्या ८८—नमक १८९२–१९४६
मांग संख्या ८९—उत्पादन मंत्रालय के अधीन अन्य संगठन १८९२–१९४६
मांग संख्या ९०—सरकारी कोयला-खानें १८९२–१९४६
मांग संख्या ९१—उत्पादन मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय १८९२–१९४६
मांग संख्या १३८—उत्पादन मंत्रालय का पूंजी व्यय १८९२–१९४६
दैनिक संक्षेपिका १९४७

अंक ३८—शुक्रवार, ६ अप्रैल, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १९४९
प्राक्कलन समिति—
चौबीसवां प्रतिवेदन १९५०
अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) विधेयक १९५०
कतिपय मंत्रालयों के वार्षिक प्रतिवेदनों के वितरण में विलम्ब ... १९५०–५१
अनुदानों की मांगें १९५१–८३
मांग संख्या ८७—उत्पादन मंत्रालय १९५१–५७
मांग संख्या ८८—नमक ... १९५१–५७
मांग संख्या ८९—उत्पादन मंत्रालय के अधीन अन्य संगठन १९५१–५७
मांग संख्या ९०—सरकारी कोयला-खानें १९५१–५७
मांग संख्या ९१—उत्पादन मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय ... १९५१–५७
मांग संख्या १३८—उत्पादन मंत्रालय का पूंजी व्यय १९५१–५७
मांग संख्या ७८—प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय ... १९५८–८३
मांग संख्या ७९—भारतीय भू-परिमाप १९५८–८३
मांग संख्या ८०—वानस्पतिक सर्वेक्षण १९५८–८३
मांग संख्या ८१—प्राणकीय सर्वेक्षण १९५८–८३
मांग संख्या ८२—भूतत्वीय सर्वेक्षण १९५८–८३
मांग संख्या ८३—खानें १९५८–८३
मांग संख्या ८४—वैज्ञानिक गवेषणा ... १९५८–८३
मांग संख्या ८५—तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज ... १९५८–८३
मांग संख्या ८६—प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय के अधीन विविध व्यय १९५८–८३
मांग संख्या १३७—प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय का पूंजी व्यय १९५८–८३

पृष्ठ

बाल सन्यास दीक्षा रोक विधेयक १९८३

विधान मण्डलों की कार्यवाही (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक १९८३–२०००

विचार करने तथा प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव १९८३–२०००

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (**धारा ४२९ का संशोधन**) २०००–०६

विचार करने का प्रस्ताव २०००

दैनिक संक्षेपिका २००७

अंक ३९—सोमवार, ९ अप्रैल, १९५६

सभा-पटल पर रखा गया पत्र २००९

कतिपय मंत्रालयों के वार्षिक प्रतिवेदनों के वितरण में विलम्ब २००९–१०

अनुदानों की मांगें २०१०–७९

मांग संख्या ७८—प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय २०१०–२४

मांग संख्या ७९—भारतीय भू-परिमाप २०१०–२४

मांग संख्या ८०—वानस्पतिक सर्वेक्षण २०१०–२४

मांग संख्या ८१—प्राणकीय सर्वेक्षण २०१०–२४

मांग संख्या ८२—भूतत्वीय सर्वेक्षण २०१०–२४

मांग संख्या ८३—खानें २०१०–२४

मांग संख्या ८४—वैज्ञानिक गवेषणा २०१०–२४

मांग संख्या ८५—तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज २०१०–२४

मांग संख्या ८६—प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय के अधीन विविध व्यय २०१०–२४

मांग संख्या १३७—प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय का पूंजी व्यय २०१०–२४

मांग संख्या ४२—खाद्य और कृषि मंत्रालय २०२५–७९

मांग संख्या ४३—वन २०२५–७९

मांग संख्या ४४—कृषि ... २०२५–७९

मांग संख्या ४५—असैनिक पशु-चिकित्सा सेवायें ... २०२५–७९

मांग संख्या ४६—खाद्य और कृषि मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा अन्य व्यय २०२५–७९

मांग संख्या १२७—वनों पर पूंजी व्यय २०२५–७९

मांग संख्या १२८—खाद्यान्नों का क्रय २०२५–७९

मांग संख्या १२९—खाद्य और कृषि मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय २०२५–७९

दैनिक संक्षेपिका २०८०

अंक ४०—मंगलवार, १० अप्रैल, १९५६

अनुदानों की मांगें ... २०८१–२१३९

मांग संख्या ७०—श्रम मंत्रालय २०८१–२१३३

मांग संख्या ७१—मुख्य खान निरीक्षक २०८१–२१३३

मांग संख्या ७२—श्रम मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय २०८१–२१३३

मांग संख्या ७३—काम दिलाऊ दफ्तर तथा पुनःसंस्थापन २०८१–२१३३

मांग संख्या ७४—असैनिक प्रतिरक्षा २०८१–२१३३

पृष्ठ

मांग संख्या १३६—श्रम मंत्रालय का पूंजी व्यय २०८१–२१३३
मांग संख्या ५१—गृह-कार्य मंत्रालय ... २१३३–३९
मांग संख्या ५२—मंत्रिमण्डल २१३३–३९
मांग संख्या ५३—दिल्ली २१३३–३९
मांग संख्या ५४—पुलिस २१३३–३९
मांग संख्या ५५—जनगणना ... २१३३–३९
मांग संख्या ५६—देशी राजाओं की निजी थैलियां तथा भत्ते २१३३–३९
मांग संख्या ५७—अन्दमान तथा निकोबर द्वीप २१३३–३९
मांग संख्या ५८—कच्छ २१३३–३९
मांग संख्या ५९—मनीपुर २१३३–३९
मांग संख्या ६०—त्रिपुरा २१३३–३९
मांग संख्या ६१—राज्यों से सम्बन्ध ... २१३३–३९
मांग संख्या ६२—गृह-कार्य मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय २१३३–३९
मांग संख्या १३१—गृह-कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय २१३३–३९

दैनिक संक्षेपिका २१४०

अंक ४१—बुधवार, ११ अप्रैल, १९५६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

उनचासवां प्रतिवेदन २१४१

अनुदानों की मांगें २१४१–२२०३
मांग संख्या ५१—गृह-कार्य मंत्रालय ... २१४१–२२०३
मांग संख्या ५२—मंत्रिमण्डल २१४१–२२०३
मांग संख्या ५३—दिल्ली २१४१–२२०३
मांग संख्या ५४—पुलिस २१४१–२२०३
मांग संख्या ५५—जनगणना २१४१–२२०३
मांग संख्या ५६—देशी राजाओं की निजी थैलियां तथा भत्ते २१४१–२२०३
मांग संख्या ५७—अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह... २१४१–२२०३
मांग संख्या ५८—कच्छ २१४१–२२०३
मांग संख्या ५९—मनीपुर २१४१–२२०३
मांग संख्या ६०—त्रिपुरा २१४१–२२०३
मांग संख्या ६१—राज्यों से सम्बन्ध २१४१–१२०३
मांग संख्या ६२—गृह-कार्य मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय ... २१४१–२२०३
मांग संख्या १३१—गृह-कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय ... २१४१–२२०३

दैनिक संक्षेपिका २२०४

अंक ४२—गुरुवार, १२ अप्रैल, १९५६	पृष्ठ
अनुदानों की मांगें	२२०५–५८
मांग संख्या ५१—गृह-कार्य मंत्रालय	२२०५–१५
मांग संख्या ५२—मंत्रिमण्डल	२२०५–१५
मांग संख्या ५३—दिल्ली	२२०५–१५
मांग संख्या ५४—पुलिस	२२०५–१५
मांग संख्या ५५—जनगणना ...	२२०५–१५
मांग संख्या ५६—देशी राजाओं की निजी थैलियां तथा भत्ते	२२०५–१५
मांग संख्या ५७—अन्दमान और निकोबर द्वीप समूह	२२०५–१५
मांग संख्या ५८—कच्छ	२२०५–१५
मांग संख्या ५९—मनीपुर	२२०५–१५
मांग संख्या ६०—त्रिपुरा	२२०५–१५
मांग संख्या ६१—राज्यों से सम्बन्ध	२२०५–१५
मांग संख्या ६२—गृह-कार्य मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय ...	२२०५–१५
मांग संख्या १३१—गृह-कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय	२२०५–१५
मांग संख्या ६६—लोहा और इस्पात मंत्रालय ...	२२१५–४१
मांग संख्या १३३—लोहा और इस्पात मंत्रालय का पूंजी व्यय	२२१५–४१
मांग संख्या १—वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	२२४१–५८
मांग संख्या २—उद्योग	२२४१–५८
मांग संख्या ३—वाणिज्यिक सूचना तथा आंकड़े ...	२२४१–५८
मांग संख्या ४—वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का पूंजी व्यय	२२४१–५८
मांग संख्या ११३—वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का पूंजी व्यय	२२४१–५८
सभा-पटल पर रखे गये पत्र ...	२२३५
दैनिक संक्षेपिका ...	२२५९

अंक ४३—शनिवार, १४ अप्रैल, १९५६	
अल्प सूचना प्रश्न के उत्तर की शुद्धि	२२६१–६२
अनुदानों की मांगें	२२६२–८७
मांग संख्या १—वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	२२६२–८७
मांग संख्या २—उद्योग ...	२२६२–८७
मांग संख्या ३—वाणिज्यिक सूचना तथा आंकड़े	२२६२–८७
मांग संख्या ४—वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	२२६२–८७
मांग संख्या ११३—वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का पूंजी व्यय	२२६२–८७
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—उनचासवां प्रति-वेदन...	२२८७–८९
औद्योगिक तथा वाणिज्यिक राज्य उपक्रमों सम्बन्धी समिति की नियुक्ति के बारे में संकल्प	२२८८–२३०६
बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प	२३०७
दैनिक संक्षेपिका	२३०८

अंक ४४—सोमवार, १६ अप्रैल, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—

दिल्ली पुलिस द्वारा कथित लाठी चार्ज २३०९—११

सभा का कार्य ... २३११—१२

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति २३१२

जीवन बीमा विधेयक ... २३१२

अनुदानों की मांगें ... ... २३१३—८२

मांग संख्या १—वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय २३१३—२३

मांग संख्या २—उद्योग ... २३१३—२३

मांग संख्या ३—वाणिज्य सूचना तथा आंकड़े ... २३१३—२३

मांग संख्या ४—वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय ... २३१३—२३

मांग संख्या ११३—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का पूंजी व्यय २३१३—२३

मांग संख्या १७—शिक्षा मंत्रालय २३२४—७७

मांग संख्या १८—पुरातत्व विद्या २३२४—७७

मांग संख्या १९—अन्य वैज्ञानिक-विभाग २३२४—७७

मांग संख्या २०—शिक्षा २३२४—७७

मांग संख्या २१—शिक्षा-मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय ... २३२४—७७

मांग संख्या ११८—शिक्षा मंत्रालय का पूंजी व्यय २३२४—७७

मांग संख्या २६—वित्त मंत्रालय २३७७—८२

मांग संख्या २७—सीमा शुल्क २३७७—८२

मांग संख्या २८—संघ उत्पादन शुल्क २३७७—८२

मांग संख्या २९—निगम कर तथा सम्पदा शुल्क सहित आय पर कर ... २३७७—८२

मांग संख्या ३०—अफीम २३७७—८२

मांग संख्या ३१—स्टाम्प ... ... २३७७—८२

मांग संख्या ३२—अभिकरण विषयों के प्रशासन तथा राजकोषों के प्रबन्ध के लिये अन्य सरकारों, विभागों आदि को भुगतान २३७७—८२

मांग संख्या ३३—लेखा परीक्षण २३७७—८२

मांग संख्या ३४—चल-मुद्रा २३७७—८२

मांग संख्या ३५—टकसाल ... २३७७—८२

मांग संख्या ३६—प्रादेशिक तथा राजनीतिक पेंशनें २३७७—८२

मांग संख्या ३७—वार्धक्य भत्ता तथा निवृत्ति वेतन ... ... २३७७—८२

मांग संख्या ३८—वित्त मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय २३७७—८२

मांग संख्या ३९—राज्यों को सहायक अनुदान २३७७—८२

पृष्ठ

मांग संख्या ४०—संघ तथा राज्य सरकारों के बीच विविध समायोजन २३७७–८२
मांग संख्या ४१—विभाजन-पूर्व के भुगतान ... २३७७–८२
मांग संख्या १२०—भारत सुरक्षा मुद्रणालय पर पूंजी व्यय २३७७–८२
मांग संख्या १२१—चल-मुद्रा तथा टंकण पर पूंजी व्यय २३७७–८२
मांग संख्या १२२—टकसालों पर पूंजी व्यय २३७७–८२
मांग संख्या १२३—निवृत्ति-वेतनों का राशिकृत मूल्य ... २३७७–८२
मांग संख्या १२४—छंटनी किये गये कर्मचारियों को भुगतान २३७७–८२
मांग संख्या १२५—वित्त-मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय ... २३७७–८२
मांग संख्या १२६—केन्द्रीय सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम धन २३७७–८२

दैनिक संक्षेपिका २३८३

अंक ४५—मंगलवार, १७ अप्रैल, १९५६

कार्य मंत्रणा समिति—

बत्तीसवां प्रतिवेदन २३८५

तारांकित प्रश्नों के उत्तरों की शुद्धि २३८५–८७

अनुदानों की मांगें २३८७–२४२७

मांग संख्या २६—वित्त-मंत्रालय २३८७–२४२५
मांग संख्या २७—सीमा शुल्क २३८७–२४२५
मांग संख्या २८—संघ उत्पादन शुल्क ... २३८७–२४२५
मांग संख्या २९—निगम कर तथा सम्पदा शुल्क सहित आय पर कर ... २३८७–२४२५
मांग संख्या ३०—अफीम २३८७–२४२५
मांग संख्या ३१—स्टाम्प २३८७–२४२५
मांग संख्या ३२—अभिकरण-विषयों के प्रशासन तथा राजकोषों के प्रबन्ध के लिये अन्य सरकारों, विभागों आदि को भुगतान २३८७–२४२५
मांग संख्या ३३—लेखा-परीक्षा २३८७–२४२४
मांग संख्या ३४—चल-मुद्रा २३८७–२४२५
मांग संख्या ३५—टकसाल ... २३८७–२४२५
मांग संख्या ३६—प्रादेशिक तथा राजनीतिक पेंशनें ... २३८७–२४२५
मांग संख्या ३७—वार्धक्य भत्ते तथा निवृत्ति-वेतन ... २३८७–२४२५
मांग संख्या ३८—वित्त-मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा अन्य व्यय ... २३८७–२४२५
मांग संख्या ३९—राज्यों को सहायक अनुदान ... २३८७–२४२५
मांग संख्या ४०—संघ तथा राज्य सरकारों के बीच विविध समायोजन ... २३८७–२४२५
मांग संख्या ४१—विभाजन-पूर्व के भुगतान २३८७–२४२५

	पृष्ठ
मांग संख्या १२०——भारत सुरक्षा मुद्रणालय पर पूंजी व्यय	२३८७—२४२५
मांग संख्या १२१——चल-मुद्रा तथा टंकण पर पूंजीव्यय ...	२३८७—२४२५
मांग संख्या १२२——टकसाल पर पूंजी व्यय	२३८७—२४२५
मांग संख्या १२३——निवृत्ति-वेतनों का राशिकृत मूल्य ...	२३८७—२४२५
मांग संख्या १२४——छंटनी किये गये कर्मचारियों को भुगतान	२३८७—२४२५
मांग संख्या १२५——वित्त मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय ...	२३८७—२४२५
मांग संख्या १२६——केन्द्रीय सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम धन	२३८७—२४२५
मांग संख्या ६३——सूचना और प्रसारण मंत्रालय	२४२५—२७
मांग संख्या ६४——प्रसारण ...	२४२५—२७
मांग संख्या ६५——सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	२४२५—२७
मांग संख्या १३२——प्रसारण पर पूंजी व्यय	२४२५—२७
मांग संख्या ७५——विधि मंत्रालय	२४२५—२७
मांग संख्या ७६——न्याय-व्यवस्था	२४२५—२७
मांग संख्या ७७——विधि मंत्रालय के अधीन विविध व्यय	२४२५—२७
मांग संख्या १०६——अणुशक्ति विभाग	२४२५—२७
मांग संख्या १०७——अणुशक्ति गवेषणा	२४२५—२७
मांग संख्या १४६——अणुशक्ति विभाग का पूंजी व्यय	२४२५—२७
मांग संख्या १०८——संसद्-कार्य विभाग	२४२५—२७
मांग संख्या १०९——लोक-सभा ...	२४२५—२७
मांग संख्या ११०——लोक-सभा के अधीन विविध व्यय ...	२४२५—२७
मांग संख्या १११——राज्य-सभा ...	२४२५—२७
मांग संख्या ११२——उप-राष्ट्रपति का सचिवालय	२४२५—२७
वित्त विधेयक	२४२७—३०
विचार करने का प्रस्ताव	२४२७
दैनिक संक्षेपिका	२४३१

M117LSD—190—25-3-58—GIPF.

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

लोक-सभा

शुक्रवार, ६ अप्रैल, १९५६

लोक-सभा साढ़े दस बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

११.३३ म० पू०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

आश्वासनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विवरण

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : मैं विभिन्न सत्रों में (प्रत्येक के सामने दिखाये गये) मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, प्रतिज्ञाओं और वचनों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई दिखलाने वाले निम्न विवरण पटल पर रखता हूं :

(१) पहला विवरण, लोक-सभा का बारहवां सत्र, १९५६
[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या १३]

(२) अनुपूरक विवरण संख्या ४, लोक-सभा का ग्यारहवां सत्र, १९५५
[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या १४]

(३) अनुपूरक विवरण संख्यय ८, लोक-सभा का दसवां सत्र, १९५५
[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या १५]

(४) अनुपूरक विवरण संख्या १४, लोक-सभा का नवां सत्र, १९५५
[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या १६]

(५) अनुपूरक विवरण संख्या १८, लोक-सभा का आठवां सत्र, १९५४
[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या १७]

(६) अनुपूरक विवरण संख्या २८, लोक-सभा का छठा सत्र १९५४
[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या १८]

(७) अनुपूरक विवरण संख्या ३३, लोक-सभा का पांचवा सत्र, १९५३
[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या १९]

(८) अनुपूरक विवरण संख्या ३६, लोक-सभा का चौथा सत्र, १९५३
[देखिये परिशिष्ट-७, अनुबन्ध संख्या २०]

(९) अनुपूरक विवरण संख्या ४३, लोक-सभा का तीसरा सत्र, १९५३
[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या २१]

(१०) अनुपूरक विवरण संख्या ३९, लोक-सभा का दूसरा सत्र, १९५२
[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या २२]

---

†मूल अंग्रेजी में

प्राक्कलन समिति

चौबीसवां प्रतिवेदन

†**श्री बी० जी० महत्ता** (गोहिलवाड़) : अध्यक्ष महोदय, मैं रेलवे मंत्रालय सम्बन्धी एस्टीमेट्स समिति की चौबीसवीं रिपोर्ट को पेश करता हूँ ।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) विधेयक*

†**गृह-कार्य मंत्री (पण्डित जी० बी० पन्त)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियों में कुछ जातियों और आदिम जातियों को मिलाने तथा कुछ को निकालने और तत्सम्बन्धी मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियों में, कुछ जातियों और आदिम जातियों को मिलाने तथा कुछ को निकालने तथा तत्सम्बन्धी मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**पण्डित जी० बी० पन्त** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

कतिपय मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदनों के वितरण में विलम्ब

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : बड़े दुःख की बात है कि कुछ मंत्रालयों की मांगों पर चर्चा करने के लिये बिल्कुल भी समय निर्धारित नहीं किया जाता । सूचना और प्रसारण मंत्रालय की यही स्थिति है । इसका परिणाम यह हुआ है कि जैसे अन्य मंत्रालय अपने प्रतिवेदन आदि प्रस्तुत करते हैं, इस मंत्रालय ने अभी तक अपना प्रतिवेदन भी प्रस्तुत नहीं किया है । विधि मंत्रालय की भी यही स्थिति है । मेरा विचार है कि जब तक सभा मंत्रालयों के कामों का निरीक्षण नहीं करेगी, उनमें इसी प्रकार उत्तरदायित्वहीनता बनी रहेगी । यह उत्तम संसदीय प्रणाली के सर्वथा प्रतिकूल है । इसलिये मेरा निवेदन है कि आप शीघ्र ही इस मामले में कार्रवाई करें, अन्यथा जिन मंत्रालयों की मांगों पर चर्चा के लिये समय निर्धारित नहीं किया जाता उनमें इसी प्रकार का आलस्य और लापरवाही बनी रहेगी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : दोनों में से कोई भी मंत्री अब उपस्थित नहीं है । मुझे और मंत्रियों को पर्याप्त पूर्व सूचना मिलनी चाहिये । इस मामले में मैंने विशेष अनुमति दी थी । कार्य मंत्रणा समिति ने इन मंत्रालयों की मांगों सम्बन्धी चर्चा के लिये कोई समय निर्धारित नहीं किया हो सकता है इसी कारण उन्होंने अपने प्रतिवेदनों का परिचालन नहीं किया । यह मामला माननीय सदस्यों की उपस्थिति में ही उठाया जा सकता है ताकि वे उत्तर दे सकें । मैं माननीय मंत्रियों से कल सभा में उपस्थित होने का निवेदन करूंगा, ताकि वे इस बात का उत्तर दे सकें । अधिक समय देने के बारे में यह बात है कि अब ऐसा नहीं किया जा सकता, अगली बार इन पर विचार किया जायगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

*भारत के राजपत्र के, असाधारण अंक के, भाग २, अनुभाग २, दिनांक, ६-४-१६५६, में प्रकाशित ।

†**श्री कामत** : जब किसी मंत्रालय की मांगों पर चर्चा के लिये समय नियत नहीं किया गया है, तो बजट की सामान्य चर्चा के समय उन पर चर्चा हो सकती है। इसके लिये प्रतिवेदन आदि उपलब्ध किये जाने चाहियें ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इन सब बातों पर कल विचार होगा और संसद् कार्य मंत्री सम्बद्ध मंत्रियों को सभा में उपस्थित रहने के लिये कहेंगे ।

अनुदानों की मांगें*

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा उत्पादन मंत्रालय की मांगों पर अग्रेतर विचार करगी । इसके लिये केवल ३६ मिनट बचे हैं। अब श्री कान्हू राम देवगम अपना भाषण जारी करेंगे ।

श्री देवगम (चैबस्सा—रक्षित—अनुसूचित आदिम-जातियां) : अध्यक्ष महोदय, कल मैं सदन का ध्यान और सरकार का ध्यान ग्रामोद्योगों की ओर खींच रहा था । इस विषय में दो मत नहीं हैं कि भारत वर्ष ग्रामों का देश है और हम को देश का उत्थान ग्रामों का उत्थान समझना चाहिये और जब तक ग्रामों का उत्थान नहीं होता तब तक हिन्दुस्तान का उत्थान होना नहीं समझा जा सकता और हम लोगों को इसके लिये सबसे निम्न स्तर के लोगों से यह काम शुरू करना चाहिये और इसलिये हमारी इस सरकार को ग्रामोद्योगों की उन्नति करने के विषय में विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये ।

आज हमारे देश को स्वराज्य प्राप्त किये हुए ८ वर्ष हो गये लेकिन मुझे यह खेद के साथ निवेदन करना पड़ता है कि उस स्वराज्य और आज़ादी की हलकी-सी किरण भी हमारे गांवों में नहीं पहुंच पाई है और अगर हम लोगों को वाक़ई में इस स्वराज्य को सच्चे मानों में स्वराज्य बनाना है तो गांवों और ग्रामवासियों की उन्नति करने के लिये जल्दी से जल्दी प्रयत्न करना चाहिये । गांवों के उत्थान को प्राथमिकता देनी चाहिये ।

हमारे सिंहभूम जिले में जो सबसे निम्न-स्तर के लोग पड़े हुए हैं उनके बारे में फैक्ट्स ऐन्ड फिगर्स ऐबाउट बिहार (बिहार सम्बन्धी तथ्य और आंकड़े) नामी किताब में पृष्ठ १६८ पर लिखा हुआ है :

> "कि वीरहोर नाम की खानाबदोश जाति के लोग रस्से और रस्सियां बनाने में बड़े निपुण हैं । इस राज्य के वनों में रस्से और रस्सियां बनाने के लिये कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में मिलता है जिससे बहुत अच्छे रस्से और रस्सियां बनाई जा सकती हैं ।"

यह जो सबसे नीचे पड़े हुए लोग हैं जो कि जंगल-जंगल भटकते फिरते हैं, जिनके पास घर या जमीन कोई चीज नहीं है, उनको सरकारी सहायता से ऊपर उठाया जाय। जब उनको सरकार बसायेगी, उस दिन मैं समझूंगा कि यथार्थ में हमें स्वराज्य मिला है ।

कल मैं बहुत-सी बातों को कह चुका हूं आज उनको न दोहराते हुए यह नम्र निवेदन करता हूं कि आखिर गांव के लोगों की कठिनाइयां क्या हैं ? उन कठिनाइयों को समझने के लिये न सिर्फ हमारे अफसरों को गांवों तक पहुंचना चाहिये । बल्कि हमारे मंत्रीगण को भी उन गरीबों की हालत को देखने के लिये पहुंचना चाहिये । आज वह अपनी आंखों से उनकी हालत को नहीं देख पाते हैं, वे सिर्फ बड़े-बड़े लोगों से, डिस्ट्रिक्ट आफिसर्स (जिला अफ़सरों) से ही मुलाकात करके उनकी मार्फत

---

†मूल अंग्रेजी में

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत ।

[श्री देवगम]

इन बातों को सुनते हैं। आज गांवों में घानियों का उद्योग है उसकी हालत क्या है? एक तो लोगों के पास घानियां ही बहुत नहीं हैं, न सरकार उस का कोई प्रबन्ध करती है, दूसरे अगर घानियां हों भी, तो उनको तिलहन नहीं मिलता है। जब तक पर्याप्त मात्रा में तिलहन उनको नहीं मिलेंगे तब तक सिर्फ घानियों से ही वे क्या कर सकते हैं? इसके लिये मैं यह सुझाव दे चुका हूं कि तेलियों को कंसेशन मिलना चाहिये। आजकल क्या होता है कि बाजारों में मिल वाले जितने होते हैं वे पहुंच कर अपनी मिलों के लिये सारा बीज ले लेते हैं और बेचारे तेली पड़े रह जाते हैं। आपकी रिपोर्ट से यह ज्ञात होता है कि घानी से तेल निकालने वाले पूरी तरह से काम नहीं करते हैं? लेकिन वह करें भी क्या, उनको तिलहन तो मिलता ही नहीं। इसलिये आप को यह उपाय भी करना चाहिये जिससे कि उनको तिलहन मिल सके।

जहां पर रा मैटीरियल (कच्चा माल) मिलता हो वहीं पर उससे बनने वाला पक्का माल बनाना चाहिये और वहीं पर उस रा मैटीरियल से तैयार होने वाली इन्डस्ट्रीज खोलनी चाहियें।

†**श्रीमती माय देव** (पूना—दक्षिण) : उत्पादन मंत्रालय का प्रतिवेदन पढ़ने से पता चलता है कि देश में उत्पादन बहुत अधिक बढ़ गया है। वित्त मंत्री ने इस बात का उल्लेख करते हुए कहा है कि सब बड़े उद्योगों ने उत्पादन बढ़ाने में हाथ बटाया है और सरकार ने बहुत-सी सुविधाएं दी हैं।

इस वर्ष में बहुत से निर्यात शुल्क हटाये जाने से निर्यात व्यापार बढ़ा है और फलस्वरुप हमारी राष्ट्रीय आय में १८ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह हमारे लिये प्रसन्नता की बात है।

किन्तु देश में नगरीय क्षत्रों में बेकारी बहुत बढ़ती जा रही है और लोग अपने आपको अधिक निर्धन अनुभव करते हैं। आपकी बुद्धि के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, समझ में नहीं आता।

सहकारी विभाग ने कहा है कि उद्योगों का प्रबन्ध तीन-चार लोगों के हाथों में होता है जिन्हे वास्तविक काम का कोई ज्ञान नहीं होता और केवल लेन-देन और लाभ प्रतिशतता और उत्पाद बढ़ाने का ज्ञान होता है। उनसे ऊपर के नियंत्रकों को कुछ भी ज्ञान नहीं होता। वे केवल पूंजी के बल पर खड़े होते हैं। काम करने वालों को कम वेतन मिलता है, प्रबन्ध में उनका कोई हाथ नहीं होता और नियंत्रक लोग अपने लाभ को ध्यान में रखते हुए उन्हें कभी भी निकाल देते हैं। उद्योगों की आज यह स्थिति है।

भूतपूर्व श्रम मंत्री श्री गिरि ने कहा था कि मजदूरों की काम की शर्तें अच्छी नहीं हैं। उनका प्रबन्ध में हाथ होना चाहिये। और समय आ गया है कि कुछ शर्तों पर गैर-सरकारी उद्योगों को सरकारी उद्योगों में मिला लिया जाये। उसके लिये सरकारी उद्योगों को वेतन और काम की शर्तों के बारे में उदाहरण उपस्थित करना चाहिये। मैं अनुभव करती हूं कि अब इस के लिये समय आ गया है।

सरकार द्वारा नियुक्त कर्वे समिति और ग्राम उद्योग बोर्ड ने देश के लिये खादी, हाथ से बना कागज, तेल उद्योग आदि उद्योगों की सिफ़ारिश की है।

मैंने कुछ गहन ग्राम उद्योग केन्द्रों में देखा है कि मजदूरों को एक आना एक घण्टा के हिसाब से दिन में ८ घण्टे काम करने के लिये ८ आने मिलते ह। भला इतनी मजूरी से मजदूर अपना पेट कैसे भर सकते हैं?

अनाथाश्रमों के उद्योगों में भी प्रति मजदूर को प्रतिमास ८ रु० से लेकर २० रु० तक मिलते हैं। क्या हमारी समितियों ने इस प्रकार उद्योगों को चलाने की सिफारिश की है?

औद्योगिक वित्त निगम के प्रतिवेदन से पता चलता है कि गैर-सरकारी क्षेत्र बड़े-बड़े उद्योग चला

†मूल अंग्रेजी में

रहा है और उसे सरकारी सहायता प्राप्त होती है तथा कुछ करों से मुक्ति प्राप्त है। मैं कहती हूं कि लोगों को ये बड़े उद्योग चलाने दीजिये, और छोटे उद्योग गैर-सरकारी क्षेत्र को चलाने दीजिये। फिर देखिये लोग इतनी थोड़ी मजूरी में कैसे निर्वाह कर सकते हैं।

मैंने समाचारपत्र में वित्त मंत्री का भाषण पढ़ा है जिसमें उन्होंने कहा है कि छोटे उद्योगों के विकास के लिये एक राष्ट्रीय छोटे उद्योग निगम और चार प्रादेशिक छोटे उद्योग सेवा संस्थायें खोली गई हैं। मैंने सोचा कि देश में बहुत से कुशल और निपुण काम करने वाले लोग बेकार फिर रहे हैं। यदि सरकार कर्मकरों के किसी वर्ग को कोई योजना चलाने के लिये कहे, तो इससे उन लोगों को भी लाभ होगा और सरकार को भी लाभ होगा। किन्तु ४-६-१९५५ के ज्ञापन से मालूम हुआ कि सरकार ने विशेष प्रकार की औद्योगिक सहकारिताओं की व्यवस्था की है; जिनके मजदूर स्वयं सदस्य हैं और लाभ में उनका भाग होगा। केन्द्रीय सरकार ७५ प्रतिशत पूंजी लगायेगी और २५ प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा लगाई जायेगी। इस प्रकार यदि मजदूरों का कोई वर्ग औद्योगिक सहकारी संस्था बना कर कोई छोटा उपक्रम चलाये तो सरकार शतप्रतिशत पूंजी लगा सकती है।

इस आधार पर मैंने रेडियो ट्रांसफार्मर बनाने की एक योजना योजना आयोग को भेजी और सरकार ने इसे स्वीकार करके इसके लिये सारी पूंजी दी। मैं समझती हूं कि इस छोटे उपक्रम में मजदूरों को लाभ में उनके भाग के अतिरिक्त ८ आना प्रति घण्टा दिया जा सकता है। इसलिये एक लाख रुपये की सरकारी सहायता से ४० लोगों को कारोबार मिलेगा और उन्हें मजूरी भी पहले से अधिक मिलेगी। यदि सरकार ऐसी ही सहायता दे, तो देश में ऐसे अनेक छोटे उपक्रम खोले जा सकते हैं।

वित्त मंत्री ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि आगामी वर्ष में सरकारी क्षेत्र में बिजली का सामान बनाने की फैक्टरी खोली जायेगी। मैं समझती हूं कि इसे भी इस विशेय प्रकार की औद्योगिक सहकारिता के आधार पर खोला जाये।

मशीनी औजार फैक्टरी और हिन्दुस्तान तार फैक्टरी किसी गैर-सरकारी सीमित समवाय को दी गई हैं। मैं निवेदन करती हूं कि यह भी औद्योगिक सहकारी संस्थाओं को दी जानी चाहिये। सरकार अगले पांच वर्षों में २५,००० ग्राम रेडियो सेट चाहती है। इसी अवधि में १५ लाख साइकिलों की और अधिक सीमेंट की आवश्यकता होगी। रेलवे के भी बहुत से पुर्जे बनाने होंगे। मेरा यह मत है कि यदि हम यह सब काम औद्योगिक सहकारी संस्थाओं के द्वारा करें, जिनमें मजदूरों को लाभ में हिस्सा मिले, तो मैं समझती हूं कि बेकारी की यह समस्या बहुत हद तक दूर हो सकती है, और लाखों लोगों को रोजगार मिलने के साथ-साथ अच्छी मजूरी भी मिल सकेगी, जिससे वह अपना निर्वाह अच्छी तरह कर सकेंगे।

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)**: चर्चा के अन्दर जो बातें उठाई गई थीं, उनका उत्पादन मंत्री ने बहुत स्पष्ट उत्तर दिया है। वास्तव में, उन्होंने जो कुछ कहा है उसमें सम्मिलित करने वाली कोई विशेष नई बात नहीं दिखाई देती।

वाद-विवाद में कई सदस्यों ने, सोने की खानों, सहकारी कताई मिलों, सीमेंट, कोयला के अतिरिक्त दूसरे खनिजों को निकालने, इंजनों, और छोटे पैमाने के उद्योगों आदि का उल्लेख किया है। अन्त में बोलने वाले सदस्य ने रेडियो, साइकलों और रेलों के उपयोग में आने वाले इंजनीयरी सामान का उल्लेख किया है। कल मंत्री महोदय ने यह बात स्पष्ट कर दी थी कि उत्पादन मंत्रालय का केवल

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सतीश चन्द्र]

कुछ विषयों से सम्बन्ध है। दूसरे अवसरों पर माननीय सदस्य इन उद्योगों के बारे में कह सकते हैं। उत्पादन मंत्रालय इन उद्योगों के बारे में उत्तर देने में असमर्थ है।

श्री रघुनाथ सिंह ने वाद-विवाद के आरम्भ में दूसरा जहाज निर्माण कारखाना खोलने की आवश्यकता पर जोर दिया। श्री मात्तन और श्री ए० एम० थामस ने उनकी बात का समर्थन किया। जहां तक दूसरा जहाज़ निर्माण कारखाना खोलने की आवश्यकता का सम्बन्ध है, इस विषय में दो रायें हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि की समाप्ति पर भारतीय नौवहन का लक्ष्य ९ लाख टन है। अगले पांच वर्षों में लगभग ९०,००० टन भार के जहाजों को बदलना होगा। अगले पांच वर्षों में हिन्दुस्तान शिपयार्ड ७५,००० से ९०,००० टन तक के जहाज निर्माण कर सकेगा, जो बनाये जाने वाले जहाज़ों के प्रकार पर निर्भर होगा। इसलिये वर्तमान कारखाने से जो जहाज़ तैयार होंगे, वह भारतीय व्यापार बेड़े को बदलने की आवश्यताओं को पूरा करने के लिये काफी नहीं हैं। इस स्थिति में सरकार दूसरा कारखाना आरम्भ करने की आवश्यकता को स्वीकार करती है। हमारी राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था के विकास के लिये सुदृढ़ व्यापार बेड़ा और अच्छा जहाज़ निर्माण उद्योग अनिवार्य है।

समस्या यह है कि राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों जिन में, परिवहन, उद्योग, विद्युत, कृषि, और समाज सेवाएं सम्मिलित हैं, उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करना चाहते हैं अतएव कुछ प्राथमिकताएं निर्धारित करनी होंगी। योजना आयोग इस मामले पर पूर्णरूपेण विचार कर रहा है और सब पहलुओं पर विचार करने के पश्चात् यह निर्णय किया गया है कि दूसरे शिपयार्ड का प्रबन्ध करने के लिये आवश्यक कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिये तुरन्त प्रबन्ध और व्यवस्था की जानी चाहिये। इस काम के लिये योजना में उपबन्ध किया गया है। वर्तमान शिपयार्ड में अधिक लोगों को भरती किया जायेगा। धीरे धीरे उन्हें प्रशिक्षण दिया जायगा ताकि सरकार दूसरी योजना की अवधि के अन्त तक या मध्य तक दूसरा शिपयार्ड स्थापित करने के लिये कुछ ठोस कदम उठाने की संभावना पर विचार कर सके। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार प्रशिक्षण की योजना बनाना और उस दिशा में कुछ कार्रवाई करना इस वर्ष के अन्दर ही संभव हो सकेगा।

श्री रघुनाथ सिंह न इस बात का उल्लेख किया था कि इंग्लिस्तान के समान मूल्य वसूल करने की पद्धति अपनाई जाये। नौवहन समवायों ने यह मांग की है कि नावांगण को जितने मूल्य का भुगतान करने के लिये उन से कहा जाता है उसका निर्धारण करने में संसार के कम से कम मूल्य को सम्मुख रखना चाहिये। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमारे पोत निर्माण उद्योग अभी शैशवावस्था है, और विश्व के लगभग सभी नावांगणों की कई वर्ष के लिये बुकिंग हो गई है, अतः यह प्रबन्ध कुछ हद तक सन्तोषजनक है। योजना आयोग इस मामल पर विचार कर रहा है। इस करार के विरोध में नौवहन समवायों द्वारा कोई अधिक प्रतिरोध नहीं किया गया है। मैं समझता हूँ कि वर्तमान प्रबन्ध बहुत कुछ सन्तोषजनक है।

†**श्री बी० डी० पांडे** (जिला अलमोड़ा—उत्तर-पूर्व) : हमारे नावांगण को पूर्ण होने में कितना समय लगगा ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : यह पूर्ण है।

†**श्री बी० डी० पांडे** : आप ने तो कहा था कि वह शैशवावस्था में है।

†**श्री सतीश चन्द्र** : देश में केवल एक ही बड़ा नावांगण है। दूसरा नावांगण चलाने की संभाव्यता पर विचार किया जा रहा है। साथ ही सहायक उद्योगों का विकास करना भी बहुत आवश्यक है।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रोपेलिंग, मशीन, विद्युत् उपकरण अथवा बहुत सी अन्य छोटी-मोटी सहायक मशीनें बनाने के उद्योग क विकास के लिये हमें देश के सामान्य औद्योगिक विकास पर निर्भर करना चाहिये। जहाज़ की बहुत सी आवश्यकतायें यहां तक कि विश्व के प्रौद्योगिक रूप से उन्नत देशों में भी उनकी पूर्ति अन्य देशों द्वारा की जाती है। जहाज़ का ढांचा बना लेने का तात्पर्य जहाज़ बना लेना नहीं होता। मैं समझता हूँ कि प्रोपेलिंग मशीन के निर्माण के सम्बन्ध में, जिसका अभी आयात किया जाता है, ठोस कार्यवाही उचित समय में कर सकना सम्भव होगा। देश में बड़े पैमाने के उद्योगों की प्रगति के पश्चात् बड़े नावांगण का कार्य सरल हो जायेगा।

श्री रघुनाथ सिंह यह जानना चाहते थे कि हिन्दुस्तान शिपयार्ड को जो आर्डर दिया गया था उसकी क्या स्थिति है। इस शिपयार्ड को १४ जहाज़ों के लिये आर्डर दिया जा चुका है जिनमें से दस बड़े और चार छोटे हैं जिनकी पत्तनों आदि के लिये आवश्यकता है। हम आशा करते हैं कि समुद्रों में चलने वाले दो और जहाज़ों का आर्डर मिलगा किन्तु इनके लिये पेंदे बनाने का काम १९५७ के मध्य से पहले नहीं किया जा सकेगा। अतः हमें आर्डरों की विशेष चिन्ता नहीं है। वास्तव में नये आर्डर देने का वादा किया गया है और हम आशा करते हैं कि वे आर्डर हमें मिलेंगे।

मैं औद्योगिक प्रबन्ध सेवा के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। कन्द्रीय सरकार सरकारी उपक्रमों क लिये एक संयुक्त औद्योगिक प्रबन्ध पदाली की स्थापना करने का विचार कर रही है। उत्पादन मंत्रालय द्वारा नियंत्रित औद्योगिक उपक्रमों के लिये प्रशासकीय पदाधिकारियों के लिये एक सामान्य पुंज बनाने का विचार है। अन्य मंत्रालय भी बाद में इस योजना को अपना सकते हैं। औद्योगिक प्राविधिक पदाली इसका शीघ्र ही पालन करेगी। औद्योगिक प्रबन्ध पदालो प्रबन्धकीय कर्मचारियों को एक पदाली होगी जिसमें प्रशासन, लेखा, लेखा-परीक्षा, भाण्डार क्रम, विक्रय आदि में अनुभवी पदाधिकारी होंगे। इस औद्योगिक प्रविधिक पदाली में केमिकल, इलेक्ट्रिकल और मिकेनिकल इंजीनियर तथा विभिन्न राज्य औद्योगिक उपक्रमों के लिये आवश्यक टेकनालाजिस्ट होंगे। यह औद्योगिक प्रबन्ध पदाली कुछ हद तक इस सभा के सदस्यों और प्राक्कलन समिति की इच्छाओं की पूर्ति करेगी। मुझे आशा है कि शीघ्र ही कोई निर्णय किया जा सकगा।

राष्ट्रीय आर्थिक विकास में सरकारी और ग़ैर-सरकारी क्षेत्रों का क्या स्थान है, इस पर कुछ चर्चा की गई है। इस सम्बन्ध में मेरे साथी कल उत्तर दे चुके हैं। अतः मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि आगामी पंचवर्षीय योजना के बारे में सरकार १९४८ में घोषित की गई औद्योगिक नीति पर पुनर्विचार कर रही है। मुझ आशा ह कि पिछले ८ वर्षों में जो विकास किये गये हैं उनकी दृष्टि से सरकारी क्षेत्र के बढ़ने की काफी गुंजाइश है।

कोयला उद्योग के बारे में कल कहा ही जा चुका है। मैं केवल इतना ही और कहना चाहता हूं कि धातु-कर्मिक कार्यों के लिये जितने कोयले की आवश्यकता है उसको धोने का निश्चय किया गया है। सरकारी क्षेत्र में धोने के कुछ बड़े-बड़े कारखाने स्थापित किय जा सकते हैं। बोकारो और करगाली में निकाल गये कोयले को धोने के लिये एक बड़ा संयंत्र खरीदने के बारे में जापान को आर्डर भेज दिया गया है। इस्पात परियोजनाओं के एक भाग के रूप में इस्पात संयंत्रों के साथ ही कुछ कोयला धोन के कारखाने भी स्थापित किये जा सकते हैं। धातु-कार्मिक कोयले को धोने से अच्छे किस्म के कोयले क संरक्षण में पर्याप्त सहायता मिलेगी।

मैं समझता हूं कि लिग्नाइट की जांच के बारे में कल मंत्री ने उल्लेख नहीं किया था। नवेली में जो जांच की जा रही है उसमें काफी प्रगति हुई है। सोलह पम्प पहले से कार्य कर रह हैं जिन से प्रति मिनट लगभग १७,००० से १८,००० गैलन पानी निकाला जा रहा है। इससे पानी का तल काफी नीचा हो गया है। कुछ और पम्प लगाने की आवश्यकता जान पड़ती है। पम्पों के लिये आर्डर दिया जा

[श्री सतीश चन्द्र]

चुका है और उस स्थान पर पम्प पहुँच जायेंगे। आशा की जाती है कि परियोजना सफल होगी, इसके स्थापित करते ही लिग्नइट को कम खर्चे से निकाला जा सकेगा, विद्युत् उत्पन्न करने के लिये और उपोत्पाद तथा उर्वरकों के उत्पादन के लिये घरेलू तथा औद्योगिक कार्यों को ईंधन के रूप में इस्तेमाल किये जाने वाले लिग्नाइट को ईंट की शकल का बनाने के लिये एक बहु प्रयोजनीय निगम स्थापित किया जा सकता है। यदि लिग्नाइट परियोजना चलती रही तो ८०,००० टन नाइट्रोजन तैयार करने के लिये एक उर्वरक संयंत्र नैवेली में स्थापित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में मैं आज के एक समाचार पत्र में प्रकाशित प्रतिवेदन का उल्लेख करना चाहूँगा। इस पत्र के विशेष प्रतिनिधि ने कहा है कि केवल भाखरा को ही चुना गया है। वास्तव में बात बिल्कुल सही नहीं है। इन तीनों उर्वरक कारखानों के स्थानों के बारे में निर्णय किया जा चुका है। एक नंगल में होगा, दूसरा इस्पात सयंत्र की गैसों का लाभ उठाते हुए रूरकेला में और तीसरा नैवेली में स्थापित किया जायेगा बशर्ते कि वहां लिग्नाइट निकल सके, जिसक बारे में लगभग निश्चय है।

श्री जी० डी० सोमानी ने कल कहा था कि राजस्थान का नमक सब से सस्ता और अच्छा होता है, इस कारण रोज़गार देने की दृष्टि से सरकार को उत्पादन बढ़ाना चाहिये। मैं यह मानने को तैयार नहीं कि राजस्थान का नमक सब से अच्छा और सबसे बढ़िया होता है। कुछ और स्थानों से भी नमक मिलता है जिसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा अधिक होती है और वह सस्ते में बनाया भी जा सकता है। इसके अलावा सरकार राजस्थान के नमक कारखानों के विकास पर विचार कर रही है। कठिनाई यह है कि हमारे यहां नमक का पहले से ही आधिक्य है। देश में इस समय कुल ७ करोड़ मन नमक की आवश्यकता होती है। जबकि इस समय नमक का उत्पादन ८ करोड़ मन होता है। जब तक कि सोडा ऐश जैसे रसायनिक उद्योग जिसे कच्चे माल के रूप में नमक की आवश्यकता होती है, उसमें अग्रेतर विकास नहीं होता, अथवा अन्य देशों में इसके निर्यात की सम्भाव्यता नहीं पाई जाती, तब नमक के उत्पादन में वृद्धि करना इस उद्योग के हित में नहीं होगा। नमक के बारे में समस्या किस्म सुधारने की है, मात्रा बढ़ाने की नहीं। मात्रा में वृद्धि केवल निर्यात अथवा औद्योगिक उपभोग के लिये की जा सकती है।

श्री रघुनाथ सिंह (जिला बनारस—मध्य) : उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो नमक के ऊपर कर लगाया है तो इसके लगाने के विषय में क्या उसने आप से पूछा था और क्या आप की राय ली थी ?

श्री सतीश चन्द्र : मुझे तो उसके बारे में कुछ मालूम नहीं है। अखबारों में मैंने पढ़ा कि नमक पर भी बिक्री कर लगाया गया है। सेल्स टैक्स लगाना स्टेट गवर्नमेंट का काम है।

†**श्री फीरोज गांधी** (ज़िला प्रतापगढ़—पश्चिम व ज़िला रायबरेली—पूर्व) : नहीं, ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि यह अत्यावश्यक सम्भरण अधिनियम में आता है। भारत सरकार से परामर्श लेनी चाहिये।

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : विधि मंत्रालय इसकी जांच करेगी।

†**श्री सतीश चन्द्र** : सरकार राजस्थान में नमक बनाने की कारखानों का कुछ हद तक विकास करने का विचार करती है क्योंकि कुछ क्षेत्रों में यह नमक विशेष रूप से पसन्द किया जाता है। विभिन्न क्षेत्रों में नमक के उत्पादन के लिये योजना बनाते समय हमें उपभोक्ताओं की पसन्द को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। किन्तु बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन करते जाना भी सम्भव नहीं है।

मंत्री द्वारा कही गई बात को मैं दुहराना नहीं चाहता। मैं केवल इतना ही निवेदन करूँगा कि सभा के कल के वाद-विवाद से हमें कुछ सन्तोष मिला है क्योंकि पहले जो भाषण दिये गये

†मूल अंग्रेजी में

थे उनसे इनका रुख भिन्न है। माननीय सदस्य मंत्रालय की कठिनाई को समझने का प्रयत्न करते हुए जान पड़ते हैं। सामान्य राय यह व्यक्त की गई थी कि हमारा काम बहुत अच्छा हो रहा है.. मुझे पूरी आशा है कि ज्यों हमें अनुभव होता जायेगा हम और अधिक अच्छा काम कर सकेंगे। सरकारी क्षेत्र में जैसे-जैसे अधिक उद्योगों की स्थापना होती जायेगी वैसे ही जो नींव डाली जा चुकी है उसके आधार पर हम धीरे-धीरे शान्तिपूर्ण तरीकों से समाज के समाजावादी ढंग के अपने उद्देश्य की पूर्ति करने में अग्रसर होते जायेंगे।

†**श्री मुहीउद्दीन** (हैदराबाद नगर) : माननीय उपमंत्री ने बताया था कि नेवेली में कुछ १५,००० गैलन प्रति मिनट के हिसाब से पानी निकालते हैं। मैं जानना यह चाहता हूँ कि कितना पानी प्रति मिनट के हिसाब से भरता जाता है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : माननीय सदस्य को कुछ गलत धारणा हो गई है क्योंकि ऐसी कोई भी खान नहीं है जिसके अन्दर पानी आ सके।

†**श्री मुहीउद्दीन** : निकाले गये पानी में से नहीं वरन् जहां से पानी आता है वहां के बारे में मैंने पूछा था।

†**श्री सतीश चन्द्र** : कुछ कुओं की गहराई धरातल से लगभग २५० या ३०० फीट होती है। समस्या यह है कि लिग्नाइट की तह से नीचे पानी के दबाव को कम किया जाये जिससे जब वहां खुदाई की जाये तो वह पानी लिग्नाइट की तह को पार कर खान में भर न जाये। प्रविधिक विशेषज्ञों ने कुछ हिसाब लगाया है। मेरे लिये यह बड़ा जटिल विषय है और मैं इस की और अधिक व्याख्या नहीं कर सकता। वे यह महसूस करते हैं कि यदि एक निश्चित गति से पानी को निकाला जा सके तो उसके दबाव में इतनी कमी हो सकेगी कि खान खोदने का काम किया जा सकेगा। इस समय इसी समस्या की जांच-पड़ताल की जा रही है। लिग्नाइट खोदने सम्बन्धी अर्थ व्यवस्था और उसकी उत्पादन लागत तभी निकाली जा सकेगी जब हम यह जान सकें कि बिना खतरे के खान चलाने के लिये कितना पानी निकालना पड़ेगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं अब इन मांगों के बारे में कटौती प्रस्ताव सभा के मतदान के लिये रखता हूँ।

सभी कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि कार्य-सूची के चौथे स्तम्भ में दिखाई गई राशियों सेअनधिक राशियां राष्ट्रपति को, निम्नलिखित मांगों के सम्बन्ध में, जो दूसरे स्तम्भ में दिखाई गई हैं, उन भारों के लिये दी जाय जिनका भुगतान ३१ मार्च, १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष में किया जायगा।"

मांग संख्या ८७,८८,८९, ९०,९१ और १३८

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

(जो मांगें सभा द्वारा स्वीकृत हुई वे नीचे दी जाती हैं—सम्पादक)

मांग संख्या	शीर्षक	राशि (रुपयों में)
८७	उत्पादन मंत्रालय	२४,५२,०००
८८	नमक	१,३१,२२,०००
८९	उत्पादन मंत्रालय के अधीन अन्य संगठन ...	७,१४,७१,०००
९०	सरकारी कोयला-खानें	३,८३,४१,०००
९१	उत्पादन मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय ...	१,०५,४९,०००
१३८	उत्पादन मंत्रालय का पूंजी व्यय	१६,२९,५६,०००

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों संख्या ७८, ७९, ८०, ८१, ८२, ८३, ८४, ८५, ८६ और १३७ पर चर्चा करेगी। जैसा कि सभा को विदित है इस मंत्रालय की मांगों के लिये तीन घंटे का समय नियत किया गया है।

इन विभिन्न मांगों पर कुछ कटौती प्रस्ताव भी हैं। माननीय सदस्य चुने हुये कटौती प्रस्तावों को जिन्हें वे पुरःस्थापित करना चाहते हैं १५ मिनट में पटल पर रख दें। यदि जिन लोगों के नाम में कटौती प्रस्ताव हैं वे सभा में उपस्थित हुए और प्रस्ताव अन्यथा नियमानुकूल हुए तो उन्हें पुरःस्थापित समझूंगा।

सदस्यों के लिये बोलने का समय, जिसमें कटौती प्रस्तावों के प्रस्तावक भी सम्मिलित हैं, साधारणतः १५ मिनट रहेगा और यदि आवश्यक हुआ तो दलों के नेताओं के लिये २० मिनट रहेगा।

मांग संख्या	शीर्षक	राशि (रुपयों में)
७८	प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय	११,४१,०००
७९	भारतीय भू-परिमाप	१,४७,२५,०००
८०	वानस्पतिक सर्वेक्षण ...	८,७०,०००
८१	प्राणकीय सर्वेक्षण ...	१०,२४,०००
८२	भूतत्वीय सर्वेक्षण	१,४३,८९,०००
८३*	खानें	४९,०५,०००
८४	वैज्ञानिक गवेषणा ...	३,०८,४५,०००
८५	तेल और प्राकृतिक गैस की खोज ...	५३,९३,०००
८९	प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय के अधीन विविध व्यय	२१,०००
१३७	प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय का पूंजी व्यय	३,८६,६७,०००

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : मेरा सुझाव यह है कि मांगों के पूरे समय का आज उपयोग किया जाय और वाद-विवाद ३·२५ तक चलता रहे।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार २५ मिनट या आध घंटा हम और अधिक अर्थात् ६ बजे तक बैठेंगे।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बासेरहाट) : चूंकि ५॥ के बाद प्रायः गण पूर्ति होना कठिन पड़ जाता है अतः माननीय मंत्री से निवेदन है कि वह अपना भाषण रोक लें अथवा छोटा कर दें ताकि निश्चित समय में वह भाषण पूरा हो जाये।

श्री के० डी० मालवीय : मुझे यह सुझाव मान्य है। मेरा अभिप्राय तो केवल यही था कि वाद-विवाद बराबर चलता रहे। बीच में दो दिन की छुट्टी आ रही है। सोमवार को मैं उत्तर दूँगा। हो सकता है कि तब तक इस की वास्तविकता में कमी आ जाय।

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय : मुख्य आपत्ति तो गणपूर्ति के बारे में है यदि माननीय संसद्-कार्य मंत्री गणपूर्ति की गारंटी दे दें तो ?

†**संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : यदि सभी ६ बजे तक बैठने के लिये निश्चय करती है तो गणपूर्ति के बारे में मैं पूरा-पूरा प्रयत्न करूंगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : चूंकि बीच में दो दिन की छुट्टी आ रही है, अतः वे तीसरे दिन उत्तर देंगे। अतः इसका निर्णय मैं सभा पर छोड़ता हूं। जैसा कि श्री कामत का कहना है कि कल ५॥ बजे केवल बारह सदस्य ही रह गये थे। अतः गणपूर्ति की समस्या है। इसलिये ऐसी स्थिति में माननीय मंत्री अगले दिन उत्तर देंगे। अब क्या माननीय मंत्री जी बोलेंगे अथवा अन्य कोई सदस्य।

†**श्री के० डी० मालवीय** : मुझे ४० मिनट चाहिये।

†**श्री टी० एस० ए० चेट्टियार** (तिरुपुर) : देश के भविष्य की दृष्टि से इस मांग को मैं बहुत महत्वपूर्ण समझता हूँ। वैज्ञानिक औद्योगिक गवेषणा परिषद के लिये अनुदान की राशि सब से बड़ा मद है उसके बाद में भूतत्वीय सर्वेक्षण आता है, और इसके बाद भारत भूपरिमाप आता है। मुझे संशय नहीं कि ये संस्थायें अच्छा कार्य कर रही हैं फिर भी यह आवश्यक है कि उनके कार्य संचालन की रिपोर्ट हमें प्राप्त हो जिससे कि हम जान सकें कि वे उचित कार्य, जिनकी उनसे आशा की जाती है, कर रही हैं अथवा नहीं। यदि उन के कार्यों के मूल्यांकन के प्रतिवेदन हमें प्राप्त होंगे तो उनके कार्यों में और सुधार हो सकता है। उनका मूल्यांकन अन्तर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों और कुछ हमारे वैज्ञानिकों द्वारा किया जाना चाहिये। इसी तरह हम प्रगति कर सकेंगे। वैज्ञानिक समितियों और संस्थाओं के लिये सहायक अनुदान देने का उपबन्ध किया गया है। यह कार्य विश्वविद्यालयों के सहयोग से किया जाना चाहिये। यदि हम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किये जाने वाले कार्य और इस मंत्रालय के कार्यों का समन्वय नहीं करेंगे तो काम व्यवस्थित ढंग से नहीं होगा। यद्यपि शिक्षा और प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय एक ही मंत्री के अधीन है और उसके नीचे दो और मंत्री हैं फिर भी उनमें समन्वय नहीं। सभा के सामने एक प्रतिवेदन रखा जाना चाहिये कि विभिन्न विश्वविद्यालयों में और इन वैज्ञानिक संस्थाओं में, जो एक समान कार्य करती है, वैज्ञानिक गवेषणा कार्यों में कितना समन्वय है। गवेषणा पर्याप्त नहीं है। यह आवश्यक है कि लोग उन्हें जानें भी। इस ज्ञान के प्रसार के लिये मंत्रालय समाचार पत्रों आदि में भी लेख प्रकाशित करती है। क्या ये देशी भाषाओं में भी प्रकाशित किये जाते हैं। जब ये लेख अंग्रेजी और हिन्दी पत्रिकाओं को छोड़ अन्य और देशीय भाषाओं के पत्रों में प्रकाशित किये जायेंगे तभी उनका विस्तृत प्रचार हो सकेगा। अगले पांच दस वर्षों में विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम देशी भाषाएं बन जायेंगी और उन्हीं में गवेषणा की जायेगी इसलिये देशी भाषाओं में इन का प्रकाशन महत्वपूर्ण है।

गवेषणा दो प्रकार की होती है। मूलभूत गवेषणा विश्वविद्यालयों में होती है और व्यावहारिक गवेषणा कारखानों में तथा वैज्ञानिक और औद्योगिक गवेषणा परिषद् जैसी संस्थाओं में। यह आवश्यक है कि इनके कार्यों में समन्वय हो। विज्ञान मंदिरों के सामने एक विशाल कार्यक्रम है। वे विभिन्न विषयों में गवेषणा करने के कार्य में भी लाये जायेंगे। मेरे विचार में यह कार्यक्रम कार्यान्वित न हो सकेगा। क्योंकि विभिन्न विश्वविद्यालयों में विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम हैं। सबके सहयोग से ही इन विज्ञान मंदिरों के लिये प्रशिक्षित व्यक्ति मिल सकते हैं। इस सम्बन्ध में क्या किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री टी० एस० ए० चेट्टियार]

कल्लूपट्टी में एक वैज्ञानिक मंदिर स्कूल खोला गया है उस का उद्घाटन मद्रास के मुख्य मंत्री ने किया। उद्घाटन करते समय वहां उधार लाया गया सामान रखा गया था जो बाद में उठा लिया गया। यह अच्छा नहीं है। एक संस्था चलाने के लिये हमारे पास प्रशिक्षित कर्मचारी और सामान होना चाहिये। यदि यह नहीं होगा तो अच्छे विचार की भी बुराई होगी। ऐसे कार्यों के लिये धन की अपक्षा प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता अधिक होती है। हमारे कालेजों में बहुत से विद्यार्थी पढ़ते हैं किन्तु उन्हें कोई काम नहीं मिलता क्यों कि उन्हें किसी विशेष कार्य के लिये प्रशिक्षित नहीं किया जाता।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कोयला खान उद्योग के लिये ही हमें १९६० खान इंजीनियर स्नातक और लगभग ८ से १० हज़ार कर्मचारी चाहियें। अभी केवल बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय और भारतीय खान स्कूल इसकी शिक्षा देते हैं और प्रतिवर्ष ७० से ८० स्नातक निकलते हैं। आवश्यक कर्मचारी प्रशिक्षित करने के लिये हमें प्रबन्ध करना चाहिये, रुपया समस्त कार्य नहीं करता उसके लिये हमें पर्याप्त ज्ञान, बल और अच्छे आचरण वाले वैज्ञानिकों की आवश्यकता पड़ती है। प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता प्रत्येक क्षेत्र में है। सरकार को इसकी व्यवस्था करनी चाहिये। इसके लिये विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में सम्भवतः परिवर्तन करना पड़े। इस काम को हाथ में लिया जाना चाहिये।

अभी धनबाद में खान सम्बन्धी प्रशिक्षा के लिये एक स्कूल है। इसके लिये धनबाद में ही एक संस्था बना जाने वाली है। मेरा विचार है कि ऐसी संस्थाएं क्षेत्रीय आधार पर सारे देश में बनाई जानी चाहिये ताकि देश भर के लोग उनका लाभ उठा सकें न कि किसी एक स्थान विशेष के व्यक्ति ही लाभ उठायें।

इस मंत्रालय का देश की प्रगति को देखते हुए बड़ा महत्व है। बहुत सी प्रयोगशालाएं जल्दी में बिना उपयुक्त व्यक्तियों के खोली गई हैं। भारत जैसे देश में हम एक पाई भी व्यर्थ खर्च नहीं कर सकते। मुझे आशा है कि सरकार उन विभिन्न संस्थाओं के मूल्यांकन प्रतिवेदन दिया करेगी जिन पर बहुत सी राशि खर्च की जाती है।

†**श्री वी० पी० नायर** (चिरयिन्किल) : देश की अर्थ व्यवस्था के विकास के लिये जो महत्वपूर्ण है वे इस मंत्रालय को सौंपे गये हैं, अर्थात् खान खनिज वैज्ञानिक सर्वेक्षण; भूतत्वीय सर्वेक्षण, भूपरिमाप, वैज्ञानिक गवेषणा आदि आदि। कुछ आवश्यक सर्वेक्षण अभी तक नहीं किये गये। यद्यपि इन पर तीन चार करोड़ रुपया खर्च किया जाता है फिर भी महत्वपूर्ण विषयों पर कार्य नहीं किया गया।

भारत के भूपरिमाप के सम्बन्ध में कुछ मंत्रालयों में विरोध है। आज भारत के भूपरिमाप का सम्बन्ध केवल भारत की भूमि से है समुद्र से नहीं है। समुद्र सम्बन्धी सर्वेक्षण हमारी प्रतिरक्षा के लिये बहुत आवश्यक है किन्तु खाद्य मंत्रालय इस बात के लिये सहमत नहीं हुआ कि यह सर्वेक्षण प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय द्वारा किया जाय। इसके लिये एक संस्था स्थापित की जाने वाली थी किन्तु वह अभी तक स्थापित नहीं की गई।

समुद्र का महत्व केवल प्रतिरक्षा की दृष्टि से ही नहीं है अपितु वहां अन्य संसाधन भी पाये जाते हैं। यद्यपि स्वतन्त्र हुए हमें कई वर्ष हो गये हैं किन्तु फिर भी हमारे समुद्र का पूरा सर्वेक्षण नहीं किया गया है। भूपरिमाप से हमें तुरन्त लाभ नहीं पहुंचेगा। भारत भूपरिमाप का यह कार्य अपने हाथ मे ले लेना चाहिये। इस काम में प्रतिरक्षा मंत्रालय भारत भूपरिमाप की सहायता कर सकता है।

†मूल अंग्रेजी में

भारत भू-परिमाप में कार्य करने वाले व्यक्तियों के एक भी संघ को मान्यता नहीं दी गई है। इस विषय में सहानुभेति से विचार करना चाहिये। हमारे देश का अभी तक भूतत्वीय नक्शा नहीं बन पाया है। और न इसके लिये हमारे पास पर्याप्त कर्मचारी हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारे देश में हज़ारों ऐसे भूतत्ववेत्ता हों जो यह पता लगायें कि महत्वपूर्ण खनिज कहां पाये जाते हैं। भूतत्व की एक केन्द्रीय संस्था भी होनी चाहिये जहां लोग प्रशिक्षित भी किये जा सकें। चीन में ऐसी कई संस्थाएं हैं।

एक समय मैं त्रावनकोर-कोचीन राज्य में अपने निर्वाचन क्षेत्र के बाहर जा रहा था वहां मुझे मोनाजाइट मिली हुई रेत मिली। मैंने उसे भारतीय खान विभाग को भेजा। उन्होंने मुझ से एक हज़ार पौण्ड और रेत भेजने के लिए कहा और इस काम के लिये अपने कर्मचारी नहीं भेजे। इस तरह लोगों का सहयोग किस तरह प्राप्त हो। भूतत्वीय रचनाओं के बारे में हमारा ज्ञान अधूरा है और हमें डा० किंग तथा कैप्टेन न्यूबोल्ट के प्रतिवेदनों पर निर्भर करना पड़ता है।

डाक्टर एम० एस० कृष्णन द्वारा लिखित भारत का भूतत्वीय सर्वेक्षण नामक पुस्तक में यह कहा गया है कि मलाबार में पांच सौ मील के क्षेत्र में पाइराइट पाया जाता है जिसमें सोना है। और इसकी विस्तृत जांच अभी भी की जानी है।

सोने के सम्बन्ध में भी सर्वेक्षण पूरे नहीं हुए हैं। सोने के साथ ही पाइराइट्स धातु मिलती है जिसका कोई सर्वेक्षण नहीं हुआ।

मैं और उदाहरण देता हूँ। दक्षिण में ईंधन का अभाव है। कुछ कारणों से बंगाल और बिहार की कोयलों की खानों का कोयला वहां नहीं ले जाया जाता। निस्संदेह वहां की नेवेली परियोजना पर आशा अवलम्बित की जा सकती है। वरकलाई में ५०० वर्ग मील में लिग्नाइट मिलता है। इस लिग्नाइट में पर्याप्त मात्रा में वेनेडियम आक्साइड भी है। मुझे अभिलेखों से पता लगा है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक स्थान पर ४००,००० टन लिग्नाईट मिलता है।

भूतत्वीय सर्वेक्षण अच्छा है। परन्तु मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि विस्तृत सर्वेक्षण के अभाव में इन धातुओं की खोज में कितना समय लगेगा। भूतत्वीय सर्वेक्षण से हमें निश्चित सहायता मिलनी चाहिये। इसलिये मैंने सुझाव दिया था कि सर्व प्रथम भूतत्व विज्ञान की एक केन्द्रीय संस्था होनी चाहिये जिस में सैकड़ों और हज़ारों लोग प्रशिक्षण प्राप्त कर देश भर में धातुओं को खोजें।

बहुत से राज्यों में वानस्पतिक सर्वेक्षण होता है। केवल उसे आधुनिक विज्ञान से युक्त बनाना है। अभी तक भारत की औषधि सम्बन्धी वनस्पति का अध्ययन पूरा नहीं हुआ। साधारण सी वनस्पति सर्पगंधा का हज़ारों टन में निर्यात किया गया है जिसकी औषधियां भारत में वापस आ रही हैं। यह उदाहरण है कि यह मंत्रालय किस प्रकार मूल विषयों के सम्बन्ध में उपेक्षापूर्ण हैं जिन्हें हम अपने सीमित संसाधनों से सुलझा सकते हैं। वानस्पतिक सर्वेक्षण से सार्वजनिक जीवन को कोई लाभ पहुंचना चाहिये। हम अपरिष्कृत औषधियां तो निर्यात करते हैं और उनसे निर्मित औषधियां आयात करते हैं। क्या मंत्रालय के पास अल्कालाईड्स अलग करने का कोई कार्यक्रम है। मैं समझता हूँ कि वानस्पतिक सर्वेक्षण में भारत की समस्त वनस्पति की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। जिन पौधों का औषधि मूल्य और आर्थिक महत्व है उनकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिये।

प्राणकीय सर्वेक्षण में भारत की समस्त जीव जन्तुओं का लेखा जोखा नहीं है। मेरा सझाव है कि जसा केम्ब्रिज प्राकृतिक इतिहास क्रम में बताया गया है उसके अनुसार हमारे प्राणकीय सर्वेक्षण में रामस्त जीव-जन्तुओं का लेखा जोखा होना चाहिये। मंत्रालय का दावा है कि ४२८ प्रकार

[श्री वी० पी० नायर]

के जन्तुओं का पता लगाया गया है। यह पर्याप्त नहीं है। बहुत से राज्यों में जीव-जन्तुओं और वनस्पति का लेखा जोखा विद्यमान है। उसे केवल आधुनिकतम बनाना है। यह पांच वर्ष में किया जा सकता है।

†**श्री के० डी० मालवीय** : हम यह कर चुके हैं।

†**श्री वी० पी० नायर** : राष्ट्रीय गवेषणा निगम के कार्यों के सम्बन्ध में प्रतिवेदन में कुछ नहीं बताया गया। मैं जानता हूँ कि इस संस्था के गवेषणा परिणाम कुछ उद्योगपतियों को प्रयोग में लाने के लिये दे दिये जाते हैं। क्या सरकार को उसका स्वामित्व मिलता है? कौन लोग उसका प्रयोग करते हैं?

बहुत सी वस्तुओं सम्बन्धी गवेषणा की आवश्यकता है। नींबू घास के तेल का ही मामला है। क्या हमारे पास एक भी ऐसा कारखाना है जहां इन सुगन्धित तेलों का निर्माण किया जा सके? चन्दन का तेल और अन्य ऐसे तेल बनाये जा सकते हैं। मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

तेल खोजने के प्रश्न को मैं विस्तार में नहीं लेना चाहता। हमें मोटर के तेल और उड्डयन के तेल के लिये विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है। मुझे विश्वसनीय सूत्र से पता लगा है कि सरकार का स्टैंडर्ड वेक्यूम तेल समवाय के साथ ५० वर्ष के लिये करार हो गया है। यह स्थिति ध्यान देने योग्य है। तेल का हमारी प्रतिरक्षा व्यवस्था और अर्थ व्यवस्था में अत्यधिक महत्व है और इस पर विदेशों का एकाधिकार है। विदेशी समवाय के साथ ऐसे करार से हमारे उद्योगों का हित नहीं होगा।

प्रधान मंत्री ने कहा था कि इस करार की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाएगी परन्तु संभवतः वह नहीं रखी गई। मैं इस करार के सम्बन्ध में मंत्री महोदय से स्पष्ट उत्तर चाहता हूँ कि क्या वह पचास वर्षों के लिये है अथवा अन्यथा यदि ऐसा है तो यह देश के हितों के विरुद्ध है।

†**श्री के० डी० मालवीय** : वस्तुतः यह सत्य नहीं है। मैं केवल यह बताना चाहता हूँ कि स्टैंडर्ड वेक्यूम आयल कम्पनी द्वारा अपरिष्कृत तेल के उत्पादन का प्रश्न अभी पैदा नहीं हुआ। वे अभी तेल की खोज कर रहे हैं। जिस क्षेत्र में से वे खोज कर रहे हैं और जिस पर वे करोड़ों रुपया व्यय कर रहे हैं, जब वहां तेल का उत्पादन आरम्भ होगा तब यह प्रश्न उत्पन्न होगा कि वे कितने वर्ष तक इसका उत्पादन करें। आरम्भ में हम ने परस्पर कुछ निश्चय किया है और उसके लिये हम वचन बद्ध रहेंगे। परन्तु यह पचास वर्ष की कालावधि नहीं है, न ही साठ वर्ष है, इससे कहीं कम है।

अतः मेरे माननीय मित्र श्री नायर को यह प्रश्न नहीं उठाना चाहिये। इस समय हम तेल ढूंढने में लगे हुए हैं और संभवतः वह बंगाल के बेसिन में मिल जाय। तेल मिलने पर हम देखेंगे कि क्या करना चाहिये।

†**श्री वी० पी० नायर** : केवल स्टैंडर्ड वेक्यूम आयल कम्पनी ही भारत में तेल नहीं खोज सकती।

†**श्री के० डी० मालवीय** : मुझे तेलों के बारे में अधिक ज्ञान है। मैं माननीय सदस्य को रुचि-पूर्ण जानकारी दूंगा।

†**श्री वी० पी० नायर** : मैं चाहता हूँ कि माननीय मंत्री इस सम्बन्ध में यथार्थपूर्ण दृष्टि से काम लें और भूतत्वीय सर्वेक्षण के सम्बन्ध में मैंने जो सुझाव रखे हैं उन्हें क्रियान्वित करें। मुझे आशा है कि कुछ वर्षों में इन सर्वेक्षणों के लिये हमारे पास प्रविधिक कर्मचारी होंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री देवेश्वर शर्मा** (गोलाघाट-जोरहाट) : मैं श्री वी० पी० नायर के अधिकांश सुझावों से सहमत हूँ, पर उन्होंने यह जो शिकायतें की हैं कि यह नहीं हुआ या वह नहीं नहीं हुआ, उसके सम्बन्ध में मुझे यही कहना है कि पिछली समूची शताब्दी के अभाव को हम एक दिन में पूरा नहीं कर सकते हैं और उसके पूरा न होने के लिये हम इस मंत्रालय को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री ने बड़ा सराहनीय कार्य किया है। इसमें दो वास्तविक बाधायें हैं। निधि का अभाव और प्रविधिक व्यावहारिक ज्ञान की कमी। उन्होंने इन बाधाओं पर पार पाने की भरसक चेष्टा की है।

मेरा सुझाव यह है कि धनबाद-स्थित इंडियन स्कूल आफ माइन्स (भारतीय खान स्कूल) को एक ऐसी प्रथम श्रेणी की संस्था बनाया जाना चाहिये जिसमें कि समस्त एशिया के विद्यार्थी आने के इच्छुक हों।

इस मंत्रालय सम्बन्धी चर्चा के अवसर पर तेल का प्रश्न स्वाभाविक रूप से सर्वप्रथम आता है, क्योंकि हमारा देश अपनी आवश्यकता का कुल १० प्रतिशत तेल पैदा करता है। हमारी भावना यह है कि मंत्रालय को इस कार्य के लिये पर्याप्त वित्तीय सहायता नहीं दी जा रही है। अगली पंचवर्षीय योजना के लिये मंत्रालय को ३० करोड़ रुपयों की मांग के स्थान पर योजना आयोग ने कुल १० करोड़ रुपये रखे हैं। केवल तेल-अनुसंधान के सिलसिले ही में, मंत्रालय को अगले दो वर्षों के लिये १७·५ करोड़ रुपयों की और अगले पांच वर्षों के लिये २८ करोड़ पयों की आवश्यकता है। अब इसी १० करोड़ रुपयों से उसे जैसलमेर, सौराष्ट्र और ज्वालामुखी में तेल-अनुसंधान का कार्य करना पड़ेगा और रूमानिया तथा सोवियेत रूस आदि देशों में अपने प्रशिक्षार्थी भेजने पड़ेंगे। फिर, अन्य स्थानों पर तेल सम्बन्धी खोज कार्य किये जाने की क्या संभावना हो सकती है ?

अभी देश में केवल आसाम में तेल मिलता है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में तो आसाम को लगभग भुला ही दिया गया था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी उस राज्य के लिये उद्योगीकरण या विद्युत् शक्ति के विकास की कोई भी योजना नहीं रखी गई है। देश की कुल राष्ट्रीय आय का अनुमान २५ से २८ प्रतिशत तक है, पर आसाम में तो यह १८ प्रतिशत तक भी नहीं हो पाती है। बेरोजगारी भी वहां सब से अधिक है। हम पिछड़े प्रदेशों को औद्योगिक रूप से विकसित करने की बातें कहते हैं, पर आसाम के साथ तो यह किया जा रहा है कि नहरकटिया और उसके आसपास पाये जाने वाले नये तेल क्षेत्र के लिये तेल शोधक कारखाना भी आसाम से बाहर बनाने का विचार किया जा रहा है। यह क्यों ?

कुछ लोग कहते हैं कि आसाम पाकिस्तान के अत्यंत समीप है, इसलिये वहां तेल शोधक कारखाने की स्थापना करना ठीक नहीं होगा। डिगबोई में तो अभी भी एक तेल शोधक कारखाना है ही, दूसरा भी आसाम में ही बनाया जा सकता है। यह कहना ठीक नहीं है कि रणनीति के दृष्टिकोण से ऐसा करना बुद्धिमानी नहीं होगी, क्योंकि आज विमानों के युद्ध का युग है और उसमें ५० या १०० मील की दूरी से कोई अन्तर नही पड़ता है। रेलवे विभाग का कहना है कि वह आसाम के तेल-शोधक कारखाने की तेल-डिब्बों की आवश्यकताओं को पूरा करने का कोई वचन नहीं दे सकता है। मेरा विचार है कि इस कारखाने की स्थापना में लगने वाले दो-तीन वर्षों में रेलवे विभाग इसका प्रबन्ध कर सकता है। यदि बम्बई का वर्तमान और विशाखापटनम का प्रस्तावित तेल शोधक कारखाना बड़ी लाइन का उपयोग कर सकता है, तो आसाम के तेल शोधक कारखाने को छोटी लाइन के द्वारा माल भेजने की अनुमित दी जाये। यह तो हो सकता है, अन्यथा आप आसाम का औद्योगिक विकास किस प्रकार करेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री देवेश्वर सर्मा]

दूसरा तर्क यह दिया जाता है कि नहरकटिया से निकलने वाले तेल की बहुत ही कम मात्रा की आसाम में खपत होगी। क्या बिहार में जमशेदपुर के सारे इस्पात और सिंदरी के समूचे खाद की खपत हो जाती है ?

कुछ लोग कहते हैं कि हम अभी इस प्रश्न की जांच-पड़ताल कर रहे हैं। यह तो केवल बहलाने की ही बातें हैं। मेरा कहना है कि आसाम के इसी तेल शोधक कारखाने को केन्द्र बना कर अन्य सहायक उद्योग भी प्रारम्भ किये जा सकते हैं और उसका औद्योगिक विकास किया जा सकता है।

प्रविधिक मत का तर्क भी संगत नहीं है। प्रविधिक मत तो हमें यह बता सकता है कि तेल वहां निकलेगा या नहीं, या उसका किस प्रकार शोधन किया जाये। पर नहरकटिया में तेल तो मिल ही गया है, अब तो उसके लिये तेल शोधक कारखाना बनाने का ही प्रश्न है। तेल तो हमारे पास है ही। युद्ध-काल में भी, कलकत्ता से आसाम और चीन तक नलों द्वारा तेल भेजा जाता था। उन नलों की रक्षा के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है। शान्ति काल में उसकी आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। फिर, नहरकटिया से ब्रह्मपुत्र के उस पार के दुबरी जिले तक कोई अधिक दूरी भी नहीं है। उसे ब्रह्मपुत्र नदी के इस पार भी स्थापित किया जा सकता है। तेल शोधक कारखाने के स्थान के सम्बन्ध में, आसाम की जनता में बड़ी उत्तेजना है। ३० और ३१ दिसम्बर, १९५५ को आसाम प्रांतीय कांग्रेस समिति द्वारा एक संकल्प स्वीकृत किया गया था। उसमें मांग की गई थी कि तेल शोधक कारखाने को आसाम में ही स्थापित किया जाना चाहिये और परिवहन की सुविधाओं सम्बन्धी अभाव को भारत सरकार को तत्काल ही दूर करना चाहिये।

गत फरवरी में हुए आसाम राजनैतिक सम्मेलन ने भी एकमत से एक संकल्प स्वीकृत किया था। उसमें इन दोनों तर्कों का कि तेल शोधक कारखाने को तेल की खपत के क्षेत्र के समीप होना चाहिये और आसाम में परिवहन की सुविधायें नहीं हैं, समुचित उत्तर दिया गया था। संकल्प में कहा गया था कि तेल शोधक कारखाना तो सारे देश की तेल सम्बन्धी आवश्यकता की पूर्ति करेगा, इसलिये खपत के किसी एक क्षेत्र विशेष का प्रश्न ही नहीं उठता; और यह कि परिवहन की सुविधायें जुटाई जा सकती हैं और उनसे आसाम का औद्योगिक विकास भी किया जा सकता है। इसका दायित्व भारत सरकार पर है।

अभी चार दिन पहले, आसाम विधान सभा ने भी उसे आसाम में ही स्थापित किये जाने की मांग की थी। आसाम में, लकड़ी, कोयले और अन्य खनिजों के बड़े-बड़े संसाधन हैं, लेकिन अंग्रेज शासन-काल में वहां पुलिस राज ही चलता था। उन्हें शान्ति और व्यवस्था तथा करों की वसूली से ही मतलब रहता था। चाय तेल और कोयले के संसाधनों का वे पूरा-पूरा फायदा अपने लिये उठाते थे। पर अब तो आसाम की जनता को स्वतंत्रता का लाभ उठाने दिया जाना चाहिये, जिससे कि वह अनुभव कर सके कि अब परिस्थिति बदल गई है।

†**श्री कशव अय्यंगार** (बंगलौर उत्तर) : हमारा देश समृद्ध है, पर जनता निर्धन है। क्यों ? इसीलिये कि हमने प्राकृतिक संसाधनों का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया है। यह हमारे देश के लिये सर्वाधिक महत्व का विषय है, और इसका दायित्व प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय पर ही है। इस मंत्रालय का कार्य किस प्रकार चल रहा है ?

हमको दिये गये प्रतिवेदन में यह देख कर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है कि सरकार ने प्रोफेसर चटर्जी की सिफारिशों को मान लिया है और एक राष्ट्रीय भूगोल मान-चित्रावली की योजना आरम्भ कर दी है। इन मान चित्रों को, बाद में, प्रादेशिक भाषाओं में भी सुलभ बनाया जाना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

सर्वेक्षण विभाग में कई विभिन्न शाखायें हैं पर अभी तक इन सभी शाखाओं या विभागों में केवल एक ढांचा ही बन पाया है। पिछले युद्ध के समय उनका कार्य बन्द हो गया था। ठीक है पर युद्ध के इतने वर्ष बाद भी कर्मचारियों की अपर्याप्तता का कारण बता कर उन विकास के अभाव को न्यायोचित ठहराना उचित नहीं है। उनके विस्तार के लिये हमें भरसक कोशिश करनी चाहिये। इन में से कुछ विभाग तो पिछले सौ वर्षों से चले आ रहे हैं। विदेशी सरकार से तो हम कोई उम्मीद नहीं कर सकते थे, पर अब राष्ट्रीय सरकार को उनकी कार्यवाहियों के क्षेत्र को विस्तृत बनाना चाहिये।

कर्मचारियों के अभाव का कोई भी बहाना माना नहीं जा सकता है। श्री चेट्टियार ने यह बात ठीक ही कही थी कि विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थाओं के कार्यों में समन्वय होना चाहिये। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है।

यह बहुत आवश्यक है कि हम अपने विश्वविद्यालयों में एक निकट सम्पर्क और समन्वय स्थापित करें। हमें विश्वविद्यालयों में भी गवेषणा के इन तमाम विषयों को रखना चाहिये। उन्हें हर प्रकार की सहायता देनी चाहिये और इस दिशा में किये गये सरकारी प्रयासों से उन्हें परिचित रखना चाहिये। यदि हम सरकारी व्यवस्था और विश्वविद्यालयों के बीच सम्पर्क बनाये रहें, तो मुझे विश्वास है कि कर्मचारियों की यह कमी दूर की जा सकती है।

वैज्ञानिक गवेषणा प्रतिष्ठानों और संस्थाओं के लिये अनुदान स्वीकृत करने वाली शाखा (विभाग) ने काफी प्रगति की है। जनता का सहयोग प्राप्त करने का यही तरीका है। इसे और विस्तृत किया जाना चाहिये।

अब, मैं अन्य गवेषणा संस्थाओं के सम्बन्ध में कहूंगा। मैंने स्वयं इनमें से कुछ को देखा है—जैसे, मैसूर का खाद्य गवेषणा प्रतिष्ठान, दिल्ली का सड़क गवेषणा प्रतिष्ठान, पटना का भैषजिक गवेषणा प्रतिष्ठान, रुड़की का भवन-निर्माण गवेषणा प्रतिष्ठान, आदि। इनमें से कई संस्थाओं ने काफी सफलतायें प्राप्त की हैं, पर इन संस्थाओं को कुछ व्यक्तिगत वैज्ञानिकों के 'निर्वाह मंदिर' ही नहीं बना दिया जाना चाहिये। मैं यह जानने के लिये उत्सुक हूँ कि इन सभी संस्थाओं की सफलताओं का प्रचार करके जनता को लाभ पहुँचाने के लिये सरकार ने क्या व्यवस्था की है।

देश भर में विज्ञान मंदिरों का एक जाल सा फैला दिया जाना चाहिये। मैं इस दिशा में किये गये प्रयासों से पूरी तरह सतुष्ट नहीं हूँ। मुझे विश्वास है कि यदि इन विज्ञान मंदिरों की व्यवस्था को पूर्ण रूप से व्यवस्थित कर लिया जाये, तो वे देश के कोने-कोने में पहुँच सकते हैं। मुझे इन विज्ञान मंदिरों की महती योजनाओं से विशेष चिन्ता नहीं है, मैं तो यही चाहता हूं कि वे देश के कोने-कोने में फैलाये जायें। इन विज्ञान मंदिरों का उपयोग वैज्ञानिक ज्ञान और विभिन्न गवेषणा प्रतिष्ठानों की सफलताओं का समूचे देश में प्रचार करने के लिये किया जा सकता है।

खान कार्यालय (ब्यूरो) के कार्य पर भी विचार करना चाहिये। हमें इसकी भी काया पलट करनी चाहिये। इसके अन्तर्गत राज्य और केन्द्र दोनों ही के उपक्रम आते हैं, और इसीलिये इस अधिनियम के नियमों के अन्तर्गत कार्य करने में कुछ कठिनाई पड़ती है। राज्य द्वारा जारी की गई अनुज्ञप्तियों के प्रार्थना-पत्रों का निबटारा होने में बहुत अधिक विलम्ब हो जाता है। इसे दूर करने के लिये यदि आवश्यक हो तो हमें नियमों को भी संशोधित करना चाहिये। खान मालिकों द्वारा भेजी जाने वाली १२,३०० विवरणियों पर ही हमें पूरी तौर से निर्भर नहीं रहना चाहिये। हमें इन रिपोर्टों को प्राप्त करने और खान मालिकों को अपने नियंत्रण में रखने के लिये प्रभावी उपाय करने चाहिये।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना को पूरा करने के लिये हमें अपार संसाधनों और कार्यकर्त्ताओं की आवश्यकता पड़ेगी। हमने यह भी देखा है कि मैंगेनीज़ और लोहे जैसे महत्वपूर्ण वस्तुओं के सम्बन्ध में निजी क्षेत्रों ने भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये आवश्यक कार्यकर्ता,

[श्री केशव अय्यंगार]

संसाधन, प्रवीण और अनुभवी व्यक्ति आदि हमें कहां से मिलेंगे ? लेकिन खानों का कार्य चलाने के लिये हमें इनकी आवश्यकता तो पड़ेगी ही । हमें अपना लक्ष्य तो प्राप्त करना ही है । इसीलिये, मेरा विचार यह है कि सरकार निजी क्षेत्र को भी इस कार्य में पूरा-पूरा हाथ बंटाने का अवसर दे, और अपने इस विचार को वह सार्वजनिक रूप से घोषित भी कर दे ।

श्री शिवमूर्ति स्वामी (कुष्टगी) : अध्यक्ष महोदय, यह प्राकृतिक संसाधन का मंत्रालय मुल्क में बहुत अहमियत रखता है । इस मिनिस्ट्री के द्वारा मुल्क में तमाम डेवलपमेंट्स (विकास) के काम शुरू किये जाते हैं, और चूंकि इस मिनिस्ट्री का काम बहुत महत्वपूर्ण है इसलिये मैं समझता हूँ कि जो तीन घंटे का समय इसके लिये दिया गया है वह नाकाफ़ी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आयन्दा साल इस मिनिस्ट्री की डिमांड्स फॉर ग्रांट्स (अनुदानों की मांगों) के लिये कुछ और अधिक समय दिया जायगा । जब कि प्रथम पंचवर्षीय योजना हमारी खत्म है और दूसरी पंचवर्षीय योजना हम शुरू कर रहे हैं, तो वह तमाम योजनायें इसी मिनिस्ट्री से शुरू होती हैं और इस मिनिस्ट्री पर उनको चलाने की जिम्मेदारी आती है और यह बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम इस मिनिस्ट्री पर डिसकशन (चर्चा) के लिये अगले साल और अधिक समय दें और ज्यादा से ज्यादा रकम भी उसके लिये मुहैया करें ताकि हमारे प्राकृतिक संसाधन मंत्री महोदय ज्यादा से ज्यादा भारतवर्ष का सर्वे (सर्वेक्षण) करवायें और माइंस (खानों) का सर्वे करा कर मुल्क के सामने अपनी रिपोर्ट पेश करें । इसमें शक नहीं कि अपने लिमिटेड रिसोर्सेज़ (सीमित संसाधनों) के भीतर जितना काम उनको करना चाहिये था, उतना नहीं कर पाये हैं और जितना सैटिसफैक्टरी (संतोषप्रद) काम होना चाहिये था वह नहीं हो पाया है, लेकिन तो भी कुछ न कुछ काम उन्होंने किया है ।

लेकिन, मैं इस जुआलोजिकल सर्वे (भूततत्वीय सर्वेक्षण) के ऊपर यह कहना चाहता हूं कि इस वक्त जो सर्वे पार्टीज़ (दल) मुल्क में हैं वे काफी नहीं हैं । उन को जो जोन्स (खंडों) में तकसीम किया गया है, जिसके बारे में कि रिपोर्ट में बताया गया है, उसके बजाय हर स्टेट में या हर दो-चार जिलों में एक एक पार्टी जरूर होनी चाहिये । अगर हम अपने कां तेजी से इन्डस्ट्रियलाइज (उद्योगीकृत) करना चाहते हैं तो हम को जो रा मैटीरियल्स (कच्चे माल) उस के लिये मुल्क में मिलते हैं, उन को बढ़ाने की जरूरत है । आज माइन्स को डेवेलप्ड (विकसित) करने के लिये और उस के रिसोर्सेज को हासिल करने के लिये बड़ी-बड़ी पूंजियों को लगाना पड़ता है, यह एक साफ़ बात है । मैं समझता हूं कि इस को कोआपरेटिव बेसिस (सहकारिता के आधार) पर छोटे-छोटे आदमियों के जरिये करवाना चाहिये । मिनरल ऐडवाइजरी बोर्ड (खनिज मंत्रणा बोर्ड) ने भी खुद इस की सिफारिश की है । जुलाई, १९५५ में उस की कान्फरेन्स श्रीनगर में हुई थी, उस में उन्होंने बताया है कि राज्य सरकारों को छोटे उत्पादकों की सहकारी समितियां संगठित करनी चाहिये और उन्हें ऋणिक सहायता देनी चाहिये ।

दूसरे में यह कहा है कि : घटिया श्रेणी के कच्चे लोहे की किस्म और उसके रक्षित भंडार के सम्बन्ध में आवश्यक तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने के बाद, राज्य सरकारों को उससे लाभ उठाने के लिये कारखानों की स्थापना करनी चाहिये । मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि कितनी कोआपरेटिव्ज़ बनाई गई हैं या कितने लोग इस कोआपरेशन के द्वारा इन मिनरल्स (खनिजों) का फायदा उठा रहे हैं जहां तक मुझे अनुभव है माइन्स रिसोर्सेज (खनिज संसाधनों) के लाइसेन्स (अनुज्ञप्तियां) इन्डिविजुअल्स (व्यक्तियों) को दिये जाते हैं और वह इन्डिविजुअल्स बड़े-बड़े पूंजीपति होते हैं, जो लैंड-लार्डस (जमीदारों) की तरह, या मिड्लमैन (बीच के आदमी) की तरह बड़े-बड़े एरियाज़ (क्षेत्रों) के लिये लाइसेन्स लेकर उनको एक्स्प्लायट (शोषण) करते हैं । हैदराबाद की जो शाहाबाद सीमेन्ट

फैक्टरी है, जब निजाम की हुकूमत थी उस वक्त उस के काफी ग्राइन्डिग पैचेज (पिसाई के काम) छोटे-छोटे व्यापारियों के और छोटे-छोटे माइन ओनर्स (खान मालिकों) के हाथ में थे और वही हर तरह के रिसोर्सेस को एक्स्प्लायट करने का काम करते थे। लेकिन अब दो-तीन साल हुए एक बड़े पूंजीपति को उस का ठेका दे दिया गया है। इस से वहां के लोगों को दुःख है। इस के मुतालिक मैंने दो-चार सवाल माननीय मंत्री जी के सामने रखे थे, लेकिन उनका कोई खयाल नहीं किया गया, उन पर गौर तक नहीं किया गया। मेरे कहने का मकसद यह है कि हर स्टेट में जो माइन्स पाई जाती हैं उनमें आप छोटी-छोटी कोआपरेटिव्ज कायम करें। यह नहीं होना चाहिये कि गवर्नमेंट छोटे-छोटे लाइसेन्स-होलडर्स (अनुज्ञप्ति-धारियों) के बजाय बड़े-बड़े पूंजीपतियों को इसका काम दे।

इसके अलावा, मैं बहुत ज्यादा लाइसेन्स देकर अपने रा मैटीरियल्स को गैर-मुल्कों में भेज देने के भी खिलाफ हूं। बेलारी डिस्ट्रिक्ट में जो आयरन ओर (कच्चा लोहा) है, हो सकता है कि उस तरह के दूसरी जगहों पर भी हों, लेकिन जहां तक मेरा अनुभव है, वह रिचेस्ट (सबसे अधिक कीमती) हैं। वहां पर आयरन इन्डस्ट्री (लोहा उद्योग) को कायम करने के लिये कोई योजना निकाली जानी चाहिये। मैं समझता हूं कि तुंगभद्रा प्रोजैक्ट (परियोजना) के एरिया (क्षेत्र) में लोहे को निकालने की योजना कायम करनी चाहिये और वहीं पर छोटे-छोटे कारखाने बना कर हम आयरन को इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जो आज आप गैर-मुल्क के लोगों को लाइसेन्सदारों के जरिये अपना धन देते हैं वह मुझे पसन्द नहीं है।

इसके बाद मैं जुआलाजिकल सर्वे के बारे में कहना चाहता हूं। उसकी सर्वे आज मुल्क में काफी नहीं है, इसको और भी बढ़ाना चाहिये। ट्यूब वेल्स (नल कूप) और दूसरे एक्स्प्लोरेटरी (परीक्षात्मक-नल कूप) वगैरह कायम करने से आप की मिनिस्ट्री का बहुत कुछ ताल्लुक रहता है। लेकिन, जुआ-लाजिकल सर्वे रिपोर्ट में आपने यह नहीं बताया है कि ट्यूब वेल्स और पानी निकालने के जो दूसरे तरीके हैं वे इस मुल्क में सक्सेसफुल (सफल) हो सकते हैं या नहीं। आप की सर्वे रिपोर्ट और मुकम्मिल होनी चाहिये और जहां-जहां पर पानी के रिसोर्सेस हैं वह बहुत वाजेह तरीके से हमारे सामने आने चाहिये।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

इस रिपोर्ट में कुछ स्टेट्स और जिलों के बारे में बताया गया है, लेकिन पूरे देश का सर्वे ठीक तरह से नहीं हुआ है। इसी तरह से मैं अन्डर वाटर (भू-निम्न) की सर्वे भी पूरी तरह से करने के लिये आपसे विनती करता हूं। इन सर्वेज के साथ-साथ ही, वाटर (जल) का भी सर्वे होना चाहिये। समुद्र के अन्दर जो अपार सम्पत्ति पड़ी हुई है उसको एक्स्प्लायट करने के लिये मुकम्मिल सर्वे होना बहुत जरूरी है। हमारा देश तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, अगर हम मुकम्मिल तौर से अपने सी वाटर (समुद्र-जल) का सर्वे करें और उसमें जो सम्पत्ति है, अर्थात् मोती और मछलियां, उसको एक्स्प्लायट करें, तो हमारे देश का काफी फायदा उससे हो सकता है।

इसी तरह से जो आप डिफेन्स परपज़ेज़ (प्रतिरक्षा कार्यों) के लिये सर्वे कराते हैं उसमें मेरा सुझाव यह है कि पूरा-पूरा और पक्का नैशनलाइजेशन (राष्ट्रीयकरण) होना चाहिये। उसमें कोई भी फारेनर (विदेशी) नहीं होना चाहिये। उसमें पूरी तौर से हिन्दुस्तानियों का ही हाथ होना चाहिये। सब कामों के लिये तो शायद यहां टेक्निकल पर्सोनेल (प्रवधिक कर्मचारी) मिल जायेगा, लेकिन डिफेन्स परपज़ेज़ के लिये मुमकिन है आपको सर्वे करने लायक टेक्निकल पर्सोनेल मिलने में कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसके बारे में सर्वे ऑफ इंडिया (क्लास ३) ऐसोसिएशन के जरिये एक मेमोरैन्डम (ज्ञापन) पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित पंत, काटजू साहब, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, आदि के पास भेजा गया है, और पूछा गया है कि इन लोगों ने क्या ऐक्शन लिया है? मैं इसको जानता हूं कि पहिले माइन्स का नेशनलाइज करना बहुत जरूरी है, लेकिन जो डिफेन्स परपज़ेज़ के लिये,

[श्री शिवमूर्ति स्वामी]

साइंटिफिक परपजेज के लिये, या दूसरे विभागों के लिये सर्वे करना है, उसके लिये अगर टेक्निकल पर्सोनेल भारतवर्ष में नहीं है तो भले ही हम अपने आदमियों को बाहर भेज कर ट्रेन (प्रशिक्षित) करावे, उन को विदेशों में भेज कर तालीम हासिल करवा सकते हैं, लेकिन हमारे मुल्क के सर्वे डिपार्टमेंट में कोई फारेनर्स न हों इसकी तरफ हमारे मिनिस्टर महोदय को खास तवज्जह देनी चाहिये।

हमारे मुल्क में, अक्सर कहा जाता है कि साइंटिफिक रिसर्च (वैज्ञानिक गवेषणा) हो रही है, होती होगी, लेकिन लेबोरेटरी (प्रयोगशाला) की चाहरदीवारी में रिसर्च करके अंगरेजी में कागज पर एक रिपोर्ट लिख देने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। जो भी एक्स्पेरिमेंट (परीक्षण) हमारे देश में होते हैं, हमें इसकी कोशिश करनी चाहिये कि उनका इस्तेमाल पब्लिक यूटिलिटी (सार्वजनिक उपयोगिता) के लिये हो और सारे समाज को उससे सहूलियतें हासिल हों। हम सोलर एक्स्पेरिमेंटस् (सौर परीक्षणों) की बात बहुत दिनों से सुन रहे हैं, सुनते-सुनते वह चीज खत्म भी हो रही है, लेकिन उस से पब्लिक का कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे यह नहीं मालूम कि उसमें क्या मुश्किलात हैं, लेकिन अगर उसको तेजी से किया जाय और इंधन वगैरह के लिये सूरज की रोशनी का इस्तेमाल हो सके, तो इससे पब्लिक के कामों में बड़ी आसानी हो सकती है। लेकिन, इसको तीव्र गति से किया जाय यह मेरी विनती है।

इसके बाद, मुझे यह कहना है कि मुझे रिलायेबल सोर्स (विश्वसनीय स्रोत) से पता चला है कि बहुत सा साइंटिफिक एपरेटस (यंत्र) आपके पास पड़ा हुआ है। जोकि किसी काम भी नहीं आ रहा है। यह सामान आइडल (बेकार) पड़ा हुआ है। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी बतायें कि क्या कारण है कि यह सामान इस तरह से आइडल पड़ा हुआ है और क्यों इसको इस्तेमाल में नहीं लाया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि इसको भी रिसर्च के काम में लाया जाये। अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो आप इसे किसी यूनिवर्सटी (विश्वविद्यालय) को जहां पर कि रिसर्च वर्क (गवेषणा कार्य) होता है, दे सकते हैं। इससे वहां के जो स्टुडेंट्स हैं उनको रिसर्च के काम में बहुत ज्यादा सहूलियत होगी।

आपने कई लेबोरेटरीज़ कायम की हैं और वहां बहुत कुछ काम हो भी रहा है। लेकिन क्या काम वहां पर हो रहा है इसका अंदाजा तभी लगाया जा सकता है जब इससे जनता को कुछ लाभ पहुंचना शुरू हो जाये। इस सम्बन्ध में, मैं टैक्सटाइल रिसर्च लेबोरेटरी (सूती कपड़ा गवेषणा प्रयोगशाला) अहमदाबाद का ज़िक्र करना चाहता हूं। वहां पर काफी रिसर्च वर्क हो रहा है। मैं चाहता हूं कि बजाय आप बहुत बड़े-बड़े रिसर्च के काम करें आपको अपनी शक्ति छोटे-छोटे रिसर्च के कामों पर केन्द्रित करनी चाहिये। अगर आपने कोई ऐसी मशीन निकाली जिससे कि जो हैंडलूम इंडस्ट्री (हाथकरखा उद्योग) है, या खादी इंडस्ट्री है, उसको फायदा पहुंचा तो आप एक बहुत अच्छा काम करेंगे। जहां तक खादी का सम्बन्ध है, उसका सवाल तो बहुत कुछ आसान हो गया है अम्बर चर्खे के आ जाने से, और मैं चाहता हूं कि आप उसको छोड़ दें। एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कायम करने के लिये आज जहां करोड़ों रुपये की आवश्यकता पड़ती है, अगर वही इंडस्ट्री एक लाख या दो लाख की लागत से कायम करने का रास्ता आप बता दें, तो लोगों को बहुत फायदा पहुंच सकता है और जो शोषण आज हो रहा है वह काफी हद तक खत्म हो सकता है। हम यह उम्मीद नहीं करते कि रिसर्च लैबोरेटरीज़ में बड़े-बड़े रिसर्च के काम हों, हम तो यह चाहते हैं कि छोटे-छोटे रिसर्च के काम हों ताकि एक लाख या दो लाख की लागत से एक स्पिनिंग (कताई) मिल कायम हो सके और दूसरी इंडस्टरीज़ कायम हो सकें। आज हम यह देखते हैं कि लोगों के पास जो मशीनरी है वह काफी समय तक आइडल पड़ी रहती है। आयल इंजनों की ही बात ले लीजिये। उनको आटा पीसने के काम में लाया जाता है। लेकिन, काफी समय तक यह इंजिन आइडल पड़े रहते हैं। कोई ऐसा तरीका ढूंढा जा सकता है जिससे कि जब ये मशीनें आइडल रहती हैं स्पिंडल्स् (तकुए) लगा कर इनको स्पिनिंग के काम में लाया जा सके। इससे हमारे मुल्क में और भी ज्यादा उत्पादन हो सकता है।

अब यह जो विज्ञान मंदिर खोले जा रहे हैं, इनके बारे में मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूं। मैं यह चाहता हूं कि हमारे देश में जितनी भी यूनिवर्स्टियां हैं उन सबके साथ एक-एक विज्ञान मंदिर होना चाहिये। हमारे देश में जितने भी लोग पोस्ट-ग्रेजुएट स्ट्डी करते हैं या एडवांस स्ट्डी (उच्च अध्ययन) करते हैं, उन सबको डिग्रियां देने से पहले एक-दो साल के लिये विज्ञान मंदिरों में काम करने के लिये मजबूर किया जाना चाहिये। हमारे मुल्क में लोग ज्यादा रिसर्च माइंडिड (गवेषणा की रुचि वाले) नहीं हैं क्योंकि यहां का वातावरण ही कुछ इस प्रकार है। जितने भी ग्रेजुएट्स होते हैं उनमें से बहुत कम ऐसे होते हैं जो रिसर्च वर्क करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप कोई ऐसी स्कीम बनायें कि जिससे जितने भी लोग साइंस में ग्रेजुएशन करते हैं, उनका किसी न किसी सूरत में कुछ न कुछ ताल्लुक इन विज्ञान मंदिरों से रहे और उनको आप कुछ स्टाइपेंड्स (छात्रवृत्तियां) कुछ गुज़ारा, एलाउंस (भत्ता) या कुछ मेंनटेनेंस एलाउंस (निर्वाह भत्ता) एक या दो सौ रुपया महीना दे सकते हैं।

अब मैं सैंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट (केन्द्रीय सड़क गवेषणा प्रतिष्ठान) के बारे में थोड़ा सा कहना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि इसकी एक्टिविटीज़ (गतिविधियों) को जितना ज्यादा से ज्यादा एक्सपैंड (विस्तृत) किया जाये, उतना ही अच्छा है। इस इंस्टीट्यूट को कम से कम कीमत में अच्छी से अच्छी सड़कें बना कर लोगों को दिखानी चाहियें। आज हम क्या देखते हैं। कांट्रेक्टर्स (ठेकेदारों) द्वारा काम करवाया जाता है, और उनसे काम करवाने से हमारा बहुत ज्यादा रुपया वेस्ट (नष्ट) हो रहा है। सड़कों को जल्दी से जल्दी बनाने की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिये। कम से कम कीमत में और अच्छी से अच्छी सड़कें बनाने की टेक्नीक (विधि) हमें मालूम होनी चाहिये और उस टैक्नीक का इस्तेमाल होना चाहिये।

आखिरी बात मुझे लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट (चर्म गवेषणा प्रतिष्ठान) के बारे में, जो मद्रास में है, कहनी है। यहां पर काफी रिसर्च-वर्क हो रहा है। लेकिन दुख की बात है कि हमारे गरीब हरिजन भाइयों को, और दूसरे गरीब लोगों को इस रिसर्च के जो नतीजे होते हैं, बतलाने का इंतज़ाम नहीं किया जाता है। चाहरदीवारी में रिसर्च कर लेना ही काफी नहीं है। उस रिसर्च का जो रिज़ल्ट (परिणाम) है, उसको लोगों को बतलाने की तरफ हमें अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिये। हमारे जो गरीब हरिजन भाई हैं उनको नये टेक्नीक्स का कुछ पता नहीं है। वे पुराने तरीकों से ही अभी तक भी लेदर का टैनिंग (कमाई) करते हैं। आपको चाहिये कि लेदर को टैनिंग करने के जो नये तरीके हैं, वे आप उनको बतलायें। आज बाटा कम्पनी जैसी दूसरी कम्पनियां नये टेक्नीक्स को अपना कर उनसे फायदा उठा रही हैं और लोगों को एक्सप्लायट कर रही हैं। इस वास्ते, मैं चाहता हूं कि सस्ती कीमत में अच्छा सामान जो लेदर से बनाया जा सकता है उसके बारे में आवश्यक जानकारी हमें हरिजन भाइयों को देनी चाहिये। मैं यह भी चाहता हूं कि हर एक जिले में एक-एक ट्रेनर (प्रशिक्षक) होना चाहिये जो इन लोगों को ट्रेनिंग देने का ही काम करे।

इतना कहने के बाद, अन्त में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि और ज्यादा पैसा इस मंत्रालय को दिया जाये ताकि यह और ज्यादा काम कर सके और मैं जो डिमांड्स (मांगें) पेश की गई हैं उनको सपोर्ट (समर्थन) करता हूं।

प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय क अधीन मांगों सम्बन्धी निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये:

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि (रुपयों में)
७८	श्री शिवमूर्त्ति स्वामी	देश के प्राकृतिक संसाधनों से लाभ उठाने के लिये कर्मचारियों को बढ़ाना।	१००

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि (रुपयों में)
७८	श्री वी० पी० नायर	प्राकृतिक गैस और कोयले से लाभ उठाने के सम्बन्ध में अनुसरित नीति ।	१००
७८	श्री वी० पी० नायर	मंत्रालय का कार्यकरण ।	१००
७८	श्री वी० पी० नायर	वर्कला चट्टानों में उपयुक्त अनुसंधान का अभाव ।	१००
७८	श्री वी० पी० नायर	वर्कला प्रदेश में लिगनाइट और त्रावन-कोर-कोचीन राज्य में अभरक और और दुर्लभ मिट्टी से लाभ न उठाया जाना ।	१००
७८	श्री एन० बी० चौधरी (घाटल)	पश्चिमी बंगाल में तेल की खोज के लिये स्टैनवैक परियोजना सम्बन्धी करार को सार्वजनिक सूचना के लिये बनाने में असफलता ।	१००
७८	श्री एन० बी० चौधरी	स्टैनवैक परियोजना द्वारा भूकम्पीय ऊष्मसह सर्वेक्षण करते समय जिला हुगली में आराम बाग सब-डिवीज़न के राम नगर क्षेत्र के लोगों को हुई क्षति के लिये अपर्याप्त प्रतिकर को अदायगी ।	१००
७६	श्री शिवमूर्त्ति स्वामी	देश में सर्वेक्षण दलों की वृद्धि ।	१००
७६	श्री वी० पी० नायर	सर्वेक्षण को सम्मिलित न करना ।	१००
८०	श्री वी० पी० नायर	इस समय हो रहे वनस्पतिक सर्वेक्षण का अपूर्ण तरीका ।	१००
८०	श्री वी० पी० नायर	औषधि निर्माण के लिये भारतीय जड़ी बूटियों से लाभ उठाने के मामले में पर्याप्त गवेषणा करने में असफलता ।	१००
८०	श्री वी० पी० नायर	देशी औषधियां पौधों की विस्तृत सूची तैयार करने में असफलता ।	१००

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव	कटौती आधार	कटौती राशि (रुपयों में)
८१	श्री वी० पी० नायर	प्राणकीय सर्वेक्षण का अपूर्ण तरीका ।	१००
८२	श्री वी० पी० नायर	भूतत्वीय सर्वेक्षण की अपर्याप्तता ।	१००
८२	श्री वी० पी० नायर	भारत के पूर्ण भूतत्वीय सर्वेक्षण के लिये अर्हत सर्वेक्षकों का अभाव ।	१००
८२	श्री वी० पी० नायर	महत्वपूर्ण खनिज पदार्थों का पता लगाने के लिये सर्वेक्षकों की अपर्याप्तता ।	१००
८३	श्री शिवमूर्त्ति स्वामी	देश की सभी खानों के राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता ।	१००
८३	श्री देवगम	व्यक्तियों और सार्थों को विभिन्न सार्थों के नाम से खानों के पट्टे लेने से रोकने की आवश्यकता ।	१००
८३	श्री देवगम	आदिम जातियों को उनके क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों की वाणिज्यक खोज करने में, जैसा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में विचार किया गया था सहायता न देना ।	१००
८३	श्री वी० पी० नायर	मालाबार में सोने की खानों की खोज और अनुसन्धान के मामले में अनुसरित नीति ।	१००
८४	श्री देवगम	योजना आयोग में सुझाव के अनुसार, आदिवासी जतियों के क्षेत्रों में विज्ञान मन्दिरों के स्थापित किये जाने की आवश्यकता ।	१००
८४	श्री वी० पी० नायर	विभिन्न विषयों में गवेषणा को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में अनुसरित नीति ।	१००
८४	श्री वी० पी० नायर	कच्ची धातुओं को शुद्ध करने के मामले में वैज्ञानिक गवेषणा की अपर्याप्तता ।	१००
८४	श्री वी० पी० नायर	आवश्यक (गन्धयुक्त) तेलों के मामले में गवेषणा की अपर्याप्तता ।	१००

उपाध्यक्ष महोदय : यह सब कटौती प्रस्ताव लोक-सभा के समक्ष हैं ।

श्रीमती कमलेन्दुमति शाह (जिला गढ़वाल—पश्चिम व जिला टिहरी गढ़वाल व जिला-बिजनौर–उत्तर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने इतना थोड़ा समय इस डिमांड (मांग) पर बहस के लिये रखे जाने के बावजूद भी मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया ।

मैं प्राकृतिक संसाधन मंत्री की आभारी हूं कि उन्होंने हमारे जिले में कृपा करके अभी हाल ही में अनुसन्धान कार्य कराया और इसके लिये मैं उन्हें धन्यवाद भी देती हूं । उस अनुसन्धान कार्य का जो नतीजा निकला है वह अखबारों में भी छपा है और मैं उसको पढ़कर आपको सुनाना चाहती हूं । इसके बारे में **नवभारत टाइम्स** ने यह लिखा है :

"उत्तर प्रदेश सरकार के खनिज तथा भूगर्भ विभाग के एक प्रवक्ता ने बतलाया कि इस जिले की मिलंगना घाटी के ७० मील लम्बे क्षेत्र में तांबे की खान का पता लगाया गया है और अनुमान किया जाता है कि व्यापारिक दृष्टिकोण से इस क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में तांबा पाया जाता है ।

"इस क्षेत्र में पोखरी नामक स्थान पर समस्त गढ़वाल प्रदेश में सर्वोत्तम तांबा पाया जाता है । खनिज तथा भूगर्भ विभाग का एक दल इस समय तांबा तथा अन्य धातुओं की विस्तृत छान-बीन कर रहा है, और विश्वास किया जाता है कि इस मास के अन्त तक सरकार को उसकी रिपोर्ट मिल जायेगी ....."

मैं आशा करती हूं कि मंत्री महोदय के पास यह रिपोर्ट आ गई होगी ।

दूसरी खबर **हिमाचल टाइम्स** में छपी है, जो इस प्रकार है:

"निदेशालय के भूतत्व वेत्ताओं ने पोखरी और टिहरी–गढ़वाल के निकट तांबे के निक्षेपों का अनुसन्धान किया और देखा कि वहां तांबा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है । अप्रैल से आरम्भ होने वाले खुदाई के मौसम में गहरी खुदाई करने का विचार है ।"

मेरा मंत्री जी से यही निवेदन है कि वे इस के विकास को हाथ में ले लें । इसके बाद उनको वहां इस काम के लिये सड़कें बनानी होंगी । मैं आशा करती हूं कि उनको भी वे बनायेंगे । तांबे के बारे में मेरा यही निवेदन है ।

दूसरी बात मुझे जड़ी बूटियों के बारे में कहनी है । यह सारी दुनिया को पता है कि इसके लिये हिमालय एक बड़ा भारी कोष है । उत्तराखंड में एक स्थान है जहां पर जवान लड़कों को जड़ी बूटियों से दवायें बनाना सिखाया जाता है । उस स्थान का नाम है उत्तराखंड विद्यापीठ महाविद्यालय, गुप्त-काशी गढ़वाल । इस संस्था को आर्थिक सहायता की आवश्यकता है । मैं आशा करती हूं कि उसका उत्साह बढ़ाने के लिये मंत्री महोदय उस संस्था को पर्याप्त आर्थिक सहायता देने का प्रबन्ध करेंगे ।

तीसरी बात मैं माननीय मंत्री जी के सामने हवाई चक्कियों के बारे में रखना चाहती हूं । मेरे इलाके में वे सफल भी होंगी क्योंकि पहाड़ों में हवा हमेशा चलती रहती है । उनकी ओर भी कदम उठाया जाये और उनको लगाने के आवश्यक साधन जुटाये जायें । इससे मेरे यहां के आदमियों को बहुत लाभ हो सकता है ।

इसके बाद मेरा निवेदन है कि हिमालय में तरह-तरह के वृक्ष होते हैं जैसे देवदारु आदि, जिनका उपयोग किसी से छिपा नहीं है। अगर देवदारु के सन्दूक बनाये जायें तो उन में गरम कपड़ा आप बरसों रखें उसमें कीड़ा नहीं लगेगा। गरम कपड़ों को कीड़ों से बचाने के लिये आप अनेक विदेशी औषधियों जैसे डी० डी० टी० आदि का प्रयोग करते हैं और उस पर काफी रुपया खर्च करते हैं। अगर देवदारु के सन्दूक और अल्मारियां बना कर देश में और विदेशों में बेची जायें तो इससे हमको बहुत आय हो सकती है। आशा है कि इस पर भी माननीय मंत्री जी विचार करेंगे।

मेरा एक और निवेदन है। कांगड़े में ज्वालामुखी के पास तेल की खोज हो रही है। इसी तरह से और पहाड़ों में खोज होनी चाहिये क्योंकि वहां भी तेल निकल सकता है। हमारे यहां के पहाड़ भी कांगड़े के पहाड़ों की तरह ऊंचे हैं। इस खोज में टिहरी गढ़वाल पीछे नहीं रहना चाहिये। अगर इस काम को वहां चलाया गया तो हम लोग हर तरह से सहयोग देने को तैयार होंगे।

मैं जानती हूं कि हमारे मंत्री महोदय बड़े कर्मशील हैं। इसके लिये मैं उनको धन्यवाद देती हूं परन्तु जो मैं उनको बार-बार याद दिलाती हूं वह इस डर से कि कहीं वह हम पिछड़े हुओं को भूल न जायें। इसके लिये मंत्री महोदय मुझे क्षमा करेंगे।

पिछले साल एक तारांकित प्रश्न द्वारा मैंने इस बात पर प्रकाश डाला था कि हमारे यहां एक महेश्वरी दत्त डिमरी नामक व्यक्ति ने स्वचल-जल-कल बनायी है। उसका सारा पता मैं माननीय मंत्री जी को दे सकती हूं। इस कल द्वारा बिना बिजली आदि के और बिना किसी आदमी की मेहनत के जल ऊंचाई में उठाया जा सकता है। यह कल पानी के जोर से अपने आप चलती है। कल मैं इंडिया गेट गयी थी वहां मैंने एक जरमनी की बनी हुई स्प्रे-कल का प्रदर्शन देखा। लेकिन वह डीजल आइल से चलती है। मेरा निवेदन है कि यह एक गरीब पहाड़ी की खोज है। अगर इस ओर माननीय मंत्री जी ध्यान देंगे तो उसे बहुत उत्साह मिलेगा और इससे देश को बहुत लाभ हो सकता है।

श्री हेमराज (कांगड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नेचुरल रिसोर्सज़ एण्ड साइंटिफिक रिसर्च (प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा) विभाग की जो मांगें पेश हुई हैं उनका समर्थन करता हूं और मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस काम की ओर विशेष ध्यान दिया है जिस की वजह से हर रोज यह काम ज्यादा से ज्यादा तरक्की कर रहा है।

पहली फाइव इअर प्लान (पंचवर्षीय योजना) में तो जो जोर दिया गया था वह ज्यादातर एग्रीकल्चर इर्रीगेशन और पावर (कृषि, सिंचाई और विद्युत्) पर दिया गया था। अब दूसरी पंचवर्षीय योजना में, जिस का ड्राफ्ट (प्रारूप) हमारे सामने है, ज्यादा जोर हैवी इंडस्ट्रीज (भारी उद्योग) पर, काटेज इंडस्ट्रीज (कुटीर उद्योगों) पर और उनके साथ-साथ मिनरल्स (खनिज पदार्थों) पर दिया जायेगा। हमारे मंत्री महोदय प्लानिंग कमीशन से अपने काम के लिये जितना रुपया चाहते थे वह उनको नहीं मिल सका लेकिन फिर भी वे उत्साह के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं। चुनांचे उन्होंने इस बात को महसूस किया कि हमारा देश तेल के मामले में आत्म निर्भर नहीं है। भारत वर्ष में अपनी आवश्यकता का ५ फीसदी तेल आसाम से निकलता है। बाकी बाहर से मंगाना पड़ता है। इस वक्त जो बाहर से तेल आता है और जो स्प्रिट्स वगैरह आती हैं उनके लिये हमको हर साल ५५ करोड़ रुपया बाहर भेजना पड़ रहा है। इस बात को मद्देनजर (सामने) रखते हुये उन्होंने एक गैस और आइल डिवीज़न का डाइरेक्टोरेट (निदेशालय) बना दिया है। इससे हमको

[श्री हेमराज]

मालूम होता है कि उन्होंने उत्साह के साथ इस तरफ काम शुरू कर दिया है। लेकिन मैं एक बात उनके नोटिस में लाना चाहता हूं। जो रिफायनरीज (तेल के कारखाने) के सम्बन्ध में एग्रीमेंट्स (करार) हुये हैं मैंने उनको देखा है। उनसे मालूम होता है कि यह शर्त रखी गयी है कि यह रिफाइनरीज हर साल हमारे यहां के "एडीक्वेट नम्बर आफ टैकनीशियन्स" (यन्त्र विशेषज्ञों की पर्याप्त संख्या) को काम सिखाया करेंगी। यह जो शब्द "एडीक्वेट" (पर्याप्त) है यह मुझे ठीक नहीं मालूम होता। मैं समझता हूं कि काफी नहीं है। मैं समझता हूं कि इस में एक परसेंटेज (प्रतिशतता) रखना चाहिये। जैसे कि शुरू में वे ५० परसेंट हमारे टैक्नीशियनों को ट्रेन (प्रशिक्षित) करेंगी और अगले २५ साल में, जब तक के लिये कि उनका एग्रीमेंट है, वे हमारे सौ फीसदी टैकनीशियनों (प्रविधिविज्ञों) को ट्रेन कर देंगी।

मैं मंत्री जी का एक बात के लिये विशेष रूप से आभारी हूं। इस बारे में मैंने उनके सामने भी रिप्रेजेंट किया था और प्लानिंग कमीशन के सामने भी रिप्रेजेंट (अभ्यावेदन) किया था। अब तो उस चीज को सैकिंड फाइव इअर प्लान में भी रख दिया गया है कि ज्वालामुखी एरिया में टैस्ट ड्रिलिंग (प्रयोगात्मक खुदाई) किया जाये। इस सिलसिले में यह खबर कुछ अखबारों में छप गयी थी कि जो ज्वालामुखी की ज्योति है वह बन्द हो जायेगी। इस से कुछ लोगों में आशंका फैल गयी है। वहां के कुछ पंडे भी इस सिलसिले में मेरे पास आये थे। यह स्थान मेरे यहां से चार-पांच मील है। मैंने उनको समझा दिया है। मैं नहीं समझता कि इस सम्बन्ध में मेरे इलाके में कोई ऐजीटेशन (आन्दोलन) होगा। लेकिन हो सकता है कि आप के इलाके में इसके बारे में एजीटेशन जोर पकड़े क्योंकि ज्यादातर आप के इलाके के लोग ही, जैसे कि बुलन्दशहर के, अलीगढ़ के और दूसरी जगहों के, इसको ज्यादा मानते हैं। आप के इलाके से लाखों की तादाद में लोग वहां जाते हैं। इसलिये मुझे डर है कि आप के इलाके में इसके बारे में ऐजीटेशन न शुरू हो जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा और माननीय सदस्य का इलाका तो एक ही है।

श्री हेमराज : मैं माननीय मंत्री महोदय के इलाके के बारे में कह रहा था।

श्री के० डी० मालवीय : मैं उनको समझा लूंगा।

श्री हेमराज : मैं भी उनको यकीन दिलाना चाहता हूं कि मेरे इलाके में कोई ऐजीटेशन नहीं है। मैं तो उनको विश्वास दिला सकता हूं कि मेरे इलाके में तो उनको इस काम में पूरा सहयोग मिलेगा। मेरी परमात्मा से प्रार्थना है कि आप का यह टैस्ट ड्रिलिंग का तजुर्बा कामयाब हो और इसके द्वारा मेरे इलाके को मदद मिले। मैं आशा करता हूं कि मेरे इलाके की तरफ मंत्री जी अवश्य ध्यान देंगे। जो मेरा इलाका है उसके मेम्बर श्री दीवान चन्द्र शर्मा तो अभी मिनिस्टर साहब के पास ही बैठे थे। हमारा इलाका बहुत पिछड़ा हुआ है। वहां खाने के लिये कुछ नहीं होता है।

मैं समझता हूं कि आप ही हमारे लिये कारों का खजाना साबित होंगे और अगर हमें खजाना मिलेगा तो वह आप की ही वजह से मिलेगा। हमारा इलाका तो सारा सूखा पड़ा है और अगर वहां पर कुछ वर्षा हो जाय तो हमें काफी खाने पीने को मिल जाता है वरना हमारे इलाके के लोगों को बाहर आकर के बर्तन मांजने के अतिरिक्त और कोई काम नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर यह तजुर्बा

हो जाय तो हमें उम्मीद है कि हमारे इलाके में जिस खजाने की आप तलाश कर रहे हैं, उसके मिल जाने से हमारे लोगों की हालत अच्छी हो जायगी ।

इसके साथ ही एक सुझाव मैं यह देना चाहता हूं कि आज जो हमारे देश में टेकनीशियनों की बड़ी कमी अनुभव हो रही है, उसके लिये अगर स्कालरशिप्स् (छात्रवृत्तियां) दिये जायें और ज्यादा से ज्यादा तादाद में दिये जायें तो वह कमी जिसकी कि ओर कई माननीय सदस्यों ने भी ध्यान आकर्षित किया है, बहुत हद तक दूर हो सकती है । मैं चाहता हूं कि इसके लिये हमारी सरकार ज्यादा से ज्यादा तादाद में अपने यहां के ग्रेजुएट्स को स्कालरशिप्स् दे कर बाहर ट्रेनिंग के लिये भेजें ताकि यह जो टेक्नीशियनों की हमारे वहां कमी है वह पूरी हो सके ।

एक सुझाव मैं यह देना चाहता हूं कि ऐसे इलाके जिन में कि मिनरल्स् पाई जाती हैं, वहां पर हर एक कालिज में जिओलाजी (भूतत्व विज्ञान) के क्लासेज़ होने चाहियें और सेंटर (केन्द्र) को उनको ग्रांट देनी चाहिये । धर्मशाला कालिज में एक जिओलाजी का क्लास है, उसके लिये हमारी पंजाब सरकार पिछले दिनों यह जिओलाजिकल क्लास ही बन्द कर देने लगी थी, हमने उसके खिलाफ रिप्रेजेंटेशन किया और तब कहीं जाकर वह जुओलाजी का क्लास कायम रखा गया । मेरी आप से यह प्रार्थना है कि ऐसे इलाकों में जहां पर कि मिनरल्स् पाई जाती हैं और जहां कालिजों में जुओलाजी के क्लासेज़ हैं, उन कालिजेज़ को सेंटर की तरफ से भी ग्रांट (अनुदान) मिलनी चाहिये ताकि वह जुओलाजी क्लासेज़ अच्छी तरह चल सकें ताकि उन इलाकों में जहां कि यह चीजें पाई जाती हैं वहां के लड़के इन चीजों के बारे में जानकारी हासिल कर सकें और यह जान सकें कि कैसे इन माइंस (खानों) को वर्क (चलाना) करना होगा और धनबाद के स्कूल में दाखिल होने के लिये उनकी प्रीलिमिनरी (प्रारम्भिक) ट्रेनिंग हो जायगी और उन इलाकों के लोग वहां पर जाकर इसके बारे में ट्रेनिंग हासिल कर सकेंगे ।

इसके साथ-साथ एक बात मैं और आप के नोटिस में लाना चाहता हूं और वह यह है कि हमारा जो यह पहाड़ी इलाका है, इसमें यही नहीं है कि सिर्फ तेल ही मिला हो, तेल के अलावा कुल्लू के सब-डिवीज़न और कांगड़ा का जो बाँकी सबडिवीज़न हैं उसमें लोहा, कोयला, और सीमेंट भी पाया जाता है और सीमेंट के मुताल्लिक मैंने एक प्रश्न भी यहां पर किया था और उसके मुताल्लिक आपकी तरफ से जवाब भी दिया गया था कि धर्मकोट के इलाके में बेहतरीन किस्म का लाइमस्टोन (चूने का पत्थर) मौजूद है । मैं समझता हूं कि इंडस्ट्रीज का डिसेंट्रेलाइज़ेशन (विकेन्द्रीकरण) होगा और यह जो सेकेंड फाइव इयर प्लान में काफी नये काम शुरू होने वाले हैं, उनके लिये सीमेंट की काफी जरूरत पड़ेगी, तो उस इलाके में जो यह सीमेंट पाया जाता है उसको आप को एक्सप्लायट (खोज) करना चाहिये ।

इसके अलावा मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि पंजाब गज़ेटियर के अनुसार कुल्लू के सब-डिवीज़न में और कांगड़ा में आज से कई साल पहले जब अंग्रेज यहां के हाकिम थे तब उन्होंने कांगड़ा में लोहा तलाश किया था और इंग्लैंड में उस पर जो एक्सपेरीमेंट (प्रयोग) किया गया था तो वह लोहा वहां पर सब से बेहतरीन किस्म के स्टील में शुमार किया गया था । इसके अलावा कुल्लू सब-डिवीज़न में कौपर (तांबा), सिलवर (चांदी), एंटीमनी (ममीरा), गोल्ड (सोना), लैड (सीसा), बिस्मथ, मैंगेनीज़, चाईनीज़ क्ले, और लाइमस्टोन काफी मिकदार में पाया जाता है ।

एक और चीज जिस का कि जिक्र अभी हमारी राजमाता कमलेन्दुमति शाह ने किया है और वह मैडिसनल हर्ब्स (जड़ी बूटी) है और उसके लिये वहां पर अभी तक बुटैनिकल विभाग की तरफ

[श्री हेमराज]

से कोई इन्तजाम नहीं हुआ है। आप की गालिबन् एक टीम पिछले साल स्पिती गई थी लेकिन बाकी जो इलाका है जहां पर कि यह चीजें होती हैं, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं गया है और इस सम्बन्ध में मुझे अपनी भाषा की एक लोकोक्ति याद आ जाती है :

"बनाह बसूटी बरयां

आदमी किंजा मरयां"

"वहां मनुष्य नहीं मरता"

जहां यह तीनों चीजें हों, "देअर ए मैन ड़ज़ नॉट डाई।"

मैं चाहता हूं कि कुल्लू के इलाके में जो मेडिसनल हर्ब्स पाई जाती हैं उनके बारे में यह मंत्रालय रिसर्च (गवेषणा) करवाये और मुझे पूरा यकीन है कि अगर सरकार इस सम्बन्ध में ठीक से और मुस्तैदी से रिसर्च करवाये और बुटैनिकल सर्वे वहां पर ठीक ढंग से किया जाय तो वहां पर एक फार्मास्युटिक्ल इंडस्ट्री (औषधि निर्माण उद्योग) स्थापित हो सकती है।

एक बात जो मैं आप के नोटिस में लाना चाहता हूं वह इन विज्ञान मन्दिरों के मुताल्लिक है। आपके विज्ञान मन्दिरों में यह ठीक है कि देहातों के लिये यह सारे चार्ट्स भी होंगे और दूसरी चीजें भी होंगी लेकिन आप तो खुद जानते हैं कि देहात के किसानों को थ्योरी (सैद्धांतिक) की बनिस्बत प्रैक्टिकल (व्यावहारिक) ट्रेनिंग से ज्यादा समझ में आ सकती है और वे आप की इन किताबों और चार्ट्स वगैरह से उतने ज्यादा मुतास्सिर (प्रभावित) नहीं हो सकते जितने कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से। थ्योरिटिकल ट्रेनिंग के बजाय अगर आप का वहां पर कोई आदमी बैठ कर उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देता है तो लाजिमी तौर पर वह उस को फौलो (अनुसरण) करते हैं और उसको अपना लेते हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि यह विज्ञान मन्दिर गांव वालों के लिये मुफ्त बना देने चाहियें और आपके वहां पर एक्सपर्ट (विशेषज्ञ) जो नये-नये अनुसंधान हों और जो-जो मालूमात आपने नये-नये तजुर्बों से हासिल की हों, उनके बारे में वहां पर लोगों को प्रैक्टिकल तौर पर दिखा सकें ताकि लोग उनका फायदा उठा सकें।

एक और बात मुझे यह निवेदन करनी है कि आप की जो रिपोर्ट्स छपती हैं, मैंने देखा है कि ज़ुओलाजिकल डिपार्टमेंट (भूतत्वीय विभाग) की लाइब्रेरी में सिर्फ १९५१ की रिपोर्ट आप को मिलेगी और १९५२, ५३ की यानी पिछली दो सालों की रिपोर्टस वहां पर नहीं है, सन् ५४ और ५५ की रिपोर्टस तो अभी तक नहीं आई हैं लेकिन सन् ५२ और ५३ की रिपोर्टें तो वहां पर होनी चाहियें। जब साल खत्म हो जाता है तो उस साल भर के काम की रिपोर्ट जल्द से जल्द छप जानी चाहिये ताकि हर एक आदमी को पूरी जानकारी उस साल के बारे में हो सके कि उस साल के दौरान में क्या-क्या कार्यवाही हुई है ?

हमारे यहां के लोगों से बहुत सारी कम्पनीज़ ने स्लेट माइंस के मुताल्लिक एग्रीमेंट (करार) किये हुये हैं, चूंकि कम्पनीज़ वाले समझदार और होशियार लोग थे और हमारे गांव वाले लोग अनपढ़ थे और कुछ जानते बूझते नहीं थे, इसलिये उन गांव वालों के साथ उन कम्पनियों ने इस तरह से एग्रीमेंट्स कर लिये हैं और जिन के कि मुताबिक १००, १०० साल के लिये उन माइंस को अपने नाम कर लिया

है और लाखों रुपये का उनसे फायदा उठा रहे हैं, यह तो नहीं कह सकता कि देहाती लोगों को इस तरह ठग रहे हैं क्योंकि एग्रीमेंट्स किये गये हैं और लिख कर किये गये हैं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अनजाने में किये गये हैं और गवर्नमेंट को उन गांव वालों के इंटरेस्ट (हित) को भी देखना चाहिये और विलेज कम्युनिटीज (ग्रामीण समुदाय) की रक्षा करने के लिये और गवर्नमेंट को इन एग्रीमेंट्स को रीओपेन करना चाहिये ताकि यह एग्रीमेंट्स उन गांवों वालों के लिये भी हित कर सिद्ध हों ।

इन शब्दों के साथ उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका फिर धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया और मंत्री महोदय का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने काफी अच्छी तरह से और खूबी के साथ अपने मंत्रालय के कामों को चलाया है ।

†**श्री डी० सी० शर्मा** (होशियारपुर) : इस मंत्रालय की मांगों पर बोलते समय मैं गर्व और प्रसन्नता का अनुभव करता हूं । इस मंत्रालय के वित्तीय संसाधन बड़े सीमित हैं और इसका कार्य क्षेत्र बहुत विशाल है, जिस से बड़ी कठिनाई होती है परन्तु आप की अनुज्ञा से मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि हमें अपने पड़ोसी देश चीन से सबक सीखना चाहिये जिसने इस समस्या को हल करने का बहुत अच्छा तरीका अपनाया है ।

उसने हर प्रकार की वैज्ञानिक गवेषणा को एक स्थान पर केन्द्रित कर दिया है । भारत के कई स्थानों पर गवेषणा कार्य हो रहा है और यह कई मंत्रालयों के अन्तर्गत किया जा रहा है जिस से बड़ा अपव्यय होता है । मेरा सुझाव है कि हर प्रकार का गवेषणा कार्य इसी मंत्रालय के अधीन किया जाना चाहिये, जैसा कि चीन में किया जाता है ।

प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक प्रयोगशाला है और वहां कोई न कोई गवेषणा कार्य होता है । राष्ट्रीय प्रयोगशाला में भी बहुत कुछ कार्य हो रहा है, और इनके अतिरिक्त विज्ञान मन्दिरों का जाल बिछाया जाने वाला है । मेरा विचार है कि इनका परस्पर सम्बन्ध होना चाहिये और इनकी पहुंच जनता तक होनी चाहिये ।

आधारभूत गवेषणा कार्य बहुत अच्छा होता है परन्तु जब तक एक साधारण व्यक्ति उससे लाभ न उठा सके तब तक यह बेकार है । चीन में देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये गवेषणा कार्य किया जाता है ।

प्रायः हम कहते हैं कि हमारे पास इस्पात कम है । इसके कारण रेलवे का विकास नहीं हो पाता । परन्तु हम इस सम्बन्ध में कर क्या रहे हैं ? चीन में इस कमी को पूरा करने के लिये एक सस्ती धातु को काम में लाने का यत्न किया जा रहा है । यही हालत ईंधन की है । कोयले की कमी आ रही है । विद्युत्-शक्ति और अणु-शक्ति भले ही उपलब्ध हो जाये परन्तु वह बहुत महंगी होगी । चीन में इसके लिये संश्लेषित पैट्रोलियम का प्रयोग किया जा रहा है परन्तु हम इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं ।

कुछ समय पूर्व सूर्यतापीय चूल्हे की बड़ी प्रशंसा की जाती थी परन्तु हमें देखना है कि क्या लोग इसका प्रयोग करते हैं । चीन में कृषकों के लाभ के लिये मौसम सम्बन्धी सूचना दी जाती है । वहां भेड़ों की एक ऐसी नसल पैदा की गई है जो कजाक की अपेक्षा ४५ प्रतिशत अधिक मांस और ६ गुना ऊन देती है ।

श्री हेमराज ने होशियारपुर और कांगड़ा की पहाड़ियों में पाई जाने वाली जड़ी बूटियों के बारे में कहा । उनके जानकारों की संख्या कम होती जा रही है और हम इन बहु-मूल्य वस्तुओं का लाभ

†मूल अंग्रेजी में

[श्री डो० सी० शर्मा]

नहीं उठा रहे हैं। इसीलिये मैं कहता हूं कि ऐसी वस्तुओं की गवेषणा की जानी चाहिये जो प्रति दिन हमारे काम में आती हैं।

अब मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में कुछ बातें कहूंगा। इस क्षेत्र में खनिज पदार्थ, जड़ी बूटियां और लगभग सभी वस्तुएं मिलती हैं। यह अच्छा है कि यहां खोज की जा रही है परन्तु मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि कांगड़ा और होशियारपुर जिलों में प्रकृष्ट खोज की जाये तो उन्हें आशा से अधिक फल प्राप्त होगा और इस से सारे देश का कल्याण होगा। ज्वालामुखी से तेल मिल सकता है और अन्य कई स्थानों से चूना, मैंगनीज़ और जिपसम उपलब्ध होगा परन्तु इनके लिये नियमित रूप से विस्तृत सर्वेक्षण किये जाने की आवश्यकता है। यह कोई खुशी की बात नहीं है कि खोज का काम स्टैंडर्ड वैकुअम आयल कम्पनी और डिग्बोई आसाम आयल कम्पनी कर रही है। जब कि भारत आत्म निर्भर होने का प्रयत्न कर रहा है उसे इस क्षेत्र में भी पीछे नहीं रहना चाहिये। इस कार्य को करने के लिये लोगों को शिक्षा तथा प्रशिक्षण देना होगा। श्री हेमराज ने ठीक ही कहा कि भारत में भूतत्व विज्ञान का विषय अधिक लोकप्रिय नहीं है। अतः मेरा सुझाव है कि विश्वविद्यालयों में ऐसे विभाग खोले जाने चाहियें जहां विद्यार्थियों को इस विषय में शिक्षा व प्रशिक्षण दिया जा सके। तभी भारत आत्म-निर्भर बन सकता है।

प्रतिवेदन में यह पढ़कर बहुत दुःख हुआ कि पदाधिकारी प्रशिक्षण स्कूल में एक वर्ष में केवल ८ पदाधिकारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया और विश्वविद्यालयों के केवल १० प्रशिक्षणार्थियों को टैक्सीडर्मी और संग्रहालय के काम में प्रशिक्षित किया गया। इन से क्या होगा। अत्यधिक संख्या में लोगों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये और देश में वैज्ञानिक विभागों का जाल बिछा दिया जाना चाहिये। बड़ी खुशी की बात है कि विज्ञान मन्दिरों का सामुदायिक परियोजनाओं के साथ सम्पर्क होगा परन्तु मेरा निवेदन है कि संग्रहालय भी खोले जाने चाहियें।

जापान में विज्ञान सम्बन्धी संग्रहालय खोले गये हैं। भारत में भी विज्ञान सम्बन्धी संग्रहालयों और प्रदर्शनियों की व्यवस्था की जानी चाहिये ताकि जनता को मालूम हो कि विज्ञान क्या है और यह मानव जाति के लिये क्या कुछ कर रहा है।

सब से अधिक निन्दनीय बात यह है कि हम ने अपनी वैज्ञानिक जन-शक्ति का ठीक ठीक निर्धारण नहीं किया है। हम अपने वैज्ञानिक संसाधनों के बारे में नहीं जानते हैं। इसलिये वैज्ञानिक संघ बनाये जाने चाहियें और छोटी-छोटी वैज्ञानिक संस्थायें स्थापित की जानी चाहियें। ऐसा करने से हमारा काम सरल हो जायेगा। मैं प्रतिवेदन का स्वागत करता हूं और मुझे आशा है कि इस मंत्रालय के लिये अधिक धन नियत किया जायेगा।

श्री भक्त दर्शन (जिला गढ़वाल—पूर्व व जिला मुरादाबाद—उत्तर-पूर्व): उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं यह अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय को जो पिछले वर्ष देश के विभिन्न भागों में भूतत्वीय सर्वेक्षण आदि कार्य हुये और जैसा प्रशंसनीय कार्य इसने किया, उसके लिये उनको बधाई दूं। इस बधाई देने का कारण यह भी है कि इस मंत्रालय की जिम्मेदारी जिन के कन्धों पर है उन्हें बहुत वर्षों से जानने के कारण मैं जानता हूं कि उन्होंने यू० पी० में जब वह उद्योग धंधों तथा ग्राम सुधार सम्बन्धी मामलों के मंत्री थे तो उन्होंने बहुत परिश्रम, योग्यता तथा कर्मठता से अपना कार्य किया था। और मुझे इस बात में कोई संकोच नहीं है कि अब जिस मंत्रालय को वह सम्भाले हुये हैं वह मंत्रालय भी बहुत अधिक तरक्की करता जायेगा यह मेरा विश्वास है।

यहां पर बहुत से विषयों पर बहस हुई है । मैं इस सदन का ध्यान केवल एक विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं और वह है लोहेतर धातुएँ यानी नान-फेरस मेटल (अलौह धातुएँ) । भारत सरकार ने सन् १९४८ में अपनी इंडस्ट्रियल पालिसी का डेक्लेरेशन किया था अपनी औद्योगिक नीति की घोषणा की थी और उसमें नान-फेरस मेटल्स को एक बेसिक इंडस्ट्री यानी बुनियादी उद्योग माना था और वह है भी एक बहुत महत्वपूर्ण इंडस्ट्री । इसका कारण यह है कि जहां तक तांबे का सम्बन्ध है इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अनिवार्य स्थान बिजली और रासायनिक उद्योगों में खास तौर से है । लेकिन दुःख की बात है कि हम करीब-करीब सारा तांबा विदेशों से मंगा रहे हैं । उदाहरणस्वरूप अभी दो-तीन दिन पहले एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया था कि सन् १९५४ में हमारे देश के अन्दर तांबे का उत्पादन केवल ७,१६१ टन था और सन् १९५५ में बढ़कर ७,२८१ टन हो गया । जब कि हमारे देश की मांग इस समय कम से कम २५,००० टन की है । और अगली पंचवर्षीय योजना में ज्यों-ज्यों हमारे देश में उद्योगीकरण बढ़ता जायेगा त्यों-त्यों तांबे की मांग भी बढ़ती चली जायेगी ।

इस समय मैं मंत्रालय का ध्यान खास तौर से इसलिये इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि यदि हम अपनी आवश्यकता का तांबा अपने देश में उपलब्ध करने लगें तो एक लाभ तो हमको यह होगा कि जो १० करोड़ रुपये का फारेन एक्सचेंज (विदेश विनिमय) हमको दूसरे देशों को देना पड़ता है वह बच जायेगा । दूसरे इस समय तांबे का उद्योग मुख्यतः विदेशियों के हाथ में होने से इसका परिणाम यह हो रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट (अन्तर्राष्ट्रीय बाजार) में तांबे का भाव बढ़ता चला जा रहा है । उदाहरणस्वरूप लड़ाई के बाद सन् १९४६ में लन्दन के बाजार में तांबे का भाव ७७ पौण्ड प्रति टन था, जब कि सन् १९५१ में वह २२० पौण्ड हो गया और पिछले वर्ष ३५० पौण्ड के लगभग तांबे का भाव रहा । इस कारण हमारे देश पर भार बढ़ता चला जायेगा । इसलिये हमको सर्व प्रथम अपने को तांबे के मामले में स्वावलम्बी बनाना चाहिये ।

जहां तक एल्यूमीनियम का प्रश्न है इस समय हमारे देश में इसका उत्पादन ५ हजार टन है लेकिन मुझे यह जान कर बड़ी प्रसन्नता हुई है कि योजना कमीशन की योजनाओं के अनुसार अगले तीन-चार वर्षों में वह २५ हजार से ३० हजार टन तक हो जायेगा ।

लैड अर्थात् सीसे का उत्पादन इस समय हमारे देश में ६०० टन है लेकिन अगले चार-पांच वर्षों में यदि हमारी योजना सफल हो गयी, जैसी कि आशा है, तो उसका उत्पादन बढ़ कर ६,००० टन तक हो जायेगा । लेकिन जो सबसे बड़ा प्रश्न है वह तांबे का है ।

परसों ४ तारीख को मेरे एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री महोदय ने बतलाया था कि हमारे देश के विभिन्न भूभागों में बहुत बड़ी मात्रा में तांबा दबा पड़ा है । उन्होंने जिन स्थानों के नाम बतलाये वे इस प्रकार हैं : १. पश्चिमी बंगाल में दार्जिलिंग तथा जलपाईगुड़ी जिले, २. बिहार में हजारी-बाग तथा सिंघभूम जिले, ३. मध्य प्रदेश में बालाघाट, जबलपुर तथा सागर जिले, ४. राजस्थान में खेतड़ी तथा दरीबो, ५. जिला करनूल में गनी, आन्ध्र में अनन्तपुर तथा नैलोर जिले, ६. मैसूर में चित्तलद्रुग ७. उत्तर प्रदेश में अलमोड़ा तथा गढ़वाल, ८. बम्बई में चोटौड़पुर, ९. सिक्किम में रंगपो, १०. मध्य भारत में इन्दौर, ११. पंजाब में कुल्लू, १२. आसाम में अबोर की पहाड़ियां तथा बोर कामटी, १३. विन्ध्य प्रदेश में रींवा तथा १४. मनीपुर ।

इससे प्रकट होता है कि हमारे देश में यह धातु प्रायः सभी प्रदेशों में फैली हुई है परन्तु अभी तक इसको निकालने का कोई प्रयत्न नहीं हो पाया है । मैं इसका एक उदाहरण देता हूं । मेरे जिले गढ़वाल में आज से १५० वर्ष पूर्व, जब वहां राजाओं का राज्य था धनपुर व पौखरी आदि स्थानों पर तांबे की खुदाई होती थी और बड़े पैमाने पर होती थी । लेकिन जब अंग्रेज इस देश में आये तो उन्होंने अपनी साम्राज्यवादी नीति के कारण उस उद्योग को समाप्त कर दिया । लेकिन भारत के स्वतन्त्र होने के बाद

[श्री भक्त दर्शन]

भी अब तक उस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है । उसका सर्वेक्षण तो किया गया है और उसकी कुछ रिपोर्टें भी हमारे सामने हैं, जिन के लिये मैं मंत्रालय का आभारी हूं, लेकिन इस दिशा में कोई सक्रिय कदम नहीं उठाया गया है । पिछले साल जो जिआलाजीकल सर्वे (भूतत्वीय सर्वेक्षण) की रिपोर्ट निकली थी उससे मालूम होता है कि गढ़वाल में दक्षिण पूर्व में ग्वालदम से उत्तर पश्चिम को अखीमठ के समीप ७० मील तक एक तांबे की पट्टी (कापर बैल्ट) फैली हुई है । सन् १९३८ में जब हमारे प्रधान मंत्री जी, उस समय वे प्रधान मंत्री नहीं थे, अपनी बहिन श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित के साथ गढ़वाल गये थे और वहां की उन्होंने १५ दिन तक यात्रा की थी तब वहां से लौटने पर एक वक्तव्य दिया था । उसमें उन्होंने कहा था :

गढ़वाल एक निर्धन लोगों का क्षेत्र है परन्तु वहां के जल और खनिज संसाधनों का विकास किये जाने की आवश्यकता है । जल से विद्युत्-शक्ति का उत्पादन करके उसे खेतों और उद्योगों के लिये काम में लाया जा सकता है । इसलिये जल-विद्युत् और खनिज पदार्थों की जांच के लिये ही समितियों द्वारा जांच की जाये ।

आज से १७ वर्ष पहले जब वे कांग्रेस द्वारा नियुक्त योजना आयोग के अध्यक्ष थे तब उन्होंने जो "इम्मीजियेटली" शब्द कहा था उसके अनुसार आज तक कार्य नहीं हो पाया है और अभी तक उस ओर कोई सक्रिय कदम नहीं उठाया गया है ।

इस सम्बन्ध में मैं एक बात मंत्री महोदय से और कहना चाहता हूं । वह यह है कि ऐसे बहुत से उद्योग धंधे हैं जिन में कि प्राइवेट सेक्टर कुछ काम कर सकता है । लेकिन तांबा इस देश के लिये तात्कालिक आवश्यकता की चीज है । इसको प्राइवेट सेक्टर पर नहीं छोड़ना चाहिये । वैसे भी अभी एक अधिकारी लेखक ने अपने लेख में लिखा था :

"क्योंकि अलौह धातु उद्योग को स्थापित हुए थोड़ा समय ही हुआ है और उत्पादन भी अधिक नहीं है अतः लाभ कम ही हुआ है इसलिये अलौह धातुओं की खोज और खानों के लिये सरकार को ही वित्तीय संसाधन जुटाने होंगे ।

इस सम्बन्ध में जो हमारे मंत्रालय की नीति अभी तक रही है वह मेरी समझ में नहीं आयी । जहां तक मैं समझा हूं मंत्रालय की अपनी नीति यह है कि वह जांच पड़ताल करके यह बतला देता है कि यहां पर जो धातु है वह कितनी मात्रा में है, उसकी क्वालिटी क्या है और किस तरह से उसको निकाला जाये । लेकिन बाद में या तो उस काम को वह प्राइवेट सेक्टर पर छोड़ देता है या राज्य सरकारों से प्रार्थना की जाती है कि वे इस काम को करें । मैं समझता हूं कि यदि हम इस नीति पर चलेंगे तो युग बीत जायेंगे और समृद्धि के जिस स्तर पर हम अपने देश को ले जाना चाहते हैं उस स्तर पर हम नहीं ला पायेंगे ।

हमारे देश में वैसे ही ऐसे वैज्ञानिकों की कमी है जो कि भूगर्भ शास्त्र के जानकार हों; फिर भी उनके बारे में इस रिपोर्ट में पृष्ठ ६ पर यह लिखा है :

"सर्वेक्षण कार्य के लिये ३२२ घोषित पदों की स्वीकृति दी गई जिन में से २०९ पर नियुक्तियां की जा चुकी हैं और ६५० अघोषित पदों में से केवल ४७४ नियुक्तियां की गई हैं ।"

इसका मतलब यह है कि ११३ गजटेड पोस्टें नहीं भरी जा सकीं और १७६ नान गजटेड पोस्टें नहीं भरी जा सकीं । प्लानिंग कमीशन ने वैसे ही इस काम के लिये बहुत कम रुपया मंजूर किया है । लेकिन उसको खर्च करने का भी प्रबन्ध नहीं किया जा सका और पूरी जगहें नहीं भरी जा सकी । मैं अपने मित्र दीवान चन्द शर्मा की तरह तो हाइपरबोलिक (अतिक्षयोक्ति पूर्ण) भाषा में यह नहीं कहना चाहता कि इस काम के लिये एक आर्मी (सेना) खड़ी कर दी जाये । अगर हर एक काम के लिये

आर्मीज खड़ी कर दी जायें तो हो सकता है कि वे आपस में ही लड़ने लगें और काम कुछ न हो। लेकिन मेरा निवेदन यह है कि यदि हमें देश का औद्योगीकरण करना है और देश को समृद्ध बनाना है तो अगर हम इस कछुए की चाल से चले तो हमें कोई लाभ होने वाला नहीं है। मुझे माननीय मंत्री महोदय की योग्यता और कर्मठता में विश्वास है और साथ ही उनके विभाग को प्रधान मंत्री जी का आशीर्वाद प्राप्त है और उसमें उनकी बड़ी दिलचस्पी है। इसलिये मैं जोरदार अनुरोध करूंगा कि योजना कमीशन (आयोग) पर फिर से इस विषय में जोर डाला जाये और अधिक रुपया लिया जाय और उससे देश के अंदर अच्छे-अच्छे विशेषज्ञ और कार्यकर्त्ताओं को तैयार करके अगले पांच वर्षों में इस काम को तेजी से शुरू कर दिया जाये।

अभी हमारे मित्र नायर साहब ने कहा कि हमारे पास इस देश का पूरा जिआलाजीकल मैप-(भूतत्वीय मान चित्र) तक नहीं है। हमको यह नहीं मालूम कि हमारे यहां किस जगह पर कौन चीज मौजूद है। क्या यह लज्जा की बात नहीं है कि स्वाधीनता के आठ वर्ष बाद भी हमें यह नहीं मालूम कि हमारे यहां किस स्थान पर क्या चीज मौजूद है। पहले हमको मालूम तो होना चाहिये कि हमें क्या करना है तभी हम किसी काम को करने की योजना बना सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अधिक समय न लेकर अन्त में एक बात और कहना चाहता हूं। वह यह है कि हाई आल्टीट्यूड रिसर्च स्टेशन (उत्तुंग गवेषणा केन्द्र) के बारे में लगभग दस वर्ष से लिखा पढ़ी चल रही है। कास्मिक रे (ब्रह्माड किरण) के बारे में अनुसन्धान करने के लिये एक अलग स्टेशन स्थापित करने का विचार है और अब वह यह निश्चित सा मान लिया गया है कि गुलमर्ग के पास खिलन मर्ग में वह स्टेशन स्थापित किया जायेगा। लेकिन उसके और भी अंग हैं जैसे ग्लेशियालोजी के बारे में अनुसन्धान होना है और हिमालय के फ्लोरा और फौना (वनस्पतियों और जानवरों) के बारे में अनुसन्धान करना है, हिमारोहण के बारे में अनुसन्धान करना है और वनस्पतियों के बारे में अनुसन्धान करना है। इन सब कामों के लिये भी आप को कोई स्थान निश्चित करना चाहिये। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि केन्द्रीय हिमालय में बद्रीनाथ के पास जो जोशीमठ का स्थान है वह इस कार्य के लिये बहुत उपयुक्त है। वहां से बर्फ भी नजदीक है लेकिन फिर भी यह बारहों महीने खुला रहता है। वहां तक केन्द्रीय सरकार की सहायता से मोटर सड़क जल्दी ही बनने वाली है। वह भारतवर्ष के लिये अत्यन्त महत्व का स्थान है क्योंकि जगद्गुरु श्री शंकराचार्य ने भारत भर में जो चार मठ बनाये थे उनमें से एक वहां पर बनाया था। इसलिये जहां उस स्थान ने सांस्कृतिक दृष्टि से देश के उत्थान में भाग लिया है वहां उसको अब वैज्ञानिक और आर्थिक जीवन में उन्नति करने में भी भाग लेने का अवसर दिया जाना चाहिये। देश में कई स्थानों पर लेबारेटरीज खोली जा चुकी हैं। स्वर्गीय भटनागर साहब कई ऐसे इंस्टीट्यूट्स खोल कर अपना नाम अमर कर गये हैं। उन्होंने बड़ी-बड़ी अनुसन्धानशालायें खोल कर अपना नाम अमर बना दिया है। एक बार इस स्थान के बारे में भी मेरी उनसे बातें हुई थीं। उनकी इच्छा थी कि यहां पर भी एक रिसर्च स्टेशन कायम किया जाये लेकिन वे उस इच्छा को पूरा न कर सके। अब मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे इस ओर ध्यान दें। यह न केवल डिफेंस (प्रतिरक्षा) की दृष्टि से उपयोगी चीज है बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी आवश्यक है।

अतः मुझे आशा है कि मंत्री महोदय मेरे सुझावों पर ध्यान देंगे।

†**श्री एन० एम० लिंगम** (कोयम्बटूर): देश के खनिज विकास के सम्बन्ध में चर्चा करते समय योजना आयोग ने कहा है कि खनिजों और उद्योगों के विकास के कार्यक्रमों का एकीकरण होना चाहिये। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में जबकि उद्योगों के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम बनाये जा रहे हैं तब

†मूल अंग्रेजी में

[श्री एन० एम० लिंगम]

भारत के खनिज संसाधनों की खोज अपूर्ण है, यह बात उनके सम्बन्ध में विस्तृत ज्ञान प्राप्त किये जाने की आवश्यकता पर बल देती है योजना आयोग ने हमारे खनिज संसाधनों के विकास पर बल दिया है किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि उसके पास इसके लिये कोई स्पष्ट कार्यक्रम नहीं है ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में खनिज विकास के लिये ११·५ करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया है, साथ ही हमें ज्ञात हुआ है उक्त राशि के तीस करोड़ रुपये किये जाने पर विचार किया जा रहा है । इन आंकड़ों का आधार क्या है और आयोग क्या कार्यवाही कर रहा है या मंत्रालय का क्या कार्यक्रम है और खनिज विकास के सम्बन्ध में मंत्रालय और आयोग के बीच सहमति है या नहीं है इन सब बातों के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है । मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इन बातों पर प्रकाश डालेंगे ।

इस विकास कार्य में सार वस्तु है समय । मंत्रालय को विदेशी विशेषज्ञों से परामर्श प्राप्त करने की सुविधा प्राप्त हुई थी और इस समय उसे सदन और योजना आयोग के समक्ष विकास के लिये एक निश्चित कार्यक्रम प्रस्तुत करना चाहिये था । मैं आशा करता हूं कि उद्योग के विकास की ओर माननीय मंत्री कुछ संकेत करेंगे ।

इस सम्बन्ध में एक और महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे समक्ष है, और वह यह है कि क्या तेल के विकास के लिये केवल सरकारी क्षेत्र में कार्य किया जाये या गैर-सरकारी क्षेत्र में । हमारी औद्योगिक नीति के अनुसार तेल उद्योग का विकास सरकारी क्षेत्र में किया जाना चाहिये । किन्तु अतीत में इस महत्वपूर्ण प्रश्न के हल किये जाने में जो विलम्ब हुआ है उससे यह स्पष्ट है कि वह सरकारी क्षेत्र में हो तो भी देश के तेल संसाधनों से तेल निकालने के लिये कोई शीघ्र उपाय किये जाने चाहियें ।

इसी सिलसिले में मैं प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री को बधाइयां देता हूं । उन्होंने कई कठिनाइयों का सामना करके योजना आयोग को देश की तेल सम्पत्ति के प्रति सचेत किया है ।

यहां कुछ महीने पहले एक औद्योगिक प्रदर्शिनी आयोजित की गयी थी । उसमें संसार के बड़े-बड़े औद्योगिक देशों के निर्माताओं ने भाग लिया था और उक्त प्रदर्शिनी को देखने से हमें यह ज्ञात हुआ कि भारत को वैज्ञानिक और औद्योगिकीय गवेषणा के पथ पर अभी कितना अधिक चलना है ।

यहीं मैं इस बात का उल्लेख कर रहा हूं कि भूतत्वीय सर्वेक्षण सभी अन्य सर्वेक्षणों का आधार है । भारत का भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग इस समय कई बातों पर अपनी शक्ति व्यय कर रहा है । भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग की सभी आवश्यकताओं पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विचार किया गया है या नहीं यह मैं नहीं जानता हूं । मैं माननीय मंत्री से निवेदन करता हूं कि वह विशेषज्ञ समूहों को अन्य परियोजनाओं को न भेज कर केवल खनिज विकास के लिये वह अपना ध्यान भूतत्वीय सर्वेक्षण पर केन्द्रित करें ।

जहां तक तेल की खोज का सम्बन्ध है निम्नलिखित सर्वेक्षण किये जाने होते हैं : भूतत्वीय सर्वेक्षण, गुरूत्व सर्वेक्षण, भू-भौतिकीय सर्वेक्षण और परीक्षणात्मक छिद्र करना । हम देखते हैं कि देश भर में सर्वेक्षण किया जा रहा है किन्तु प्रत्येक क्षेत्र में उक्त सभी सर्वेक्षण नहीं किये जाते हैं । माननीय मंत्री से मेरा निवेदन है कि वह प्रत्येक क्षेत्र में सभी प्रकार के सर्वेक्षण करायें ताकि जिस क्षेत्र में तेल नहीं पाया जाता है उस पर समय और शक्ति का अपव्यय न हो । आर्थिक दृष्टि से भी यह बात अत्यन्त महत्वपूर्ण है ।

आसाम आयल कम्पनी से हो रही वार्ताओं के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हुई है किन्तु हम उसके विवरणों के बारे में कुछ नहीं जानते हैं । मौजूदा सर्वेक्षण लाइसेंस द्वारा उसे कई रियायतें प्राप्त हुई हैं । हमें यह ज्ञात नहीं है कि भविष्य में जो तेल शोधन कारखाना स्थापित किया जाने वाला है उसके बारे में उक्त कम्पनी से वार्ता की जा रही है या नहीं और न हमें यह ज्ञात हुआ कि प्रस्तावित तैल शोधन कारखाने से तेल के ले जाये जाने के लिये रेलवे किसी प्रकार की व्यवस्थ करेगी या नहीं । इन

महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में सदस्यों को जानकारी दी जानी चाहिये ताकि वह समूचे प्रश्न के बारे में अपने विचार प्रकट कर सकें ।

दक्षिण में तेल की खोज भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है । रूसी भूतत्वेताओं ने उड़ीसा में ही नहीं वरन दक्षिण में भी तेल प्राप्त होने की सम्भावनाओं की ओर संकेत किया है । माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध है कि दक्षिण में खनिज तेलों के विकास सम्बन्धी कार्यक्रम के बारे में वह कोई संकेत दें ।

विदित हुआ है कि मंत्रालय में तेल और प्राकृतिक गैस के लिये एक नवीन निदेशालय स्थापित किया जाने को है । हमें यह भी ज्ञात हुआ है कि इस निदेशालय के अधिकारी विदेशी प्रविधिविज्ञ परामर्शदाता और वैज्ञानिक होंगे । यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि इस प्रकार के निदेशालय में हमारे वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों को भी अधिक नहीं तो समान स्तर और प्रतिष्ठा प्रदान की जानी चाहिये । मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर प्रकाश डालेंगे ।

आसाम ऑयल कम्पनी और स्टैन्डर्ड वैकुअम ऑयल कम्पनी के साथ हमारी भागिता है । इस समझौते का संशोधन, भारत सरकार के ऐसे समवायों के साथ अधिक सहकार्य के लिये आवश्यक है और मेरा ख्याल है कि मेरे इस कथन से माननीय सदस्य सहमत हैं । मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इन सभी बातों के सम्बन्ध में जो स्थिति है उसे स्पष्ट करेंगे ।

जहां तक तांबे का सम्बन्ध है यह हमारी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या आप अपना भाषण एक-दो मिनट में समाप्त कर सकेंगे ?

†**श्री एन० एम० लिंगम** : जी नहीं, मुझे और पांच मिनट लगेंगे ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अपना भाषण अगले दिन जारी रख सकते हैं । अब हम कार्यसूची के अगले विषय को लेते हैं ।

बाल सन्यास दीक्षा रोक विधेयक*

†**श्री डाभी** (कैरा—उत्तर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि बाल सन्यास दीक्षा पर रोक लगाने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि बाल सन्यास दीक्षा पर रोक लगाने वाले विधेयक को, पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री डाभी** : श्रीमान, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

विधान मंडलों की कार्यवाही (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब यह लोक-सभा श्री फीरोज गांधी द्वारा २३ मार्च, १९५६ को पुरः-स्थापित इस प्रस्ताव पर, कि संसद् राज्य विधान मंडलों और उनकी समितियों की कार्यवाहियों के प्रतिवेदनों के प्रकाशन को संरक्षण देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये, अग्रेतर चर्चा करेगी ।

आज चर्चा के लिये दो घंटे और दो मिनट का समय शेष है । श्री रघुवर दयाल मिश्र अपना भाषण जारी रख सकते हैं ।

श्री आर० डी० मिश्र (जिला बुलन्दशहर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दिन मैं यह अर्ज कर रहा था कि मैं इस बिल का समर्थन करता हूं । इस का खास कारण यह है कि हमारे देश में प्रजातंत्र राज्य.....

---

†भूल अंग्रेजी में

*भारत सरकार का सूचना पत्र असाधारण, भाग २, अनुभाग २, दिनांक ६ अप्रैल, १९५६ में प्रकाशित ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति । कई माननीय सदस्यों ने इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा में भाग लेने की इच्छा व्यक्त की है । यदि माननीय सदस्य इस बात से सहमत हों कि उनके भाषणों के लिये समय-सीमा निर्धारित की जाये तो सम्भवतः चर्चा में अधिक सदस्य भाग ले सकेंगे । क्या प्रत्येक सदस्य को हम पन्द्रह मिनट द सकेंगे ?

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (गुडगांव) : दस मिनट ।

†**पंडित बालकृष्ण शर्मा** (जिला कानपुर—दक्षिण व जिला इटावा—पूर्व) : मुझे यह ज्ञात हुआ है इस विधेयक पर कुछ प्रमुख सदस्य—जिनमें श्री एन० सी० चटर्जी भी एक हैं, बोलेंगे और हम उनका भाषण अधिक समय तक सुनना चाहेंगे ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : साधारणतः एक वक्ता को दस मिनट दिये जायें और कुछ वक्ताओं को पन्द्रह ।

†**विधि कार्य मंत्री (श्री पाटस्कर)** : मेरा ख्याल है कि मुझ लगभग बीस मिनट दिये जायें ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अपवाद किये जायेंगे ।

श्री आर० डी० मिश्र : हमारे देश में प्रजातन्त्र राज्य स्थापित होने के बाद यह आवश्यक हो गया है कि हाउस (सभा) में या स्टेट के लेजिस्लेचर्स (राज्य विधान मंडल) में हम जो काम करते हैं, वह काम जनता के सामने जाय । और जनता के सामने सिवा समाचारपत्रों के और कोई साधन नहीं है जिस के जरिये उनके पास वहां की कार्यवाही जाय । आज यह जरूरी हो जाता है कि यहां की कार्यवाही सही-सही जनता के सामने पहुंचे ताकि जनता यह समझे कि उनके नुमाइन्दे लेजिस्लेचर्स में क्या कर रहे हैं, किस तरीके से टैक्स लगाते हैं, क्या उनकी जिम्मेदारियां हैं, किस चीज के लिये उन्हें क्या खर्च करना है, और और भी जो जरूरी बातें हों उन सभी के बारे में जनता को अच्छे तरीके से जानकारी हो । इसलिये यहां की प्रोसडिंग्स (कार्यवाहियों) का छपना अखबारात में निहायत जरूरी है ।

लेकिन मैंने पिछले दिनों देखा कि बहुत से अखबारात, इस हाउस की बहुत-सी कार्यवाही नहीं छापते हैं, कुछ अखबारात हैं जो कि छापते हैं, कुछ अखबारात ऐसे हैं जो कि एक हिस्सा छापते हैं दूसरे नहीं । जो पार्टियों के अखबारात होते हैं वह यह करते हैं कि अपनी पार्टी के आदमियों की बातों को ले लिया और उन्हें छाप दिया । इसके मुताल्लिक कोई कानून हमारा बना हुआ नहीं है जिस से हम इस प्रेस को भी कंट्रोल (नियंत्रित) कर सकें और यह देख सकें कि उन लोगों को कहां तक अख्त्यार (अधिकार) है । अखबारों की इसकी पूरी आजादी होनी चाहिये कि यहां जो कुछ भी कार्यवाही हाउस के अन्दर हो उसको सही-सही जनता के सामने रख दें, लेकिन अगर कोई अखबार उस कार्यवाही में से किसी बात को छिपाता है या दबाता है, एक तरफा कार्यवाही रखता है, तो उसके खिलाफ भी इस हाउस को अधिकार होना चाहिये । तो यह बिल जो कुछ कर रहा है वह सिर्फ यही है कि अखबारों को यह आजादी होनी चाहिये कि वह सही-सही कार्यवाही जनता के सामने रख सकें । हमारे विधान ने इस बात को मान लिया था कि इस हाउस की कार्यवाही छापी जा सकती है, लेकिन इस हाउस की अथारिटी, (प्राधिकरण) से उसकी मंजूरी से । तो इस किस्म की मंजूरी का कानून गवर्नमेंट को पहले ही ले आना चाहिये था कि इन शर्तों के साथ अखबार वाले यहां की कार्यवाही को छाप सकते हैं और अखबार वालों को पूरी आजादी है कि अगर वह सही-सही रिपोर्ट इस हाउस की प्रोसीडिंग्स की छापेंगे तो उन के खिलाफ बाहर का कोई भी आदमी मुकदमा नहीं चला सकेगा । यह जनता के हित में है कि इस हाउस और दूसरे लेजिस्लेचर्स की कार्यवाही जनता के सामने जाये । जब वह ठीक-ठीक कार्यवाही छापते हैं तो उन की नेक नियती या बद नियती का कोई सवाल पैदा नहीं होता है क्योंकि प्रजा-

†मूल अंग्रेजी में

तन्त्र राज्य में जनता के नुमाइन्दों की जो कार्यवाही लेजिस्लेचर्स में हो वह जनता के सामने जानी ही चाहिये। उसका छापना निहायत जरूरी होता है और उसमें मेलिस (द्वेष) का कोई सवाल नहीं। इसलिये जैसी कि मेरे भाई डाभी साहब ने तरमीम रखी है कि इस में गुड-फेथ (संदिच्छा) रख देना चाहिये, उसमें गुड-फेथ की कोई बात नहीं है। अगर अखबारों में सही-सही रिपोर्ट छापी जायें तो उसमें गुड-फेथ का सवाल पैदा नहीं होता। जैसा कि हमारे संविधान में प्रोवाइड (उपबन्ध) किया गया है, इस तरह का बिल गवर्नमेंट को ही लाना चाहिये था, लेकिन हमारे भाई श्री फीरोज गांधी को एक प्राइवेट मेम्बर (गैर-सरकारी सदस्य) की हैसियत से इस को यहां लाना पड़ा। मैं समझता हूं कि उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। अगर यह बिल यहां पर पास हो जाता है तो समाचारपत्र जगत में उनका नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित रहेगा। जहां पर भी प्रजातन्त्र राज्य है वहां पर सभी जगह थोड़ी सी शरायत के साथ खबरों को छापने की पूरी आजादी दी हुई है। अमरीका के अन्दर तो वहां के संविधान में ही यह बात दी हुई है कि अखबारों को पूरी आजादी है। जहां तक इंग्लिस्तान का ताल्लुक है वहां पर सन् १९६८ में जो मुकदमा हुआ था उसके बारे में फीरोज भाई ने बतलाया था कि उसके अनुसार वहां पर पूरी आजादी है कि अगर सही कार्यवाही अखबार वाले छापते हैं तो उन के ऊपर कोई मुकदमा नहीं चल सकता है। लेकिन कानून के मुताबिक अगर कोई आदमी बिना हाउस आफ कामन्स की मंजूरी के वहां की प्रोसीडिंग्स को छापता है तो कंटेम्ट आफ प्रोसीडिंग्स (सभा की मान हानि) हो जाती है, लेकिन वहां के हाउस ने इस चीज को वेव (हटा) कर दिया है और वहां पर सही-सही रिपोर्ट छपती है। इसी तरह से दूसरे मुल्कों में भी इस तरह की कार्यवाही छापी जाती है, मगर अभी तक हमारे मुल्क में अखबारों को पूरी आजादी नहीं है। इसलिये अखबार वालों को डर रहता है कि अगर किसी मेम्बर ने कोई ऐसी बात यहां पर कह दी जो किसी के खिलाफ आ कर पड़ती हो और वह डिफैमेशन के क्लाज (मान हानि के खंड) में आ जाती हो तो वह आदमी उस के छापने वाले पर मुकदमा चला सकता है। इस डर की वजह से वह कार्यवाही को नहीं छापते हैं, और जो छापते हैं वह उस के छापने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जहां तक डिफेमेशन का सवाल है बहुत से मामलात हमारे सामने आते हैं, कान्स्टिटुएंसी (निर्वाचन क्षेत्र) का सवाल आता है, अफसरों की शिकायतों का सवाल आता है, किसी मेम्बर के खिलाफ कोई बात आती है, जनता के आदमियों की शिकायतें आती हैं, अगर उन शिकायतों को इस हाउस के सामने रख दिया गया, मुमकिन है कि उन में पूरी सदाकत (सत्यता) न हो, या वह पूरी तरह से साबित न हो सकें, तो उसके छापने वालों को अपने ऊपर मुकदमा चलने का डर रहता है और इसलिये वह चीज जनता के सामने नहीं पहुंचती है। जो खराब काम करता है अगर उसके खिलाफ कोई शिकायत रखी जाय तब तो मुकदमा नहीं चल सकता है लेकिन जहां तक इस हाउस का ताल्लुक है अगर यहां पर कोई बात पेश की जाय कि गवर्नमेंट का फलां अफसर खराब काम कर रहा है, उस की जांच करने पर अगर पाया जाय कि वह निर्दोष है तब तो कोई बात नहीं, और अगर दोषी है तो उसको सजा दे दी जाय, लेकिन अगर वह अफसर निर्दोष है और उसकी शिकायत अखबार में छप जाती है तो वह उस अखबार के खिलाफ डिफैमेशन की कार्यवाही कर सकता है। तो इस डर से तो अखबार वाला छापता नहीं है और जनता में यह शिकायत की जाती है कि हमारी बातों को हाउस के सामने रखा नहीं जाता। इसलिये जरूरी है कि अखबारों को इजाजत दे दी जाय कि वह हमारे हाउस और स्टेट लेजिस्लेचर्स की कार्यवाहियों को सही-सही छापें। जहां तक जनता का सवाल है प्रैस कमिशन (आयोग) ने इस की तहकीकात (जांच) की कि कितने आदमी यहां की तकरीरों को पढ़ते हैं तो उन्होंने मालूम किया, २,२५८ आदमियों की राय ली गई, कि उन में से बहुत बड़ी तादाद ऐसे आदमियों की थी जो कि यहां की स्पीचेज को पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं। इससे मालूम पड़ता है कि हमारी जनता जो है वह भी इस के लिये सतर्क रहती है कि हमारे नुमाइन्दे हाउस के अन्दर क्या करते हैं। इसलिये

[श्री आर० डी० मिश्र]

जरूरी हो जाता है कि जनता की दिलचस्पी को कायम रखने के लिये, जनता को गवर्नमेंट की कार्यवाही को मालूम होने देने के लिये जनता को अपने नुमाइन्दों का काम मालूम होने देने के लिये उनके पास अखबारों के जरिये से सही-सही इसकी कार्यवाही जाये ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरे दो तीन भाइयों ने एक तरमीम रखी है कि इस बिल को राय आम्मा (जनमत) जानने के लिये सर्क्युलेट (परिचालित) किया जाये । मेरा कहना यह है कि इस पार्लियामेंट की लाइफ (संसद के जीवन) का करीब-करीब एक बहुत बड़ा हिस्सा खत्म हो चुका है और चूंकि इस बिल का पास किया जाना बहुत जरूरी है इस वास्ते इसको सर्क्युलेट न किया जाये । वैसे होना तो यह चाहिये था कि इस बिल को बहुत पहले लाया जाता लेकिन चूंकि यह देर में लाया गया है इस वास्ते मेरे खयाल में जनता की राय मालूम करने की कोई जरूरत नहीं है । एक भाई ने एक तरमीम यह पेश की है कि इसको सिलेक्ट कमेटी (प्रवर समिति) के पास भेज दिया जाये क्योंकि इसकी जो लैन्गुएज (भाषा) है, उसमें कुछ थोड़ी टइम्प्रूवमें (सुधार) की जानी आवश्यक है । इस चीज को मैं मानता हूं और चाहता हूं कि इसे सिलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया जाये ।

इतना कह कर मैं इस बिल को सपोर्ट करता हूं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मुझे इस अवस्था में इस आशय के एक संशोधन की सूचना प्राप्त हुई है कि विधेयक को प्रवर समिति को निर्देशित किया जाये । सामान्यतः इस अवस्था में किसी ऐसे संशोधन को स्वीकार करना अत्यंत कठिन होता है किन्तु यदि विधेयक का प्रस्तावक और सरकार सहमत हों तो मुझे पूर्व सूचना सम्बन्धी औपचारिकता अपेक्षा करके विलम्ब को माफ़ करना होगा । मुझे पहले यह ज्ञात होना चाहिये कि क्या सरकार संशोधन से सहमत है ।

†**श्री फीरोज गांधी** (जिला प्रतापगढ़–पश्चिम व जिला राय बरेली–पूर्व) : मैं सहमत हूं ।

†**श्री पाटस्कर** : प्रवर समिति को निर्देश किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिये सरकार तैयार है । किन्तु विधेयक का रूप स्वयं ऐसा है कि उस में सिद्धांत को स्वीकार करने का प्रश्न उत्पन्न होता है अथवा नहीं यह मैं नहीं जानता हूं । किन्तु मेरा ख्याल है कि प्रश्न उत्पन्न नहीं होगा । इसलिये सरकार भी चाहती है इस विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाये । इस विधेयक पर पूर्ण विचार किया जाये और प्रवर समिति को यह निर्णय करने दिया जाये कि क्या करना है और किस प्रकार करना है, इत्यादि ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : सरकार विधेयक के सिद्धान्तों को स्वीकार करेगी अथवा नहीं इस सम्बन्ध में कोई नियम बनाना या सदन से कुछ कहना मेरे अधिकार के बाहर है । यदि सरकार इस संशोधन से सहमत होती है तो उसे इन प्रश्नों का निर्णय करना होगा । मुझे तो केवल यह ज्ञात करना है कि सरकार इस संशोधन से सहमत है अथवा नहीं ।

†**श्री एन० सी० चटर्जी** (हुगली) : मैं आशा करता हूं कि विधेयक के महत्व को और समाचार-पत्रों और संसद् के कार्यकरण पर उसके संभाव्य परिणामों को ध्यान में रखते हुये सरकार कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं करेगी ।

†**श्री पाटस्कर** : प्रवर समिति को विधेयक के निर्दिष्ट किये जाने से मैं सहमत हूं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इन परिस्थितियों में पूर्व सूचना सम्बन्धी औपचारिका को हटाया जाता है और विलम्ब को माफ किया जाता है । श्री राने अपना संशोधन प्रस्तुत करें ।

†**श्री राने** (भुसावल) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को श्री हरिविनायक पाटस्कर, डा० राम सुभग सिंह, श्री त्रिभुन नारायण सिंह, श्री गणेश सदाशिव आल्तेकर, श्री नरहरि विष्णु गाडगील, श्री नेमी चन्द्र वासलीवाल,

---

†मूल अंग्रेजी में ।

श्री भागवत झा आज़ाद, श्री अब्दुल सत्तार, श्री बालकृष्ण शर्मा, श्री कामाख्या प्रसाद त्रिपाठी, डा० शौकत उल्ला शाह अन्सारी, श्री ए० एम० थामस, श्री फीरोज़ गांधी, श्री आर वेंकटरामन्, श्रीमती सुभद्रा जोशी, श्री राघेलाल व्यास, श्री पैदी लक्ष्मय्या, श्री तेकुर सुब्रह्मण्यम, श्री शंकर शांताराम मोरे, श्री जयपाल सिंह, श्रीमती रेणु चक्रवर्ती, श्री के० आनंद नम्बियार, श्री अमजद अली, श्री के० एस० राघवचारी, श्री भवानी सिंह, डा० ए० कृष्णास्वामी, श्री एन० सी० चटर्जी, श्री ए० ई० टी० बैरो, श्री फूलसिंह जी डाभी और प्रस्तावक की एक प्रवर समिति को सौंपा जाये और उसे १ मई, १९५६ तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अनुदेश दिया जाये ।"

पिछली बार जिन माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया था उन सभी ने इस सिद्धान्त का समर्थन किया था । लोक-सभा सचिवालय द्वारा दी गई एक पुस्तिका में कहा गया है प्रायः सभी देशों में यह विधि अधिनियमित की गई है कि समाचारपत्रों को विधान मंडलों की कार्यवाहियों को प्रकाशित करने का एक विशेषाधिकार होना चाहिये । भारत में इस प्रश्न पर कई समितियों द्वारा और १९४८ में समाचारपत्र विधि जांच समिति द्वारा इस प्रश्न पर विचार किया था । उक्त समिति के समक्ष समाचारपत्रों के प्रतिनिधियों ने इस आशय का एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था कि विधान मंडलों के अंदर जो बातें कही जाती हैं उन्हें प्रकाशित किये जाने के बाद पूर्ण संरक्षण मिलना चाहिये । किन्तु समिति ने उस समय दिये गये सुझाओं को स्वीकार नहीं किया था, इस अस्वीकृति का कारण बताते हुये उसने कहा था कि, "हमारी राय में इस बात का निर्णय सम्बन्धित विधानमंडलों द्वारा किया जाना चाहिये और चूंकि हमें यह ज्ञात हुआ है कि इस प्रश्न पर विचार करने के लिये संसद् द्वारा एक समिति नियुक्त किये जाने की संभावना है इसलिये हमें इस सम्बन्ध में कोई सिफारिश नहीं करनी है ।" हाल ही में भारत सरकार ने एक प्रेस आयोग भी नियुक्त किया था जिसने अपने प्रतिवेदन में कहा है :

"किन्तु हम यह सिफारिश करते हैं कि **वेसान वि० वाल्टर** के सिद्धांत को काम में लाने के लिये भारतीय दंड सहिता की धारा ४९९ के अपवाद ४ में संसद् के अथवा राज्य विधानमंडलों के इन शब्दों को जोड़ कर संशोधन किया जाये ।"

इसे देखते हुये इस विधेयक की आवश्यकता का प्रतिपादन जरूरी नहीं है ।

मैंने विधेयक के उपबन्धों की तुलना ब्रिटेन के मानहानि अधिनियम के उपबन्धों से की है और मैं देखता हूं कि कहीं-कहीं दोनों में अंतर है । सर्वाधिक महत्वपूर्ण खंड ३ है । मैंने संविधान के उपबन्धों को पढ़ा है । मैं देखता हूं कि सातवीं अनुसूची की सूची २ में प्रविष्टि ३९ में कहा गया है :

"विधान सभा, उसके सदस्यों और उसकी समितियों की शक्तियां विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां.....आदि ।"

कम से कम मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि संभवतः इस सभा को एक ऐसा विधान पारित करने की शक्ति हो जो विधानमंडलों के अधिकारों को कम करता हो । इसलिय इस प्रश्न पर ध्यानपूर्वक विचार किया जाना चाहिये और विधेयक को प्रवर समिति को निर्देशित करना ही सर्वोत्तम उपाय होगा ।

प्रवर समिति के जो सदस्य हैं वह इस सभा के विद्वान और योग्य व्यक्ति हैं और अपना कार्य पूर्ण दक्षता से करेंगे । मैं माननीय सदस्यों से और विधेयक के प्रस्तावक फीरोज़ गांधी और विधि कार्य मंत्री श्री पाटस्कर से इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिये अनुरोध करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** मूल्य प्रस्ताव और संशोधन सदन के समक्ष है । मेरे पास ऐसे आठ सदस्यों के नाम आये हैं जो बोलने के लिये बहुत उत्सुक हैं । मैं देखता हूं कि उनमें से चार स्दस्य प्रवर समिति में हैं । इसका अर्थ यह नहीं है कि चारों सदस्यों को बोलने का अवसर दिया जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**एक माननीय सदस्य :** श्री गाडगील और श्री एन० सी० चटर्जी सदा ही अपवाद रहते हैं।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** श्री एन० सी० चटर्जी।

†**श्री एन० सी० चटर्जी :** यद्यपि मेरा नाम प्रवर समिति के सदस्यों में है तथापि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है उस के लिये मैं आपका आभारी हूं। सदन को स्मरण होगा कि आज से चार वर्ष बाद हम भारतीय दंड संहिता के अधिनियमन का शताब्दि समारोह मनायेंगे। लार्ड मैकाले ने, जोकि प्रथम भारतीय निधि आयोग के अध्यक्ष थे, उक्त संहिता का प्रारूप बनाया था। श्री फीरोज़ गांधी का यह कथन, कि भारतीय दंड संहिता में एक गंभीर त्रुटि है सही है और वह त्रुटि यह है कि धारा ४९९ के अंतर्गत, जोकि मानहानि से सम्बन्धित है कुछ अपवाद रखे गये हैं। चौथा अपवाद जितना व्यापक होना चाहिये उतना नहीं है। सन् १८६० में जब भारतीय दंड संहिता बनाई गई थी तब उस समय किसी संसद् की कल्पना नहीं की गई थी। उस समय वयस्क मताधिकार नहीं था और न विधानमंडल ही था।

†**श्री एस० एस० मोरे** (शोलापुर) : विधानमंडल तो था किन्तु प्रजातंत्रात्मक विधान-सभा नहीं थी।

†**श्री एन० सी० चटर्जी :** वास्तव में वह विधानसभा की एक विडम्बना मात्र थी इसलिये किसी संसदीय विशेषाधिकार का कोई प्रश्न ही नहीं था।

हम संसद् द्वारा उसी विधि का अधिनियमन चाहते हैं जो कि इंग्लैंड में एक महान न्यायाधीश द्वारा १८६८ में **वेसान वि० वाल्टर** के मामले में निर्धारित की गई थी, अन्यथा संसदीय प्रजातंत्र का कोई अर्थ नहीं होगा। हमारे समक्ष प्रश्न यह है कि संसद् में होने वाली चर्चा और वाद-विवाद की जानकारी राष्ट्र को दी जाये। यदि संसदीय चर्चा प्रभावपूर्ण होती है तो उसकी जानकारी राष्ट्र को अवश्य दी जानी चाहिये। संविधान में कहा गया है कि संसद् के किसी सदस्य के विरुद्ध उसके द्वारा संसद् में कही गई बातों के लिये कानूनी कार्यवाही नहीं की जायेगी। किन्तु यह पर्याप्त नहीं है, और यदि आप वास्तविक प्रजातंत्र चाहते हैं तो आपको समाचारपत्रों को आवश्यक उन्मुक्तियां देनी चाहिये। यह कहना कोई अर्थ नहीं रखता है कि हमें यहां भाषण देने का अधिकार है। समाचारपत्रों को भी वैसा ही अधिकार होना चाहिये। हम अपमानवचन या अपमानलेख के बारे में किसी प्रकार का मूलभूत अधिकार नहीं चाहते हैं। कई सदस्यों का ख्याल है कि यह विधेयक संसद् सदस्यों को अतिरिक्त अधिकार प्राप्त कराने के उद्देश्य से लाया गया है ताकि वह खुल कर विरोध कर सकें। किन्तु यह सही नहीं है। हम उत्तरदायी व्यक्ति हैं और यहां हम जनता के प्रतिनिधि के रूप में और उनके प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने आये हैं। कई बार जनता के धन का दुरुपयोग किया जाता है और ऐसी स्थिति में हमारा कर्तव्य होता है कि दुरुपयोग के लिये जो व्यक्ति उत्तरदायी हैं उन्हें प्रकाश में लायें और सरकार से उन्हें दंड देने के लिये कहें। यदि सरकार ऐसा नहीं करती है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही करने का हमें अधिकार है।

यहां भाषण देकर बड़े-बड़े शक्तिशाली लोगों या प्रधिकारियों के पोल खोलने का कोई लाभ नहीं है। साथ ही हमें यह भी प्रबन्ध करना है कि उन लोगों को, जो अपना कर्तव्य इमानदारी से और बिना किसी दुर्भावना या द्वेष से करते हैं विधि का संरक्षण प्राप्त हो। सिद्धांत यह है कि प्रकाशन से समाज का जितना भला होगा, वह उस हानि से जो किसी निजी व्यक्ति को हो सकती है, कहीं अधिक होगा। मैं चाहता हूं कि इस सिद्धांत के आधार पर संसद् को इस विधेयक को स्वीकार या संशोधित करना चाहिये। मैं समझता हूं कि श्री फीरोज़ गांधी ने इसी सिद्धांत के अनुसरण में यह विधेयक पुरःस्थापित किया है।

यदि कोई समाचारपत्र वाद-विवाद को इमानदारी से, नेकनियती से और बिना किसी द्वेष के प्रकाशित करता है, और यदि उस में तथाकथित मानहानि का कुछ अंश भी हो, तो किसी को इस पर आपत्ति नहीं हो सकती है क्योंकि ऐसा करना समाज के सामान्य हित में है।

---

†मूल अंग्रेजी में

न्यायालय की कार्यवाही के प्रकाशन को विशेषाधिकार युक्त माना जाता है। यदि मैं उच्च न्यायालय में खड़ा होकर किसी व्यापारी या सरकारी उच्च अधिकारी की कटु आलोचना करता हूं तो इस सम्बन्ध में मुझे पूर्ण उन्मुक्ति प्राप्त है और यदि मेरे भाषण या तर्क को भारत के किसी भाग में दैनिक समाचारपत्रों में प्रकाशित किया जाता है, तो समाचारपत्र के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। किन्तु यदि वही भाषण मैं यहां सदन में दूं, तो उसके प्रकाशन में समाचारपत्रों को उन्मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। मेरा निवेदन है कि यह अनुचित विभेद है। संसद् अन्याय को दूर करने के लिये और मानव के मूल अधिकारों को लागू करवाने के लिये उच्चतम न्यायधिकरण है। यदि सरकारी क्षेत्र या गैर-सरकारी क्षेत्र में कोई घोर अन्याय या अनुचित कार्यवाही की गई हो और यदि कोई सदस्य, जो कि जनता का प्रतिनिधि है अपने सार्वजनिक कर्तव्य के पालन में उस अन्याय की पोल खोलता है, तो न केवल उसे बल्कि समाचारपत्रों को उसके भाषण को प्रकाशित करने के विषय में उन्मुक्ति प्राप्त होनी चाहिये।

मैंने श्री फीरोज़ गांधी को बताया था कि इसे कोई निरपेक्ष विशेषाधिकार नहीं बनाया जाना चाहिये और मुझे हर्ष है कि उन्होंने इसे मान भी लिया है और इसे एक सीमित विशेषाधिकार बना दिया है, जैसा कि खंड ३ के इन शब्दों से प्रकट होता है : "जब तक कि यह सिद्ध न हो जाये कि प्रकाशन द्वेष की भावना से किया गया है"। अतः जब द्वेष भावना सिद्ध हो जाये, तो न्यायालय को अपराधी को दंड देने का अधिकार होगा। मेरा निवेदन है कि प्रवर समिति को इस विधेयक पर सावधानी से विचार करना चाहिये और मुझे आशा है कि सदन इस के सिद्धांत को स्वीकार करेगा।

†**श्री यू० एम० त्रिवेदी** (चित्तौड़) : मैं इस विधेयक का पूरे जोर से विरोध करता हूं, क्योंकि मुझे इस के प्रस्ताव की नियत पर शक है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य को किसी की नियत पर शक नहीं करना चाहिये। नियत पर शक किये बिना भी मतभेद प्रकट किया जा सकता है।

†**श्री यू० एम० त्रिवेदी** : यह जानते हुये कि जो कुछ हम इस सदन में बोलते हैं, वह इतना विशेषाधिकार युक्त है कि उस के आधार पर किसी प्रकार की मानहानि का या अपमान लेख सम्बन्धी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, यदि हम किसी व्यक्ति को बदनाम करते हैं या उस की करतूतों के बारे में झूठे, अपमान कारक या तंग करने वाले वक्तव्य देते हैं, तो हम चाहते हैं कि उन वक्तव्यों को, जो कि सिद्ध नहीं हुये प्रकाशित होने दिया जाये ताकि वह व्यक्ति बाहर देश में बरबाद हो जाये। मैं कहता हूं कि यह भावना हमें अपने दिल से दूर कर देनी चाहिये।

हमें याद रखना चाहिये कि जहां तक व्यवहार विधि का सम्बन्ध है अपमान लेख सम्बन्धी विधि भारत में वही है जो कि इंग्लैंड में है और अपमान लेख के सम्बन्ध में व्यवहारिक दायित्व भी वही है जो कि इंग्लैंड में है। अतः व्यवहार विधि में त्रुटि दूर करने का कोई प्रश्न नहीं है, प्रश्न दांडिक दायित्व का है, जो कि भारतीय दंड संहिता की धारा ४९९ के अन्तर्गत लागू होता है। यदि धारा ४९९ के अन्तर्गत लोकहित में, सदन में एक ऐसा वक्तव्य दिया जाता है, जिस की सचाई प्रमाणित की जा सकती है, तो कोई भी व्यक्ति बिना खटके इसे समाचारपत्र में प्रकाशित कर सकता है। उसे विधि का पूरा संरक्षण प्राप्त होगा और उस के विरुद्ध कोई दांडिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी। उसे यह विशेषाधिकार इस लिये प्राप्त होगा क्योंकि जो कुछ उस ने कहा है वह सच कहा है और लोकहित में कहा है।

इसलिये मेरा निवेदन है कि इस विधेयक से कोई लाभ नहीं होगा। यदि इस सदन की कार्यवाही पर आधारित कोई दांडिक मुकदमा किसी तरह सफल भी हो जाये, तो सरकार एक विधेयक द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा ४९९ में एक अपवाद कर सकती है और यह अपवाद इसी संहिता में ही किया

†मूल अंग्रेजी में

[श्री यू० एम० त्रिवेदी]

जा सकता है। किन्तु वर्तमान विधेयक के द्वारा एक निरपेक्ष उन्मुक्ति या विशेषाधिकार देने का प्रयत्न किया गया है। इस निरपेक्ष विशेषाधिकार के साथ ये शब्द जोड़ दिये गये हैं :

"जब तक यह सिद्ध न हो जाये कि प्रकाशन दुर्भावना से किया गया है।"

इस प्रकार की दुर्भावना का मामला केवल तभी उत्पन्न हो सकता है जब कि समाचारपत्र का संपादक स्वयं संसद का सदस्य हो और प्रकाशक भी हो। अन्यथा एक ऐसे सदस्य को खड़ा किया जा सकता है जो सदन में किसी व्यक्ति विशेष पर हर प्रकार के आरोप लगाये और एक दूसरा व्यक्ति जिसे कुछ रुपया दे दिया गया हो और जो किसी समाचारपत्र का प्रकाशक हो, उस सब बकवास को अपने समाचारपत्र में छाप दे। इसलिये इस परन्तुक में भी जो अपवाद है, उसका भी कोई लाभ नहीं। और किसी भी व्यक्ति को जो संसद् में कही गई बातो से लाभ उठाना चाहे, वह निरपेक्ष विशेषाधिकार प्राप्त हो सकता है। अतः मेरा निवेदन है कि यह विधेयक अनावश्यक है।

†**श्री टेक चन्द** (अम्बाला-शिमला) : मैं समझता हूं कि यह विधेयक बिल्कुल ठीक समय पर प्रस्तुत किया गया है। इसे पढ़ने से मालूम होता है कि इसकी भाषा में काफी सुधार किया जा सकता है। मुझे विश्वास है कि यह काम प्रवर समिति अवश्य पूरा करेगी, जिससे इसका उद्देश्य ठीक-ठीक प्रकट हो सके।

भारतीय दंड संहिता की धारा ४९९ के अपवाद ४ में कहा गया है कि किसी न्यायालय की कार्यवाही की सच्ची रिपोर्ट प्रकाशित करना या ऐसी किसी कार्यवाही के परिणामों को प्रकाशित करना मानहानि नहीं है। किन्तु इसी प्रकार का विशेषाधिकार देने वाला कोई अपवाद किसी विधान मंडल की कार्यवाही के बारे में जारी नहीं किया गया है। न्यायालय में मुकदमें के दौरान में वकील गवाहों या पक्षों के बारे में सभी प्रकार की बातें कह सकता है और ऐसी समस्त कार्यवाही के प्रकाशन के लिये समाचारपत्रों को पूर्ण उन्मुक्ति प्राप्त है। सदन में भी कोई सदस्य किसी व्यक्ति या निकाय या निगम के सम्बन्ध में जिसके द्वारा कोई हानि हो रही है हर प्रकार की आलोचना कर सकता हैं सदन के अन्य सभी सदस्यों का ध्यान उन के व्यवहार की ओर दिला सकता है, किन्तु देश की जनता यह नहीं जान सकती कि क्या कहा गया है, क्योंकि समाचारपत्रों को उस भाषण या कार्यवाही को प्रकाशित करने के लिये वही उन्मुक्ति प्राप्त नहीं है। परिणाम यह है कि हमारा विचार विमर्श हमारे भाषण चाहे वे कितने हों महत्वपूर्ण क्यों न हों और चाहे उन्हें राष्ट्रहित में प्रसारित करना कितना ही आवश्यक क्यों न हो, बेकार हैं, क्योंकि लोकहित में होते हुये भी समाचारपत्र उन्हें प्रकाशित नहीं कर सकते।

इसलिये यह अत्यंत आवश्यक है कि समाचारपत्रों और अन्य प्रासार संगठनों को, जो विधानमंडलों की कार्यवाही का ठीक-ठीक विवरण प्रकाशित करते हैं, यही विशेषाधिकार दिया जाये यदि विधान मंडलों में दिये गये भाषणों के प्रकाशन से किसी व्यक्ति विशेष को कोई हानि या असुविधा भी होती हो, तो उस का कोई डर नहीं, क्योंकि देश को जो सामान्य लाभ होगा वह उससे कहीं अधिक होगा।

और यह विशेषाधिकार ऐसा नहीं है कि इसकी कोई सीमा ही न हो। इस पर तीन प्रकार के नियन्त्रण हैं जैसे ही कोई सदस्य अनुचित या मानहानि करने वाले शब्द बोले, अध्यक्ष उसे रोकने के लिये उपस्थित हैं। दूसरा नियन्त्रण अपनी आत्मा का है। सदस्य को यह अनुभव करना चाहिये कि उसे किसी ऐसे व्यक्ति की कटु आलोचना कर के जो कि उत्तर देने के लिये उपस्थित नहीं है इस विषाशेधिकार का दुरुपयोग नहीं करना चाहिये। तीसरा नियन्त्रण यह है कि उत्तरदायी समाचारपत्रों को स्वयं इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि वे कोई ऐसी बात प्रकाशित न करें जो अनुचित हो। इन नियन्त्रनों के होते हुये इस बात का कोई भय नहीं है कि हम अर्थात विधान मंडलों के सदस्य अपने उत्तरदायित्व को भूल कर

†मूल अंग्रेजी में

अनपश्चनाप बकने लगेंगे और अनुपस्थित व्यक्तियों पर आक्षेप करने लगेंगे । किन्तु समाचार-पत्रों को यह विशेषाधिकार अवश्य मिलना चाहिये, ताकि उन का यह भय कि उन के विरुद्ध किसी भी समय कार्यवाही की जा सकती है, दूर हो सके । इंग्लैण्ड का कानून यह था कि संसद् की दोनों सभाओं में उनके सदस्यों द्वारा जो भी वक्तव्य दिये जाते थे वह चाहे उनकी जानकारी के अनुसार असत्य भी क्यों न होते हों और वह किसी तीसरे व्यक्ति के हितों के लिये चाहे कितने भी हानिकर क्यों न हों, किन्तु उनको दीवानी अथवा फौजदारी कार्यवाही का आधार नहीं बनाया जा सकता था ।

इस सीमा को संसदीय पत्रअधिनियम, १८४० के द्वारा दूर कर दिया गया । इसने इस विशेषाधिकार में कुछ वृद्धि कर दी, अर्थात् संसद् की दोनों में से किसी भी सभा के निर्देश पर प्रकाशित किये जाने वाले पत्रों अथवा उनकी प्रतिलिपियों को प्रकाशित करने के लिये संरक्षण दिया गया । परन्तु जिस विशेषाधिकार का उल्लेख किया गया है, वह इंग्लैड में १८४० तक भी नहीं प्रदान किया गया था, वहां बाद को दे दिया गया ।

इंग्लैण्ड में इस सम्बन्ध की सब से नयी विधि १९५० की है जिसका उल्लेख एक माननीय सदस्य ने किया है । १९५२ में इंग्लैण्ड के समाचार पत्रों को केवल इंग्लैण्ड की संसद् ही नहीं, उपनिवेशों की विधान-सभाओं में कही गयी किसी भी बात को प्रकाशित करने का विशेषाधिकार प्राप्त हो गया था । अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों, अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालयों आदि के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार के विशेषाधिकार दिये गये हैं । इसलिये विधि को तर्क संगत बनाया जाये और यह विशेषाधिकार समाचारपत्रों को ही नहीं, प्रचार-पुस्तिकाओं और प्रसारणों को भी दिये जाने चाहियें ।

किसी समाचरपत्र द्वारा कोई खतरा उठाये जाने से पूर्व उसको तीन बाधाओं का सामना करना होता है—एक यह कि समाचार सारतः सत्य हो, दूसरा कि द्वेषहीन ढंग से प्रकाशित किया गया और तीसरा कि सार्वजनिक हित में हो । यदि समाचरपत्र इन तीनों बाधाओं को पार कर भी लें तो भी मेरा अनुरोध है कि इस सभा में होने वाली चर्चा को सभा के बाहर प्रकाशित करने के सम्बन्ध में वही सुविधायें और अधिक मात्रा में दी जानी चाहियें जो न्यायालयों के सम्बन्ध में दी गई हैं ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** (नवद्वीप) : मैं इस विधेयक का पूर्णतः समर्थन करती हूँ क्योंकि इस प्रकार का विधेयक काफ़ी पहले ही लाया जाना चाहिये था । आज जनमत की कुँजी समाचारपत्रों के ही हाथ में है, लोकतन्त्र में जनमत को ढालने और उत्पन्न करने का उत्तरदायित्व भी समाचारपत्रों पर ही होता है। जनता ही तो भले -बुरे का निर्णय करेगी । इसलिये समाचारपत्रों को पूर्ण स्वतन्त्रता दी जानी चाहिये । अन्यथा जनता को यह भी ज्ञात नहीं हो सकेगा कि यहाँ क्या किया जा रहा है या क्या नहीं किया जा रहा है ।

एक स्वतन्त्र देश की प्रारंभिक पहचान यह होनी चाहिये कि वहां के समाचारपत्र स्वतन्त्र हैं या नहीं । वास्तव में प्रत्येक देश के समाचारपत्रों को स्वतन्त्रता प्राप्त है, केवल भारत में ही यह स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं है । वैसे भी इस अपढ़ देश में इस सभा के कार्यों का प्रचार कंम ही हो पाता है । अन्य देशों की तुलना में यहां के समाचारपत्रों की पाठक संख्या कुछ भी नहीं है और इसलिये हमारे देश में बहुत ही कम लोगों को समाचार प्राप्त हो पाते हैं । भारत की लोकतन्त्रात्मक जनता को तो इस सभा में कही जाने वाली बातों की सूचना देने के लिये समाचारपत्रों को पूरी छूट दी जानी चाहिये । वास्तव में एक इसी बात से कि, यहां के भाषणों को समाचारपत्रों में प्रकाशित किया जा सकेगा, सदस्य सतर्क हो जायेंगे और अंधाधुंध दोषारोपण नहीं करेंगे । साथ ही समाचारपत्रों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा और वह भी अधिक सतर्क हो जायेंगे । मुझे आशा है कि पूर्णता की प्राप्ति के लिये जिस स्वतन्त्रता और विस्तृत क्षेत्र की आवश्यकता है, उस के प्राप्त होने पर भारतीय समाचारपत्रों का स्तर ऊंचा

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती इला पालचौधरी]

हो जायगा। भारत में हम को अभी भी ऐसे राष्ट्रीय समाचारपत्रों की आवश्यकता है जो अच्छाई का दिखावा किये बिना अच्छे हों, हलकापन और गन्दगी लाये बिना घटनाओं को सविस्तार और वैचित्र्यपूर्ण चित्रण कर सकें। मैं समझती हूँ कि पूर्ण संरक्षण प्राप्त करने के उपरान्त, भारत में आदर्श समाचारपत्रों का विकास होगा और इस राष्ट्रीय मंच सम्बन्धी हम भारत वासियों की आशायें पूर्ण हो जायेंगी।

मैं इस विधेयक का हार्दिक समर्थन करती हूं।

†**श्री एम० डी० जोशी** (रत्नगिरी–दक्षिण): मैं इस अत्यन्त वांछनीय विधेयक को लाने के लिये माननीय सदस्य श्री फिरोज़ गांधी को बधाई देना चाहता हूँ। मैं स्वयं इस चतुर्थराज्य का समर्थक हूँ और इसीलिये मेरे विरुद्ध अनेक बार मुकद्दमे चलाये गये हैं और मैं हर बार साफ़ छूट गया हूँ।

फिर भी, विधान सभा की कार्यवाही को निष्ठापूर्वक प्रकाशित करने में सम्पादक बड़ा खतरा मोल लेता है। इसलिये समाचारपत्रों को स्वतन्त्रता देने से संसद् सदस्यों और अध्यक्ष के उत्तरदायित्व बढ़ जायेंगे। कुछ सदस्यों ने यह बता ही दिया है कि अमरीका और ब्रिटेन में समाचारपत्रों को स्वतन्त्रता प्राप्त है। अमरीका के सम्बन्ध में मैं आप को तीन मामलों में न्यायालयों के निर्णय का उदाहरण देता हूँ।

एक मामले में एक समाचारपत्र ने यह समाचार या आरोप प्रकाशित किया था कि नगरपालिका परिषद् ने अन्य कामों के लिये अलग रखा गया रुपया दो बार सामान्य कोष में हस्तांतरित कर दिया। इस समाचारपत्र को मानहानि के विरुद्ध संरक्षण दिया गया और न्यायाधीश ने कहा कि द्वेष रहित ढंग से प्रकाशित किये जाने के कारण यह मानहानि नहीं थी।

एक दूसरे मामले में एक बिल्कुल सत्य नहीं वरन् साधारणतया सत्य समाचार को प्रकाशित करने के लिये एक समाचारपत्र को संरक्षण प्रदान किया गया था। इस प्रकार एक सारतः सत्य समाचार में कुछ कल्पना का पुट होने के बावजूद भी उस पत्र को संरक्षण दिया गया।

तीसरे मामले में ग्रैन्डजूरी की खबर प्रकाशित करने पर भी एक समाचारपत्र को संरक्षण दिया गया।

मुझे और अधिक उदाहरणों को देने की आवश्यकता नहीं है। जिस समय भारतीय दण्ड संहिता में मानहानि की विधि निर्धारित की गई थी, उस समय कोई विधान सभा नहीं थी। अब विधान सभायें हैं और भारत एक स्वतन्त्र राष्ट्र है। इसलिये समाचारपत्रों को यह स्वतन्त्रता अवश्य दी जानी चाहिये।

पंडित ठाकुर दास भार्गव: उपाध्यक्ष महोदय, यह सवाल जो हाउस (सभा) के सामने है, यह मुश्किलात से खाली नहीं है और इसके मुख्तलिफ़ पहलुओं पर गौर करने से कई एक तरह के सुझाव दिमाग में आते हैं कि हम को क्या करना चाहिये, मैं श्री राने का मशकूर हूं कि उन्होंने यह तजबीज़ रखी है कि इस (विधेयक) बिल को सेलेक्ट कमेटी (प्रवर समिति) के सिपुर्द किया जाये क्यों कि बगैर सेलेक्ट कमेटी को गये इस बिल के ऊपर ठीक तरह से गौर नहीं हो सकता। श्री फिरोज़ गांधी जो यह बिल यहां पर लाये हैं, उनकी खुद यह मंशा नहीं है कि हम लिबर्टी आफ़ दी प्रैस (समाचारपत्रों को स्वतन्त्रता) को इतना बढ़ा दें जितना कि आज के दिन विलायत में है क्योंकि उन्होंने खुद जो अपनी तजबीज़ रखी है उसमें दो सेफ़गार्ड्स (परित्राण) रखे हुए हैं। अब यह कि वह सेफ़-गार्ड्स उसी तरह मानें जायें, उनको छोटा कर दिया जाय, या बड़ा कर दिया जाय या उन को मौडिफ़ाइड फौर्म (परिवर्त्तित रूप) में रखा जाय, इसे सैलेक्ट कमेटी में अभी तय करना है। मेरी अदब से गुज़ारिश है कि मामूली तौर पर देखा जाय तो आप पायेंगे कि फ्रीडम आफ़

†मूल अंग्रेजी में

स्पीच (भाषण की स्वतन्त्रता) और एक्सप्रेसशन हमारे फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर (मूल अधिकारों के अध्याय) में दफ़ा १९ में दी हुई है और १९ (१) का जो पैरा २ है वह उस को एक तरीके से रिस्ट्रेन (नियंत्रित) करता है। यह फ्रीडम आज हर एक हिन्दुस्तान के वाशिन्दे को हासिल है। लेकिन बतौर मेम्बर पार्लियामेंट (संसद सदस्य) मुझको जो फ्रीडम आफ़ स्पीच हासिल है, वह उससे किसी कदर ज्यादा है और वह एक तरह से कांस्टीट्यूशन (संविधान) की दफ़ा १०५ में डिफ़ाइन (परिभाषित) की हुई है और उसके अन्दर लिखा हुआ है कि वह फ्रीडम आफ़ स्पीच हर एक मेम्बर को हासिल होगी सबजेक्ट टू दि कंस्टीटयूशन एण्ड दी रूल्स आफ़ प्रोसीज्योर (संविधान और प्रतिक्रिया संबंधी नियमों के अधीन रहते हुए) पहले फिकरे में यह लिखा हुआ है।

अगले फिकरे में यह लिखा हुआ है कि जो बात मेम्बर यहां पर रखेगा और जो कुछ वोटिंग (मतदान) वग़ैरह करेगा, उसके बारे में उसके ऊपर कोई सिविल या क्रिमिन्ल लाएबैल्टि (दीवानी अथवा फौजदारी उत्तरदायित्व) नहीं होगी।

जिसके माने यह हैं कि बावजूद इसके कि हमारे ऊपर रूल्स ऑफ़ प्रोसीजर (प्रक्रिया नियमों) के रूल (नियम) ३३१ में बंदिशें हैं जिसके बिना हम डिफैमेटरी (मानहानि कारक) चीजें हाउस में नहीं कर सकते. और मैं समझता हूं कि जो रूल बने हुए हैं, उन पर हम चलेंगे, लेकिन कुछ सूरतें ऐसी भी होंगी जिनके अन्दर कोई शख्स उन रूल्स पर न चले। मुझे याद है कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के एजेन्ट्स (अभिकर्त्ता) यहां पर बैठा करते थे जो कि ऐग्जिक्यूटिव कौंसिलर्स होते थे तो जो हमारी स्वराज्य पार्टी के मेम्बर हुआ करते थे वह उनको गालियां दिया करते थे। एक मर्तवा मुझे याद है, पंडित मोती लाल नेहरू ने तकरीर करते हुए यहां फरमाया था कि तुम डाकू हो, तुम चोर हो। इसका उन को जवाब मिला था इसी तरह इस हाउस में भी कई दफ़ा कहा गया है कि आप जरा बाहर चल कर तकरीर कीजिये, यहां तो आप को कुछ भी कहने के प्रिविलिजेज (विशेषाधिकार) हैं। उनको यह चैलेन्ज (चुनौती) मिला था कि यहां के और बाहर के रूल्स में बहुत फर्क है, आप इस तरह से बाहर हैं तो हम आप को प्रोसीक्यूट (मुकदमा चलायेंगे) करेंगे। यहां तुम क्या कहते हो, पब्लिक प्लैटफार्म पर (सार्वजनिक मंच) पर चल कर कहो। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इसमें शक नहीं है कि जो आज़ादी हैं वह पब्लिक की आज़ादी से डिफरेन्ट (भिन्न) हैं। अब लिबर्टी आफ प्रैस की बात को लीजिये। सारा विलायत का कानून और हमारा सारा कानून एक चीज़ पर बमबानी (निर्भर) है और वह है इंडिविजुअल की लिबर्टी (व्यक्ति की स्वतन्त्रता) पर। वही लिबर्टी प्रैस को है, न उससे ज्यादा है और न कम है। अभी थोड़ा अर्सा हुआ यहां पर प्रेस (आब्जेक्शनेबल मैटर) बिल [समाचारपत्र (आपत्तिजनक सामग्री) विधेयक] पास किया गया था। यहां पर एक राइट रायल बैटल (युद्ध) हुई और यहां पर सैंकड़ों ऐतराज किये गये। मैं समझता हूं कि प्रेस (ओब्जेकशनेबल मटर बिल) के रहते हुए आज भी वह हुकूक हिन्दुस्तानी प्रेस को हासिल नहीं हैं जो कि यहां के एक मामूली वाशिन्दे को हासिल हैं। अब भी यहां प्रेस को पूरी लिबर्टी हासिल नहीं है। मेरी राय में गोकि प्रेस कमीशन (आयोग) ने उसको इस तरह से नहीं देखा है, लेकिन ताहम आज हम प्रेस की लिबर्टी को मामूली आदमी की लिबर्टी से बढ़ाने जा रहे हैं। आज हम अपनी लिबर्टी भी जो कि हमें दफा १०५ के मुताबिक मिली है उस से किसी कदर ज्यादा कर रहे हैं। आज हम यहां पर जो स्पीच (भाषण) चाहें कर सकते हैं, लेकिन पाटस्कर साहब हमें चैलेन्ज करते हैं कि जरा बाहर आ कर स्पीच करो ताकि हम डिस्कस कर सकें कि तुम ने क्या कहा और क्या नहीं कहा। लेकिन अगर एक स्पीच यहां दें और आप की इजाजत से उसको हमारे अखबार छाप दें तो क्या उन पर मुकदमा नहीं चल सकता है। इस तरह से इस बिल के ज़रिये अखबारों के अख्त्यार ज्यादा ही बढ़े। जो चैलेन्ज यहां पर था उसको ही आप ने खत्म कर दिया, अखबार वाले को इम्यूनिटी (उन्मुक्ति) दे दी। इस तरह से मेम्बरों के भी राइट ज्यादा हुए और लिबर्टी आफ दि प्रेस भी बढ़ती है।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

प्रेस इन्क्वायरी कमेटी (समाचारपत्र जांच समिति) की रिपोर्ट (प्रतिवेदन) जो हमारे सामने आई तो उन्होंने जो अपना प्वाइंट आफ व्यू (दृष्टिकोण) रक्खा उसमें उन्होंने इस की सिफारिश नहीं की कि इस तरह की लिबर्टी बढ़ा दी जाय, मगर जो हमारा कांस्टिट्यूशन है उसके अन्दर यहां की कार्यवाही छापने के वास्ते यह दिया हुआ है कि या तो खुद हाउस उसको छापे या हाउस की अथारिटी (प्राधिकार) से छपे । उसके अन्दर हमारी कार्यवाही प्रोटेक्टेड (संरक्षित) है । इस सिलसिले जो नुक्ते खयाल हमारे दिल में आते हैं उनमें से एक यह है, और जो स्पीच मेरे दोस्त श्री त्रिवेदी जी ने की उस के अन्दर इसी बात की झलक थी, वह समझते हैं कि यह राइट एबयूज़ (abuse) किया जा सकता है दूसरी तरफ जनाव खयाल फरमायें । श्री फिरोज़ गांधी ने बतलाया है कि सारी दुनियां भर में प्रेस को राइट है कि जो प्रोसीडिंग्स लेजिस्लेचर्स (विधान सभाओं की कार्यवाहियां) की होती हैं उनको छापें । विलायत में ही यह राइट (अधिकार) नहीं है, दूसरे मुल्कों में भी है । हम क्यों यह समझे कि हमेशा एक आदमी अपनी लिबर्टी का नाजायज फायदा उठाकर कोई बात छापेगा । मैं इस ख्याल को ठीक नहीं समझता हूं कि हमारे यहां या स्टेट लेजिस्लेचर्स में भी ऐसा ऐटमास्फिअर (वातावरण) बनेगा जिस में कोई मेम्बर ऐसा करेगा कि कि फुजूल की बातों को कहे । जो सेफगार्ड (परित्राण) श्री टेक चन्द जी ने बताये, उन के रहते हुए मैं यकीन नहीं करता कि कोई भी इस तरह पर नाजायज फायदा उठाना चाहेगा । यहां पर मिसाल दे कर उन्होंने बतलाया कि अगर कोई प्राइवेट मेम्बर नाजायज़ फ़ायदा उठा कर ऐसा करे, मुझे जो डर है वह दूसरा है, और वह यह कि कहीं ऐसा न हो कि कोई मेम्बर यहां आ कर किसी हायेस्ट आफिशल (उच्चतम पदाधिकारी) के खिलाफ़, मिनिस्टरों के खिलाफ या जो पब्लिक आर्गेनाइजेशन्स (सार्वजनिक संगठन) हैं उनके खिलाफ तकरीरें करे । और उनको बेजा इशापूत हो में यह नहीं चाहता कि उनका क्रिटिसिज्म (आलोचना) न हो, जायज क्रिटिसिज्म जरूर हो, लेकिन ऐसा क्रिटिसिज्म न हो जो अनरीज़नेवली (Unreasonably) खिलाफ कानून हो । ऐसा करना उन सब आदमियों के बर्खिलाफ पर दिये गये राइट्स का ऐब्यूज (दुरुपयोगता) करना हो सकता है । लेकिन यह सब यहां चीजें ऐक्सेपशनल और गैर-मामूली हैं । रोजमर्रा की चीजें नहीं हैं । आज लेजिस्लेचर्स की जितनी चीज़ें होती हैं वह मुल्क के अन्दर जाती ही नहीं हैं । मैं तो ऐंग्श्यस (उत्सुक) हूँ कि हमारे यहां की प्रोसीडिंग्स जो हैं वह इस तरह से छपें जैसे कि और चीज़ें छापी जाती हैं और वह हर खास व आम तक पहुँचें ।

मैं इस बात से इन्कार नहीं कर सकता, और न इस बात से अपनी आंखें बन्द कर सकता हूँ कि हमारे देश में लेजिस्लेचर्स की कार्यवाही पूरी तरह से पब्लिक के सामने नहीं जाती । एक-एक दो-दो लाइनें लिखदी जाती हैं बाकी छोड़ दी जाती हैं । मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि आज जो सेक्शन ४९९ है उसके ९वें हिस्से में है कि पब्लिक गुड (सार्वजनिक हित) के वास्ते कोई ऐसी चीज़ छाप दी जाय जोकि डिसरप्टिव (विध्वंसात्मक) हो, खराब हो लेकिन गुड फेथ (समिच्छापूर्ण) में हो तो कोई आदमी उसको सजा नहीं दे सकता । हमारा ला ऑफ डिफैमेशन (मान हानि कानून) बना हुआ है । वह भी आपको देखना चाहिये । लार्ड मैकाले हमारे देश में आये, लार्ड मैकाले साहब ने सब से बड़ी गिफ्ट (उपहार) जो हिन्दुस्तान को दी वह इंडियन पेनल कोड (भारतीय दंड संहिता) थी जो कि निहायत विजडम (बुद्धिमता) की चीज़ है । आज भी इस बिल में जो कि श्री फिरोज़ गांधी ने पेश किया है उसमें उन्होंने दो सेफगार्ड्स रक्खे हैं । मैं इन दोनों सेफगार्ड्स से ऐग्री करता हूँ (सहमत हूँ) सारे सेफगार्ड्स के साथ । उन्होंने खुद इस को महसूस किया कि कहीं कोई इस को ऐब्यूज न करे, इस वास्ते पहली चीज़ उन्होंने लिखी कि अगर कोई शख्स मैलिस (द्वेष) की वजह से या जैसा कि मैंने कहा महज इविल डिस्पोजीशन (बुरे विचार) की वजह से, या इम्प्रापर

मोटिव्ज (अनुचित मनोवृत्ति) की वजह से जिसके माने उर्दू में होते हैं खराब नियत से या अनलाफुल (गैर-कानूनी मनोवृत्ति मौटिवज़) की वजह से करे तो वह मैलिस है। उन्होंने यह लिखा कि अगर यह साबित हुआ कि किसी शख्स ने मैलिस की वजह से लिखा है तो उस सूरत में इस प्रोटेक्शन (संरक्षण) को वह नहीं पायेगा। मैं बर्डन आफ प्रूफ (प्रमाण भार) को थोड़ा सा बदलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो गुड फेथ में छापे, और उसकी तारीफ इंडियन पेनल कोड में दी हुई है कि इन गुड फेथ क्या है। उस में लिखा है :

बिलीड टु हैव बीन डन विद गुड केयर ऐन्ड इंएटेंशन (जिसके सम्बन्ध में यह विश्वास हो कि सावधानी और ध्यानपूर्वक किया गया है) मगर इन गुड फेथ की शकल वह बना दी जाय जो कि दफा १०९ में है। इससे हमारा मतलब पूरा हो जाता है; जोकि उस से आदमी पर बोझ कम पड़ता है और छापने वाले को साबित करना होता है कि उस ने गुड फेथ में छापा।

अब जनाब मुलाहजा फरमायें, फर्ज कीजिये कि मैलिस साबित हो जाती है, और पब्लिक गुड भी साबित हो जाता है, पब्लिक गुड में एक चीज़ छपती है, लेकिन मोटिव अच्छा नहीं है तो उसे सजा मिलेगी या नहीं? मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि इस चीज़ को सेलेक्ट कमेटी को सोचना पड़ेगा। जो आइडिया इन्कारपोरेट (सलिहित कल्पना) इस में है वह इस तरीके से पूरा हो जाता है। गुड़ फेथ और पब्लिक गुड ऐसी चीजें हैं जो कि कंसिस्टेंट (संगत) हैं और अगर उन को साथ रखा जायेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, जो हमारा प्रेजेन्ट ला (वर्तमान विधि) है वह हमें मालूम है और हम उस को मिसयूज (दुरुपयोग) नहीं कर रहे हैं। यह ठीक है कि हमारे प्रेस की लिबर्टी जो है वह हमारे मेम्बरों की लिबर्टी से आजकल कम है, अगर वह बढ़ती है तो कोई नुक्सान की बात नहीं है, मैं सेलेक्ट कमेटी की खितमत में अर्ज करूंगा वह इन बातों पर विचार करे कि हम किस तरह से प्रेस की लिबर्टी को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि मैं जानता हूँ कि जब तक प्रेस को आप यह लिबर्टी नहीं देंगे उस वक्त इस हाउस की जो कार्यवाहियां हैं वह सारी पब्लिक के वास्ते क्लोज्ड बुक (बन्द पुस्तक) रहेंगी और पब्लिक को उन से कोई फायदा पहुंचने वाला नहीं है। पब्लिक तक यहां की चीजों को पहुँचाने के लिये जो कुछ भी व्यवस्थायें की जायें वे थोड़ी हैं।

†**श्री वेलायुधन** (क्विलोन तथा मावेलिक्करा-रक्षित-अनुसूचित जातियां) : इस विधान को इस संसद के समक्ष लाने के लिये मैं श्री फिरोज गांधी को बधाई देता हूँ। इस प्रकार के विधान को लाने का श्रेय कांग्रेस की गैर-सरकारी बैंचों को मिला है।

परन्तु यह मेरा विनीत मत है कि शासक दल के किसी सदस्य द्वारा किसी विधेयक का लाया जाना, जो अन्त सरतोगत्वा कार द्वारा स्वीकार कर लिया जाये, एक स्वस्थ संसदीय प्रथा नहीं है। मैं समझता हूँ कि सरकार को स्वयं इस प्रकार के विधेयक को प्रस्तुत करके पारित करना चाहिये था। इस प्रकार के विशेषाधिकार विरोधी-पक्ष को प्राप्त होते हैं, शासक दल के सदस्यों को नहीं।

जहाँ तक इस विधेयक का प्रश्न है, मैं उस त्रुटि से पूर्णतया अपरिचित था जो संसद् सदस्यों, पत्रकारों और समाचारपत्रों के विशेषाधिकारों में है। यह अत्यन्त आवश्यक है कि हम लोगों को, जो यहां पर बाकायदा संसद् के सदस्य निर्वाचित होकर आये हैं, जनता की ओर से कुछ शिकायतें संसद् के सामने रखनी चाहियें। साथ ही यदि वह बात बाहर की जनता को नहीं बतायी जाती है तो यह हमारे विशेषाधिकारों पर कुठाराघाट हैं—जो स्वतः जनता के विशेषाधिकारों पर कुठाराघात करने के सामान हैं। इसलिये हमारे देश में लोकतन्त्र को विकसित करने के लिये यह विधेयक अनिवार्य है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री केलायुधन]

हम ने विभिन्न विधानों द्वारा अपनी स्वतन्त्रता पर अनेक प्रतिबन्ध लगा लिये हैं । इसके अतिरिक्त जनता और स्वयं संसद् सदस्यों के अधिकारों को कम करने के लिये इस संसद् में अनेकों दमनकारी कानून पारित किये जा चुके हैं इसलिये यह अत्यन्त ही स्वागत करने योग्य बात है कि शासक-दल के ही एक सदस्य ने इस प्रकार का एक विधेयक प्रस्तुत किया है। इसलिये मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। यह एक छोटा सा विधेयक है और मैं समझता हूँ कि इस पर विचार कर के इस को इस सभा के समक्ष प्रस्तुत करने में प्रवर समिति को अधिक समय नहीं लगेगा ।

मैं एक बार पुनः यह कहना चाहता हूँ कि मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ और श्री फिरोज़ गांधी को पुनः एक बार बधाई देता हूं ।

†**श्री पाटस्कर** : वाद-विवाद से ऐसा मालूम होता है कि अधिकतर सदस्य इस प्रकार के विधान के सन्निहित सिद्धान्त का समर्थन करते हैं। मैं समझता हूं कि कुछ हद तक यह स्वाभाविक है ।

जहां तक विधि के प्रश्न का संबंध है, इस पर काफी चर्चा हो चुकी है और स्थिति इस प्रकार है। इस सभा में माननीय सदस्यों के भाषणों के सम्बन्ध में, संसद् में अथवा विभिन्न विधान सभाओं में कही गई बातों के लिये उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही व्यावहारिक अथवा दांडिक नहीं की जा सकती । प्रकाशन के सम्बन्ध में भी, हमारे संविधान में उपबन्ध है कि संसद् के अपने प्रकाशन से, यद्यपि उसमें कुछ बात हो फिर भी, किसी प्रकार का दायित्व व्यावहारिक अथवा दांडिक, उत्पन्न नहीं होता ।

अब मुख्य प्रश्न समाचारपत्रों का है जिनका यह कर्तव्य है कि वे समय-समय पर इस सभा की और भारत की अन्य विधान सभाओं की कार्यवाही का वृतान्त प्रकाशित करें ।

इंग्लैण्ड में १८६८ में इस सम्बन्ध में न्यायालय ने एक निर्णय दिया था और तब से वहां यह विधि है कि संसद् की कार्यवाही के प्रकाशन के सम्बन्ध में समाचारपत्रों को उसी प्रकार के विशेषाधिकार प्राप्त हैं जैसे कि न्यायालयों की कार्यवाही के प्रकाशन के सम्बन्ध में प्राप्त हैं। बाद में चलकर एक अधिनियम द्वारा यह संरक्षण स्थानीय संस्थाओं जैसे म्युनिसिपल ब्यूरोज इत्यादि की कार्यवाही के लिये भी लागू किया गया ।

हम जानते हैं कि भारत में जिस विधि, (ला आफ टार्टस) जिसके अन्तर्गत व्यवहार-विधि आ जाती है, कभी संहिताबद्ध नहीं की गई थी । उस विधि में अनेक अन्य विषय भी आ जाते हैं और अनेक कारणों से वह संहिताबद्ध नहीं की गई। अतः भारत में व्यवहार विधि संहिताबद्ध नहीं की गई है। दांडित दायित्व के सम्बन्ध में धाराएं ४९९ और ५०० के अधीन हम कुछ अपवाद देखते हैं। अपवाद ४ और ९ महत्वपूर्ण उपबन्ध हैं।

अपवाद ४ में कहा गया है कि "न्यायालय की कार्यवाही अथवा ऐसी किसी कार्यवाही के फलस्वरूप पर्याप्त सत्य प्रतिवेदन का प्रकाशन मानहानि नहीं है।" आगे व्याख्या में कहा गया है कि "न्यायाधीश या अन्य पदाधिकारी, जो किसी न्यायालय में मुकदमे के प्रारम्भ में खुले न्यायालय में कोई जांच करे, उपरोक्त धारा के अर्थ में एक न्यायालय है।" न्यायालयों की कार्यवाही के सम्बन्ध में यह अपवाद ४ जब भारतीय दंड संहिता में रखा गया उस समय संसद् और विधानमंडलों के विषय में ऐसी कोई मुक्ति देने का कोई प्रश्न ही नहीं था। उन दिनों भारत में शायद ही कोई संसद् या विधान संस्था थी। शायद इसी कारण ऐसा कोई उपबन्ध भारतीय दंड संहिता में नहीं रखा गया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विधि की वर्तमान स्थिति इस प्रकार संक्षेप में बताने के बाद अब मुख्य प्रश्न यह है कि यद्यपि सदस्यों के अधिकार, विशेषाधिकार और उन्मुक्ति के संबंध में संविधान के अनुच्छेद १०५ में उपबन्ध रखा गया है और कहा गया है कि उन्हें भी ब्रिटिश संसद के सदस्यों द्वारा प्राप्त उन्मुक्तियां और विशेषाधिकारों के उसी आधार पर विशेषाधिकार प्राप्त होंगे, क्या वह समाचारपत्रों पर भी लागू किया जाये या नहीं। इस विषय पर स्वतः संविधान सभा में ही मतभेद था। अतः केवल सदस्यों को उन्मुक्ति देने के आगे इस बात पर अधिक जोर नहीं दिया गया। संभवतः उस समय यह सोचा गया कि केवल संसद्-सदस्यों तक सीमित रखने के आगे उसे बढ़ाया जाये या नहीं इस पर जब तक हम कोई निश्चित निर्णय नहीं कर लेते तब तक ठहर जाना अधिक अच्छा होगा। आज की वर्तमान स्थिति यही है।

इस प्रश्न के सम्बन्ध में एक और महत्वपूर्ण बात है। यह एक समवर्ती विषय है। जब हमें ऐसे किसी विषय पर विधान बनाना होता है जो इस सभा के और राज्य विधानसभाओं, दोनों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है, तब यह वांछनीय है और आवश्यक होता है कि हम सम्बन्धित विधान-सभाओं के दृष्टिकोण भी मालूम करें। पिछली बार जब यह विधेयक माननीय प्रस्तावक ने पुरःस्थापित किया था, तब मैंने उस विधेयक के विषय में विभिन्न राज्यों के दृष्टिकोण इकट्ठा करने का प्रयत्न किया था। किन्तु मुझे केवल ७ राज्यों से ही उनके दृष्टिकोण प्राप्त हुए हैं जो इस प्रकार हैं। सौराष्ट्र सरकार इस विधेयक से सहमत है जहां तक वह दांडिक दायित्व से सम्बन्धित है। किन्तु वह व्यावहारिक दायित्व का सिद्धान्त स्वीकार नहीं करती। इसका अर्थ यह है कि वह उस हद तक तैयार है जहां तक कि संभवतः प्रेस आयोग ने अपने प्रतिवेदन में सुझाव दिया है। उससे परे जाने के लिये वह तैयार नहीं है। कच्छ सरकार का कहना है कि विधेयक में प्रस्थापित रियायतों का दुरुपयोग किया जा सकता है और प्रारूप विधेयक के खंड ३ में उल्लिखित संरक्षणों के अतिरिक्त भी कुछ संरक्षण देना वांछनीय है। मद्रास सरकार ने कोई राय नहीं जाहिर की है और उसे इस विषय में कुछ नहीं कहना है। त्रिपुरा सरकार इस विधेयक के उद्देश्य से सहमत है और वह इस विधेयक का समर्थन करती है। आसाम इसका समर्थन नहीं करता। भोपाल को इस विषय में कुछ नहीं कहना है। अन्य सरकारों के मत अभी प्राप्त होने हैं। अतः राज्य विधानसभाओं के सम्बन्ध में इस प्रकार स्थिति है। इसलिये ऐसी स्थिति में माननीय सदस्यों और प्रवर समिति से मेरा यह सुझाव है कि यह विधेयक केवल संसद् की कार्यवाही के विषय में ही लागू किया जाये और राज्य विधान सभाओं पर उसे लागू करने के संबंध में वह उन्हीं पर छोड़ दिया जाये। राज्य विधान सभाएं बाद में निश्चय करें कि वे यह विधि इस रूप में या किसी परिवर्तित रूप में स्वीकार करना चाहती हैं या नहीं, राज्य सरकारों से अब तक प्राप्त प्रतिवेदनों में मतभेद को देखते हुए मैं यह तरीका पूर्णतः लोकतन्त्रात्मक और संवैधानिक समझता हूँ।

मैंने देखा है कि कुछ लोगों की यह धारणा है कि कोई संसद् सदस्य इस सभा में कुछ भी कह सकता है, जैसे कि भाषणों पर कोई नियंत्रण ही न हो। मेरी समझ से यह गलत है। क्योंकि प्रक्रिया नियम के नियम ३३२ में स्पष्ट बताया गया है कि भाषण देते समय किसी माननीय सदस्य को कौन-कौन सी बातें नहीं कहनी चाहिये। उसमें बिल्कुल स्पष्ट उल्लेख है कि माननीय सदस्य भाषण देते समय अभिद्रोहात्मक, राजद्रोहात्मक या मानहानिकारक शब्द नहीं कहेंगे। यह बात दूसरी है कि अनेक माननीय सदस्यों को या तो उसकी जानकारी नहीं है या भाषण देते समय वे उसे भूल जाते हैं। अतः जहां तक ये नियम लागू हैं और उनमें अभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है. इस सभा के कोई माननीय सदस्य मानहानि कारक शब्द नहीं कह सकते। अतः इस विधेयक के पारित हो जाने से कोई अधिक हानि होने की संभावना नहीं है। मुझे विश्वास है कि इस सभा में मेरे सभी सहयोगी नियमों का पालन करने के लिये सतर्क होंगे। इसलिये हिचकिचाहट का कोई विशेष कारण नहीं है।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : "अभिद्रोहात्मक, राजद्रोहात्मक" के बारे में क्या है ?

†**श्री पाटस्कर** : वे भी वहां हैं। उन की परिभाषा समयानुसार बदलती रहती है। स्वतन्त्रता के पहले जो राजद्रोहात्मक था वह आज से कुछ भिन्न था। अब परिस्थितियां भिन्न हैं। मेरा विषय यह था कि अब भी माननीय सदस्यों के भाषणों पर जिन्हें हम लापरवाह कहते हैं, निर्बन्धन हैं। लोग स्वभावतः सशंकित रहते हैं इस सभा से नहीं, बल्कि बाहर से। फिर नियंत्रण के लिये अध्यक्ष महोदय रहते हैं जो इस बात को देखते हैं कि नियमों का पालन किया जाये। फिर भी यदि प्रक्रिया नियमों का उल्लंघन कर कोई बात कही जाती है तो उसे निकाल देने की शक्ति भी अध्यक्ष महोदय को दी गई है। नियम ३९३ के अनुसार ऐसी कोई बात कार्यवाही में से निकाल दी जा सकती है।

यहां उठाई गई अनेक आपत्तियों पर विचार करने के बाद मैंने देखा कि भय यह है कि पूर्णतः मानहानिकारक या राजद्रोहात्मक शब्द कहे जाने पर और माननीय अध्यक्ष महोदय का ध्यान उन की ओर आकृष्ट करने और उन्हें कार्यवाही में से निकाल देने में कुछ समय लगेगा और इसी बीच वह समाचारपत्रों तक पहुँच जायेगा। यह भी एक आशंका है और मैं इससे केवल कल्पना के रूप में नहीं रख रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि प्रवर समिति इस पर विचार करे। मुझे अवश्य ही विश्वास है कि माननीय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष महोदय इस ओर ध्यान देंगे कि इन नियमों का उचित रूप से पालन हो। फिर संसद् की यंत्रप्रणाली भी सदा विद्यमान है जो इन बातों की ओर ध्यान देगी। अतः ये आशंकाएं पूर्णतः न्यायोचित नहीं हैं। इसलिये यदि हम यह विधेयक केवल संसद् के दोनों सदनों तक ही सीमित रखे और खंड ३ तथा ४ की शब्दावलि इस सभा के माननीय सदस्यों द्वारा परीक्षण के लिये प्रस्तुत करें तो इसमें अधिक हिचकिचाहट का कोई कारण नहीं है।

वाद-विवाद के दौरान में मैंने यह देखा कि कुछ माननीय सदस्य यह सोचते हैं कि मंत्रीगण या इस ओर के सदस्य इस बात के लिये चिन्तित हैं कि यह स्वतन्त्रता समाचारपत्रों को नहीं दी जानी चाहिये। मैं उन्हें विश्वास दिला सकता हूँ कि यह सत्य से कहीं अधिक दूर है। मैं तो यहां तक कहूँगा कि इस वाद-विवाद में मंत्रियों ने विरोधी दल की बातों को काफी बर्दाश्त किया है और उनकी ओर काफी ध्यान दिया है।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : उन्होंने भी अपने समय में काफी गालियां सुनी हैं जो अब हमारे मंत्रिगण सुन रहे हैं। वे अधिक सहनशील थे क्योंकि किसी हद तक वे उसके पात्र थे।

†**श्री पाटस्कर** : जो भी उस ओर से इस ओर आये, उसे काफी सहनशील बनना पड़ता है। मैं केवल एक उदाहरण दूंगा। जब माननीय सदस्य ने २३ तारीख को अपना विधेयक प्रस्तुत किया तब वकीलों का निर्देश किया गया था। मैं यों ही इसे कह रहा हूँ और मैं इसे तर्क नहीं बनाना चाहता। संभवतः यह कहा जा रहा था "जहां वकील अधिक लोक प्रिय नहीं होते ....."। माननीय सदस्य सम्भवतः यह कह रहे थे कि वे स्वतः वकील नहीं हैं। किन्तु मैं यहां बता देना चाहता हूँ कि यद्यपि वे वकील नहीं हैं, फिर भी इस विशिष्ट पहलू के सम्बन्ध में उन्होंने विधि का अध्ययन करने में काफी परिश्रम किया है और मेरी समझ से, उन के बाद भाषण देने वाले किसी भी वकील सदस्य ने उन्होंने जो कुछ कहा है उससे अधिक कुछ कहा है। वह एक बहुत अच्छा सम्मान है यद्यपि उन्होंने नम्रतावश यह कहा कि मैं वकील नहीं हूँ। स्वभावतः कुछ व्यक्ति समझते होंगे कि बुरे वकील सर्वप्रिय होते हैं। उसका इसके साथ कोई सम्बन्ध नहीं। कुछ लोगों ने सोचा होगा कि खराब वकील मंत्री बन गए हैं। यह केवल आज की ही प्रथा नहीं, यह प्रस्ताव किसी वर्तमान मंत्री से नहीं आया है अपितु एक भूतपूर्व मंत्री से आया है। यह सब पर लागू होता है चाहे कोई वर्तमान अथवा भूतपूर्व मंत्री हो। यह एक सचाई है कि यह आज लागू नहीं होता है। परन्तु भूतपूर्व मंत्री भी यह भूल जाते हैं कि यह उन पर लागू होता है। यही चीज़ मैं बताना चाहता था।

†मूल अंग्रेजी में

प्रश्न यह है कि इस सम्बन्ध में क्या किया जाना चाहिये। यह एक अलग बात है कि किस की मानहानि हुई है तथा किस उद्देश्य से हुई है। माननीय प्रस्तावक ने यह विधान प्रस्तुत किया है मैं समझता हूं कि यह प्रवर समिति को सौंपा जायेगा।

प्रश्न उठाया गया कि क्या इसका यह अर्थ होगा कि हम इसके सिद्धान्तों को स्वीकार करते हैं मेरे विचार में इस में सिद्धान्त का प्रश्न अन्तर्गस्त नहीं है। सभी सहमत हुए हैं। प्रश्न केवल यह है कि ऐसी कौन सी व्यवस्था की जानी चाहिये जिससे कि जनता को ठीक-ठीक जानकारी दिलाने के लिये उचित तथा सक्षम प्रकाशन पर कोई रोक न हो क्योंकि जनता को यह जानने का अधिकार है कि हम यहां क्या कुछ कर रहे है। बाहरी लोग स्वभावतः इस पर इस दृष्टिकोण से विचार नहीं करते हैं कि हम किसी की मानहानि कर रहे हैं। वह समझते हैं कि हम संसद् के सदस्य हैं तथा राष्ट्रीय महत्व के काम पर लगे हुये हैं। मेरे विचार में इस प्रश्न पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। जहां तक सिद्धान्त का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि कोई भी व्यक्ति यह नहीं चाहता है कि इस सभा की कार्यवाही को समाज तथा राष्ट्र के हित में उचित रूप से प्रकाशित करने में कोई अड़चन उत्पन्न हो। इसी दृष्टिकोण से मैं श्री राने के इस संशोधन से सहमत हूं कि यह विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जाये। मुझे आशा है कि मेरे सुझावों को ध्यान में रखा जायेगा तथा यह विधेयक एक ऐसा रूप धारण करेगा, जिससे कि कुछक सदस्यों की शंकाओं तथा आशंकाओं का निवारण होगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मेरे विचार में प्रस्तावक को वाद-विवाद का उत्तर देने के लिये और समय की आवश्यकता नहीं।

†**श्री एस० एस० मोरे** : जी, नहीं।

†**श्री फिरोज गांधी** : जी नहीं।

†**श्री केशव अय्यंगार** (बंगलौर उत्तर) : मेरे संशोधन का क्या हुआ जिसका उद्देश्य स्थानीय विधान मंडलों राज्य सरकारों तथा स्थानीय निकायों से परामर्श लेना था।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : सरकार इसे स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं क्योंकि वह दूसरा संशोधन स्वीकार कर रही है। प्रस्तावक, सरकार तथा अन्य व्यक्ति इस बात स सहमत हैं कि यह विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जाना चाहिये।

†**श्री केशव अय्यंगार** : जो कुछ कहा गया है उसकी दृष्टि से मैं इस पर आग्रह नहीं करता।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को श्री हरि विनायक पाटस्कर, डा० राम सुभग सिंह, श्री त्रिभुवन नारायण सिंह, श्री गणेश सदाशिव आल्तेकर, नरहरि विष्णु गाडगील, श्री नेमिचन्द्र कासलीवाल, श्री भागवत झा आजाद, श्री अब्दुस्सतार, श्री बालकृष्ण शर्मा, श्री कामाख्या प्रसाद त्रिपाठी, डा० शौकतुल्ला शाह अंसारी, श्री ए० एम० थामस, श्री फीरोज गांधी, श्री आर० वेंकटरामन्, श्रीमती सुभद्रा जोशी, श्री राधेलाल व्यास, श्री पैडी लक्ष्मय्या, श्री टेकूर सुब्रह्मण्यम्, श्री शंकर शान्ताराम मोरे, श्री जयपाल सिंह, श्रीमती रेणु चक्रवर्ती, श्री के० अनन्द नम्बियार, श्री अमजद अली, श्री के० एस० राघवाचारी, श्री भवानी सिंह, डा० ए० कृष्णस्वामी, श्री एस० सी० चटर्जी, श्री ए० ई० टी० बैरो, श्री फूलसिंह जी बी० डाभी; और प्रस्तावक से बनी एक प्रवर समिति को इन अनुदेशों सहित सौंपा जाये कि वह १ मई, १९५६ तक अपना प्रतिवेदन दे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अतः यह विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जाता है।

'†मूल अंग्रेजी में

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक,

(धारा ४२९ का संशोधन)

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं तजवीज करता हूं कि इंडियन पेनल कोड (अमेंडमेंट) बिल, अमेंडमेंट आफ सेक्शन ४२९ [भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक, धारा ४२९ का संशोधन] को यह हाउस कंसीडर (विचार) करे ।

यह इतना छोटा सा बिल है और इतना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी अमेंडमेंट (स्वयं व्याख्यात्मक संशोधन) है और वह इतना साफ है कि उसके मुतल्लिक बहुत ज्यादा वजूहात देने की जरूरत नहीं है । तो भी चूंकि दफा ४२१ ऐसी दफा है जो कि आमतौर पर काम में नहीं आती है इस वजह से बहुत से लोगों को गालिबन यह पता नहीं होगा कि यह बिल क्या है और किस गरज़ से यह लाया गया है ।

जनाबवाला, इंडियन पेनल कोड में ४२५ दफा जो मिस्चिफ (कुचेष्टा) के बारे में है वह इस तरीके पर है :

†"जो भी जनता को, अथवा किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाने के इरादे से, अथवा यह जानते हुये कि उससे हानि होने की सम्भावना है, किसी सम्पत्ति को नष्ट करता है, अथवा किसी सम्पत्ति में या उसकी परिस्थिति में ऐसा परिवर्तन करता है जिससे उस सम्पत्ति की उपयोगिता नष्ट अथवा कम होती है, अथवा उसे क्षति पहुंचती है, तो वह 'कुचेष्टा' करता है ।"

इसके साथ दो एक्सप्लेनेशन्स (व्याख्याएं) हैं जिनकी तरफ मैं जनाब की तवज्जह दिलाना चाहता हूं :

†"कुचेष्टा के अपराध के लिये यह आवश्यक नहीं है कि अपराधी का इरादा आक्षत अथवा नष्ट सम्पत्ति के मालिक को हानि पहुंचाने का हो । यह पर्याप्त है कि यदि वह किसी सम्पत्ति को हानि पहुंचाते हुये जानता है कि यह उसका इरादा था अथवा इससे हानि पहुंचाने की सम्भावना थी, चाहे यह उस व्यक्ति की हो या न हो ।"

इससे जो अगला हिस्सा है वह इससे भी ज्यादा साफ है और इस तरह पर है :

†"यदि किसी कार्यवाही से सम्पत्ति को हानि पहुंचती हो, चाहे वह सम्पत्ति कार्यवाही करने वाले व्यक्ति की है अथवा उस पर उसका तथा अन्यों का संयुक्त स्वामित्व है, तो यह कुचेष्टा होगी ।"

इसका साफ मतलब यह होगा कि कोई भी शख्स ख्वाह इस फेल को करने वाला उस जायदाद का मालिक हो या न हो, मिसचीफ करने वाला कहा जा सकता है, चुनाचे उसके नीचे ज्वाइंट ओनरशिप (संयुक्त स्वामित्व) की रेस्ट्रिक्शन (प्रतिबन्ध) भी की हुई है । मिसचीफ का जुर्म साबित करने के वास्ते तीन चीजें जरूरी हैं । सबसे पहले तो इंटेनशन (इरादा) का होना जरूरी है, उसकी इंटेशन यह हुई :

†"जनता को अथवा किसी व्यक्ति ,को हानि पहुंचाने के लिये"

जो यहां पर लफज़ टू एनी परसन (किसी व्यक्ति को) है तो उसकी जात से किसी आदमी

---

†मूल अंग्रेजी में·

का सवाल ही नहीं है। अगर वह इनवाल्वड (शामिल) हो, अगर कोई शख्स पब्लिक (जनता) की तारीफ में आ सके, अगर उसको भी कोई शख्स नुकसान पहुंचाये तब भी वह शख्स मुजरिम बन जाता है। पब्लिक की तारीफ आपको मालूम ही है।

†"भारतीय दण्ड संहिता की परिभाषा के अनुसार जनता का कोई भाग भी जनता है।"

जिस के मानी यह हैं कि उसका इरादा पब्लिक के किसी हिस्से को या किसी परसन (व्यक्ति) को नुकसान पहुंचाने का हो या उसको महज़ इल्म हो, इरादा न हो कि ऐसा फेल करने से किसी को नुकसान पहुंचेगा, पब्लिक को या उसको तो वह मुस्तहकिम हो जाता है दफा ४२५ का।

जिस सैकशन की मैं तरमीम चाहता हूं उसकी तरफ मैं आपकी तवज्जह दिलाना चाहता हूं। सैकशन इस तरह से है :

†"जो भी किसी हाथी, ऊंट, घोड़े, खच्चर, भैंसे, सांड, गाय या बैल को, चाहे जिस मूल्य का वह हो, अथवा पचास या उससे अधिक रुपये के मूल्य के किसी अन्य जानवर को, हत्या करक, ज़हर देकर, अपंग करके अथवा बेकार बनाने की कुचेष्टा करता है उसे पांच वर्ष तक की कैद, अथवा जुर्माना, अथवा दोनों से, दण्डित किया जा सकता है।"

इसके साथ जो मैं लिखवाना चाहता हूं व सिर्फ इस कद्र है। मैं उस सैकशन को छूना नहीं चाहता, मैं तो सिर्फ एक प्राविसो (परन्तुक) ऐंड (जोड़क) करवाना चाहता हूं जो इस प्रकार है :

†"परन्तु उस धारा के अंतर्गत यह समझा जायेगा कि अपराधी का जनता को या किसी व्यक्ति को दोषावह हानि पहुंचाने का इरादा था अथवा यह ज्ञात था कि इससे हानि पहुंचने की संभावना है।"

आई० पी० सी० में दफा २३ में रांगफुल लोस (दोषावह हानि) और रांगफुल गेन (दोषावह लाभ) की जो तारीफ दी हुई है, वह इस तरह है :

†"दोषावह लाभ अवैध साधनों से प्राप्त वह सम्पत्ति-लाभ है जिसका कि लाभ पाने वाला व्यक्ति वैध रूप से अधिकारी नहीं है।"

मैं अदब से गुज़ारिश करना चाहता हूं कि जुर्म करने के वास्ते जो उसने एक्ट (कार्यवाही) करना है वह किसी जानवर को जिसका इसमें जिक्र है, हाथी, ऊंट वगैरह-वगैरह, इन जानवरों की हत्या करने, अपंग बनाने या ज़हर देने अथवा किसी भी अन्य तरीके से करना है या उनको नुकसान पहुंचाना है, जिससे कि उनकी या उनमें से किसी की युटिलिटी (उपयोगिता) खत्म हो जाये। जहां तक इन जानवरों का सवाल है, यह साफ है कि जो जिस जानवर का मालिक है, उसके अलावा भी जानवर एक ऐसी जीज़ है जो मालिक में या गैर मालिक में तमीज़ नहीं करता है, पब्लिक के फायदे की चीज़ है। चाहे मालिक चाहे या न चाहे, वह रहती पब्लिक के फायदे की ही चीज़ है। वह हर एक के काम आता है। पब्लिक के फायदे की वह चीज़ इसलिये भी है कि जो उसका मालिक है वह उसे बेच सकता है, खुद इस्तेमाल कर सकता है, उसको वह हायर (किराये) पर ले सकता है, किसी दूसरे को दे सकता है। किस तरह से भी देखा जाये वह रहती पब्लिक के फायदे की ही चीज़ है। इसलिये पब्लिक इंटरेस्ट (जनहित) में इन जानवरों का कंसर्व (रक्षण) किया जाना जरूरी है। आप देखें तो आपको मालूम होगा कि १८६० में मेकाले साहब ने इन जानवरों के लिये एक कानून बनाया था। इतना ही नहीं, पब्लिक के फायदे के लिये एक और प्रिवेनशन आफ

†मूल अंग्रेजी में

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

क्रुअलटी टू एनिमल्ज़ एक्ट (पशु अत्याचार निरोधक अधिनियम) भी है। यह एक्ट भी उस कानून का एक तरह से पार्ट (भाग) है। मैं अर्ज़ करता हूं कि जहां तक इनसानी जिन्दगी है वह भी एक तरह से इन जानवरों की ज़िन्दगी के साथ इन्टीगिरेटैड है। साथ ही साथ जिनके पास यह जानवर होते हैं वे लोग इनसे इस कद्र प्यार करते हैं जिस तरह से कि वे अपने बच्चों से प्यार करते हैं और अपने बच्चों की तरह से उनको पालते हैं। हमारे मुल्क में जहां जानवरों की युटिलिटी की वजह से चाहे इन की इज्जत हो चाहे किसी और वजह से, लेकिन अमरीका में भी अगर किसी आदमी के पास एक घोड़ा हो, मेयर हो, उसके साथ भी वह इतना प्यार करता है, इतनी मुहब्बत करता है, जैसे कि वह उसकी फैमिली (परिवार) का एक पार्ट हो। जो कुत्ते की बात है और जिस कद्र फारेन कंट्रीज़ (विदेशों) में उनके साथ प्यार किया जाता है, वह तो आपको मालूम ही है।

तो मैं अर्ज़ करता हूं कि जहां तक एनिमल लाइफ का ताल्लुक है, हमें यह कहना ही पड़ेगा कि एनिमल लाइफ (पशु जीवन) एक तरह से हमारी अपनी लाइफ का एक पार्ट है, एक इंटेग्रल (अभिन्न) पार्ट है और एनिमल से सब से ज्यादा जो फायदा उठाता है, वह इनसान ही उठाता है। इसी चीज़ को देखते हुये आई० पी० सी० में सैक्शन ४२८, ४२९ और ४३० वगैरह जोड़े गये हैं।

अब इतना होते हुये भी सवाल उठता है कि जब इतना लम्बा चौड़ा कानून मौजूद है और इतने सैक्शंस मौजूद हैं, तो मैं तरमीम क्या चाहता हूं और क्यों चाहता हूं। बुनियादी कानून को मैं हाथ नहीं लगाता। जो कानून बना है उससे मुझे कोई एतराज़ नहीं है, वह बहुत अच्छा कानून है। जानवरों की प्रोटेक्शन (संरक्षण) का भी कानून मौजूद है। आपको मालूम है कि इंडियन एविडेंस एक्ट (भारतीय साक्ष्य अधिनियम) की दफा ४ में इस चीज़ की डेफिनिशन (परिभाषा) दी हुई है कि प्रूफ (प्रमाण) किस को कहते हैं और डिसप्रूफ (अप्रमाण) किस को कहते हैं, किस के अन्दर प्रिजम्पशन (पूर्व धारणा) आ सकता है और किस के अन्दर प्रिज़म्पशन नहीं आ सकता है। अब जो व्याख्या "प्रूफ" की रखी गई है, जो व्याख्या "डिसप्रूफ" की रखी गई है, जो व्याख्या में "प्रिज्यूम" की रखी गई है और जो व्याख्या "शैल प्रिज्यूम" की रखी गई है, वह मैं आपकी इजाज़त से पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। "मे प्रिज्यूम" और 'शैल प्रिज्यूम' के बारे

> †"उस अधिनियम में जहां भी यह उपबंधित है कि न्यायालय किसी तथ्य को धारण कर सकता है वहां वह ऐसे तथ्य को या तो सिद्ध मान सकता है, जब तक कि यह असिद्ध न हो जाय, अथवा उसका प्रमाण मांग सकता है"।
>
> †जहां भी इस अधिनियम द्वारा यह निदेश दिया गया है कि न्यायालय किसी तथ्य की धारणा करेगा तो वह उस तथ्य को सिद्ध हुआ समझेगा जब तक कि यह असिद्ध न हो जाय।"

कौन-सा प्रूफ है, इसमें जाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं अर्ज़ करता हूं कि दफा ४ में प्रिज्यूम और शैल प्रिज्यूम की अच्छी तरह से व्याख्या कर दी गई है।

अब जो व्याख्या प्रूव्ड (सिद्ध) और डिस-प्रूव्ड (असिद्ध) की गई है वह इस प्रकार हैं :

> †"तथ्य को तब सिद्ध हुआ समझा जायेगा जब कि न्यायालय अपने समक्ष प्रस्तुत मामलों पर विचार करने के पश्चात् यह विश्वास करता है कि यह विद्यमान है अथवा इसकी विद्यमानता इतनी संभाव्य है कि उस विशिष्ठ मामले की परिस्थितियों के अन्तर्गत कोई सतर्क व्यक्ति उसको विद्यमान मान कर काम करे।
>
> तथ्य को तब असिद्ध समझा जाता है जबकि न्यायालय अपने समक्ष मामलों पर विचार करने के पश्चात् यह विश्वास करता है कि यह विद्यमान नहीं है अथवा इसकी विद्यमानता इतनी

†मूल अंग्रेजी में

असंभाव्य है कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों के अन्तर्गत कोई सतर्क व्यक्ति उसको विद्यमान न मान कर काम करे ।"

अब इस बारे में इसमें सवाल यह पैदा होगा कि मेरे सुझाये हुए अमेन्डमेन्ट को अगर इस प्राविसो को इसमें जोड़ दिया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा । मैं अर्ज़ करता हूं कि इस एविडेंस एक्ट में दो-तीन बातें ऐसी हैं जिन से कि यह एक्ट ओत-प्रोत है । हम जानते हैं कि "मे प्रिज्यूम" के वास्ते इस कानून में दफा ११४ रखी गई है । किसी चीज़ के अन्दर वाकयात को देख कर एक प्रूडेंट (सतर्क) आदमी क्या यकीन करेगा, इसको मैं आपके सामने एक इलस्ट्रेशन (मिसाल) के जरिये रखना चाहता हूं । जहां तक मे प्रिज्यूम का ताल्लुक है ज्यों ही एक मामला अदालत के सामने आता है अदालत अपने आपको एक प्रूडेंट मैन (सतर्क व्यक्ति) की हैसियत में रख कर उन वाकयात से नतीजा निकालती है और इसको प्रिज्यूम करती है कि फलां बात इस तरह से हुई और फिर उसके बाद किसी नतीजे पर पहुंचती है । 'काज़ एंड इफेक्ट' (कार्य और कारण) अपनी नेचर (प्रकृति) में इस तरह से इंटरट्वाइंड (जुड़े हुये) हैं कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ निकलती है, या दूसरा नतीजा निकलता है । इसके अलावा जो क्रिमिनल ला (आपराधिक विधि) का एक मुसल्लमा उसूल है वह यह है :

†"प्रत्येक व्यक्ति अपनी कार्यवाही के स्वाभाविक परिणामों को जानने वाला समझा जाता है ।"

अगर यह उसूल न हो तो सारा क्रिमिनल ला नीचे गिर पड़ेगा । मेरी गुज़ारिश यह है कि नेचुरल कंसिक्वेंसिस (स्वाभाविक परिणाम) जो एक एक्ट के होते हैं उनकी ज़द्द से वह निकल सकता है । मान लीजिये कि एक आदमी किसी को गोली मार देता है । उसको साबित करने के लिये वह कहता है कि मुझे पीछे से खड़े होकर मुझे ओवर-पावर कर लिया और मेरे हाथ से गोली चला दी गई । वह साबित कर सकता है कि मैंने शराब पी ली थी या मुझे शराब पिला दी गयी थी, मुझे होश नहीं था मैं क्या करता, अनसाउंडनैस आफ माइंड (मस्तिष्क विकार) भी कह सकता है, वह कह सकता है कि मैंने ऐसी चीज़ देखी कि मैं पैशन में भर गया और मजबूर हो कर मुझे यही फेल करना चाहिये था । वह सेल्फ डिफैंस (आत्म रक्षा) की प्ली (दलील) भी ले सकता है । हालात के मुताबिक उसका गिल्ट (अपराध) जज हो जायेगा । अगर कोई शख्स किसी को मार दे तो कानून देखेगा कि आया इसका इरादा मारने का था या इसको इस बात का इल्म था कि उसके फेल का यह नतीजा होगा । अगर कोई बन्दूकचला दे और कोई आदमी मर जाये तो कानून यह प्रीज्यूम कर लेगा कि इसका इरादा या तो मारने का था या ऐसा फेल करने का था जिससे दूसरा आदमी मर जाये । तो मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि अगर कोई आदमी किसी हाथी को मार दे तो अदालत यह प्रीज्यूम कर लेगी कि या तो इसका इरादा इस हाथी के मालिक को नुकसान पहुंचाने का था या इसको यह यकीन था कि ऐसा करने से पब्लिक को नुकसान होगा । इसके साबित करने की ज़रूरत नहीं रहती । कोर्ट इसको एस्यूम कर लेती है । तो मैं यह आपसे कोई नई चीज़ नहीं कह रहा हूं ।

अभी थोड़ा अर्सा हुआ हमारे सामने अनटचेबिलिटी ऐक्ट (अस्पृश्यता निवारण अधिनियम) आया था और उसकी दफा १५ में जिक्र था कि अगर कोई शख्स इस तरह का ऐक्ट करेगा तो कानून यह प्रीज्यूम करेगा कि उसका इरादा यह था कि अनटचेबिलिटी को आगे बढ़ाया जाये । इसका इंटेंशन प्रीज्यूम कर लिया जायेगा कि दरअसल उसने अनटचेबिलिटी को आगे बढ़ाने के लिये यह ऐक्ट किया । हाउस ने इस दफा को मंजूर किया । जब हालात ऐसे हों कि अगर कोई काम किसी दूसरे काम का लाजिमी जुज़ हो तो कोई वजह नहीं है कि दूसरा प्रीजम्पशन किया जाये और कानून उसको प्रोटेक्शन देता है कि अगर वह शख्स उसके बखिलाफ साबित कर सकता है तो वह जुर्म से निकल सकता है । अगर मैं

†मूल अंग्रेजी में

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

कनक्लूसिव प्रीजम्पशन (निश्चयात्मक धारणा) रखता तो ऐतराज हो सकता था । मैंने तो रिबटेबिल प्रीजम्पशन (निराकरणीय धारणा) रखा है ।

कुछ अर्सा हुआ इस हाउस में गोल्ड (सोने) के स्मगलिंग (तस्कर व्यापार) का झगड़ा आया था । उस ऐक्ट की एक दफा में, जिसका नम्बर मुझे इस वक्त याद नहीं है, गुहा साहब ने इसी तरह की चीज़ हाउस के सामने रखी थी और उसे हाउस ने मंजूर कर लिया था क्योंकि हम जानते हैं कि स्मगलिंग और वह दूसरी चीज़ दोनों ऐसे मिले हुये हैं कि एक काम दूसरे का लाजिमी नतीजा है । इसी वजह से कानून में "शैल प्रीज्यूम" रखा गया है । यानी जब एक चीज़ होगी तो दूसरी चीज़ जरूर होगी, जैसे कि मैं धूम्र को देख कर यह कह दूं कि आग होना लाजिमी है । अगर किसी ने किसी जानवर को मार डाला है तो मैं कह सकता हूं कि मारने वाले की नीयत यह थी कि किसी को नुकसान पहुंचे ।

जनाबवाला को याद होगा, क्योंकि जनाब ही उस सिलेक्ट कमेटी (प्रवर समिति) के चैयरमैन (सभापति) थे, जिसने कि रेलवे प्रापर्टी के कानून पर गौर किया था । उस कानून के बारे में मुझ को ऐस मालूम होता था कि यह जरूरत से ज्यादा सख्त प्रीजम्पशन बनता है । उसमें ऐसा हो सकता था कि किसी आदमी ने रेलवे की चोरी न की हो पर उसके पास कोई ऐसी चीज़ पुश्तहापुश्त से चली आ रही हो पर उसके खिलाफ प्रीजम्पशन हो जाये । तो मुझे वह प्रीजम्पशन सख्त मालूम हुआ । लेकिन हमने उस कानून को पास किया । इसी तरह से हमने पोस्ट आफिस के तार वगैरा के मुताल्लिक भी कानून पास किया क्योंकि उस तरह का तार सिवाय पोस्ट आफिस के और किसी के लिये नहीं बनता है । हमने कहा ठीक है हम प्रीजम्पशन कर लेंगे ।

तो मैंने तीन मिसालें आपको दी हैं । वे इस चीज़ के मुकाबले जो मैं अर्ज कर रहा हूं कमजोर हैं । यहां पर एक ऐसे जानवर को मारने का मामला है जो कि बोल नहीं सकता, जो अपनी फरियाद नहीं कर सकता और जिसको कानून ने दफा ४२८ और ४२९ में प्रोटेक्शन दिया है । अगर किसी आदमी को मारा जाये तो इंजर्ड परसन (आहत व्यक्ति) सबसे पहला गवाह होता है, उसके रिश्तेदार गवाह होते हैं । यहां पर तो वह बेचारा जानवर न खुद गवाह हो सकता है और न उसके बीवी और बच्चे ही गवाह हो सकते हैं । अगर ऐसे बेजबान जानवर को, जो कि इन्सान की इतनी खिदमत करता है, कोई मारता है तो यकीनन वह किसी को या तो नुकसान पहुंचाने के लिये ऐसा करता है, या अपने किसी मफाद के लिये करता है, जैसे कि अगर कोई जानवर चोरी का माल हो और उसको मार दिया जाये । या हो सकता है कि किसी को ईजा पहुंचाने के लिये ऐसा किया गया हो । हमारी इंडियन सोसाइटी हजारहा बरस से दुनिया भर में इस बात के लिये मशहूर रही है कि वह तमाम जीवों पर दया करती है । हमने हजारहा बरस से इस उसूल को कल्टीवेट (पोषित) किया है कि सारे जीवों के साथ दया की जाय । हमको अपनी इस चीज़ को कायम रखना चाहिये । इसके लिये ऐक्ट तो मौजूद है, मैं उसको ज़रा वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि जिस हालत में कोई शख्स ऐसा फेल करे उसके वास्ते प्रीजम्पशन यह होना चाहिये कि फिलवाके इसका जो फेल है वह इस नीयत और इरादे से हुआ है । और मुलजिम को अख्तियार है कि वह साबित कर सके कि उसका ऐसा इरादा नहीं था और न उसे इस नतीजे का इल्म था । तो मैं अर्ज करूंगा कि जनाब किसी नुक्ते ख्याल से इसे देखें, यह मुनासिब है । इस सिलसिले में मैं अपनी गुजारिश को पक्का करने के लिये ऐवीडेंस ऐक्ट में से कुछ पढ़ देना चाहता हूं । इसमें लिखा है कि

†"ऐसे मामलों में जिनमें कि न्यायालय किसी तथ्य की "धारणा करेगा", तो यह धारणा निश्चयात्मक नहीं वरन् निराकरणीय है । तब न्यायालय के समक्ष कोई विकल्प नहीं रह जाता ।

†मूल अंग्रेजी में

किन्तु फिर भी उस तथ्य को सिद्ध मानना पड़ेगा जब तक कि इसे असिद्ध करने के लिये साक्ष्य न दिया जाय और इसको असिद्ध करने वाले पक्ष को वह साक्ष्य प्रस्तुत करना पड़ेगा ।"

यही चीज मैं जनाब की खिदमत में अर्ज कर रहा था । मैं जनाब के तजर्बे को अपील करता हूं बतौर जज के और बतौर काउंसिल के । अगर कोई मामला किसी अदालत के सामने आता है तो उसमें यह "शैल प्रीज्यूम" भी खास हालात पर मुनहसिर होता है । जितना फायदा मुलजिम को सेल्फ डिफेंस का मिल सकता है, जितना फायदा उसे प्रासीक्यूशन की एवीडेंस (अभियोक्ता के साक्ष्य) का मिल सकता है वह उसे दिया जाता है । मुलजिम को प्रासीक्यूशन की एवीडेंस से ही अक्सर फायदा मिलता है, डिफेंस की एवीडेंस (प्रतिवादी के साक्ष्य) से भी फायदा मिलता है मगर बहुत कम मौकों पर । अदालत टोटेलिटी आफ सरकम्स्टांसेज़ (समस्त परिस्थितियों) को देख कर ही मुलजिम को शक का फायदा देती है । तो जो मेरा सजेशन (सुझाव) है उससे किसी का नुकसान नहीं बल्कि एक तरह से पोजीशन (स्थिति) वाजेह हो जाती है । मैंने इस चीज़ को दफा ४२५ दफा के साथ लागू नहीं किया है । मैंने सिर्फ इसको वहां लागू किया है जहां कि जानवरों का सवाल है । अगर मैं इसको दफा ४२५ के साथ लागू करता तो यह कहा जा सकता था कि इससे इनजस्टिस (अन्याय) होने का इमकान है । जनाब इसकी दफा २ को मुलाहिजा फरमायें । मैं अदब से अर्ज करूंगा कि इससे उन जीवों को ज्यादा प्रोटेक्शन मिलेगा जिनको कि कानून ने पहले से ही प्रोटेक्शन दे रखा है । और लोग उन बेजबान जीवों के खिलाफ ज्यादा जुर्म नहीं कर सकेंगे जो कि सोसाइटी की इतनी सेवा करते हैं । इससे प्रासीक्यूशन का भार कुछ कम हो जायेगा । और मैं समझता हूं कि इसके लिये आनरेबल मिनिस्टर साहब मुझे मुबारक-बाद देंगे क्योंकि मैं उनका ही काम कर रहा हूं और उनका भार कम कर रहा हूं । मैं नहीं जानता कि उनका क्या ऐटीट्यूड (दृष्टिकोण) होगा ।

मैं अदब से अर्ज करूंगा कि जो कुछ मैंने अर्ज किया है वह किसी मेंटल रिजर्वेशन (मनोनिर्बन्ध) के साथ अर्ज नहीं किया है । मैंने अपने सारे कार्ड (पत्ते) टेबिल पर रख दिये हैं । इसमें किसी का नुकसान नहीं है । इससे सिर्फ यह फायदा है कि जो इस तरह के आफेंडर्स (अपराधी) हैं वे जल्दी सजा पा सकेंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआः—

"कि भारतीय दंड संहिता, १८६० का अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

†**श्री टेक चन्द** (अम्बाला-शिमला) : मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि इससे न्याय का नकार होगा । कोई भी कार्य दोषावह नहीं हो सकता जब तक कि इसके पीछे कुभावना या बुरी भावना न हो । माननीय सदस्य के कहने के अनुसार यदि उनके ड्राईवर से—हो सकता है वह स्वयं ही कार चला रहे हों—मान लीजिये रात क समय किसी जानवर की असावधानी से कार के आगे आ जाने के कारण उसे हानि पहुंच जाती है तो उस ड्राइवर को अपराधी समझा जायेगा और उसे ५ साल तक की कैद हो सकती है । इसलिये मेरा निवेदन है कि यह दंड उस निर्दोष व्यक्ति को केवल इसलिये दिया जाता है कि जानवर की असावधानी के कारण उसे हानि पहुंची ।

विधि की सामान्य क्रिया यह है कि व्यक्ति को अपराधी सिद्ध किया जाय और तब उसे उसके अपराध के अनुसार दंड दिया जाय । किन्तु मेरे माननीय मित्र के संशोधन के अनुसार इस धारणा से कार्य किया जाता है जैसे वह व्यक्ति अपराधी ही हो । उसके अपराध को सिद्ध नहीं किया जाता है । व्यक्ति को अपराधी बता कर उसे अपने को निर्दोष सिद्ध करने को कहा जाता है । उससे तो दांडिक न्यायशास्त्र उल्टा पड़ जाता है । जो भी किसी जानवर को हानि पहुंचाता है उसे अपराधी मान लिया

†मूल अंग्रेजी में

[श्री टेक चन्द]

जाता है और उसे ५ वर्ष तक का दंड मिल सकता है। केवल यही नहीं मेरे मित्र ने मनुष्यों की अपेक्षा जानवरों के प्रति अधिक दया दिखलाई है। मान लीजिये कि वही चोट किसी बच्चे को पहुंचे जैसे कि कार के नीचे आकर उसका पांव टूट जाय, तब भी विधि में यह उपबन्ध है कि अभियोक्ता पक्ष को यह सिद्ध करना होगा कि सम्बन्धित व्यक्ति ने इस प्रकार आचरण किया था जो इरादतन था और जो सदोष लापरवाही के समान था। किन्तु जानवरों के बारे में वह सम्बन्धित व्यक्ति को पहले से ही दोषी मान लेते हैं। मुझे आशा है कि हम इस प्रकार से सोचना बंद कर देंगे तथा दांडिक न्यायशास्त्र के सुस्थापित परम्परागत नियमों एवं सिद्धान्तों में इस प्रकार का आमूलचूल परिवर्तन नहीं करेंगे।

श्री आर० डी० मिश्र (जिला बुलन्दशहर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी इस बिल का विरोध करता हूं। इसके विरोध में श्री टेक चन्द ने जो कुछ कहा है वह बिल्कुल सही है। जानवरों के मुताल्लिक इस तरीक़े का एक ख़तरनाक कानून बनाना हमारे मुल्क के लिये मुनासिब नहीं है। अगर किसी बैल की या जानवर की टांग टूट गई तो अदालत यह मान लेगी बिना किसी सबूत के कि उसने जुर्म किया है, इस तरह से किसी शख्स या उसके मालिक को गिल्टी प्रैज्यूम कर लेना बिना किसी सबूत के यह बड़ा खतरनाक उसूल है और फिर इसके साथ-साथ यह ज़रूरी नहीं है कि वह जानवर किसी मालिक का हो, किसी का भी हो, कोई जानवर किसी जंगल में कहीं जा रहा हो और अगर वहां कोई दूसरा जानवर रास्ते में आ गया और उसकी कहीं टांग टूट गई तो यह जुर्म हो गया।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य अपना भाषण अगले अवसर के लिये जारी रखना चाहते हैं।

†**श्री आर० डी० मिश्र** : जी हां।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : तो सभा अब कल तक के लिये स्थगित होती है।

इसके पश्चात् लोक-सभा सोमवार, ९ अप्रैल, १९५६ के साढ़े दस बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[शुक्रवार, ६ अप्रैल, १९५६] पृष्ठ

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १९४९

विभिन्न सत्रों में मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के विवरण, जो प्रत्येक सत्र के सामने दिखाये गये हैं, सभा-पटल पर रखे गये :—

(१) पहला विवरण —लोक-सभा का बारहवां सत्र, १९५६
(२) अनुपूरक विवरण संख्या ४—लोक-सभा का ग्यारहवां सत्र, १९५५
(३) अनुपूरक विवरण संख्या ८—लोक-सभा का दसवां सत्र, १९५५
(४) अनुपूरक विवरण संख्या १४—लोक-सभा का नवां सत्र, १९५५
(५) अनुपूरक विवरण संख्या १८—लोक-सभा का आठवां सत्र, १९५४
(६) अनुपूरक विवरण संख्या २८—लोक-सभा का छठा सत्र, १९५४
(७) अनुपूरक विवरण संख्या ३३—लोक-सभा का पांचवा सत्र, १९५४
(८) अनुपूरक विवरण संख्या ३६—लोक-सभा का चौथा सत्र, १९५३
(९) अनुपूरक विवरण संख्या ४३—लोक-सभा का तीसरा सत्र, १९५३
(१०) अनुपूरक विवरण संख्या ३९—लोक-सभा का दूसरा सत्र, १९५२

प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित १९५०

चौबीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

विधेयक पुरःस्थापित १९८३

अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) विधेयक

अनुदानों की मांगें -

उत्पादन मंत्रालय सम्बन्धी अनुदानों की मांगों पर और आगे चर्चा जारी रही तथा मांगों की पूरी राशि स्वीकृत हुई । प्राकृतिक संसाधन और गवेषणा मंत्रालय सम्बन्धी अनुदानों की मांगों पर चर्चा आरम्भ हुई । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक पुरःस्थापित ... १९८३

श्री डाभी का बाल सन्यास दीक्षा रोक विधेयक

गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक प्रवर समिति को सौंपा गया ... ... १९८३—२०००

विधान-मण्डलों की कार्यवाही (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक पर और आगे चर्चा जारी रही । श्री राने ने प्रस्ताव किया कि विधेयक प्रवर समिति को इस अनुदेश के साथ सौंप दिया जाये कि वह पहली मई, १९५६ तक प्रतिवेदन प्रस्तुत करे । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक प्रवर समिति को सौंपा गया ।

गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक विचाराधीन ... ... २०००—०६

पंडित ठाकुर दास भार्गव ने भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ४२९ का संशोधन) के विचारार्थ प्रस्ताव किया । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

सोमवार, ९ अप्रैल, १९५६ के लिये कार्यावलि—

प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय तथा खाद्य और कृषि मंत्रालय सम्बन्धी अनुदानों की मांगों पर चर्चा ।

M110LSD—190—11-11-57—GIPF